लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवा सत्र]

[Fifth Session]

Preservation Unit
Digitized
24.1.86
Parliament Library

(खंड 20 में अंक 21 से 28 तक हैं)

(Vol. XX contains Nos. 21—28)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मुल्य : एक रुपया।

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, सोमवार 26 अगस्त, 1968/6 भाद्र, 1890 (शक)

No. 24, Monday, August, 26, 1968/Bhadra 6, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ता० प्र० संख्या विषय	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS S. Q. Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
661 पतरातु (बिहार) में धातु मिश्रित इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई	Supply of Electric Power to Alloy Steel Plant at Patratu (Bihar)	1-3
662 चिकित्सा अधिकारियों को कार भत्ता	Car Allowance to Medical Officers	3-4
663 परिवार नियोजन कार्य-क्रम को लोकप्रिय बनाने के बारे में शिकायतें	Complaints re. Popularisation of Family Planning Programmes	4-10
664 भारतीय तेल निगम को ढोलों का संभरण	Supply of Barrels to I. O. C.	10-14
675 मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड	Licence to M/s. Dugal Enterprises for a Fertilizer Factory	14-17
665 इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा कच्चे पेट्रोलियम कोक का विक्रय	Sale of Raw Petroleum Coke by I. O. C.	17-19
666 मैसर्स दुग्गल एन्टरप्राइसेज को उर्वरक कारखाने के लिए लाइसेंस	Licence to M/s. Dugagl Enterprises for a Fertilizer Factory	19-21
अल्प सूचना प्रश्न सं०	Short Notice Question No.	
12 गोंडा में पुलिस की कथित ज्यादतियां	Alleged PolicExcsses in Gonda	22-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर ता० प्र० सं०	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS S. Q. Nos.	
667 राज्य सरकारों की ऋण-ग्रस्तता	Indebtedness of State Governments	26-27
668 उर्वरकों की खरीद के लिये कृषकों को ऋण	Loans to Agriculturists for purchase of Fertilizers	27-28
669 होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल के कर्मचारी-वृन्द	Staff of Security Paper Mills, Hoshangabad	28-29

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न क सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
670	पूर्वी कोसी नहर	Eastern Kosi Canal	29
671	उत्तर भारत की अपराध–वृत्ति वाली भूतपूर्व आदिम जातियों का विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व	Representation of Ex-Criminal Tribes of North India in the Legislatures	29-30
672	मैसर्स यू० पी० सी० सी० (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ सड़क कूटने वाले इंजनों का सौदा	Road Roller deal with M/s. U.P.C.C. (Private) Ltd.	30
673	एन्टी बायोटिक्स परियोजना, ऋषिकेश	Antibiotics Projects, Rishikesh	31
674	उत्तर प्रदेश में मद्यनिषेध नीति	Prohibition Policy in U. P.	31
677	उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की मांग	Demand of Kerosene Oil in U. P.	31-32
678	भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों का पूर्वी पाकिस्तान में पद्मा नदी का दौरा	Visit by Indian Engineers and Technicians along Padma River in East Pakistan	32
679	हैजे तथा लू लगने के कारण मौतें	Deaths due to Chrlera and Heat-Stroke	32-33
680	सरकार द्वारा सोने की बिक्री	Sale of Gold by Government	33-34
681	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts for Family Planning Programme	34
682	पटना विकास न्यास, बिहार की धनराशि का गोलमाल	Misappropriation of funds of Patna Development Trust, Bihar	34-35
683	आयकर अधिकारियों द्वारा गलत कर निर्धारण	Erroneous assessments by Income Tax-Officers	35-36
684	एसोशिएटिड जर्नल्स लिमिटेड	Associated Journals Limited	36
685	नरेला (दिल्ली) की तेल मिलों द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान	Payment of Excise Duty by Oil Mills of Narela (Delhi)	36-37
686	पेट्रोलियम उत्पादों का आयात	Import of Petroleum Products	37
687	पेट्रो–रसायन उद्योगों के उत्पादों का उपयोग	Exploitation of Products of Petroleum Chemical Complexes	37-38
688	ग्रुप चार की सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि के आवंटन से सम्बन्धित रोक आदेश	Stay order for allotment of land to Group IV Cooperative House Building Societies	38
689	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगायी गयी पूंजी से आय	Return from Investment in Public Sector	38-40

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
690	आय कर भुगतान के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना	Issue of Income-Tax Clearance Certificate	40
426	टाटा बन्धुओं को तरल अमोनिया आयात करने की अनुमति न देना	Withholding of permission to Tatas for importing Liquid Ammonia	40-41
अता० प्र० सं०		**U. S. Q. Nos.**	
5527	कृषि संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद की उप-समिति	Sub-Committee of N.D.C. on Agricultural Resources	41
5528	आन्ध्र प्रदेश में सहकारी गृह-निर्माण समितियां	Co-operative House Construction Societies in Andhra Pradesh	41
5529	केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा	Foreign Tours undertaking by Central Ministers	42
5530	संसद-सदस्यों को विदेशी मुद्रा की अनुमति	Foreign Exchange allowed to Members of Parliament	42-43
5531	राजस्थान में बाढ़ों से अनुसूचित जातियों तथतच आनु सूदआम जातियों को हानि	Losses suffered by Scheduled Castes/ Scheduled Tribes from floods in Rajasthan	43
5532	त्रिपुरा में बैंक	Banks in Tripura	43
5533	गुजरात को पीने के ानी के सम्भ० रण की योजना	Drinking Water Supply Scheme of Gujarat	44
5534	गुजरात में आयकर की वसूली	Incomtax realised in Gujarat	44-45
5535	गुजरात में आदिम जातियों का विकास	Tribal Development in Gujarat	45
5536	गुजरात में सहायता कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Relief Works in Gujarat	45-46
5537	जेली पर आधारित औषधि-उत्पादों की कीमतें	Rates of Medicinal Products based on Jelly	46
5538	पेट्रोलियम जेली की खरीद	Purchase of Petroleum Jelly	46-48
5539	दवाइयों में उपयोग की जाने वाली जेली में दोषों की शिकायतें	Complaints against shortcomings of Jelly for Medicinal use	48-49
5540	पैट्रोलियम जेलीके निर्माता	Manufacturers of Petroleum Jelly	49-50
5541	बढ़िया किस्म के खनिज तेलों के आयात के लिये जेली उत्पादकों की शिकायतें	Complaint from the Jelly Producers for Import of Good Quality Mineral Oil	50

ता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5542	स्पेशल विक्स ग्रेड जेली के नमूनों का ग्रेड	Development of Samples of Special Vicks Grade Jelly	50-51
5543	मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन को जैली के आयात पर छूट	Relaxation of Import of Jelly in favour of M/s. Hindustan Rechardson	51-52
5544	मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन द्वारा विक्स ग्रेड जैली का आयात	Import of Vicks Grades Jelly by M/s. Hindustan Rechardson	52
5545	आयातित जैली के नमूनों का परीक्षण	Testing of Samples of Imported Jelly	52-53
5546	देशी जैली की उपयुक्तता के बारे में शिकायतें	Complaints against Suitability of Indegenous Jelly	53-54
5547	"मिनरल जैली एम्यूनिशन" उत्पादन के लिए अपेक्षित जैली की विशिष्टतायें	Specifications of Jelly required for Producing Mineral Jelly Ammunition	54
5548	जैली के प्रयोग के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against application of Jelly	54-55
5549	जैली का विशिष्ट विवरण	Specifications of Jelly	55-56
5550	हाई ऐक्सप्लोसिव फैक्टरी, किर्की को मान्य जैली के विशिष्ट विवरण	Specifications of Jelly Acceptable to High Explosives Factory, Kirkee	56
5551	नेफा स्वास्थ्य सेवा में डाक्टर	Doctors in NEFA Health Service	57
5552	भारत में चेचक के उन्मूलन के लिये रूसी सहायता	Russian Assistance for Eradication of Small Pox in India	57
5553	गीता कालोनी दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय	C.G.H.S. Dispensary in Gita Colony, Delhi	57-58
5554	गीता कालोनी, दिल्ली में उत्पादन एवं कार्य केन्द्र	Production-cum-Work Centre in Gita Colony, Delhi	58
5555	मुंगेर के निकट गंगा जल के दूषित होने के बारे में जांच आयोग	Enquiry Commission on Ganges Water Pollution near Monghyr	58-59
5556	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में रूसी दल का प्रतिवेदन	Report of Soviet Team re. Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	59-60
5557	मैसर्स बूट्स प्योर ड्रग द्वारा विक्स वैपोरब का निर्माण	Manufacture of Vicks Vaporub by M/s. Boots Pure Drug	60
5558	बढ़िया किस्म के खनिज तेल का आयात	Import of superior quality Mineral Oil	60-61

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5559	मैसर्स हिन्दुस्तान रिचर्डसन द्वारा स्पेशल विक्स ग्रेड जैली का आयात	Import of Special Vicks Grade Jelly by M/s. Hindustan Rechardson	61
5560	बढ़िया किस्म के खनिज तेल का आवंटन	Import of superior quality Mineral Oil	62
5561	मैसूर की बड़ी बड़ी सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाएं	Major Irrigation and Hydro-Electric Projects of Mysore	62
5562	मैसूर में ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing in Mysore	62-63
5563	फरक्का बांध के निर्माण के लिये हटाये गये व्यक्तियों को मुआवजा	Compensation to Farakka Barrage Oustees	63-64
5565	जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	Jayanti Shipping Co., Ltd.	64
5566	चम्पारन जिले में सिक्राहना नदी पर बांध	Dams on River Sikrahna in Champaran District	64-65
5567	सरकारी पट्टेवाली सम्पदाओं के सम्बन्ध में पट्टेनामे में परिवर्तन	Revision of Old Lease Deeds in respect of Govt. Lease-hold properties	65
5568	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक कम्पनियों के लिए ऋण	Loans for Industrial Concerns in West Bengal	65-66
5569	मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Madhya Pradesh	66
5570	केरल में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial Projects in Kerala	67
5571	सरकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in the Public Sector	67-68
5572	"हनीवैल" द्वारा संगणक (कम्प्यूटर) का उपहार	Gift of Computer from Honey well	68-69
5573	गुजरात में टाटा उर्वरक संयंत्र	Tata Fertilizer Plant in Gujarat	69
5574	मैसर्स साराभाई कैमिकल्स द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का मूल्य	Prices of Goods produced by M/s Sarabhai Chemicals	70
5575	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	70-71
5576	सार्थों द्वारा अग्रिम भुगतान का दुरुपयोग	Misuse of Advance Payment by Firms	71-72
5577	चम्बल पन–बिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन तथा भूमि की सिंचाई	Generation of Electricity and Irrigation of Land by Chambal Hydel Power Project	72

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5579	शीरे का अभाव	Shortage of Molasses	72-73
5580	भारत तथा ब्रिटेन के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिये करार	Agreement to avoid double taxation between India and U.K.	73
5581	चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Fourth Plan	73-74
5582	कलकत्ता महानगर क्षेत्र का विकास	Development of Calcutta Metropolitan Area	74
5583	अमरीका और कनाडा से उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers from U.S.A. and Canada	74-75
5584	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त	Commissioners for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	75
5585	फोर्क लिफ्ट ट्रक	Fork Lift Trucks	75-76
5586	केन्द्रीय स्टोरों को सामान सप्लाई करने वाली फर्मों द्वारा ठगी	Cheating by Firms Supplying Goods to Central Stores	76
5587	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह निर्माण योजनायें	Housing Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	76-77
5588	भूमिहीन बेरोजगार व्यक्ति	Landless Jobless People	77
5589	पटना में अन्ध विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल	Strike by Students of Patna School for the Blind	78
5591	वधिर और मूक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships for Deaf and Dumb Students	78
5592	दुकानों का अनिवार्य बीमा	Compulsory Insurance of Shops	78-79
5593	पश्चिमी बंगाल के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to West Bengal Government Employees	79
5594	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मुफ्त पुस्तकें	Free Books for Scheduled Castes Tribes	79
5595	इर्विन अस्पताल में श्री रामकृष्ण जैन की मृत्यु	Death of Shri Ram Kishan Jain in Irwin Hospital	79-80
5596	नई दिल्ली में लेडी हार्डिग रोड पर क्रीडांगन (स्टेडियम)	Stadium at Lady Harding Road area in New Delhi	80
5598	अश्लील चलचित्र	Blue Films	80-81

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5599	भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का हिन्दी में प्रकाशन	Publications in Hindi of Audit Reports of Comptroller and Auditor General of India	81
5600	विभिन्न प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पेंशन लेने की छूट	Option for Pension of Industrial workers of various Establishments	81
5601	भारतीय तेल निगम और मद्रास तेल शोधक कारखाने की ढोलों और तारकोल के ड्रमों की आवश्यकता	Requirement of I.O.C. and Madras Refinery for Barrels and Bitumen Drums	82
5602	खम्भात की खाड़ी में समुद्र तट से दूर तेल के लिये खुदाई	Off-Shore Drilling in Gulf of Cambay	82-83
5603	सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिये फालतू गैस का प्रयोग	Utilization of surplus Gas for Producing Sulphuric Acid	83
5607	आयकर अपवंचन के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति	Informers of Income Tax Evasion	83
5608	बकाया आय कर	Income Tax Arrears	83-84
5609	बिहार के बरुआ बाँध से निकलने वाली नहरों के तल में विषमता	Disparity in the level of Canals emanating from Barua Dam, Bihar	84-85
5610	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को उनके मकानों और झोंपड़ियों के लिये कब्जा प्रमाणपत्र	Possession Certificates to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for their Cottages and Huts	85
5611	तीन पंचवर्षीय योजनाओं में देहातों में मकान बनाने की योजनाओं के लिये धन राशि का आवंटन	Allocations for rural Housing Schemes under Three Plans	85-86
5612	कोसी नहर परियोजना के शाखा बाँध का टूटना	Collapse of Barrage of Kosi Canal Project	86
5613	सिन्ध परियोजना, दबड़ा, मध्यप्रदेश	Sind Project, Dabra (Madhya Pradesh)	86-87
5614	फर्मों द्वारा थोक सप्लाई	Bulk Supplies by Firms	87
5615	कुछ कम्पनियों द्वारा देय आय-कर	Inceme-Tax due from certain Companies	87-88

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5616	दिल्ली पोलिटेक्निक, के फार्मेसी के डिप्लोमा को मान्यता	Recognition of Diploma in Pharmacy of Delhi Polytechnic	88-89
5617	हिन्दी अधिकारी का पद	Post of Hindi Officer	88
5618	बारी से पहले क्वार्टरों का आवंटन	Out-of-Turn Allotment	89
5619	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कर्मचारियों को बारी से पहले क्वार्टर	Out-of-turn allotment of Quarters to the employees in the D. G. H. S.	90
5620	राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	National Small-pox Eradication Programme	90-91
5621	बिहार में गाँवों में बिजली लगाना	Electrification of Villages in Bihar	91
5622	सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी	Officers of various Central Services on Deputation to Public Undertakings	91
5623	आयकर का कम निर्धारण	Under-assessment of Income-Tax	91-92
5624	सरकारी उपक्रमों मे स्थापित किये गये वित्तीय विभाग	Finance Divisions set up by Public Undertakings	92-94
5625	अपीलीय अधिकारियों द्वारा रद्द किये गये निर्धारण के मामले	Assessments set aside by Appellate authorities	94
5626	न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी द्वारा नई दिल्ली की एसोसिएटिड जर्नलिस्ट्स लिमिटेड को दिया गया ऋण	Loan given by New India Assurance Company to Associated Journalists Limited, New Delhi	94-95
5627	उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिये बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to U. P. for Irrigation	95
5628	परिवार नियोजन के लिये देशी दवाइयों के बारे में अनुसन्धान	Research for Indigenous Medicines for Family Planning	95
5629	करेंसी नोटों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग	Use of Indian Language in Currency Notes	95-96
5630	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, में खाली क्वार्टर	Vacant Quarters in R. K. Puram, New Delhi	96
5631	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिए किराया-खरीद योजना	Hire-Purchase Scheme for Construction of Houses by D. D. A.	96-97

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5632	नरेला (दिल्ली) स्थित तेल मिलों द्वारा आय कर की अदायगी	Income Tax paid by Oil Mill in Narela (Delhi)	97
5633	आसाम की फालतू गैस का देश के अन्य भागों को संभरण	Supply of surplus Gas in Assam to other Parts of the Country	98
5634	राक फास्फेट से उर्वदक का उत्पादन	Production of Fertilizer from Rock Phosphate	98-99
5635	दामोदर घाटी निगम के पन-बिजली घर	D. V. C. Hydel Power Houses	99
5636	शाहदरा क्षेत्र में अविकसित भूमि के लिये प्रीमियम	Premium for Undeveloped Land in Shahdara Area	99-100
5637	केसरी दाल से प्रतिबन्ध हटाना	Lifting of Ban from Kesri Dal	100
5638	पेनिसीलिन की उत्पादन लागत	Cost of Production of Penicillin	100
5639	सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा उर्वरक की दरें बढ़ाना	Increase in Rates of Fertilizers by Sindri Fertilizer Factory	101
5640	पेट्रोलियम उत्पादों की माँग	Demand for Petroleum Products	101-102
5641	औद्योगिक खपत के लिये पेट्रोलियम कोक	Petroleum Coke for Industrial Consumption	102
5642	ग्रुप चार गृह-निर्माण सहकारी समितियों द्वारा नये सदस्यों का पंजीकरण	Enrolment of new Members by Group IV Housing Co-operative Societies in Delhi	102
5643	ग्रुप चार की गृह-निर्माण सहकारी समितियों को शाहदरा में भूमि का आवंटन	Allotment of land to Group IV Housing Co-operative Societies, Shahdara	103
5644	ग्रुप चार की सहकारी गृह-निर्माण समितियों पर अतिरिक्त शुल्क	Additional levy on Group IV Co-operative House Building Societies Shahdara	103-104
5645	ग्रुप चार की सहकारी गृह-निर्माण समितियाँ, शाहदरा	Group IV Co-operative Housing Societies, Shahdara	104
5646	पोप द्वारा गर्भ निरोधक औषधियों पर निदेश	Directive by Pope in use of Contraceptives	104-105
5647	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की वरिष्ठता का निर्धारण	Fixation of Seniority of C. G. H. S. Doctors	105

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5648	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की वरिष्ठता निर्धारित करना	Fixation of Seniority of C. G. H. S. Doctors	106
5649	तिब्बत में भारतीय व्यापार एजेंसियों के लिये डाक्टर	Doctors for Indian Trade Agencies in Tibet	106-107
5651	आबादी पर परिवार नियोजन का प्रभाव	Effects of Family Planning Programme on Population	107
5650	उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये बस्तियां	Colonies for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Backward Classes in U. P. and Haryana	107-108
5652	विशाल दिल्ली की योजना	Scheme for Bigger Delhi	108
5653	उत्तर प्रदेश में एक स्नातकोत्तर चिकित्सा कालेज का खोला जाना	Opening of Post-Graduate Medical Colleges in U. P.	101-19
5654	अमीचन्द प्यारेलाल तथा सम्बन्धित फर्मों से इस्पात के सौदों के बारे में राजस्व आसूचना का प्रतिवेदन	Report of Revenue Intelligence on Steel Transactions with M/s. Aminchand Pyarelal and Allied Concerns.	109
5655	दिल्ली में अस्पतालों में प्रयोगशाला उपकरणों तथा कर्मचारियों की कमी	Shortage of Laboratory Equipment and Staff in Delhi Hospital	109-110
5656	सरकारी उपक्रम ब्यूरो	Bureau of Public Enterprises	110
5657	आन्ध्र प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertilizer Plant in Andhra Pradesh	110
5658	राजस्थान नहर के निर्माण के लिए किसानों से ली गयी जमीनों के लिये किसानों को प्रतिकर	Compensation to Farmers for acquisition of land for construction of Rajasthan Canal	111
5659	फर्टीलाइजर एन्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के लिये कोचीन में भूमि का अर्जन	Acquisition of land at Cochin for Fertilizer and Chemicals Travancore Ltd.	111
5660	अनिवार्य जमा योजना	Compulsory Deposit Scheme	111-112
5661	जीवन बीमा निगम के संगणक (कम्पंटर)	Computers in L. I. C.	112

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5662	हल्दिया में इन्डियन आयल कारपोरेशन का निर्माण कार्यालय	I. O. C. Construction Office at Haldia	112-113
5663	जीवन बीमा निगम के एजेन्टों को कमीशन का भुगतान	Payment of Commission to L.I.C. Agents	113
5664	राष्ट्रीय ऋण परिषद	National Credit Council	113-114
5665	नागार्जुन सागर परियोजना का दूसरा प्रक्रम	Second Stage of Nagarjunasagar Project	114
5666	कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Koyali Refinery	114
5667	तरल पेट्रोलियम गैस का वितरण	Distribution of I. P. G.	114-115
5668	मद्रास तेलशोधक कारखाने का निर्माण	Construction of Madras Refinery	115
5669	जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों में विनियोजन	L. I. C. Investment in Shares	115-116
5670	केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत परामर्श बोर्ड	National Savings Central Advisory Board	116
5671	संसद् सदस्यों के मकानों की देखभाल के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का डिवीजन	C. P. W. D. Division for Maintenance of Houses for M. Ps.	116-116
5672	आयकर आयुक्तों का सम्मेलन	Conference of Income-Tax Commissioners	117-118
5673	विदेशों में शिष्ट मन्डलों का भेजा जाना	Delegations, Visits Abroad	118
5674	सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधों के मामले	Cases involving Corruption, Theft and other Criminal Offences deal with in the Ministry of I. & P.	118-119
5675	परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Staff employed in Health, Family Planning and Urban Development Ministry	119-120
5676	दिल्ली में धार्मिक इमारतों के बारे में विवाद	Disputes over Religious Buildings in Delhi	121

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5677	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार	Expansion of C. G. H. S. Scheme	131
5678	भारतीय तेल परियोजनाओं में सहयोग कर रही अमरीकी तेल कम्पनियां	American Oil Companies Collaborating in Indian Oil Projects	121-122
5679	कुल राष्ट्रीय उत्पादन	Gross National Product	122-123
5680	अलिया बेट द्वीप तथा तापति बेसिन में तटदूर कम गहरे जल में छिद्रण कार्य में रूस का सहयोग	Soviet Collaboration in Off-shore drilling in Allabet Island and Tapti Basin	123
5681	मेसर्स राधा कृष्ण विमल कुमार के नाम में मिट्टी के तेल का लाइसेंस	Licences for Kerosene Oil in the name of M/s. Radhakrishan Bimalkumar	123-124
5682	गैर-सरकारी कम्पनियों में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों के लड़कों की नियुक्ति	Enployment of Sons of Officers of D. G. S. & D. in Private Firms	124-125
5683	दिल्ली में मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admission to Medical Colleges in Delhi	125
5684	मन्त्रियों के निवास स्थानों के संबंधी पानी तथा बिजली के बिल	Water and Electricty Bills in respect of Ministers' Residences	125-126
5685	दिल्ली के अस्पताल	Hospitals in Delhi	126
5686	सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold	126
5687	कालकाजी, दिल्ली के निकट संत नगर कालोनी को नियमित कालोनी बनाना	Regularisation of Sant Nagar Colony near Kalkaji Delhi	127
5688	दिल्ली में सार्वजनिक अस्पतालों की स्थापना	Setting up of General Hospitals in Delhi	127-128
5689	रामकृष्ण पुरम (नई दिल्ली) में कुछ सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of certain amenities in R. K. Puram, New Delhi	128
5691	नई दिल्ली में चल चित्र गृहों द्वारा वृहद योजना का उल्लंघन	Violation of Master Plan by Cinema Houses in New Delhi	128
5692	रामकृष्ण पुरम दिल्ली के लिये जल सम्भरण	Water Supply to R. K. Puram, Delhi	129

अ० प्र० सं० U. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5693	मद्रास बिजली बोर्ड की ताप बिजली की दरें	Charges of Thermal rates by Madras Electricity Board	129-130
5694	दिल्ली में बिजली शवदाह गृह	Electric Crematorium, Delhi	130-131
5695	पंजीकृत चिकित्सा विधेयक	Registered Medical Practitioners Bill	131
5696	कुछ कम्पनियों द्वारा दिया गया आयकर	Income-tax paid by certain Companies	131
5697	विदेशी मुद्रा और सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Currency and Gold	131-132
5698	मध्य प्रदेश और बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आपरेशन	Operations under Family Planning Programme in Madhya Pradesh and Bihar	132
5699	हिमालय प्रदेश में पेय जल के तालाब का निर्माण	Construction of Drinking Water Tank in Himachal Pradesh	132
5700	विदेशों में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors Abroad	133
5701	स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़	Post Graduate Institute, Chandigarh	133
5703	बम्बई में हृदय प्रतिरोषण आपरेशन	Heart Transplanation Operation in Bombay	133-134
5704	बैंकों द्वारा अपनी शाखाएँ खोलना	Opening of Branches by Banks	134-135
5706	गुड़गांव नहर में दरार पड़ जाने के कारण बाढ़	Breaches in Gurgaon Canal Resulting in Floods	135-136
5707	भारतीय तेल निगम द्वारा लिये गये स्नेहक उत्पादों के मूल्य	Price of Lubricating Products Charged by Indian Oil Corporation	136
5708	भारतीय तेल निगम द्वारा वस्तुओं की विदेशों से खरीद	Purchase of Commodities by I.O.C. from Foreign Countries	136-137
5709	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अंशदाताओं को औषधियों की सप्लाई	Supply of Medicines to C. G. H. S. Subscribers	137-138
5710	अंशदाताओं को दवाइयों की सप्लाई	Supply of Medicines to Subscribers	138
5711	उत्तर तथा बिहार में बिजली की दरें	Charges of Electricity rates in North and South Bihar	138-139

अ० प्र० सं० tr. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5712	कमला नदी के साथ तट बांधों के निर्माण के सम्बन्ध में नेपाल के करार	Agreement with Nepal for Construction of Embankments along Kamala River	139
5713	दरभंगा (बिहार) में मोहिनी नदी पर तट बांध का निर्माण	Construction of Embankments along Mohini River in Darbhanga, Bihar	139-140
5714	मेसर्स एस० वैद्यनाथ अय्यर और उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा सरकारी उपक्रमों की लेखा परीक्षण	Auditing of Public Undertakings by M/s. S. Vaidyanath Aiyer &Co. and Its Associates	140
5715	विदेशों में उर्वरकों को खरीद	Purchase of Fertilizers from Abroad	140-141
5716	नेपथा की कमी	Scarcity of Naphtha	141
5717	गुजरात में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता	Availability of Natural Gas in Gujarat	141
5718	पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिये भारत और सउदी अरब के बीच सहयोग	Indo-Saudi Arabian Collaboration for Petro-chemical Industries	142
5719	वित्त मन्त्री की दुर्गापुर की यात्रा	Finance Minister's Visit to Durgapur	142
5720	कलकत्ता का विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Development of Calcutta	142-143
5721	सरकारी मुद्रणालय पर पत्रकार अधिनियम 1955 लागू करना	Applicability of working Journalist Act, 1955 to Government Press	143-144
5722	सरकारी मुद्रणालयों में 'रीडिंग ब्रांच के कर्मचारी'	Reading Branch Staff of Government Presses	144
5723	आसाम में बराक परियोजना	Barak Project in Assam	144-145
5724	दिल्ली में टैगोर थियेटर	Tagore Theatre in Delhi	145
5725	चोरी-छिपे लाये गये माल का पता लगाने के लिये छापे	Raids to unearth smuggled goods	146
5726	तुंगभद्रा परियोजना की ऊँची सतह वाली नहर	High Level Channel of Tungabhadra Project	146-147
5727	आंध्र प्रदेश में वंश धारा परियोजना	Vamsadhara Project in Andhra Pradesh	

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5728	बिजली के विकास के लिये विदेशी अनुदान	Foreign Grants for Development of Electricity	147
5729	पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में अंशधारी	Shareholders in Public Limited Companies	14
5730	नार्थ एवेन्यु तथा साउथ एवन्यू स्थित औषधालयों में डाक्टर	Doctors in North and South Avenue Dispensary	148-149
5731	गोल मार्केट तथा पहाड़ गंज के औषधालयों के डाक्टरों द्वारा रोगियों को देखने के लिये जाना	Visits by Doctors of Gole Market and Paharganj Dispensaries	149
5732	पश्चिम बंगाल में आदिम जातीय लोगों की भूमि की बिक्री	Sale of Land Belonging to Tribals in West Bengal	149-150
5733	बिहार में बिजली की दरों में वृद्धि	Increase in Electricity Rates in Bihar	150
5734	बम्बई-मध्य में नायलोन के कपड़े का पकड़ा जाना	Seizure of Nylon Cloth in Central Bombay	150-151
5735	दरभंगा मेडिकल कालेज	Darbhanga Medical College	151
5736	दुर्गापुर केमिकल्स लिमिटेड	Durgapur Chemicals Ltd.	151-152
5737	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में उपचार की पात्रता	Entitlement of Treatment at C. G. H. S. Dispensaries	152-153
5738	कृषि उत्पादन के लिये राजसहायता	Subsidy for Agricultural Production	153
5739	इस्पात की 24 गेज की चादरों का आयात	Import of 24 Guage Steel Sheets	153-154
5740	भारतीय तेल निगम द्वारा 'बिटुमन चादरों' का आयात	Import of Bitumen Sheets by I. O. C.	154
5741	आयातित सोडियम नाइट्रेट का मूल्य	Price of Imported Sodium Nitrate	154-155
5742	समाज कल्याण मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों / पिछड़ी जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes Employees in Ministry of Social Welfare	155
5743	पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों / आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Casters/Tribes employees in the Ministry of Petroleum and Chemicals	155

ता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5744	अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes/Tribes employees	156
5745	उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिये छात्र वृत्तियां	Scholarship for Students in U. P.	156
5746	इंडियन ड्रग्स एन्ड फारमासियूटिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन का निजी व्यय	Personal expenses of Chairman I. D. P. L.	156
5747	कृषिकेश एन्टीबायोटिक्स कारखाने के मुख्य इंजीनियर	Chief Engineer of Antibiotics Plant, Rishikesh	156-57
5748	सरकारी उपक्रम ब्यूरो	Bureau of Public Enterprises	157
5749	धर्म परिवर्तन के पश्चात आदिम जातियों के लिये सुविधाएँ	Facilities for Tribals after changing Religion	157-158
5750	दिल्ली में तिब्बिया कालेज में दाखिला	Admissions in the Tibbia College in Delhi	158.159
5751	नाइट्रोजन के उत्पादन का अनुमान	Estimates of Production of Nitrogen	159
5752	माही सिचाई परियोजना, राजस्थान	Mahi Irrigation Project, Rajasthan	159-160
5753	गृह निर्माण समस्या	Housing Problem	160
5754	विदेशों में भेजे गये-सरकारी प्रतिनिधिमंडल	Official Delegations sent abroad	161
5755	कटिहार नगर का दर्जा	Status of Katihar City	161
5756	चंडीगढ़ में नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन	Connections for Tubewells in Chandigarh	162
5757	शांति सेना (पीस कोर) के स्वयं सेवक (वालंटियर)	Peace Corps Volunteers	162
5758	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा फ्लेटों की बिक्री	Disposal of Flats by D. D. A.	162-163
5759	पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबन्धक द्वारा विनियोजन	Investment by General Manager, Punjab National Bank	163
5760	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बिजली के कनेक्शन के लिये सहायता	Assistance for Power Connections Farmers by Madhya Pradesh Government	163-164
5761	मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाने	Pertilizer Factories in Madhya Pradesh	164

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5762	सिंचाई के प्रयोजनार्थ के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Irrigation Purposes to Madhya Pradesh	164-165
5763	मध्य प्रदेश में चीन में निर्मित वस्तुएं	Chinese Goods in Madhya Pradesh	165
5764	दिल्ली में स्थानीय निकायों के डाक्टरों का केन्द्रीय सरकार में स्थानान्तरण	Transfer of Doctors of Local Bodies in Delhi to Central Government	165-166
5766	जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 1 की स्थापना	Constitution of G. D. M. O. Grade I	166
5767	देहातों में बिजली लगाना	Rural Electrification	166-167
5768	नागपुर ताप बिजली घर	Nagpur Thermal Power Station	167
5769	रूस को आस्थगित भुगतान की सुविधायें	Deferred Payment Facilities to U. S. S. R.	167
5770	उर्वरक कारखाना, मिर्जापुर	Ferilizer Factory, Mirzapur	168
5771	हीरों का तस्कर व्यापार	Smuggling of Diamonds	168
5772	पारादीप बन्दरगाह पर उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Paradeep Port	168-169
5773	उड़ीसा के स्वर्णकारों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance for the Gold smiths of Orissa	169
5774	कृषि ऋण संगठन	Agricultural Credit Organisation	169
5775	नगरीय विकास हेतु गुजरात के लिये धन का नियतन	Allocation for Gujarat for Urban Development	169-170
5776	आसाम में तेल के क्षेत्रों से निकाला गया अशोधित तेल	Crude Oil Extracted from Oil-Fields in Assam	170
5777	गाल ब्लडर हटाने के लिये श्रीमती रेणुका दत्त गुप्त का आपरेशन	Operation on Mrs. Renuka Dutta Gupta for Removal of Gall Blader	170-171
5778	आय कर की वसूली	Realisation of Income-Tax	171
5779	कृषि श्रमिकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ग्रामीण गृह निर्माण	Rural Housing for agricultural workers and Scheduled Castes and Scheduled Tribes People	171-172

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5780	विशाखापटनम पुलिस क्षेत्र (बीच) का कटाव	Erosion of Visakhapatnam Beach Area	172-173
5781	प्रधान मन्त्री का निवास-स्थान	Prime Minister's Residence	173
5782	उत्तर प्रदेश में पन बिजली विभाग में विभागीय शिकायत अधिकारी	Departmental Complaints Officer in Hydro-Electric Deptt., U. P.	173
5783	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार करने के लिये प्रसूति केन्द्र	Maternity Centres for Propagating Family Planning Programme in Rural areas	174
5784	अफीम का तस्कर व्यापार	Smuggling of Opium	174-175
5785	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन का रिसना	Leakages in Haldia-Barauni Pipeline	175
5786	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त	Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	175-176
5787	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	176
5788	दिल्ली में महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना	Installation of Statue of Maharana Pratap in Delhi	176
5789	अनुसूची से निकाल दी गयी तथा घुमन्त आदिम जातियों को अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल करना	Inclusion of denotified and nomadia Tribes among Scheduled Tribes	177
5790	अन्धे लोगों के लिये रोजगार	Employment for the Blind	177
5791	हंगरी के साथ ऋण सम्बन्धी करार	Credit Agreement with Hungary	177-178
5792	मध्य प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Slum Clearance scheme in M. P.	178
5793	संतति निग्रह के साधनों के बारे में पोप का संदेश	Pope's message on Birth Control devices	178-179
5794	वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधिकारियों की विदेश यात्रा	Visit abroad by Officials of Ministry of External Affairs	179-180
5795	सरजू परियोजना	Sarjoo Project	180

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5796	मध्य प्रदेश में भंगियों तथा मेहतरों के लिये मकान बनाना	Construction of Tenements in Madhya Pradesh for Sweepers and Scavengers	180-181
5797	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों पर खर्च की गई राशि	Expenditure incurred on Scheduled Castes / Scheduled Tribes and Backward Classes	181-182
5798	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल	Schools Run by Bhartiya Adim Jati Sewak Sangh	182
5799	बिहार की आदिम जातीय जनसंख्या में कमी	Fall in Tribal Population of Bihar	182-183
5800	राष्ट्रीय पोषाहार अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	National Nutritional Research Laboratory, Hyderabad	183
5801	आसाम तेल कम्पनी द्वारा मोम का उत्पादन	Production of wax by Assam Oil Company	183-184
5802	बैंक की दरें	Banks Service Charges	184-185
5803	दिल्ली के अस्पतालों में अवैतनिक डाक्टरों की सेवाओं का समाप्त किया जाना	Dispensing Services of Honorary Doctors in Delhi Hospital	185
5804	सम्पदा शुल्क	Estate Duty	185-186
5805	उर्वरक उत्पादन क्षमता	Capacity for production of fertilizers	186
5806	घाटे की वित्त व्यवस्था	Deficit Financing	186-187
5807	दिल्ली में रक्षा बन्धन के अवसर पर विषाक्त भोजन के मामले	Food Poisoning cases in Delhi on Rakshabandhan Day	187
5808	चीनी की तस्करी	Smuggling of Sugar	187-188
5809	मेसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी	M/s. Bird and Co.	188
5810	मैसूर राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण जल व्यवस्था योजना	National Rural Water Supply Scheme to Mysore State	188-189
5811	इन्डियन ड्रग्स एन्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विदेशों के दौरे	Tours abroad of Officers of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	189
5812	लौह धातु उद्योग के लिये बिजली की दरों का पुनरीक्षण	Revision of Electricity tariff for Ferro Alloys Industries	189-190

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5813	गुजरात में आदिम जातीय खन्ड	Tribal Blocks in Gujarat	190
5814	अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृतियां	Scholarships for Scheduled Tribes Students	190-191
5816	कोरबा उर्वरक कारखाना	Korba Fertilizer Project	191
5817	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेन्शन का लाभ	Pension Benefits to Central Government Employees	191-192
5818	दिल्ली से बाहर रहने वाले सरकारी पेन्शन पाने वाले व्यक्ति	Government Pensioners living outside Delhi	192
5819	स्टेट बैंक द्वारा खराब करेंसी नोटों का बदलना	Exchange of damaged Currency notes by State Bank of India	192-193
5820	आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिक राशि निकालना	Overdrawal by Andhra Pradesh Government	193
5821	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत हरयाणा में भूमि का विकास	Development of Land under National Capital Region in Haryana	193-194
5822	पश्चिमी यमुना नहर जल परियोजना	Western Jamuna Canal Hydel Project	194
5823	राजस्थान में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में हैजा	Cholera in Flood Affected Areas of Rajasthan	194-195
5826	दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन	Tax evasion by Fruit Merchants of Delhi	195
5827	दिल्ली में नई सब्जी मण्डी	New Vegetable Market in Delhi	195
5828	मध्य प्रदेश के मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admission in Medical Colleges of Medhya Pradesh	196
5829	मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये प्रति व्यक्ति शुल्क समाप्त करना	Abolition of Capitation Fees for Admission to Medical Colleges	196-197
5830	औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचात के पश्चात गंडक तथा चन्दन बांधों के कर्मचारियों को सेवा से हटाना	Termination of Services of workers of Gandak and Chandan Dams after Industrial Tribunal's Award	197-198
5831	बम्बई में रिजर्व बैंक के लिये भवन	Building for Reserve Bank in Bombay	198-199
5832	इन्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	199

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5833	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के व्यापार प्रतिनिधि-मंडल की रिपोर्ट	Report of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Trade Delegation	199
5834	इण्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड का बिक्री संगठन	Sales organisation of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	199-200
5835	रामाकृष्णपुरम (नयी दिल्ली) में सेक्टर आठ में क्वार्टरों की सीढ़ियों में बिजली की व्यवस्था	Lights in Staircases of Sector VIII at R. K. Puram, New Delhi	200
5837	एयर इन्डिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध जांच	Investigations against a senior Officer of Air India	201
5838	केरल में परियोजनाओं का विकास	Development of Projects in Kerala	201
5839	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों का मांगपत्र	Charter of Demands of D. V. C. Employees	201-202
5841	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बिजली लगाना	Electrification of District Banda, U. P.	202
542	बांदा के अस्पतालों में इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था	Arrangements for Injections and Vaccination in Banda Hospital	202-203
5843	बांदा जिले के स्थानीय अस्पतालों में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in local Hospitals in Banda District	203
5844	उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में केन नहर	Cane Canal of District Banda, U. P.	203
5845	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी संघ का ज्ञापन पत्र	Memorandum from Staff Association of Central Social Welfare Board	204
5846	सिन्दरी में सुपरफास्फेट फेक्टरी का उत्पानन	Rate of Production at Superphosphate Factory Sindri	204
5847	तीव्र गति डीजल के रूप में घटिया मिट्टी के तेल की बिक्री	Sale of Inferior Kerosene Oil as High Speed Diesel Oil	204-205
5848	बरौनी तथा कोयली तेलशोधक कारखानों में बढ़िया मिट्टी के तेल का उत्पादन बन्द करना	Stoppage of Production of Superior Kerosene at Barauni and Koyali Refineries	205
5849	कलकत्ता कस्टमस हाउस के निवारक अधिकारी	Preventive Officers of Customs House, Calcutta	205-206

ता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5850	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees	206-207
5851	कलकत्ता कस्टमस हाउस के निवारक अधिकारी	Preventive Officers in Customs Houses Calcutta	207-208
5852	कलकत्ता सीमा शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Customs Houses, Calcutta	208-209
5854	आयकर अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Income-Tax Officers	209
5855	आयकर अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Income-Tax Officers	209
5856	आयकर अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Income-Tax Officers	209-210
5857	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees	210
5858	आसाम के क्षेत्रों और तेल शोधक कारखानों में गैस का बरबाद जाना	Wastage of Gas in Assam Fields and Refineries	211
5859	आसाम में सहकारी क्षेत्र में पटसन मिल	Jute Mill in Co-operative Sector in Assam	211-212
5860	वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales	212
5861	पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों को बेदखली के नोटिस	Eviction Notices to Displaced Persons of Old Rajinder Nagar, New Delhi	212
5862	फिल्म स्टूडियों से आयकर और धन कर की बकाया राशि	Income-tax and Wealth-tax due from Film Studios	213
5863	चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित लोगों से बकाया कर	Tax Arrears due from Film People	213
5864	विदेशों के बैंकों में हिसाब रखने वाले फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्ति	Film People Operating Bank Accounts Abroad	213-214
5865	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board	214-215
5866	मफत लाल ग्रुप की फर्मों में लगी सरकारी पूंजी	Governmental Investment in Mafatlal Group concerns, Bombay	215

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5867	उड़ीसा तथा राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सहकारी समितियाँ	Co-operative Societies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Orissa and Rajasthan	215-216
5869	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया ऋण	Loan Floated by U. P. Government	216
5870	मेसर्स ओरियंटल ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholder of M/s. O. T. T. C.	216
5871	श्री रामजीलाल झुनझुनवाला के आयकर का निर्धारण	Income-tax assessment of Shri Ramjilal Jhunjhunwala	216-217
5872	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड द्वारा दिया गया आयकर	Income.tax paid by M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mckenzies Ltd.	217
5873	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s. Orientnl Timber Trading Corporation	217
5874	मैसर्स ओरिएन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation	217
5875	मैसर्स रेयन् पल्प मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	M/s. Rayon Pulp Manufacturing Company	217-218
5876	औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किसानों को मशीनों की सप्लाई	Supply of Machinery to Farmers by Industrial Development Bank	218-219
5877	विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों में परियोजनाओं का वित्तपोषण	World Bdnk to Finance Projects in Developing Countries	219
5878	रामपुर के स्वर्गीय नवाब की आस्तियां तथा दायित्व	Assets and Liabilities of the Late Nawab of Rampur	219
5879	जमशेदपुर के लिये नगर निगम	Municipal Corporation for Jamshedpur	219
5880	गोविन्द पुर कालोनी, जमशेदपुर में सरकारी क्वार्टर	Government Quarters in Govindpur Colony, Jamshedpur	219-220
5881	वर्जित साहित्य की दिल्ली में विक्री	Banned Literature sold in Delhi	220
5882	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित बनाना	Regulation of Unauthorised Colonies in Delhi	220
5883	व्यापार संतुलन	Balance of Trade	220-221
5884	विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange	221

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृ० Pages
5885	रेल यात्री किराये में से हिस्सा	Share from Railway Passenger Fares	221
5886	विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange	222
5887	दक्षिण वियतनाम को ग्रस्फाल्ट का निर्यात	Export of Asphalt to South Vietnam	222-223
5888	चीन में छापे गये जाली नोट	Counterfeit Notes Printed in China	223
5890	केरल में हरिजन कल्याण निधि का तथा-कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Harijans Welfare Funds in Kerala	223-224
5891	केरल में होमियोपैथिक मेडिकल कालेज के प्रबन्धकों द्वारा कदाचार	Malpractices by Management of Homeopathic Medical College in Kerala	224
5892	बारी से पहले क्वाटर का नियतन वालों के लिये आवास	Accommodation For Out-of-Turn Allottees	224
5893	आय-कर इंस्पैक्टरों की नियुक्ति	Recruitment of Income-tax Inspectors	224-225
5894	महाराष्ट्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Maharashtra	225-226
5895	दिल्ली में पकड़ा गया सोना	Gold Seized in Delhi	226-227
5895 क	बम्बई और कलकत्ता में मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता	House Rent Allowance and C. C. A. in Bombay and Calcutta	227
5895 ख	किदवई नगर (नई दिल्ली) में एक ईसाई दल द्वारा भूमि पर कब्जा किया जाना	Occupation of Land by a Christian Group in Kidwai Nagar, New Delhi	227
5895 ग	ग्लैक्सो फार्मेस्यूटिकल कम्पनी	Glaxo Pharmaceutical Co.	227-228
5895 घ	देहातों में मकान बनाने के लिये राज्यों को धन देना	Funds to States for Village Housing	228-229
5895 ङ	ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड	Glaxo Laboratories (India) Limited	229-230
5895 च	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदोन्नति की आदर्श प्रक्रिया	Model Procedure for Promotion in Public Sector Undertakings	230
5895 छ	सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वामित्व से प्राप्त आय का कुछ भाग छोड़ दिया जाना	Surrender of part of earnings by Government Servants	230-231

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2568, 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 और 4 मार्च 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2519 के उत्तरों को शुद्ध करने वाले वक्तव्य	Statements Correcting reply to USQ No. 2568 dated 5-8-1968, USQ No. 4392 dated 14-12-1967 and USQ No. 2519 dated 4-3-1968	231-232
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	232
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	232-233
मन्त्री के त्यागपत्र के बारे में	Re. Resignation of Minister	234
बिहार आय व्ययक, 1968–69	Bihar Budget—1968-69	234-242
सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें	General Discussion and Demands for Grants	
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Singh	
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadab	
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	Shri Jagannath Pahadia	
चेकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में	Re. situation in Czechoslovakia	242
बिहार विनियोग विधेयक, 1968– पुर:स्थापित तथा पारित	Bihar Appropriation Bill, 1968- Introduced and passed	242-243
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1968–69	Demands for Supplementary Grants (General) 1968-69	243-255
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Varma	
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठरी	Shri S. S. Kothari	
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री वेदव्रत वरुआ	Shri Bedabrata Barua	
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	
श्री रमानी	Shri K. Ramani	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	
श्री विश्वम्भरन	Shri P. Viswambharan	
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	Shri Jagannath Pahadia	
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K. S. Ramaswamy	
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah	
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1968—पुर:स्थापित तथा पारित	Appropriation (No. 3) Bill, 1968-Introduced and passed	255-256
अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1965–66	Demands for Excess Grants (General) 1965-66	256-264
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री रमानी	Shri K. Ramani	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968—पुरस्थापित तथा पारित	Appropriation (No. 4) Bill, 1968—Introduced and passed	264-265
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (उत्तर प्रदेश)	Demands for Supplementary Grants (Uttar Pradesh), 1968-69	265-280
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	
श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtagi	
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	
श्री सरजू पान्डेय	Shri Sarjoo Pandey	
श्री विश्वनाथ पान्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 26 अगस्त, 1968 / 6 भाद्र, 1890 (शक)
Monday, August 26, 1968 / Bhadra 6, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Supply of Electric Power to Alloy Steel Plant at Patratu (Bihar)

*661. **Shri Yogendra Sharma :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether an assurance was given to M/s. Birla Brothers for supply of electric power for their proposed Alloy Steel Plant at Patratu in Bihar at the rate of 3.42 paise per unit ;

(b) when and how this assurance was given ; and

(c) the present position in the matter of the aforesaid assurance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sideshwar Prasad)

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The rates for supply of power by the Bihar State Electricity Board are under negotiation.

Shri Yogendra Sharma : Mr. Speaker, The answer given by the Hon. Minister to my question is wrong . My question was whether an assurance was given to M/s.

Birla Brothers for the supply of electric power for their proposed Alloy Steel Plant at Patratu in Bihar at the rate of 3.42 paise per unit ? The Hon. Minister has replied: "No". I submit that this reply is wrong. The industries Secretary of Bihar has not only accepted this thing in his note on 5-6-67 but has also stated that there was a joint meeting of the Industries Department and the officials of this Company and in that meeting assurance was given to them that electric power will be supplied to them at this rate. Not only this, the Revenue Minister of Bihar raised objection to this question and in the meanwhile that Government of Bihar toppelled. I do not know what is the present position. That is why I asked this question but he has denied flatly.

Shri Sheo Narain : When the Hon. Minister has denied then what the Hon. Member wants to ask ?

Shri Yogendra Sharma : This is what I say that whether he has given a wrong reply. I would like to know whether the Hon. Minister has actually tried to get the information or whether he will try to get more informations ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : सन 1964 में, दर के सम्बन्ध में मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स और बिहार सरकार के बीच बातचीत हुई थी । बाद में अवमूल्यन हुआ और अन्य कई बातें पैदा हो गईं तथा उन पर पैसे वाली दर में संशोधन कर दिया गया । तब, एक और बात पैदा हो गयी। क्योंकि पतरातु डी० बी० सी० घाटी में है इसलिये बिहार राज्य सरकार इसको बिजली नहीं दे सकती। दामोदर घाटी निगम को ही इसे बिजली देनी है, इसलिये मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स अब दामोदर घाटी निगम से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं। अब तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। यदि बिहार सरकार के सचिव अथवा मंत्री ने कुछ कहा है तो वह पूर्णतः गलत है।

Shri Yogendra Sharma : The Bihar Electricity Board Supplies electricity to the farmers of Bihar at the rate of 18 paise per Unit, and at the rate of 7 paise to the NC DC, which is in the State Sector. That takes electricity from the D. V. C. at the rate of 5.2 paise per unit. TISCO also takes electricity at the same rate. Under these circumstances whether the Hon. Minister does not think it proper that either they should not discriminate in the supply of electricity to the proposed Birla Company or they should give the same facility to the farmers and N.C. D.C. if they want to give facilities to Birla Brothers.

डा० कु० ल० राव : जहाँ तक कृषि-भार का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने सभा में कई बार निवेदन किया है कि किसानों से अधिकतम 12 पैसे प्रति यूनिट लिया जाना चाहिए। जब हमें इस बात का पता चला कि बिहार सरकार 18.34 पैसे ले रही है तो हमने उनको कहा कि इसके लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार को तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार को अनुदान देना चाहिये। जिससे बिहार के किसान 12 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली प्राप्त करेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि उद्योगों को किसान की तुलना में कम दर पर बिजली क्यों दी जाय। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें काफी अन्तर है। किसानों तथा उद्योगों को बिजली देने का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि दामोदर घाटी निगम इसका ध्यान रखेगी तथा किसी भी प्रकार की रियायत से दामोदर घाटी निगम को कोई हानि नहीं होने देगी।

Shri K. N. Tiwary : I would like to know that in Bihar negotiations are going on with the Birla Brothers, whether such negotiations regarding concessions have taken place in other States also with the other industrialists ? If so, which are those states and at what rate electricity will be supplied to them ?

डा० कु० ल० राव : संभवतः माननीय सदस्य धातु मिश्रित इस्पात कारखाने की ओर निर्देश कर रहे हैं। मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स को एक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, यह लाइसेंस 1964 में धातु मिश्रित इस्पात के लिये दिया गया था। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस समय वे अभी भी दामोदर घाटी निगम तथा बिहार राज्य बोर्ड के साथ बिजली के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

जहाँ तक अन्य स्थानों का सम्बन्ध है धातु मिश्रित इस्पात कारखाने दुर्गापुर तथा मैसूर भद्रावती आइरन वर्क्स में स्थापित हैं। देश में कुछ और भी स्थान हैं जहाँ इस्पात मंत्रालय धातु मिश्रित इस्पात कारखाने स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। और यह जानकारी माननीय सदस्य को सम्बन्धित मंत्री से प्राप्त हो सकती है।

श्री उमानाथ : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं क्या मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स ने कोई ऐसा प्रस्ताव किया है कि उनको 3.42 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली परियोजना से बिजली दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स ने कोई ऐसा प्रस्ताव किया है और यदि ऐसा प्रस्ताव किया गया है तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० कु० ल० राव : बातचीत 1961 में आरम्भ हुई थी। वर्ष 1964 में मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स ने 3.42 पैसे प्रति यूनिट का सुझाव दिया था। उसके बाद अवमूल्यन हुआ और वेंकटारमन समिति ने कहा कि दर ऐसी होनी चाहिये कि किसी भी बोर्ड को कोई हानि न उठानी पड़े। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या धातु मिश्रित इस्पात को विद्युत धातुकर्म उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि केवल इसी हालत में रियायत दी जा सकती है। ये तीनों बातें मौजूद हैं और वर्तमान दर जिस पर चर्चा हो रही है बहुत ऊंची है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether it is a fact that when any plant is established in other States then that State Supplies electricity, water and land at a cheaper rate to that plant and as a result thereof many plants are established there and the people of that area get more employments opportunity ? May I know whether it is also a fact that Bihar State will set up more and more plants by supplying electricity water and land at a cheaper rate and will try to remove the unemployment which is more in Bihar than in other states ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि अनेक राज्यों में बिजली, पानी आदि कम दर पर देकर उद्योग को आकर्षित करने के सम्बन्ध में एक प्रकार की प्रतियोगिता चल रही है। सरकार किसी विशेष प्रकार के उद्योग के लिये समान दर बनाने के बारे में प्रयत्न कर रही है।

चिकित्सा अधिकारियों को कार भत्ता

*692 **श्री न० रा० देवधरें** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी एक और श्रेणी दो के ऐसे जनरल ड्यूटी मैडिकल आफिसरों को कार भत्ता न देने की उनके मंत्रालय की नीति के पीछे क्या कारण हैं जिनके पास पहले ही अपनी कारें हैं परन्तु जो कभी-कभी किन्हीं महीनों में एक मास में 30 से कम बार रोगियों को घर जाकर देखते हैं;

(ख) क्या ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को जो रोगियों को उनके घर पर 60 से अधिक बार देखने जाते हैं, बढ़ी हुई दरों से कार भत्ता देने का सरकार का विचार है; और

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के उन चिकित्सा अधिकारियों को, जो लोक हित में कारें रखते हैं, किस तारीख से कार भत्ता नहीं दिया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) ऐसा इस अभिप्राय से किया गया है कि डाक्टर रोगियों को देखने के लिए उनके घरों पर जाने में अवहेलना न करें।

(ख) जी नहीं।

(ग) नये आदेश 1 जनवरी, 1968 से लागू किए गए। इन आदेशों के अधीन भुगतान कार्य-पद्धति के कारण रुके हुए हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है कि सन् 1960 में चिकित्सा अधिकारी प्रति मास रोगियों के घर पर औसतन 35 बार उनको देखने जाते थे और 1966 में यह दर घट कर 25 हो गई तथा औषधालय में उपस्थित होने वाले एक हजार रोगियों पर यह दर 1960 में 15 थी जो 1966 में घट कर केवल 8 रह गई। अतः इस सम्बन्ध में पुनर्विचार किया गया और एक नई प्रतिक्रिया अपना ली गई है।

श्री न० रा० देवघरे : पिछली बार जब कार भत्ता निर्धारित किया गया था तब से निर्वाह व्यय, फालतू पूर्जों का मूल्य तथा पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ क्या कार-भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं नहीं सोचता कि इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के सामने है।

श्री सोनावने : जो डाक्टर औषधालय से 8 या 10 मील दूर पर रहते हैं उनको उतना ही भत्ता मिलता है जितना औषधालय के समीप रहने वाले डाक्टरों को मिलता है। क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा है। और क्या वे उन डाक्टरों का भत्ता बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं जो औषधालय से काफी दूर रहते हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कार-भत्ता नियत करते समय डाक्टर के निवास स्थान की दूरी को ध्यान में नहीं रखा जाता अपितु इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वे कितनी बार रोगियों के घर पर उनको देखने जाते हैं।

Complaints Re. Popularisation of Family Planning Programmes

*663. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints in regard to the popularisation of family planning programmes

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the result of the information collected by Government in that regard ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर)

(क) और (ख) जी हाँ। लूप से रक्तस्राव और कमरदर्द जैसी तकलीफें होने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछेक शिकायतों में यह आरोप लगाया गया है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों में इस कार्यक्रम की लोकप्रियता एक समान नहीं है। कुछ मामलों में गलत व्यक्तियों की नसबन्दी करने के सम्बन्ध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) लूप के कुप्रभावों से सम्बन्धित शिकायतों पर ध्यान दिया गया है और उन्हें दूर करने के उपाय किये गए हैं। लूप पहनने से पहले अधिक विस्तृत जाँच-पड़ताल करने और लूप पहनने के बाद व्यापक देख-रेख करते रहने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। यद्यपि परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाएं प्राप्त करने वालों के समुदाय-वार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं, फिर भी कुछ क्षेत्रों में किये गए अध्ययनों से पता चलता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सभी समुदायों के व्यक्ति उनकी जनसंख्या की दृष्टि से लगभग समान अनुपात में आगे आये हैं।

जहाँ तक कुछ मामलों में गलत व्यक्तियों की नसबन्दी करने की सूचना मिली थी, वहाँ उन मामलों की अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल की गई और जिन मामलों में सम्भव हो सका उनकी फिर से नस तोड़ दी गई। ऐसी गलतियों को कम करने की दिशा में भी कदम उठाए जा चुके हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to know whether the Government have evidence or whether the Government have collected informations at their level that some religious or sects of India are intentionally starting movements that they should not adopt family planning? If they have such ideologies may I know whether as a result thereof this programme of family planning is not being imposed on the majority community of the country and whether it is also not a fact that its consequences has appeared in the last census report and it is evident from the report that the population has lost its balance and a difference of 10 per cent has taken place between the ratios of the population of the majority community of the country and in the population of other communities ? If so, I want to know whether this will be taken into consideration while popularising family planning that the balance of the population should not be lost and family planning should be enforced on all the religions and sects equally ? May I also know whether any strict action will be taken against those religions or sects who are opposing this programme in an organised way ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं कि भारत सरकार के प्रयत्न इस प्रकार के होने चाहिए कि विभिन्न सम्प्रदायों के अनुदानों में बहुत अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये ? यह ऐच्छिक कार्यक्रम है और यह लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे इसे स्वीकार करें अथवा अस्वीकार।

Shri Prakash Vir Shastri : I could not make you to understand my question. The question was quite clear. The question was that whether the Government have got informations that there is a radical departure in the ratios of the various communities and if the figures of

the last census are seen it will be evident that there is a difference of 10 per cent. Under these circumstances whether the Government are going to take any decision to enforce this programme on all the communities equally so that this programme may be made useful for all of them ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम धर्मवार अथवा जाति-वार आँकड़े नहीं रखते हैं लेकिन कुछ राज्यों के कुल जिलों में कुछ समय के लिये हमने उन आँकड़ों की जाँच की है जो कि हमने तैयार किए हुए हैं। उसमें हमने पाया है कि हमारे आँकड़ों के अनुपात के अनुसार ही विभिन्न समुदायों ने परिवार नियोजन को अपनाया है।

मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि 1661 की जनगणना जिसका जनगणनावधि के आधे वर्ष तक समंजन किया गया था, में कोई विशेष अन्तर नहीं था, अर्थात् लगभग वही अनुपात था, मैं, यह मानने को तैयार हूं कि कुछ समुदायों ने परिवार नियोजन को उतना नहीं अपनाया था जितना अन्य समुदायों ने अपनाया था।

मैं माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा और अल्पसंख्यक समुदायों को यह संदेश पहुंचाने के लिये हम हर सम्भव प्रयत्न करेंगे क्योंकि उनको परिवार नियोजन कार्यक्रम अधिक स्वीकार करना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri : I think the Hon. Minister would have seen the census figure and have read the report. If he will go through that report then I think my statement will be proved. Here in this House while replying to a question the Hon. Law Minister Shri Govind Menon accepted that the figures of 1951 and 1961 census speak that the population of Hindus in the country have increased by 21 point something and of non-Hindus by 31 point something that is there is a difference of 10 per cent. But now Dr. Chandrasekher says that Government have got no such information. But I leave this question. I want that you should study it. The second question I want to know is that whether you have got any such information regarding the family planning programme that some of your officials go to villages and operate on old people whose capacity to produce children have naturally finished ? You have not been as successful in popularising family planning programme in villages as you could do in Delhi and in other big cities through advertisements. In fact there is a need to popularise this programme in villages. May I know whether the Governmennt are going to take decision to prevent operations on wrong type of persons and to popularise this programme in villages ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है 43 लाख नसबन्दी के मामलों में से केवल 12 से लेकर 15 मामलों तक के बारे में हमें शिकायत प्राप्त हुई और वह शिकायतें इस प्रकार की हैं कि आप्रेशन बूढ़े आदमियों अथवा अविवाहित वयस्कों पर किये गये हैं। इन मामलों की जाँच की गई है और चिकित्सकों को सजा दी गई है। इसलिये कुल सेवाओं और आप्रेशनों की संख्या को देखते हुए यह आँकड़े उपेक्षणीय हैं। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यद्यपि परिवार नियोजन कार्यक्रम राज्य सरकार के कार्यक्रम में आता है। लेकिन इन योजनाओं को नीति के तौर पर केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता देती है। हम संसद सदस्य गाँवों के अन्दर जो कुछ होता है उससे अपने आपको सम्बन्धित करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः क्या मैं सरकार को यह सुझाव दे सकती हूं कि वे सभी

जिला चिकित्सा अधिकारियों को अनुदेश जारी करें कि जब कभी वे किसी संसद सदस्य के चुनाव क्षेत्र का दौरा करें तो सम्बन्धित संसद सदस्य को उसकी पूर्व सूचना दे दें ताकि वह भी उनके साथ शामिल हो सके और सम्पूर्ण योजना के कार्य का निरीक्षण कर सके ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : यह सुझाव कार्यवाही के लिये है लेकिन हम इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : परिवार नियोजन प्रचार और तस्वीरों में आमतौर पर हम एक दम्पत्ति को देखते हैं अर्थात् एक दम्पत्ति दो या तीन बच्चों से संतुष्ट हो सकते हैं। परन्तु अगर यह दम्पत्ति केवल दो या तीन बच्चे पैदा करते हैं तो जनसंख्या को कैसे घटाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जनसंख्या की वृद्धि को रोकने से है। मैं नहीं समझता कि वे जनसंख्या को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल के कितने सदस्य कितने मंत्रियों ने परिवार नियोजन के साधन अपनाए हैं, यदि हाँ तो वे कौन से साधन हैं ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : भूतपूर्व अध्यक्ष के बारे में क्या है ?

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरा विश्वास है कि यही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार ने हाथ में लिया है और लक्ष्य की ओर दृढ़ता और सफलता के साथ अग्रसर हो रही है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि 1961 की जनगणना को लेकर एक अन्य प्रकार की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि 1961 से अब तक नसबंदी और गर्भाश्यान्तर गर्भनिरोधक प्रयोग वाले लूप आदि का प्रयोग करके बहुत-सा कार्य हुआ है तो 1961 के जनगणना आँकड़ों में आई हुई भिन्नता परिवार नियोजन कार्यक्रम के अलावा दूसरे कारणों से होगी, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि 1961 से अब तक भारत में कितने व्यक्तियों की नसबंदी की गई है और कितने लूप लगाये गये हैं। 1961 के बाद कितने व्यक्तियों ने उपरोक्त उपाय अपनाये हैं और क्या, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, इस अनुपात के परिवर्तन में इस कार्यक्रम ने कोई प्रभाव डाला है ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : प्रश्न का पहला भाग सही है कि 1961 की जनगणना के अनुसार सम्प्रदायों की संख्या के अनुपात में जो मामूली-सा परिवर्तन आया है वह परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण नहीं आया है। 1961-68 के आँकड़े हमारे पास नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि हमें 1971 की जनगणना की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिससे 1951 और 1961 के आँकड़ों की सही-सही तुलना की जा सके।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्वीडन के लूप को लगाने में कम गड़बड़ी होती है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इन स्वीजन के लूपों का प्रयोग किया जा रहा है अथवा क्या उसी जैसे लूप का हमने भारत में निर्माण किया है।

डा० श्री चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूँगा कि यह स्वीडन का लूप नहीं है अपितु यह डेनमार्क का लूप है जिसका कि छोटे पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा

है। परन्तु उसके लगाने में भी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं अतएव हम इस प्रकार के लूप चाहते हैं जिसे हमारी महिलाएँ स्वीकार कर सकें।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the Government have received any application form the enunchs numbering about ten thousand that due to family planning their profession has received a setback. They used to get ten rupees for a male child and five rupees for a female child from the house where they are born. May I know whether any application to solve their livelihood problem has been received. Is it correct that they have opposed this programme ? If so, what steps have been taken by the Government in this regard.

डा० श्री चन्द्रशेखर : इस विषय में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

Shri Ramanand Shastri: May I know whether the Government are aware that an Ayurvedic medicine has been prepared and by taking one pill of this medicine conception for one year is checked. Similarly by taking two pills and three pills conception for two years and five years respectively can be checked. If so, whether the Government will make provision to familiarize these pills instead of wasting crores of rupees in contraceptive devices.

डा० श्री चन्द्रशेखर : हमें इन गोलियों के बारे में मालूम है। मैं यह कहना चाहूँगा कि एक लाख महिलाओं को ये गोलियाँ दी गई हैं। मैं उनकी सूचना को ठीक करना चाहूँगा। एक चक्र के लिए तीन गोलियाँ नहीं अपितु एक महीने के लिए 21 गोलियाँ होती हैं। ये गोलियाँ आपरेशन से अधिक मँहगी होती हैं।

Shri Shiv Charan Lal : May I know whether the Government have the knowledge that officials appointed in planning offices do not work and never go to villages. For example forty operations of sterilisation were conducted in Etmadpur block and out of these 32 operation were from Tehsil and 8 from the Block. As I stated that Family Planning offices do not work and their officials never make visit to villages and thus there is a wastage of money. Will the Government consider on this proposal that these Family Planning offices should be closed and these work should be given to Tehsil and Block.

डा० श्री चन्द्रशेखर : संभव है कि कुछ गाँवों में कार्य में शिथिलता आ गई हो' परन्तु सब अधिकारियों को अनुत्तरदायी कहकर बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। परिवार नियोजन विभाग इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं जितनी कि इससे आशा की जा सकती है। परन्तु एक राज्य का काम दूसरे राज्य से भिन्न होता है।

Shri Shiv Charan Lal : They do not work and never visit any villages.

Shri Ramanand Shastri : The Hon. Minister has stated that 21 pills are to be taken every month for checking the contraception. But three pills of Ayurvedic check contraception for five years.

श्री नरेन्द्रसिंह महोडा : मंत्री महोदय ने बताया है कि चिकित्सा अधिकारियों ने कुछ गलतियाँ की हैं। मैं जान सकता हूँ कि क्या इसके लिए क्षतिपूर्ति दी गई है अथवा मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ दी गई हैं ?

डा० श्री चन्द्रशेखर : इन शिकायतों का इशारा एक अविवाहित युवक की ओर है जिस पर यह आपरेशन किया गया। अतएव जनन क्षमता पर प्रभाव डालने का सवाल पैदा /नहीं होता, मैंने इसको फिर से ठीक करने के लिये आपरेशन करने के आदेश दिये हैं; अतएव क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Sarjoo Pandey: I want to know how much expenditure have been incurred on the family planning in the whole country. The Hon. Member has stated that the programme of Family Planning have not effected in a big way on the population. I would also like to know on which section of the Society the work of Family Planning is popular. May I know whether this work is being carried on mostly among the poor people or it has the effect on rich people also whose only work is to produce children. Will the Hon. Minister state what action are being taken by the Government about the bogus work going on in the Family Planning. For example operation are conducted on old and mad persons. I know a case where a Sadhu was operated upon. What are the steps being taken by the Government in this respect.

डा० श्री चन्द्रशेखर : जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे राज्यवार और वर्षवार वास्तविक राशि बताने के लिए पूर्व सूचना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक या दो मामलों में गलत आपरेशन हुए हैं, इसका उत्तर दे दिया गया है। तीसरा प्रश्न जो कि लोगों द्वारा बोगस लेखा-जोखा देने के बारे है, मैं नहीं समझता कि यह सच है। क्योंकि हमारे पास इसको रोकने की ऐसी प्रक्रिया है कि हम धन देने से पहले अचानक जाँच के तौर पर आपरेशन की संख्या मालूम कर लेते हैं और इससे यह पता चल जाता है कि आँकड़ों में कोई भूल तो नहीं रह गई है।

श्री मनुभाई पटेल : श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पूछे गये प्रश्न तथा साथ में 'दो या तीन बच्चे बस' वाले नारे के बदले 'दो बच्चे बस' को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार नियत की हुई संख्या से अधिक बच्चों वालों को जमाखोर और इससे भी अधिक बच्चों वालों को चोर बाजारी करने वालों का नाम देगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ

श्री हेम बरुआ : प्रश्न पूछने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि साधुओं को इससे छूट नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह बहुत से गलत काम करते हैं। इस बात को देखते हुए कि लाल त्रिकोण, जो कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रिय बनाने के लिए दिखाया जा रहा है, एक अश्लील चिन्ह है, क्या सरकार इसके बदले किसी दूसरे चिन्ह को बदलने की नहीं सोच रही है जिससे मानवीय कल्पना को आघात न लगे।

डा० श्री० चन्द्रशेखर : इस चिन्ह को अपनाते समय हमने इसे अश्लील नहीं समझा था। यह कार्यक्रम को सर्वप्रिय बनाने का चिन्ह है।

Shrimati Minimata Agam Dass Guru: The Hon. Minister has just now stated that sterilisation was performed on undeserving persons and again it was restored. I want to know if sterilisation is performed on a person then how much time he takes to come in normal condition after restoring it.

डा० श्री० चन्द्रशेखर : जी हाँ

श्री सोनावने : उन्होंने पूछा है कि एक व्यक्ति को ठीक होने में कितना समय लगता है। वे कहते हैं कि 'जी हाँ' यह क्या उत्तर है?

Shrimati Minimata Agam Dass Guru: I have asked that after performing ste ilisation on a person then how much time he will take to come in a normal condition after restoring it.

डा० श्री चन्द्र शेखर : क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूँ, आदमी में शुक्राणु तब तक पैदा होते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता। जब आपरेशन किया जाता है तो उनका प्रवाह रुक जाता है, जब इसको जोड़ दिया जाता है तो शीघ्र ही उसका प्रवाह शुरू हो जाता है।

भारतीय तेल निगम को ढोलों का संभरण

*664 **श्री समर गुह** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 नवम्बर, 1967 का अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि "क्रयादेश में यह उपबन्ध था कि ढोल कोल्ड रोल्ड स्टील से तैयार किये जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 22 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर में सरकार ने यह कहा था कि "हिन्द गालवैनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा हाट रोल्ड स्टील से तैयार किये गये ढोलों के संभरण पर आपत्ति नहीं थी; और

(ग) क्या उपरोक्त परस्पर विरोधी उत्तरों को ध्यान में रखते हुए सरकार भारतीय तेल निगम और मैसर्स हिन्द गालवैनाइजिंग कम्पनी के बीच हुए करार की शर्तें सभा पटल पर रखेंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) ऐसा प्रतीत हो सकता है परन्तु वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है। तथ्य यह है कि 16 नवम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के कथित क्रयादेश में कोल्ड रोल्ड और कोल्ड एन्नील्ड चादरें मुख्य विशिष्टिता थीं। उस क्रयादेश में मूल्य भी इस्पात की इस किस्म पर आधारित था। परन्तु, यदि कोल्ड रोल्ड इस्पात कारखानों से उपलब्ध नहीं होता तो हाट रोल्ड चादरों से निर्मित बैरलों की सप्लाई के लिये क्रयादेश में अनुज्ञापन था जबकि वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है । सच है कि 16-11-67 के उत्तर में अधिक ब्यौरा दिया जा सकता था। मुझे इस छूट के लिये खेद है।

मैसर्स हिन्द गालवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड द्वारा लूब तेल बैरलों की सप्लाई के बारे में भारतीय तेल निगम के क्रयादेश से सम्बद्ध उपबन्ध सभी पटल पर रख दिये गये हैं। मूल्य, डिलीवरी आदि की शर्तें गोपनीय होने के कारण क्रयादेश की पूरी प्रति संभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

विशिष्टियाँ : ड्रम स्टैण्डर्ड आकार के होंगे, उनकी क्षमता 200/210 लिटर होगी, वे 18 गेज की कोल्ड रोल्ड और कोल्ड ऐन्नील्ड चादरों (या इस्पात कारखानों से आपको कोल्ड रोल्ड इस्पात न मिलने पर हाट रोल्ड चादरों के) से निर्मित होंगे, बाडी सीम वैल्डिड होगी, सिरे डबल सीमड होंगे, एक सिरा 1×2" और 1×$\frac{3}{4}$" 'ट्रिस्यूर' बंगस से युक्त होगा।

बैरलों को बढ़िया किस्म के ड्रम स्टोव एनेमल से रोगन किया जायेगा जो हमारे सान्य विशिष्टियों (बाडी के लिए मोबिल रड नम्बर 602/263 और सिरों के लिए सफेद नम्बर 9231/-1602/004) के अनुसार होगा। परन्तु यदि हम रंगों की विशिष्टियाँ बदलने का फैसला करें तो, दो सप्ताह के नोटिस पर आपको ऐसा करना होगा।

श्री समर गुह : मैंने इस मामले पर 15-20 प्रश्नों की सूचना दी है क्योंकि मेरा उद्देश्य भारतीय तेल निगम के 2 या 1 अधिकारियों को प्रकाश में लाना है जिनका इस काँड में हाथ था। हो सकता है कि इसमें बड़ा मंत्री भी शामिल हो। इस अनाचार के परिणाम स्वरूप भारतीय तेल-निगम को तीन बार हिसाब-किताब में नुकसान हुआ है। पहला, भारतीय तेल निगम में हिन्द गालवैनाइजिंग कम्पनी को पीपे के लिए ऊँची कीमत पर आर्डर दिया गया था और फलस्वरूप 1.77 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। दूसरा, यद्यपि हिन्द गालवैनाइजिंग कम्पनी को कोल्ड रोल्ड इस्पात सप्लाई करने को कहा था परन्तु उन्होंने हौट रोल्ड इस्पात के पीपे सप्लाई किये जिससे 97,000 रुपये का नुकसान हुआ। तीसरा जब यह पाया गया कि उन्होंने हौट रोल्ड इस्पात के बने पीपे सप्लाई किये हैं तो उन्होंने इस सप्लाई आर्डर को रोक दिया और दूसरी फर्म को आर्डर दिया गया जो कि संभारक निगम के नाम से जानी जाती है और जो वास्तव में निर्माण संस्था नहीं है। इस प्रकार इससे 2.25 लाख रुपये की हानि हुई, इन सब बातों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि तेल के पीपे क्यों हिन्द गालवैनाइजिंग कंपनी से ऊँची कीमत पर खरीदे गए जबकि ये दूसरे निर्माताओं के पास कम मूल्य पर उपलब्ध थे ? दूसरा भारतीय तेल निगम को हौट रोल्ड इस्पात सप्लाई करने के कारण हिन्द गालवैनाइजिंग कम्पनी और इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई जबकि उनसे ठेके की शर्तों के अनुसार कोल्ड रोल्ड इस्पात के पीपे का विशेष आर्डर दिया था। तीसरा ये पीपे संभारक निगम से क्यों खरीदे गये जबकि वह निर्माता कम्पनी नहीं है अपितु इसका एक मालिक हिन्द गालवैनाइजिंग कम्पनी का निदेशक है जिसका मतलब यह है कि संभारक निगम हिंद गालवैनाइजिंग कम्पनी का केवल बेनामी फर्म है।

श्री रघुरामैया : मैं पहले प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में कहूँगा कि हमने उन्हें ऊँची कीमत दी है जबकि इससे कम कीमत पर सामान उपलब्ध था। मैं समझता हूँ कि इशारा भारत बैरल से नहीं अपितु इन लोगों से खरीदने की ओर है।

श्री समर गुह : आठ या नौ कम्पनियों के टेंडर आपके पास आये थे और आपने केवल दो का ही चुनाव किया।

श्री रघुरामैया : जहाँ तक दूसरी कम्पनियों का सम्बन्ध है मुझे यह बताया गया था कि भारतीय तेल निगम ने सब टेंडरों का अध्ययन करके सबसे कम टेंडर का चुनाव किया है। अब यह पता चल गया होगा कि इन कम्पनियों को आर्डर क्यों दिया गया, यह टेंडरों को प्रस्तुत करने के बाद किया गया। दूसरा प्रश्न यह है कि कोल्ड रोल्ड चादर के बदले इन कम्पनी को क्यों हौट रोल्ड सप्लाई करने दिया गया। मैंने सभा पटल पर इस उत्तर का संलग्न-पत्र रख दिया है जिसमें कि इन शर्तों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि "कोल्ड रोल्ड ऐन्नील्ड चादरों (या इस्पात कारखानों से आपको कोल्ड रोल्ड इस्पात न मिलने पर हौट

रोल्ड चादरों के) से निर्मित होंगे।" अतएव इस आर्डर में कोल्ड रोल्ड और इसके न होने पर हॉट रोल्ड का प्रस्ताव है। इस मामले में वास्तव में क्या हुआ वह यह है कि

श्री समर गुह आपने करार के शर्तों की एक प्रति सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker I have a point of order. Point of order can be raised even during the question hour. He has quoted a part of the document...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें प्रश्न का उत्तर देने देंगे, मैं आपको दुबारा बुलाऊँगा।

Shri Madhu Limaye : All right. I will put after it.

श्री रघुरामैया : मुझे बताया गया है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि यह हाट रोल्ड है अथवा कोल्ड रोल्ड। अतः जब उन्होंने दस्तावेज देखे तो यह मालूम हुआ कि टेंडर देने वाले ने हाट रोल्ड इस्पात की सप्लाई की। भारतीय तेल निगम ने हाट रोल्ड की कीमत दी लेकिन सप्लाई करने वाले ने विरोध प्रकट किया। वह अधिक मूल्य माँगता था, तब मामला पंच फैसले के लिए भेजा गया क्योंकि समझौते में ऐसी व्यवस्था है, तब पंच ने अपना पंचाट दिया और भारतीय तेल निगम ने उस पंचाट के अनुसार भुगतान किया है।

श्री समर गुह : प्रश्न (ख) और (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक ही प्रश्न में (क), (ख) और (ग) शामिल कर लिये हैं। मैं नहीं जानता।

श्री समर गुह : वे सब एक ही प्रश्न से सम्बन्धित थे।

अध्यक्ष महोदय : शायद वे (ग) को भूल गये हों; आपको (ग) फिर से दुहराना होगा।

श्री समर गुह : यह मेरा दूसरा प्रश्न नहीं है। मेरे पहले प्रश्न का भाग (ग) यह था कि आपने सम्भरणकर्त्ता निगम को क्रयादेश क्यों दिया जो कि ड्रम बैरल के निर्माणकर्त्ता नहीं हैं और तब, क्या सम्भरणकर्ता निगम के मालिकों में से कोई हिन्द गालवैनाइजिंग कम्पनी के स्वामी तथा निदेशक का ससुर है?

श्री रघुरामैया : रिस्तेदारी का तो मुझे पता नहीं लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके पास ऐसी क्षमता थी और इसलिये उनको क्रयादेश दिया गया था तथा हमें बैरलों की बहुत ही आवश्यकता थी।

श्री समर गुह : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय तेल निगम को कोल्ड रोल्ड की बजाय हौट रोल्ड इस्पात बैरल की सप्लाई की गई थी। इस बात का पता नहीं चला था और कीमतों का भुगतान पहले ही कर दिया था। जब मैंने इस सभा में प्रश्न उठाया तब भारतीय तेल निगम ने सारा मामला अपने हाथ में लिया और पंच नियुक्त किया। यह पंच ही असली दोषी है। वह भारतीय तेल निगम के विपणन विभाग के महाप्रबन्धक हैं और उन्होंने स्वयं कम्पनी से बातचीत की थी तथा उन्हीं को पंच बना दिया गया और उन्होंने स्वेच्छ रीति से यह मूल्यांकन किया कि केवल 97,000 रुपये की हानि हुई थी। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को पंच क्यों नियुक्त किया गया जो इस कदाचार के लिए उत्तरदायी है और जिस ने सभा में मेरे द्वारा प्रश्न पूछे जाने से पहले ही मामले का पता नहीं लगाया दूसरे उसने किस आधार पर यह अनुमान लगाया कि केवल 97,000 रुपये की हानि हुई?

श्री रघुरामैया : जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इस मामले का पता क्यों नहीं लगाया गया, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका पता जाँच करने पर लगा लेकिन माननीय मित्र के आरोपों को ध्यान में रखते हुये मैं इसकी जाँच करवाऊँगा क्योंकि मैं स्वयं अपने आपको इस बात से सन्तुष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी अपराधी नहीं है तथा ज्योंही इस जाँच-कार्रवाई से कुछ पता चलेगा त्योंही मैं सभा को सूचना दे दूँगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न यह है कि विशेषकर इसी व्यक्ति को पंच क्यों नियुक्त किया गया ? जब आप मामले की जाँच कर रहे हैं तब आपने उस व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया ?

श्री रघुरामैया : मैं जाँच करवाने के आदेश देने वाला हूँ क्योंकि उनके प्रश्न पूछने के बाद मैंने पहली बार आरोपों के बारे में सुना है। मेरे पास इस बात को जानने के लिए कोई साधन नहीं थे। . . .(व्यवधान)

श्री समर गुह : क्या उन्हें पता नहीं था कि विपणन विभाग के महा प्रबन्धक हिन्द गाल-वैनाइजिंग कम्पनी के साथ इस बारे में बातचीत करने के लिये उत्तरदायी थे ? वह उत्तरदायी हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, will you give your ruling on it before I ask the question that whether they have laid on the table only a part of the agreement for which a demand for laying it in full on the table was made ? Now your Rule 368 is clear in this respect ;

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevent paper on the Table."

Will you order him to place the agreement in full ? After that I will put my question.

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल के दौरान कोई विनिर्णय नहीं दूंगा। यदि आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, when it will be raised if not now ? Ruling should be given on this.

When the Hon. Minister was asked on 16th November, 67, that why the Hind Galvanising and Engineering Private Company Ltd. was permitted to manufacture oil barrels, be said while replying :

"जाँच करने पर यह पता चला कि वर्तमान मशीनरी से कम्पनी के लिये तेल बैरेल बनाना भी सम्भव हो सकेगा। क्योंकि वर्ष 1963-64 के दौरान प्रतिरक्षा तथा तेल शोधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इन बैरलों की बड़ी माँग थी, इसलिये यह निर्णय किया गया कि इस उपलब्ध निर्माण क्षमता को पंजीकृत किया जाय, यद्यपि यह एक ऐसी मद थी जिसके सम्बन्ध में नई क्षमता के आवेदन पत्रों को सामान्यत: अस्वीकार कर दिया जाता है।"

In this connection I asked him half a dozen times whether the Ministry of Defence or Petrolium has submitted a written demand that more capacity of it is required but no reply has been received so far. Therefore, I want to ask the Hon. Minister categorically whether the Ministry of Petroleum or defence has stated in written that its capacity to manufacture barrels is inadequate; therefore steps should be taken to increase it ? I want its direct reply.

श्री रघुरामैया : भारतीय तेल निगम ने बता दिया है कि उन्होंने क्रयादेश क्यों प्रस्तुत किया तथा मैंने इसकी जानकारी सभा को देदी है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसकी जाँच करवाऊँ,

तो मैं इसके लिये तैयार हूँ। लेकिन यह जानकारी मुझे भारतीय तेल निगम ने दी थी जब मैंने उनसे यह पूछा था कि उन्होंने क्रयादेश क्यों प्रस्तुत किया।

Shri Madhu Limaye: In this connection we have written to Shri F. A. Ahmed fifty times. I want a direct reply that whether his Ministry has got any letter from Petroleum Ministry of Defence Ministry that its capacity should be increased ?

श्री रघुरामैया : इस सम्बन्ध में श्री मधुलिमये का लिखा हुआ कोई पत्र मैंने नहीं देखा है। मुझे इसके बारे में अभी मालूम हुआ है और मैं इसका पता लगवाऊँगा।

Shri Madhu Limaye: Questions have been put a dozen times over it.

Shri Sitaram Kesri: The Hon. Minister has stated that because of non-supply of steel for cold steel barrels, hot steel barrels were received in supply, I want to know if there was no difference between cold and hot steel barrels, why this matter was referred for arbitration ?

श्री रघुरामैया : इनमें अन्तर था, हाट रोल्ड सस्ता था और कोल्ड रोल्ड महंगा था। उन्होंने हाट रोल्ड की सप्लाई की तथा कोल्ड रोल्ड के दाम माँगे। अतः इस मामले को पंच फैसले के लिए भेजा गया तथा पंच ने फैसला किया कि हमको हाट रोल्ड के दाम देने हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, a Minister of Maharashtra Government, some officials and a Minister of the Central Government to give favour to Hind Galvanising and Engineering Private Limited first blacklisted a firm, named Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd. which was supplying barrels previously and about which the opinion of the Indian Oil Corporation and the Ministry of Defence was that it supplies good and cheap barrels. Then that company made an appeal in the Bombay High Court and the High Court acquitted it and said that there is no justification in blacklisting it by the Maharashtra Government. But even then that Company was kept in the blacklist for two and a half years. When the tenders were called for, the tender of this company was the lowest. Inspite of the recommendations of the Indian Oil Company and the lowest tender, the Hind Galvanising Company was given the favovr. I want to know from the Hon. Minister that were the reasons for it and whether any enquiry will be instituted in this regard that why that company was blacklisted and if that was blacklisted why that was kept in the blacklist for two and a half years and inspite of the lowest tender, why that company was not given the tender ?

श्री रघुरामैया : इस सम्बन्ध में श्री स० मो० बनर्जी द्वारा किया गया एक अलग प्रश्न 675 है। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप उस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड

*675 **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड को काली सूची में रखने के आदेश के समाप्त किये जाने के पश्चात् भारत सरकार ने उस कम्पनी के साथ किसी भी परिस्थिति में लेन-देन न करने की भारतीय तेल निगम को हिदायतें दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी हिदायतें दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय तेल निगम द्वारा उन्हें क्रयादेश न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि उनके मूल्य कम हैं और उनके माल की किस्म भी अच्छी है; और

(घ) क्या सरकार एक ऐसा विस्तृत तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखेगी जिसमें मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा उद्धृत दरों से अधिक दरों पर अन्य निर्माताओं को दिये गए क्रयादेशों से मई 1966 से निगम को हुई हानि दर्शाई गई हो ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड को काली सूची में रखने के आदेश का निलम्बन सरकार द्वारा यथावत् भारतीय तेल निगम को बता दिया गया था। परन्तु काली सूची के आदेश के निलम्बन से भारतीय तेल निगम पर इस फर्म को आवश्यक रूप से क्रयादेश देने की कोई जिम्मेदारी नहीं आती। जैसा कि लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर में 22-7-1968 को स्पष्ट किया गया है, भारतीय तेल निगम को बेचे जाने वाले पदार्थों की पेशकश को स्वीकार या अस्वीकार करना एक ऐसा मामला है जिस पर सारी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए निगम को स्वयं निर्णय लेना होता है। इस मामले में सरकार और भारतीय तेल निगम दोनों ने ही महसूस किया है कि प्रथम 9-11-66 और फिर 6-4-67 को इस विषय पर सदन में अन्य बातों के अलावा जो कठोर विचार व्यक्त किये गये थे उन्हें ध्यान में रखा जाये। इसलिये सरकार ने अनौपचारिक रूप से परामर्श दिया और भारतीय तेल निगम उससे सहमत हुआ कि इस फर्म को कोई विक्रादेश देने से प्रथम मामले का सारी दृष्टियों से ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

(घ) सूचना भारतीय तेल निगम की कई दूसरी फर्मों से व्यापारिक लेन-देन से सम्बन्धित है। ये फर्में अन्य तेल कम्पनियों से भी इसी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन करती हैं। इस लिये इस सूचना का बताना भारतीय तेल निगम के व्यापारिक हित में नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question is that one Minister of Maharashtra, some officials of the Central Government and a Minister are favouring Hind Galvanising Company. Bharat Barrel Company was blacklisted only to favour Hind Galvanising Company. The High Court declared that the Maharashtra Government was not justified in blacklisting the company. Even after that Government of India kept that company on the blacklist for two and a half years and the tender of the Bharat Barrel company was not accepted inspite of the fact that the tender of the Bharat Barrel Company was the lowest. Why this favouritism was done and whether an enquiry will be instituted into it ?

श्री रघुरामैया : जैसा मैंने बताया इस मामले पर सभा में दो-तीन बार चर्चा हुई और एक मत व्यक्त किया गया था कि किस प्रकार इस काली सूची में दर्ज कम्पनी को क्रयादेश दिये जा सकते थे। यहाँ तक कि इस प्रश्न को पूछने वाले श्री स० मो० बनर्जी ने उस अवसर पर कहा था कि हम उसका पक्ष ले रहे थे क्योंकि वे हमारे दल को कुछ धन आदि दे रहे थे। वास्तव में हुआ यह है कि केवल काली सूची में दर्ज करने का आदेश ही निलंबित हुआ है। अपील अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और मैं नहीं जानता कि सर्वोच्च न्यायालय क्या आदेश देगा। इसलिये सभा में व्यक्त किये गये तीव्र विचारों को ध्यान में रखते हुए इस अस्थायी अवधि

के लिये हमने भारतीय तेल निगम को परामर्श दिया कि इस फर्म को क्रयादेश देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।

श्री स० मो० बनर्जी : इस फर्म के विरुद्ध आरोप थे और मेरे माननीय मित्र श्री मधु-लिमये तथा अन्य सदस्यों ने और मैंने माँग की थी कि इस फर्म को कालीसूची में दर्ज किया जाय। प्रश्न यह कि उच्च न्यायालय ने उनको विमुक्त कर दिया है और एक विशेष अनुमति याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। पिछले अवसर पर, मैंने श्री जगन्नाथ राव से पूछा था कि काली-सूची में दर्ज करने के लिये क्या संहिता थी, उन्होंने कहा था :

"कालीसूची में दर्ज करने का आदेश तब तक लागू रहता है जब तक इसका प्रतिसंहरण न हो जाय। यदि एक फर्म को जिसके बारे में कालीसूची में दर्ज करने के आदेश जारी किये गये थे, न्यायालय द्वारा ससम्मान दोष विमुक्त कर दिया जाता है तो संहिता के अन्तर्गत इस बात की अनुमति है कि इस मामले में, कालीसूची में दर्ज करने सम्बन्धी आदेश को प्रतिसंहृत करने के बारे में विचार किया जाय।" मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय ने उनको दोष मुक्त कर दिया है और क्योंकि एक अपील सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है क्या भारतीय तेल कम्पनी ही एक ऐसी फर्म है जो टेंडर सबसे कम होने पर भी क्रयादेश नहीं दे रही है ?

श्री रघुरामैया : यह सच है कि उच्च न्यायालय ने उनको विमुक्त कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक अपील दायर की है। मेरा अनुमान है अपने विधि सलाहकार की सलाह से उन्होंने ऐसा किया है। मामला विचाराधीन है।

इस बीच, प्रत्यर्थी ने पंजाब उच्च न्यायालय में लेखयाचिका दायर कर दी। कार्यवाहियों के दौरान उन्होंने निलंबन आदेश हटा दिया। इसका यह अर्थ नहीं कि हम क्रयादेश देने के लिये बाध्य हैं। इस सम्बन्ध में और भी कई बातों पर विचार करना होता है।

इस सम्बन्ध में, मैं सभा का ध्यान उस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ जो श्री बनर्जी ने पिछले अवसर पर कही थी। इस समय लगाये जा रहे आरोपों को देखते हुए उसको उद्धृत करना अच्छा है। वह इस प्रकार है :

"श्री स० मो० बनर्जी : मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमि-टेड के अध्यक्ष, एक बड़े भारी उद्योगपति श्री जालान हैं। जब इस फर्म को काली सूची में दर्ज किया गया था तो 1964 और 1966 के बीच सारा सामान, कोटे और लाइसेंस किस प्रकार जारी किये गये थे और किस प्रकार उनको डी० जी० एस० एण्ड डी० के जरिये आर्डर प्राप्त हुए थे ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि यद्यपि इस फर्म को कालीसूची में दर्ज किया गया था और इन पर मुकदमा चल रहा था तथा जाँच कार्यवाही हो रही थी फिर भी इनके प्रति उदारता दिखायी गयी थी क्योंकि इन्होंने 1967 में निर्वाचनों के दौरान काँग्रेस के खजाने में एक बहुत बड़ी राशि दे दी थी।"

श्री रंगा तथा अन्य सदस्यों ने कुछ और विचार भी व्यक्त किये थे : इस बात को देखते हुए, हमने भारतीय तेल निगम को सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये कहा था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि मुझे ठीक याद है तो मंत्री महोदय ने कहा था कि इन सम्भरणों के लिए आठ या नौ टेंडर हैं। इस बात के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है कि इस फर्म को कालीसूची में दर्ज किया गया था और दोषमुक्त कर दिया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि अन्य टेंडर देने वालों ने हिन्द गालवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी की अपेक्षा कम कीमत माँगी थी? आपने 48 रु० की दर पर खरीद की जबकि अन्य टेंडर देने वाले इससे कम कीमत पर सामान देने के लिये तैयार थे। उन टेंडरों को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था और इसे क्यों स्वीकार किया गया?

श्री रघुरामैया : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं इसकी जाँच करूँगा।

श्री स० मो० बनर्जी : यह अच्छा है कि प्राक्कलन समिति इसकी जाँच कर रही है।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, I appreciate the liberal way in which the Hon. Minister has answered this question. This question has been raised in this House many times but always efforts have been made not to give the full reply. The answer given by the Hn. Minister does not cover all the points. The Hon. Minister has stated that they want to conduct an enquiry; therefore I want to request the Hon. Minister whether they will appoint any Committee or Commission to enquire into all these matters in which there should be no official of the I. O. C. or this Ministry and the report of that committee or Commission should be placed before the House ?

श्री स० मो० बनर्जी : यह मामला प्राक्कलन समिति के सामने है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जानकारी है।

श्री रंगा : ये बातें हमारी किसी वित्तीय समिति द्वारा जाँच किये जाने योग्य हैं। हमारे पास प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति है। मुझे आश्चर्य होता है क्या हमारे लिये यह उचित होगा कि हम किसी अन्य फर्म की अपेक्षा किसी एक फर्म पर ही अधिक रुचि दिखाएं। हम केवल इस बात पर ध्यान रखते हैं कि किसी अधिकारी द्वारा जनता के धन का अपव्यय न हो। जो दूसरे फर्मों की अपेक्षा किसी एक फर्म पर रुचि रखते हैं। मुझे इस बात पर खुशी है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वे इन सब बातों की जाँच करेंगे। उन्हें जाँच कर लेनी चाहिये थी और अच्छी तरह तैयार होकर आना चाहिए था। कम से कम अब, उनको इस मामले की जाँच करनी चाहिये और सारे तथ्य प्राक्कलन समिति के सामने प्रस्तुत करने चाहियें।

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा कच्चे पैट्रोलियम कोक का विक्रय

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में कच्चे पैट्रोलियम कोक का उत्पादन आरम्भ होने के समय से इन्डियन आयल कारपोरेशन पर निर्यात के प्रयोजन से उसे समय-समय पर बरौनी में रेलवे पर निष्प्रभार किस मूल्य पर बेंचा है;

(ख) कच्चे पैट्रोलियम कोक का उत्पादन आरम्भ होने के समय से बरौनी में इसका प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है और उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा प्रयोग के लिए इसे किस प्रकार बेंचा गया है; और

(ग) क्या इन्डियन आयल कारपोरेशन 1966 तथा 1967 में भारत में अपने सभी ग्राहकों के साथ किये गए ठेकों के अनुसार कच्चा पैट्रोलियम कोक उपलब्ध कर सका और यदि नहीं, तो कम मात्रा उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) बरौनी में रेलवे पर निष्प्रभार (F.O.R.) 80 रुपये प्रति मीटरी टन।

(ख) बरौनी शोधनशाला में 7-10-1964 से कच्चे पैट्रोलियम कोक का उत्पादन शुरू हुआ था। वर्षानुसार उत्पादन निम्न प्रकार है:

वर्ष	मीटरी टनों में उत्पादन
1964	4,485
1965	23,918
1966	38,959
1967	58,895
1968 (जनवरी से जुलाई तक)	37,805

उत्पादन की अधिक मात्रा विभिन्न ग्राहकों के साथ किये गये ठेकों के अनुसार विक्रय की गई है।

(ग) ठेके पर की गई मात्राओं के अनुसार सामान्यतः सप्लाई की गई है। रेल-बैगनों की कमी, रेल-लदान प्रतिबन्ध, यदा-कदा श्रमिकों की कमी तथा एक ग्राहक के सप्लाई को कम करने का परामर्श के कारण सप्लाई में कुछ कमियाँ हुई हैं।

श्री हिम्मत सिंहका : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस वर्ष उद्योगों की माँगों को पूरा करने के लिए कैल्साइन्ड पैट्रोलियम कोक को आयात करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि देशी पैट्रोलियम कोक का निर्यात न किया जाय अपितु एकमात्र इसका प्रयोग कैल्सीनेशन के लिए किया जाय जो ऐल्यूमीनियम लौह-मिश्र धातु और दूसरे संबंधित उद्योगों के लिए आवश्यक है। इससे प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी, क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इसका निर्यात नहीं किया जायेगा।

श्री रघुरामैया : मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि जब तक आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता तब तक कुछ भी निर्यात नहीं किया जायेगा।

स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि पैट्रो-कैमिकल काम्प्लेक्स के उत्पाद का पूरा उपयोग नहीं हो रहा? सरकार इसके लिए सेल स्थापित करने के लिए क्या कर रही है जो पैट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स के उत्पाद और उपोत्पाद के उपयोग के लिए योजना बना सके ताकि यह आयात का प्रतिस्थापन बन सके और यह भी देखे कि ये योजनाएँ निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में हों।

श्री रघुरामैया : यह दूसरा ही मामला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रमानी।

श्री के० रमानी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि दूसरे देशों को पैट्रोलियम कोक निर्यात करने के कारण इसकी यहाँ कमी हो गई है और मद्रास राज्य में इसकी कमी के कारण कई ढलाई घर बन्द हो गए हैं, न केवल यह बात है बल्कि इन निर्यातित वस्तुओं को विदेशों में कम मूल्य पर बेंचा जा रहा है और आन्तरिक उपभोग के लिए इसकी ऊँची कीमत ली जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री रघुरामैया : मैं ऐसा नहीं सोचता। इसका आन्तरिक मूल्य 80 रुपये प्रति टन है और राज्य व्यापार निगम को निर्यातित मूल्य हमने 120 रुपये प्रति टन निर्धारित किया है जिसमें से कमीशन घटा दिया जायेगा।

Shri Maharaj Singh Bharati: I would like to know that the Coke you are producing, fetch so less a price at Barauni and if the production of wax is started then the cost of crude oil will be obtained and it can be exported for one thousand rupees per ton. Then whether the Govt. will consider that the wax may be manufactured here and other things like mobile oil etc. may be extracted from it.

श्री रघुरामैया : इसकी ऐल्यूमीनियम उद्योग आदि के लिए आवश्यकता पड़ती है।

मैसर्स दुग्गल एन्टरप्राइजेज का उर्वरक कारखाने के लिये लाइसेंस

*636. **श्री श्रीधरन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1966 में सरकार ने एक उर्वरक कारखाना चालू करने के लिए मैसर्स दुग्गल एन्टर प्राइजेज को एक लाइसेंस दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने लाइसेंस देने से पूर्व इस कम्पनी के पूर्ववृत्त का पता लगाया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक बार पहले लाइसेंस लेने के पश्चात् यह कम्पनी एक परियोजना को क्रियान्वित नहीं कर सकी थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी के अमरीकी सहयोगियों ने सहयोग देने से इन्कार कर दिया ;

(ड.) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसका पता लगाया है कि उन्होंने क्यों इन्कार कर दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)

(क) मे० इण्टर नेशनल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कं० लिमिटेड के साथ मे० दुग्गल एण्टरप्राइजेज (प्राइवेट), लिमिटेड के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर मे०मालाबार कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का मैंगलोर में एक उर्वरक फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस 8-11-1966 को प्रदान किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, जहाँ तक यह मंत्रालय जानता है।

(घ) जी हाँ। आई० डी० आई कं० ने अपना सहयोग प्रस्ताव वापस ले लिया है।

(ड.) जी हाँ।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० श्रीधरन : इस प्रश्न, कि क्या यह सच है कि कम्पनी ने एक बार पहले लाइसेंस लेने के बाद परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया, का उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि "जहाँ तक मंत्रालय को मालूम है ऐसा नहीं है।" उन्होंने यह बड़ी ही चतुरतापूर्ण बात कही है। दुग्गल एण्टर-प्राइजेज धोखेबाज व लुटेरों द्वारा चलाया जा रहा है और मैसूर सरकार ने इस कम्पनी की स्थापना में पहले ही 30 लाख रुपए लगाए हैं। इस कम्पनी को लाइसेंस 8-12-1966 को जारी किया गया था। तब से इस परियोजना को स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया गया। अगर मेरी सूचना ठीक है तो भारत सरकार ने पिछले अप्रैल को कम्पनी को "कारण बताओ नोटिस" दिया है जिसमें कहा गया है कि इस सत्य को देखते हुए कि कम्पनी ने लाइसेंस को क्रियान्वित नहीं किया है तो क्यों नहीं लाइसेंस को वापिस ले लिया जाय ? यदि हाँ, तो मैं जान सकता हूँ कि भारत सरकार द्वारा जारी नोटिस का कोई उत्तर आया है और इस 'कारण बताओ नोटिस' में पूछे गये प्रश्न का ब्यौरा क्या है ?

श्री रघुरामैया : यह सच है कि हमने नोटिस जारी किया है। परन्तु तब से उन्होंने हमें जापान से इंजीनियरी सेवाएँ और ऋण देने का कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव भेजे हैं, इसमें सन्देह नहीं कि श्री दुग्गल इस कम्पनी के अध्यक्ष हैं परन्तु मैसूर सरकार की इसमें दिलचस्पी है। दुग्गल एण्टर-प्राइजेज से हमें जो भी सूचना मिली वह हमने मैसूर सरकार को दे दी है। हम अब मैसूर सर-कार के इस प्रस्ताव की इन्तजारी में हैं कि इस मामले के बारे में क्या कार्रवाही की जाय।

श्री ए० श्रीधरन : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि मैसूर सरकार की दुग्गल इण्टरप्राइजेज को लाइसेंस देने में दिलचस्पी है। अगर मैसूर में उर्वरक उद्योग स्थापित होता है तो हम सब को प्रसन्नता होगी। परन्तु इस कम्पनी का कार्य करने का तरीका संतोषप्रद नहीं है केवल यह ही नहीं है अपितु मैसूर सरकार ने नियोजित धन पर भलीभांति निगरानी नहीं रखी है और साथ ही साथ यह भी नहीं देखा है कि कम्पनी का कार्य किस प्रकार हो रहा है। श्री निजलि-गप्पा जैसे प्रमुख व्यक्ति इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं और कम्पनी का एक अधिकारी जापानी सहयोग के बारे में बातचीत करने के लिए श्री निजलिंगप्पा के साथ टोकियो दौरे पर गया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति,—शान्ति।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : : यह आक्षेप किया जा रहा है।

श्री ए० श्रीधरन : कब से अमेरिका के सहयोगियों ने अपना सहयोग वापस ले लिया। मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग वापिस क्यों लिया। कम्पनी की वित्तीय व्यवस्था... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या वे अपने प्रश्न पर आयेंगे।

श्री ए० श्रीधरन : मैसूर सरकार का बहूमूल्य धन में से 20 लाख रुपया व्यर्थ ही चला गया है। अमरीकन सहयोगी अपने वचन से पीछे क्यों हट गए हैं। क्या मैसूर सरकार ने नए सहयो-गियों के लिए कोई आवेदन किया है ? यदि हाँ, तो भारत सरकार यह मालूम करे कि पुराने सहयोगी पीछे क्यों हट गए हैं। उनके पीछे हटने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य एक सरकार के बारे में प्रश्न इस सरकार से करते हैं तो ठीक है। परन्तु उन व्यक्तियों के नामों को लाना ठीक नहीं है जो यहाँ नहीं हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालना एक आदत सी बनती जा रही है, मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ए० श्रीधरन : सहयोगी अपने वचनों के पीछे क्यों हट गए हैं। इस सत्य में कि श्री निजलिंगप्पा का नाम इसमें अन्तर्ग्रस्त है तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। मैं तो जानना चाहूँगा कि अमरीकन सहयोगियों ने सहयोग का प्रस्ताव वापिस क्यों ले लिया।

श्री रघुरामैया : मैंने पहले ही कह दिया है कि जापानी फर्म द्वारा इंजीनियरी सेवा और ऋण के नये प्रस्ताव पर जाँच की जा रही है। मैसूर सरकार इसकी एक विस्तृत पद्धति तैयार कर रही है कि इसका कैसे किया जाय और उनसे प्रस्ताव की इन्तजारी कर रही है। वास्तव में लाइसेंस मैसर्स मालाबार कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स के नाम से है न कि मैसर्स दुग्गल एण्टर प्राइजेज के नाम से। श्री दुग्गल इसके अध्यक्ष हैं, उस कम्पनी में तीन पार्टियों को अभिरुचि है यथा पहली मैसूर सरकार, दूसरी मैसर्स दुग्गल एण्टरप्राइजेज और तीसरी मूल सहयोगी यथा इंटर नेशनल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, जो अब अपने वचन से पीछे हट गई है। इस संबंध में, कि कंपनी का रूप अब क्या होगा और मैसूर सरकार इसमें क्या दिलचस्पी दिखा रही है, हम उनके नये प्रस्ताव की प्रतीक्षा में हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : प्रक्रिया नियम में यह स्पष्ट निर्धारित है कि प्रश्न काल का समय केवल सूचना जानने के लिए होना चाहिए और आक्षेप आदि करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पहले ही कह दिया है, न केवल प्रश्नकाल अपितु वाद-विवाद के दौरान भी उन लोगों के प्रति आक्षेप नहीं करना चाहिए जो इसका उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हैं। आक्षेप आदि न केवल काँग्रेस दल के अध्यक्ष अपितु दूसरे राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के प्रति भी नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ नहीं हैं उनके नाम को इसमें नहीं लाना चाहिए। ऐसा करना किसी को शोभा नहीं देगा।

श्री लोबो प्रभु : इस आधार पर कि 500 एकड़ भूमि पहले ही प्राप्त कर ली गई है तथा वहाँ से जनता को हटा दिया गया है और खेती करना छोड़ दिया गया है, और इस आधार पर भी कि बन्दरगाह परियोजना इस उर्वरक कारखाने पर काफी हद तक निर्भर है, तो क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि जब से दुग्गल एण्टरप्राइजेज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है तब से दूसरी व्यवस्था क्यों नहीं की गई क्योंकि इसमें काफी समय व्यर्थ गया है।

श्री रघुरामैया : यह रद्द नहीं किया गया है, जैसा कि मैंने बताया है कि हम मैसूर सरकार से नए प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

———

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

S. N. Q. No. 12. **Shri S. M. Joshi : Shri Ramavtar Shashtri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) where Government's attention has been drawn to the incident reported in a weekly newspaper, 'Indian and World Events' of the 11th August, 1968, that in a letter written by a S. S. P. Minister of U. P. to the Governor, he had mentioned that a youngman of Hathiagarh Village of Tola Matpurva in Gonda district, was forced by the Police to cohabit with his mother.

(b) whether it is a fact that the villagers were beaten up when they protested against this and their huts were also burnt and they were insulted;

(c) whether it is also a fact that the said mother and son were brought from the Police station to the Bus-stand tn a naked condition; and

(d) whether it is further fact that the police constable responsible for this incident is still on duty there; if so, the details of the incident ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

श्री राम सेवक यादव, संसद सदस्य ने कुछ संयुक्त समाजवादी दल से कार्यकर्त्ताओं के साथ हथियागढ़ गाँव में हुई पुलिस के अत्याचारों की शिकायत गोंडा के जिलाधीश से की। यह आरोप लगाया गया कि पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके कपड़े उतारे गये और उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने गाँव के करीब सभी निवासियों की सम्पत्ति को लूटा। राज्य सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार यह घटनाएँ 30 मई 1663 को पुलिस द्वारा एक जंगलात के रक्षक को छुड़ाने के कारण हुई जिसे हथियागढ़ और दो दूसरे गाँवों के बीस व्यक्तियों ने घेर लिया था। जिन लोगों से पूछ-ताछ की जा रही थी उन्होंने दो पुलिस कॉंस्टेबल पर आक्रमण किया। दो बंदूक और बीस कारतूस छीन लिये गये और एक कॉंस्टेबल को अपराधी व्यक्तियों ने रोका। स्टेशन आफीसर उस स्थल पर पहुंचे और कॉंस्टेबल और दोषी व्यक्तियों से दो बन्दूकें छीन ली गईं। इस घटना से सम्बन्धित 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और मामला दर्ज कर लिया गया। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महिलाओं को अपमानित नहीं किया गया और जाँच के दौरान किसी ग्रामीण ने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की।

मैं दिये गये वक्तव्य के अंत में एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह कि चूंकि इस प्रकार के और अन्य आरोप लगातार लगाये जा रहे हैं, राज्य

सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले की न्यायिक अधिकारी द्वारा जाँच कराये।

श्री रवि राय : न्यायिक जाँच या न्यायिक अधिकारी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : न्यायिक अधिकारी द्वारा जाँच किये जाने का अभिप्राय न्यायिक जाँच ही होता है।

Shri S. M. Joshi: I want to know from the Minister of Home Affairs whether it is a fact that the main reason of this dispute is the refusing of giving five seers of grain to the Forest Officers by the farmers of the Forest Department. In its exchange they were getting the facilities which they were entitled to get by law? Whether it is also a fact that Justice has not been done with the farmers at some other places also ? At present there is President's Rule in Uttar Pradesh. There have been such type of injustices in Mathura, Gonda and Ballia also. On 19th August, when the Harijans in a village Mau Sauddi, Thana Mohammadpur in Barabanki, refused to do work without payment, a former Jamadar attacked them with a gun and killed six Harijans. Such type of intances are going on in U. P. where there is President's Rule. Whether the Government will form some Judicial Commission to have an independent investigation ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूँ। चाहे राष्ट्रपति का शासन हो अथवा नहीं, पुलिस द्वारा अत्याचार नहीं किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ। जहाँ तक आरोपों का सम्बन्ध है मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हूआ है अथवा नहीं। इस बारे में मुझे सबसे पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा। इसीलिये मैं इस मामले में न्यायिक जाँच कराने के लिये सहमत हुआ हूँ। जहाँ तक अन्य शिकायतों का सम्बन्ध है हमें अन्य प्रदेश से इसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही हैं। यहाँ आने से पूर्व मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को एक पत्र लिखा था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि जिन मामलों में पुलिस द्वारा ज्यादतियाँ की गई हैं उन मामलों को किसी निष्पक्ष प्राधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए ताकि लोग जाँच में विश्वास कर सकें। इस मामले में यह सच हो सकता है कि माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप सही हों। मेरे विचार से इसका आरम्भ बन अधिकारी द्वारा एक गिरफ्तारी किये जाने से हुआ—मैं यह नहीं कह सकता कि यह सच है अथवा नहीं। उनको स्वतन्त्र कराने के लिए दो पुलिस वाले वहाँ गये। उनको तभी इन लोगों ने घेर लिया। इसका पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे तथ्य मेरे सामने आये हैं। अन्य आरोपों की तरह यह सच नहीं हो सकते। इस प्रकार आरोपों को पहली बार अल्प सूचना प्रश्न के रूप में उस समय उल्लेख किया गया था जबकि उस पर क्योंकि यह बहुत गम्भीर आरोप है। इसे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भी सुनना होगा, गृह-सचिव और अतिरिक्त आई० जी० पी० यहाँ थे। सरकारी अधिकारियों द्वारा उनसे चर्चा कर लेने के बाद मेरे विचार से इस मामले में न्यायिक जाँच की जानी चाहिये।

Shri S. M. Joshi : May I know whether the Home Minister is aware that in such type of investigation, in order to save the subordinate officers, incorrect information is used to be given ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने निर्णय पर निर्भर

रहना होगा। यह कहना ठीक नहीं होगा कि, चूंकि एक अधिकारी ने रिपोर्ट दी है अतः इसे गलत समझा जाना चाहिए।

श्री एस० एम० जोशी : उसको सच भी नहीं समझना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अन्त में हमें तथ्यों को देखना होता है। जिन लोगों ने जाँच की होगी उन्हें उसकी परिपुष्टि भी करनी होगी। तब वे इस मामले के बारे में विचार करेंगे।

Shri Ishaq Sambhal : May I know whether the Police officers responsible for the excesses will be suspended till the result of the Judicial enquiry ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में दो पुलिस कर्मचारी और एक सब-इंसपेक्टर शामिल हैं। इस बारे में मुख्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी होगी क्योंकि इस स्थान का शीघ्र ही सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस ने दौरा किया था।

श्री हेम बरुआ : सम्बद्ध पुलिस अधिकारी अभी भी वहाँ कार्य कर रहा है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी होगी। यदि वह अभी भी वहाँ है तो मैं यह प्रयास करूँगा कि इसका स्थानान्तरण कर दिया जाये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : निष्पक्ष जाँच का वातावरण तैयार करने के लिए क्या इस मामले से सम्बद्ध अधिकारियों को हटा दिया गया है। यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस बात का उत्त र दे चुका हूँ।

Shri Ram Sewak Yadav : The situation in Utar Pradesh is very critical. The poor farmers are suffering in two ways.—Firstly, the officers are generally neglecting them and secondly, due to excesses of police. In Kodia thana of Gonda, a Harijan was killed even in the custody of police and the concerned police officer is still there and is troubling the people so that they may not give evidence against him. The other shameful incident was that of forcing the women to walk naked on roads. Nothing can be more serious as this. In addition to that the instance of slapping the collector when the Sub-inspectors were asked to produce the tickets. No body listens to these complaints in police. No body helps. Neither the Railway protection force helps them. I want to know about three incidents of Barabanki. In one incident a Harijan was killed by a bullet of a Jamidar. In another incident the daughter of a police was murdered. The third case was that of a dacoity in which a sub-inspector was involved. Appropriate action should be taken in all the matters. I would also like to know whether in order to control the deteriorating situation, he is considering of making some special investigation ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य ने कुछ और तथ्यों का उल्लेख किया है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब तक सदन की मंत्रणा समिति की बैठक सितम्बर में करेंगे तो इस मामले पर स्थानीय अधिकारियों और प्रशासन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की जानी चाहिये। मैं इस विषय पर माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूँ।

Shri Sheo Narain : Police have not given any protection to the poor in Andhra Gonda, Bahraich and Basti. May I know whether he is prepared to make special investigation in the matter.

Shri Y. B. Chavan : I have stated my approach in this regard.

Shri Brij Bhushan Lal : The police excess-s have increased sinc the imposition of President's Rule in Uttar Pradesh. I will give two examples in this connection.

The first instance is that of 29th February, 1968 when a person in the custody of a Sub-inspector and 10 to 12 policemen, ran into the House of a richman. The police arrested that rich man, his brother and his father and they were badly beaten. A month before, a person was so much beaten by the police that he died. No Judicial enquiry was made in this matter. May I know whether the Government is taking any action for preventing these excesses of the police.

अध्यक्ष महोदय : ये सब बातें प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त और राज्यों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में 3-4 घंटे की चर्चा की जायगी और उस समय उन बातों पर चर्चा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : जब यह समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार या जिला प्राधिकारियों ने इस घटना का खंडन या स्पष्टीकरण किया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने उनसे सम्पर्क बनाया था और उन्होंने बताया कि वहाँ अधिकारी गये थे। किसी भी अधिकारी ने इस विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि श्री राम सेवक यादव ने इस बात का उल्लेख जिला मजिस्ट्रेट से मिलते समय किया था अथवा नहीं। वह कहते हैं कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों के महिलाओं के साथ किये गये दुर्व्यवहार का उल्लेख किया था।

Shri Ram Sewak Yadav : I told him that naked women were taken into procession.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ सामान्य और अस्पष्ट आरोप भी लगाये गये थे। लेकिन यह विशेष आरोप श्री राजनारायण ने दूसरे सदन में लगाया था।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : यदि कोई विशेष बात ठीक नहीं होती तो सरकार को उसका खंडन करना चाहिये या उसको स्पष्ट करना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मामले की अभी जाँच की जा रही है। बिना जाँच के उसका खंडन या पुष्टि कैसे की जा सकती है ?

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Minister has just now stated that excesses of Police will be discussed in the committee of Members of Parliament meant for U. P. in which the representatives of U. P. and other States are there. It was also stated that the matter will be discussed by summoning the police officers. I want to know whether some rights have been given to that Committee ? Sometimes the committee took the unanimous decisions on some matters, still those decisions are not implemented. In such circumstances, there is no use of forming such type of Committee.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने समिति के कार्यों और अधिकारों के बारे में जानकारी माँगी है। इस समिति का गठन संसद् द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था। इसका कार्य राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह देना है। वास्तव में यह प्रतिबन्धित कार्य है। परन्तु हम इसका प्रयोग जनता के प्रतिनिधियों के विचार व्यक्त करने और प्रशासन का कार्य संसद सदस्यों के सामने रखने के लिये करते हैं; ताकि विचारों का आदान-प्रदान हो सके और प्रशासन की त्रुटियों को दूर किया जा सके।

Shri M.A. Khan: In fact there is no President's Rule, but there is Police rule in U.P. The Police excesses have come to light. I want to know whether the police officer against whom charges are framed, suspended till the result of the enquiry. It is necessary because they are so forceful that no independent enquiry can be made in their presence. It is impossible that an independent enquiry may be conducted against a Sub-inspector in his presence. May I know whether the Home Minister will take such steps that the persons against whom enquiry is being conducted should be suspended till the result of the enquiry.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जाँच चल रही है और जाँच पूरी होने के बारे में जो अन्तर है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जाँच के मामले में एक अधिकारी को हटाना उचित नहीं होगा। लेकिन जाँच पूरी हो जाने के बाद उन व्यक्तियों को, जो उस मामले से सीधे तौर पर सम्बद्ध होंगे, स्थानान्तरित करना होगा। मैं इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश के प्रश्न पर एक घंटे बाद चर्चा की जानी है। इस विषय पर बहुत से सदस्य बोलने के इच्छुक हैं और प्रश्न तभी पूछे जा सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य सरकार की ऋण-ग्रस्तता

*667. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री एन० पी० राममूर्ति : श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि गत पाँच वर्षों में राज्य सरकारों की ऋण-ग्रस्तता बराबर बढ़ती जा रही है तथा राज्यों को अपने आर्थिक विकास के लिये ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ता है और वे केन्द्रीय सहायता पर बहुत निर्भर करते हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में राज्यों द्वारा लिये गये केन्द्रीय ऋणों की कितनी राशि का प्रयोग ऋणों की अदायगी के लिये किया गया और कितनी राशि का आर्थिक विकास के लिये प्रयोग किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण पन्त) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणों की कुल रकम, जिसमें केन्द्र से मिले ऋणों की रकम भी शामिल है, 1963-64 के अन्त में 4082 करोड़ रुपये से बढ़कर 1967-68 के अन्त में 6666 करोड़ रुपया हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः राज्यों द्वारा अपने-अपने विकास सम्बन्धी खर्च के सम्बन्ध में बढ़ते हुए उन दायित्वों के कारण हुई है, जिनके लिये आमतौर पर बाजार से या केन्द्र से ऋण लेकर और कुछ मामलों में रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक रकम निकाल कर व्यवस्था की जाती है।

(ग) : केन्द्रीय सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिये राज्य सरकारों को ऋण देती है। एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें पिछले दो वर्षों में विकास-कार्यों के लिए

दिये गये ऋणों और रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक निकाली गयी रकमों को वापस करने के लिये दिये गये ऋणों की रकमें दिखाती है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	1996–67	1967–68
केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये ऋण :		
आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के लिये ऋण	548.47	508.47*
रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक निकाली गई रकमें वापस करने के लिये तदर्थ ऋण	108.90	118.43

उर्वरकों की खरीद के लिये कृषकों को ऋण

*668. **श्री झा० सुन्दर लाल :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा :
श्री भारत सिंह चौहान ।
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री दे० वि० सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का रक्षित बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उस धन पर, जो उन्हें किसानों को उर्वरक खरीदने के लिये ऋण देने के हेतु दिया जाता है, कितना व्याज लेता है; और

(ख) वह बैंक उर्वरक खरीदने के लिये किसानों को ऋण देने के हेतु राज्यों की सहकारी समितियों को दिये जाने वाले धन पर कितना व्याज लेता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) कृषि-सम्बन्धी उन मौसमी कार्यों के वित्त-प्रबन्ध के लिए , जिसमें किसानों द्वारा रासायनिक खाद की खरीद भी शामिल है, रिजर्व बैंक के सहकारी बैंकों को बैंक दर (जो इस समय 5 प्रतिशत है) से 2 प्रतिशत कम पर ऋण और अग्रिम देता है। रासायनिक खाद खरीदने के लिए किसानों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में यदि कोई हो, रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कोई विशेष सुविधायें नहीं देता। इन बैंकों को इस प्रकार की वित्त-व्यवस्था अपने साधनों से या रिजर्व बैंक से मिलने वाले उन सामान्य ऋणों से करनी पड़ेगी, जिन पर बैंक-दर से कम व्याज नहीं लिया जायगा।

Staff of Security Paper Mill, Hoshangabad

*669. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of employees in the Security Paper Mill, Hoshangabad and the number of permanent and temporary employees out of them ;

(b) the number of employees who are foreign nationals, the number of Gazetted Officers out of them and the total monthly salary being paid to them ;

*संशोधित अनुमान

(c) whether it is a fact that the foreign employees are given more facilities in comparison to the Indian employees ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) The total number of employees in the Security Paper Mill, Hoshangabad as on 30th June ,1968, was 1018. They are all holding temporary posts in the Mill. The question of conversion of temporary posts in the Mill to permanancy is, however, under consideration.

(b) There are five foreign nationals working in the Mill. One of them is a Colombo Plan expert, whose salary is met by the U. K. Government. The other four are technical personnel of the foreign collaborators whose services have been made available under the collaboration agreement. In terms of this agreement, Government reimburse to the collaborators the salaries paid by them to those technical personnel. This amount is approximately Rs. 21,000 per month.

(c) and (d) The facilities afforded to the Colombo Plan expert are the same as those given to other experts deputed to India under that Plan. The facilities provided to the technical personnel of the collaborators are in accordance with the terms of the agreement with the foreign collaborators. These are strictly not comparable with the conditions in respect of the employees of the Mill, who get the same facilities as admissible to other Central Government servants similarly placed.

होशंगाबाद स्थित सेक्योरिटी पेपर मिल के कर्मचारी-वृन्द

*669. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद स्थित सेक्योरिटी पेपर मिल के कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है और उनमें से कितने स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी;

(ख) उनमें से कितने विदेशी राष्ट्रजन हैं और उनमें से कितने राजपत्रित अधिकारी हैं और उन्हें प्रतिमास वेतन के रूप में कुल कितनी राशि दी जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि इन विदेशी कर्मचारियों को भारतीय कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) : होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में, 30 जून, 1968 को, कर्मचारियों की कुल संख्या 1018 थी। ये सभी कर्मचारी मिल के अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं। किन्तु अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) : मिल में पाँच विदेशी राष्ट्रजन काम करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा है और उसको ब्रिटेन की सरकार से वेतन मिलता है। अन्य चार व्यक्ति विदेशी सहयोगी कम्पनियों के तकनीकी कर्मचारी हैं और उनकी सेवाएँ सहयोग-करार के अन्तर्गत प्राप्त की गयी हैं। इस करार की शर्तों के अनुसार सहयोगी कम्पनियों द्वारा इन तकनीकी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन की रकम सरकार उन सहयोगी कम्पनियों को वापस कर देती है। यह रकम प्रतिमास लगभग 21,000 रुपया बैठती है।

(ग) और (घ) : कोलम्बो, आयोजना के अन्तर्गत भारत में आने वाले अन्य विशेषज्ञों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वही सुविधाएँ उक्त आयोजना के अन्तर्गत मिल में काम करने वाले विशेषज्ञ को दी जाती है। विदेशी सहयोगी कम्पनियों के टकनीकी कर्मचारियों को उन कम्पनियों के साथ किये गये करार की शर्तों के अनुसार सुविधाएँ दी गई हैं। इन सुविधाओं की ठीक-ठीक तुलना, मिल के अन्य कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं से नहीं की जा सकती जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अन्य वैसे ही कर्मचारियों के समान सुविधाएँ दी जाती हैं।

पूर्वी कोसी नहर

*670. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कनाडा सरकार ने उस क्षेत्र का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युतमंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : कृषि सम्बन्धी कनाडा के एक दल ने गत नवम्बर में कोसी क्षेत्र का दौरा किया था परन्तु कोसी परियोजना के लिये कनाडा से वित्तीय सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर भारत की अपराध-वृत्ति वाली भूतपूर्व आदिम जातियों का विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व

*671. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री न० रं० लास्कर :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की अपराध-वृत्ति वाली भूतपूर्व आदिम जातियों ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित किया जाय, और संसद, विधान सभाओं, स्थानीय निकायों, अर्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले कुल स्थानों का चौथा भाग उनके लिये नियत किया जाय;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उनकी अन्य माँगें क्या हैं; और

(घ) क्या वे इस मामले के सम्बन्ध में आन्दोलन कर रहे हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि संसद, राज्य विधान मंडलों, स्थानीय निकायों तथा अन्य अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी निकायों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए स्थानों के एक चौथाई स्थान अनुसूचित आदिम जातियों के लिए नियत किये जाएं या, अन्यथा, उन्हें भी अनुसूचित आदिम जातियाँ घोषित किया जाए।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए स्थानों का कोई प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अलग रखना कानून न सम्भव नहीं है । जहाँ तक अनुसूचित आदिम जातियों को अनुसूचित आदिम जातियाँ उल्लिखित करने का सम्बन्ध है, संसद की अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 196', सम्बन्धी संयुक्त समिति इस विषय पर इस समय विचार कर रही है।

(ग) अन्य माँगें अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यक्रमों के लिये वित्तीय विनिधान बढ़ाने भूमि का नियतन करने, राज्य सभा में नामित करने, शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने, भ्रष्टाचार तथा हरिजनों और अन्य लोगों के साथ अन्याय के मामलों की जाँच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करने, से सम्बन्धित हैं।

(घ) इस समय नहीं।

मैसर्स यू० पी० सी० सी० (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ सड़क कूटने वाले इंजनों का सौदा

*672. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा मैसर्स यूनाइटेड प्रोविन्सेज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के बीच सड़क कूटने के इंजनों के सम्बन्ध में हुए करार को केन्द्रीय जाँच विभाग को कब सौंपा गया था,

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच विभाग ने कितने मामले दर्ज किये हैं तथा उनमें से कितने मामले यूनाइटेड प्रोविन्सेज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के विरुद्ध हैं तथा कितने मामले सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध हैं,

(ग) कितने मामलों के सम्बन्ध में जाँच-कार्य पूरा हो चुका है,

(घ) कितने मामलों में न्यायालयों में मुकदमे चलाये गये हैं, और

(ङ.) क्या किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह मामला 25.11-1966 को केन्द्रीय जाँच विभाग को सौंपा गया था।

(ख) केन्द्रीय जाँच विभाग ने मैसर्स यू० पी० सी० सी० प्राइवेट लिमिटेड और अन्य जिनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, के विरुद्ध एक मामला रजिस्टर्ड किया है।

(ग) उक्त (ख) में उल्लिखित मामले की जाँच पूरी की जा चुकी है।

(घ) जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है, एक रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दी गई है, ताकि वह मामला किसी विशेष न्यायालय को दिया जा सके। उस मामले के किसी न्यायालय में लगते ही आरोप-पत्र दायर कर दिया जायगा।

(ङ.) जी, हाँ। तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और जमानत पर छोड़ दिये गये थे।

एन्टी बायोटिक्स परियोजना, ऋषिकेश

*673. **श्री कृ० मा० कौशिक :** **श्री महेन्द्र माझी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश में एन्टी बायोटिक्स परियोजना के डा० के० एल० अरोड़ा ने 23 जून 1968 के एक पत्र में मंत्रालय से पेशकश की है कि वह ऐसे कई मामले केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा जाँच के लिये प्रस्तुत कर सकते हैं जिनसे परियोजना को अत्यधिक हानि हुई है;

(ख) क्या उनके अनुरोध पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो कब जाँच की जायेगी; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसकी इस पेशकश को ठुकराने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

Prohibition Policy in U. P.

*674. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the prohibition policy in U. P. has been liberalised after the imposition of the President's Rule there ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government have received any memorandum against it ; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister for Social Welfare (Shri P. Govinda Menon): (a) to (d) : Prohibition policy in Uttar Pradesh has not been liberalised after the imposition of President's Rule.

A memorandum suggesting certain measures for improvement of prohibition policy has been received from the All India Prohibition Council and forwarded to the State Government for their consideration.

Demand of Kerosene Oil in U.P.

*677. **Shri J. B. Singh :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4083 on the 29th June, 1967 and state :

(a) the per capita supply of kerosene oil to Uttar Pradesh during 1966-67 ;

(b) whether it is a fact that the demand of the people of Uttar Pradesh for kerosene oil is much more than the average sale of 17, 277 metric tonnes ; and

(c) if so, whether adequate quota of kerosene oil was allotted to Uttar Pradesh during the year 1967-68 keeping in view the actual demand of the State ?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals : (Shri Raghu Ramaiah) : (a) The **Per capita** supply of kerosene oil in Uttar Pradesh during 1966-67 was approximately 2.5 Kgs.

(b) and (c) : During the periods of free availability of kerosene, it has been seen that the consumption in a State does not have any necessary co-relation with the population. Even so, in determining the kerosene allocation for Uttar Pradesh, as for the other States, consideration to the extent of 25 per cent was given to the population of the State, and to extent of 75 per cent to the past consumption trends. It was also ensured that the actual allocation to any State was not less than the actual consumption during periods of free availability. Effective from the 1st March, 1968, the monthly kerosene allocation for Uttar Pradesh has been further increased by 5 per cent from 21,300 tonnes to 22,370 tonnes.

भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों का पूर्वी पाकिस्तान में पद्मा नदी का दौरा

*678. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्री अम्बुचेंजियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उससे अनुरोध किया गया है कि पारस्परिक आधार पर भारतीय इन्जीनियरों और तकनीशियनों को पूर्वी पाकिस्तान में पद्मा नदी की परियोजना का दौरा करने की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है और यदि हाँ तो इस प्रयोजन के लिए कौन-सी तिथि नियत की गई है;

(ग) इस दौरे में कौन-सी परियोजना का निरीक्षण किया जायेगा; और

(घ) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने इस प्रकार के दौरे को सिद्धान्त रूप से मान लिया है। अभी तक कोई पक्की तारीख निर्धारित नहीं की गई है परन्तु भारत सरकार ने यह सुझाव दिया है कि अक्तूबर, 1968 के अन्त में यह दौरा होना चाहिए।

(ग) भारत सरकार ने माँग की है कि इस दौरे का प्रबन्ध पूर्वी पाकिस्तान में गंगा-कोवाडक परियोजना स्थलों तथा पद्मा नदी के पानी से सिंचित होने वाले विभिन्न प्रस्तावित यूनिटों को देखने के लिये किया जाये।

(घ) भारतीय दल के पाँच अथवा छः सदस्य होंगे और सिंचाई व बिजली मन्त्रालय के गंगा बेसिन आयुक्त को इसका नेता बनाने का विचार है।

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cholera and heat-stroke have claimed many lives in Delhi and other parts of the country during this summer season ;

(b) if so, the number thereof ; and

(c) the precautionary measures adopted by Government in view of the last year's incidents ?

The Minister for Health, Family Planning and Urban Development : (Shri Satya Narayan Sinha) :

(a) and (b) : Cases and deaths notified due to cholera during the period from April to July, 1968 are as follows :—

	Cases	Deaths
Delhi	191	10
Country as a whole	6184	730

Heat-stroke is not a notifiable disease and mortality figures are, therefore, not available.

(c) Precautionary measures against the out-break of cholera are taken by the State and local health authorities in anticipation of the cholera season and are intensified with the advent of season. These include :

(i) Anti-cholera inoculation campaign in vulnerable areas and groups of population;

(ii) disinfection of wells and tanks used for drinking water;

(iii) hygienic control over the preparation and sale of food and drink articles;

(iv) improvement of sanitation and anti-fly measures;

(v) stock-piling of disinfectants, drugs and equipment needed for treatment and control of cholera;

(vi) health education of the public; and

(vii) close watch over the occurrence of cases so as to undertake immediate measures to prevent the spread of the disease. Isolation and treatment of cases, disinfection of water and houses and other remedial measures are taken in each case.

Sale of Gold by Government

*680. **Shri Shri Gopal Saboo :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri T. P. Shah : **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the quantity of gold sold by Government to the pharmacists, vaids, doctors, bangle manufacturers and others during the last year and the rate at which it was sold;

(b) the rate at which Government purchased the gold; and

(c) the reasons as to why Government charged more from them than the fixed price ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) :

(a) Government neither purchases nor sells gold to the pharmacists, vaids, doctors, bangle manufacturers and other industrial users. For approved industrial users such as manufacturers of Ayurvedic medicines, Jari, liquid gold (which is used for decorating glass bangles and potteries), fountainpen nibs, etc., quarterly permits are issued by the Gold

Control Administration for acquisition of gold out of the production of the Hutti Gold Mines Co. The Hutti gold is refined and slabbed at the Government of India Mint, Bombay and is sold through the State Bank of India branches against the permits issued. The price of Hutti gold is fixed for each quarter of the year generally on the basis of average Friday quotations ruling in the Bombay Market during the preceding quarter, with the approval of the Government. A statement showing the quantity of gold for which permits were issued and the rate at which Hutti gold was sold during the last year, i.e. 1967 is laid on the Table of the House.

(b) **and** (c) Do not arise.

I. Statement showing the Quantity of Hutti Gold permitted to be released to approved Industrial Users during the year 1967

Category	Quantity in grams
1. Ayurvedic, Unani and Sidha medicines (Pharmacies and Practitioners)...	1,00,100
2. Dentists	3,270
3. Jari	4,22,160
4. Liquid gold	4,44,740
5. Fountain pen nibs	44,080
6. Gilded glass beads	15,290
7. Electroplating	7,010
8. Gold salts	45,260
9. Miscellaneous	2,950
Total	10,84,860

II. Statement showing the Quarterwise Price of Hutti Gold during the year 1967

Quarter	Price Rs.
January, March, 1967	141 per 10 gms. plus sales tax.
April-June, 1967	149 Ditto.
July-September, 1967	159 Ditto.
October-December, 1967	158 Ditto.

Foreign experts for family Planning Programme

*681. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the number of foreign experts who came to India in connection with the Family Planning Programme since its inception to assist Government and the countries to which they belonged and the dates on which they visited India ?

Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development : (Dr. S. Chandraskekhar) :

The required information is being compiled and will be laid on the table of the Sabha.

Misappropriation of funds of Patna Development Trust, Bihar

*682. **Shri Ramavtar Shastri :**

Will the Minister of **Health,Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an amount of more than Rs.1 crore has been misappropriated out of the amount provided to Patna Development Trust by the Government of India and by Bihar Government for the development of Patna and clearance of slums and laying of underground sewers there ;

(b) whether this fact has been mentioned in the Audit Report as well ;

(c) if so, the names of the persons responsible therefor ;

(d) the action proposed to be taken against them ; and

(e) the steps Government propose to take to check such misappropriation in future ?

The Minister for Healths, Family Planning and Urban Development : (Shri Satya Narayan Sinha) :

(a) to (c) No assistance has been given by the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development to the Patna Improvement Trust. The Government of Bihar have informed that no misappropriation to the tune of Rs.1 crore has taken place in the Patna Improvement Trust. The State Government has so far received Audit Reports only upto 1963-64. These Audit Reports do not mention any major acts of mis-appropriation, but there are stray cases of other irregularities. Enquiries are being made into these irregularities and action to be taken against the officers responsible can be ascertained only after the enquiries are completed.

2. Whenever a case of misappropriation comes to the notice of the State Government, immediate action is taken against the offenders. A criminal case has been instituted against an Executive Engineer of the Improvement Trust and a local firm for alleged misappropriation of Rs.13,900 in connection with electrification programme in certain areas of Patna in November, 1967. The case is still under investigation. The State Government are contemplating to appoint a high power Commission to enquire into the affairs of the Patna Improvement Trust. The Commission will also be required to recommend safe-guards against misappropriation.

आयकर अधिकारियों द्वारा गलत कर निर्धारण

*683. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः वित्तीय वर्षों में आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 33-ख और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अन्तर्गत आयकर आयुक्तों ने आयकर अधिकारियों के आदेशों में संशोधन करने के लिये कितने आदेश दिये क्योंकि उक्त आदेश राजस्व के हित के प्रतिकूल होने के कारण दोषपूर्ण पाये गये थे; और

(ख) क्या उन आयकर अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिनके आदेशों में आयुक्तों को संशोधन करना पड़ा था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 4,484

(ख) बहुत सारे मामलों में, गलतियाँ स्वाभाविक होती हैं और निरीक्षण, आन्तरिक लेखा-परीक्षा अथवा राजस्व लेखा-परीक्षा के कारण उनका पता चलता है । कभी-कभी आयकर अधिकारियों के बाद में ध्यान आने वाली सूचना के कारण वे खुद कर के निम्न-निर्धारण की ओर ध्यान दिलाते हैं। कुछ अन्य मामलों में, मूल कर-निर्धारण आदेशों के दिये जाने के बाद,

सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसलों के कारण कार्यवाही की जाती है। इन सभी मामलों में, मूल कर-निर्धारण स्वाभाविक होता है, इसलिये आय-कर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। लेकिन, जिन मामलों में आयकर अधिकारियों की असावधानी पायी गई है, अथवा उनके बारे में बदनीयती का सन्देह होता है वहाँ चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमों के अधीन अनुशासन की उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

एसोशिएटिड जर्नल्स लिमिटेड

*684. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसोशिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (नई दिल्ली) ने हाल में कई लाख रुपये के मूल्य के ऋण पत्र जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके मंत्रालय ने इस कम्पनी को ऋणपत्र जारी करने की अनुमति किस आधार पर दी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग) : सरकार ने, हाल में, कम्पनी को ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी है। पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम, 1947 के अधीन, 25 लाख रुपये या इससे कम मूल्य के ऋण-पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है कि क्या कम्पनी ने 25 लाख रुपये या इससे कम मूल्य के ऋण-पत्र जारी किये हैं। यह सूचना सभा की मेज पर रख दी जायगी।

नरेला (दिल्ली) की तेल मिलों द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान

*685. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नरेला, दिल्ली में विभिन्न तेल मिलों के कच्चे माल के स्टॉक और उनके द्वारा उत्पादित माल की उचित जाँच-पड़ताल नहीं करती;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मिलें लाखों रुपये का माल बिना उत्पादन शुल्क दिये बेच रही हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई जाँच करने और उचित कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता से सूचना मिली है कि दिल्ली के नरेला कस्बे में तेल की मिलें वनस्पति का असारीय तेल बनाती हैं जो कच्चा होता है और जिसे केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधि-

नियम, 1944 के अधीन लगने वाले उत्पादन-शुल्क की अदायगी से छूट मिली हुई है। वर्तमान में इन तेल मिलों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों से लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग इन मिलों द्वारा निर्मित तेल पर अथवा इनके द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता है।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

Import of Petroleum Products

*686. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the value, quantity and kind of petroleum products imported during last year and the names of the countries from which imported ;

(b) whether Government have a scheme whereby the total value of crude oil and petroleum products imported should be equal to that of such products exported; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah)

(a) A statement is laid on the table of the Sabha.

(b) No, sir ; this is not practicable, either.

(c) Does not arise.

Statements

(a) The required information for the year 1967 is as follows :

	'000' tonnes	Rs./ crores	Countries from which imported
Crude Oil ...	8703.8	79.59	Iran, Kuwait and Saudi Arabia.
Light Distilates	60.1	2.56	Iran, Venezuela.
Kerosenes ...	484.4	9.99	USSR and Italy, Saudi Arabia.
Heavy ends	28.2	0.30	Saudi Arabia.
Lubricants	379.0	26.16	U.S.A., U. K., Netherlands, Yogoslavia and Thailand.
	9655.5	118.60	

पैट्रो-रसायन उद्योगों के उत्पादों का उपयोग

*687. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न पैट्रो-रसायन उद्योग समूहों के उत्पादों तथा उप-उत्पादों का उपयोग सम्बद्ध तथा सहायक उद्योगों द्वारा पूरी तरह से नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे उत्पादों तथा उप-उत्पादों का बहुत सी ऐसी वस्तुयें बनाने के लिये, जिनका इस समय देश में आयात किया जाता है, कच्चे

माल के रूप में पूरी तरह इस्तेमाल किया जाय, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार इस बारे में गैर-सरकारी उपक्रमों तथा विदेशी पूंजी नियोजकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क)और(ख) : क्योंकि प्रथम पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के मुख्य प्लांट अभी हाल ही में चालू किये गये हैं और विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में अभी स्थिरता लाई जा रही है, अनुपयोग का इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, सिन्थिटिक फाइबर यूनिट, प्लास्टिक फेबरिकेशन यूनिट, सोलवेन्ट यूनिट, पेस्टीसाइडल फोरमेशन यूनिट और दूसरे गौण उद्योगों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये अग्रिम कार्यवाही की गई है ।

(ग) जी हाँ। विदेशी सहयोग की सरकारी नीति की संगत तथा आवश्यक हद तक।

ग्रुप चार की सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि के आवंटन से सम्बन्धित रोक आदेश

*688. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री द० रा० परमार :**

श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री ने एक रोक आदेश जारी किया है, जिसमें शाहदरा क्षेत्र के लिए ग्रुप चार की सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिए रखी गई नियत भूमि के आवंटन के बारे में भूमि अर्जन कार्यवाही को रोका गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए लोगों की अपेक्षा कानून का पालन करने वाली इन सहकारी समितियों के हितों पर इस रोक आदेश का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :

(क) से (ग) : दिल्ली में भूमि अर्जन की नीति में कुछ कथित कमियाँ होने के बारे में दिल्ली देहात कल्याण समिति से एक प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर गृह-मंत्री ने अनौपचारिक रूप से ये अनुदेश दिये थे कि इस समिति के प्रत्यावेदनों पर विचार करने तक भूमि का और आगे अर्जन रोक दिया जाए। इन प्रत्यावेदनों की जाँच की गई और निर्णय करने में लगभग तीन महीने लगे। भूमि अर्जन कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि इससे सहकारी समितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगायी गयी पूंजी से आय

*689. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कम से कम 10 प्रतिशत आय होने की आशा की गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में कितनी आय प्राप्त हुई है और वह लगाई गई पूंजी का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले सात वर्षों में इससे लगभग 20 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) चौथी पंचवर्षीय आयोजना की रूपरेखा के मसौदे से सूचित होता था कि लागत में कमी करने के लिये सम्मिलित सरकारी उद्यम प्रयत्न करके ही लगी हुई पूंजी से कम से कम 11 से 12 प्रतिशत तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यह एक स्थूल संकेत है, तो भी यह नियम बनाना स्पष्टतः व्यवहार्य नहीं है कि निर्धारित न्यूनतम लाभ का निश्चय हुए बिना कोई प्रयोजना हाथ में नहीं ली जानी चाहिये, क्योंकि इस सम्बन्ध में अन्य बातों जैसे विदेशी मुद्रा की बचत, अर्थव्यवस्था की बुनियादी की कमी की पूर्ति आदि का भी विचार करना पड़ता है।

(ख) और (ग) : सब उद्यमों ने अपने 1967-68 के खाते अभी बंद नहीं किये हैं और इस प्रकार उस वर्ष के लाभ हानि के सम्बन्ध में पूरी स्थिति का अभी पता नहीं है।

सरकारी उद्यमों द्वारा, 31 मार्च 1967 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में कार्यचालन व्यय और मूल्यह्रास को निकालने के बाद प्राप्त लाभ उत्पादन में लगायी गयी तदनुरूप पूंजी और लगी पूंजी से प्राप्त प्रतिशत लाभ के आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लगायी गयी पूंजी	लाभ	लगायी गयी पूंजी पर लाभ
1	2	3	4
	(रुपये)	(रुपये)	
1962–63	1018.1	20.0	2.0 प्रतिशत
1963–64	1130.1	42.1	3.7 ,,
1964–65	1265.5	46.3	3.7 ,,
1965–66	1613.5	55.9	3.4 ,,
1966–67	2056.9	57.8	2.8 ,,

1960-61 और 1961-62 के तदनुरूप लाभ को हिसाब में लेने पर 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए सात वर्षों का कुल लाभ 250 करोड़ रुपया बैठता है।

इन आँकड़ों में निर्माणाधीन उपक्रमों के (जिनके लाभ हानि का प्रश्न स्पष्टतः पैदा नहीं होता) और जीवन बीमा निगम के (जिसके कार्य, लाभ निश्चित करने की प्रणाली आदि भिन्न हैं) आँकड़े शामिल नहीं हैं।

(घ) सरकारी उद्यमों की लाभकारिता को बढ़ाने की दृष्टि से उनके कार्य की बराबर समीक्षा की जाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने उनके कार्य में सुधार करने के लिये कई सिफारिशें भी की हैं, और सरकार ने इनमें से कुछ सिफारिशों के बारे में निर्णय कर लिए हैं और अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

आयकर भुगतान के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

*690 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6, रौडन स्ट्रीट, कलकत्ता के भूतपूर्व निवासी जो कि इंडियन फुटबाल एसोसिएशन कलकत्ता के कोषाध्यक्ष थे और जो उत्तर बंगाल के नवाब की उपाधि वाले एक परिवार के सम्बन्धी थे, को जारी किये गये आयकर भुगतान के प्रमाण-पत्र की संख्या और तिथि क्या है तथा वह उनके पाकिस्तान जाने के पूर्व किस दिन जारी किया गया था;

(ख) क्या उन्होंने इससे पूर्व न्यू अलीपुर में अपनी सम्पत्ति बेच दी थी;

(ग) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने इस बिक्री की राशि और उक्त व्यक्ति के अन्य धन को बाहर भेजने की अनुमति दे दी थी;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धन देश से बाहर कैसे ले जाया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

टाटा बन्धुओं का तरल अमोनिया आयात करने की अनुमति न देना

*426 **श्री क० लकप्पा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा बन्धुओं को तरल अमोनिया आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसर्स 'धर्म मोरारजी' की उनके प्रस्तावित उर्वरक कारखाने के लिये पिछले सात वर्ष तक तरल अमोनिया आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) मिथापुर में उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिये टाटा बन्धुओं का प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

(ख) शेवा नाहेवा में आयातित अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये मैसर्स धर्मसे मुरारजी केमिकल कम्पनी लि० का प्रस्ताव केवल सिद्धांत रूप में माना गया है। वे शर्तों, जिन पर अमोनिया आयात करने की अनुमति दी जा सकती है, अभी तक

विचाराधीन हैं और अभी तक फर्म को इंडस्ट्रीज (डिवैल्पमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट के आधीन कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप-समिति

5527. **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **वित्त** मन्त्री 18 दिसम्बर, 1967 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 4777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बारे में अध्ययन करने के लिये योजना आयोग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : योजना आयोग ने उप-समिति नियुक्त करना इसलिये जरूरी नहीं समझा कि राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाये जाने की सम्भावना का प्रश्न पांचवें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा, योजना आयोग ने राज्य सरकारों को ग्राम-क्षेत्र के साधनों सहित अतिरिक्त साधन जुटाने की सम्भावनाओं की जाँच करने का सुझाव दिया है।

(ख) : यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी गृह-निर्माण समितियां

5528. **श्री द० ब० राजू :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की गृह-निर्माण सहकारी समितियों के लिये 1967-68 में कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में गृह-निर्माण सहकारी समितियों की जिलावार संख्या कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) : राज्य सरकारों को गृह-निर्माण सहकारी समितियों के लिए कोई पृथक से निधियाँ नहीं दी जाती। तथापि इस मंत्रालय की दो सामाजिक आवास योजनाओं (जैसे : (i) औद्योगिक कर्मचारियों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिये सहायता प्राप्त एकीकृत आवास योजना और (ii) उद्यान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना) के अन्तर्गत, राज्य सरकारें, पात्र कर्मचारियों की गृह-निर्माण सहकारी समितियों को (इन योजनाओं के अधीन प्राप्य ऋण के अतिरिक्त) स्वीकृत निर्माण कीमत का 25 प्रतिशत एक दम अनुदान रूप में दे सकती हैं।

(ख) : सूचना राज्य सरकारों से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा

5529. **श्री बाबूराव पटेल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 से अब तक किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों ने, किस-किस तारीख को, किन-किन देशों का दौरा किया तथा प्रत्येक विदेशी दौरे पर प्रत्येक अवसर पर विमान किराया मिलाकर अन्य यात्रा-व्यय सहित कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ख) इनमें से किसी भी दौरे में साथ जाने वाले सम्बन्धियों तथा गैर-सरकारी अतिथियों के नाम क्या थे तथा उनके साथ जाने के क्या कारण थे और प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

संसद-सदस्यों को विदेशी मुद्रा की अनुमति

5530. **श्री बाबूराव पटेल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक संसद सदस्य को इसकी वर्तमान अवधि के दौरान विदेशी दौरों के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है;

(ख) क्या अपनी मंजूर की गई विदेशी मुद्रा में से एक संसद सदस्य अपने विदेशों के दौरे में अपनी पत्नी या अन्य सम्बन्धियों को ले जा सकता है;

(ग) वर्तमान अवधि में अब तक जिन सदस्यों को विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गई है, उनके नाम क्या हैं, प्रत्येक मामले में कितनी राशि स्वीकार की गई है और प्रत्येक ने किन-किन देशों का दौरा किया था;

(घ) क्या संसद सदस्यों के साथ उनके सम्बन्धी भी गये थे और यदि हाँ, तो उनके नाम और उनके साथ जाने वाले व्यक्तियों का सदस्यों से क्या सम्बन्ध था;

(ङ) क्या सदस्य को वापिसी पर रिजर्व बैंक को व्यय का पूरा लेखा मय वौचरों के प्रस्तुत करना होता है; और

(च) वित्त मंत्रालय द्वारा अवसर प्रयोग किये जाने वाले वाक्य "स्वीकार्य आतिथ्य" की वास्तविक परिभाषा क्या है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (घ): किसी संसद सदस्य को विदेशों में अध्ययन दौरे करने के लिए एक बार अधिक से अधिक 6,000 रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा दी जा सकती है। यह मुद्रा उनके परिवारों तथा सम्बन्धियों के लिये नहीं होती है।

(ग) : सरकार द्वारा जारी की गई मंजूरियों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 889/68)

(ङ) : जी नहीं।

(च) : 'पी' फार्म नियंत्रण के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित सम्बन्धियों से नियंत्रण स्वीकार्य होते हैं :

पिता/माता/भाई/बहन/चाचा/चाची/भतीजा/भतीजी/इन-लॉज

विदेशी सरकारों अथवा वाणिज्य मंडलों, कार्मिक संघों, साँस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक निकाय जैसी संस्थाओं से प्राप्त निमंत्रण भी स्वीकार्य होते हैं।

Losses suffered by Scheduled castes/scheduled Tribes from Floods in Rajasthan

*5531. **Shri Meetha Lal Meena :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes suffered the maximum loss in the damage caused to houses and crops during the recent floods in Sawai Madhopur in Rajasthan ;

(b) whether special arrangements are being made by Government for constructing houses and allotting lands to those people ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare and in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Muthyal Rao) : (a) : Of the 11252 total affected families, 2240 families belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes suffered damage to houses during the recent floods in Sawai Madhopur District. No damage to crops has, however, been reported.

(b) and (c) : Free rations as also donations of cloth were distributed by the State Government to the sufferers for a week. The State Government also provided cash relief to sufferers whose houses collapsed or were partially damaged. Proposals for the grant of loans to sufferers for the construction of houses are also under the consideration of the State Government. It has also been decided by the State Government to allot lands free of cost to the sufferers whose houses were submerged.

त्रिपुरा में बैंक

5532. **श्री कीरित बिक्रम देव बर्मन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सहकारी अथवा अन्य बैंक नहीं हैं और न ही किसी बैंक की वहाँ कोई शाखा ही है;

(ख) यदि हाँ, तो त्रिपुरा के दूरस्थ ग्रामीण तथा आदिम जातीय क्षेत्रों में सहकारी अथवा अन्य प्रकार के बैंक स्थापित करने का क्या कार्य-क्रम है; और

(ग) उस संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने के लिये केन्द्र द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय अथवा अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक का मुख्य कार्यालय अगरतला में है और उसकी पाँच शाखाएं बैलोनिया, बैलासहर,

तैलियापुरा, धर्मनगर और उदयपुर में हैं। इसके अलावा, त्रिपुरा में तीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पाँच कार्यालय हैं जिनमें से एक कार्यालय उदयपुर में है जो ग्राम-क्षेत्र में स्थित है।

(ख) : यदि ग्राम-क्षेत्रों में बैंक कार्यालय खोलने की गुंजाइश होती है, तो वाणिज्यिक बैंक वहाँ कार्यालय खोलते हैं। जो ग्राम-क्षेत्र बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें ये सुविधायें देने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर जोर देता है कि वाणिज्यिक बैंक बैंकों वाले स्थान में जितने कार्यालय खोलें उतने ही कार्यालय ऐसे स्थान में भी खोलें जहाँ कोई बैंक न हो। ऐसे अधिकतर स्थान, जिनमें बैंक नहीं हैं, ग्राम-क्षेत्रों में हैं। हाल ही में एक अनुसूचित बैंक को त्रिपुरा के एक ग्राम-केन्द्र में एक कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी है।

(ग) : केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं देती।

गुजरात को पीने के पानी के सम्भरण की योजना

5533. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में अगले वर्ष पेय जल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना केन्द्र की स्वीकृति के लिये भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी जायेगी तथा गुजरात सरकार कितनी राशि व्यय करेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : जिस तरह की योजना का उल्लेख प्रश्न में किया गया है वैसी कोई विशेष योजना गुजरात सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। वैसे, 1378.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 40 नगर जलपूर्ति एवं सफाई योजनाएं तथा 180.34 लाख रु० की अनुमानित लागत की 137 ग्राम जलपूर्ति योजनाएं तीन पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार ने मंजूर की थी। मार्च, 1966 में तीसरी योजना की समाप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1966 से अब तक क्रमश: 148.40 लाख रु० तथा 243.10 लाख रु० के अनुमानित लागत की 18 नगर तथा 17 ग्राम जल पूर्ति योजनायें मंजूर कीं।

(ग) : राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित पैटर्न पर दी जाती है :--

नगर जलपूर्ति योजनाएं	---	सौ प्रतिशत ऋण के रूप में
ग्राम जल पूर्ति योजनायें जिसमें 20,000 तक की आबादी वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं	--	50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में।

गुजरात में आयकर की वसूली

5534. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में गुजरात से कुल कितनी धनराशि आयकर के रूप में वसूल की गई;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह कितनी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : वित्तीय वर्ष 1967-68 में गुजरात कार्यक्षेत्र में कुल 40.34 करोड़ रुपये आयकर वसूल हुआ, जबकि उसके पूर्ववर्ती वर्ष में 36.31 करोड़ रुपये वसूल हुआ था।

गुजरात में आदिम जातियों का विकास

5535 **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में आदिम जातीय विकास खण्डों के लिये अतिरिक्त धन के हेतु गुजरात सरकार ने कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में किया गया निर्णय गुजरात सरकार को इस बीच सूचित कर दिया गया है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० मुथ्यालराव) : (क) से (ग) : राज्य सरकार ने आदिम जातीय विकास खण्डों के वास्ते चालू वर्ष के लिए 96.00 लाख रुपये की अपनी आवश्यकता सूचित की थी, पर बजट सम्बन्धी स्थिति कसी हुई होने के कारण भारत सरकार चालू वर्ष में इस योजना के लिये केवल 66.70 लाख रुपया नियत कर सकी। यह स्थिति गुजरात सरकार को बता दी गई है।

गुजरात में सहायता कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता

5536. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में सहायता कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र को इस पर होने वाली राशि का 75 प्रतिशत देना होता है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष गुजरात को सहायता कार्य के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी थी;

(ग) सरकार ने वास्तव में कितनी सहायता दी; और

(घ) पूरी राशि न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : सहायता देने की जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा है उसके अनुसार केन्द्र सहायता-सम्बन्धी उस स्वीकृत खर्च के 75 प्रतिशत भाग तक सहायता देता है जो वित्त आयोग द्वारा अपनी साधन-अन्तरण की योजना में इसके लिये सम्मिलित की गयी रकमों से अधिक हो।

(ख) और (ग) : 1967–68 में, गुजरात में सूखा-सम्बन्धी विभिन्न सहायता-कार्यों के लिए भारत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा 3.64 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी थी। इतने खर्च के आधार पर राज्य सरकार को 2.13 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मिल सकती थी। लेकिन राज्य सरकार ने वास्तव में कुल मिलाकर लगभग 6.25 करोड़ रुपया खर्च किया। चूंकि राज्य सरकार इस व्यय को अपने साधनों में से पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए भारत सरकार ने 2.13 करोड़ रुपये की उस सामान्य रकम के अलावा, जिसे राज्य सरकार को पाने का हक था, 2.87 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण सहायता दे दी।

(घ) : यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जेली पर आधारित औषधि-उत्पादों की कीमतें

5537. **श्री कृ० गु० देशमुख :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेली पर आधारित औषधीय उत्पादों की कीमतें देशी जेली पर आधारित होती है क्योंकि जेली के आयात पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो जेली पर आधारित औषधीय उत्पादों की कीमत का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा खरीदे गये औषधीय उत्पादों में जेली की गुणकारिता में कुछ कमियाँ हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) : जेली पर आधारित औषधीय उत्पादों की कीमतें निर्माता, आयातकर्ता अथवा वितरकों द्वारा विहित फार्म में प्रतिवेदित जेली की कीमत तथा दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं;

(ख) : जेली पर अनेक औषधीय उत्पाद आधारित हैं तथा सामान्य रूप से उनकी कीमत का मदवार ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

(ग) तथा (घ) : यह बताया गया है कि मिश्रण तैयार करने के लिये देशी जेली उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें उसे शीघ्र ही कार्बन में परिणत कर देने का तत्व होता है जो सन्तापक का कार्य करता है और उसमें बहुत दुर्गन्ध होती है। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि इसको जमा करने पर जेली से तेल अलग हो जाता है। भारतीय मानक संस्थान विभिन्न कार्यों के लिये प्रयुक्त पेट्रोलियम जेली के लिये मान (स्टैंडर्ड) निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, तथा इन विशिष्टताओं के आधार पर भारतीय भेषज संग्रह (फार्माकोपोइया) में संशोधन समुचित समय पर किया जायेगा।

पेट्रोलियम जेली की खरीद

5538. **श्री कृ० गु० देशमुख :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रेलवे, प्रतिरक्षा, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों और नागरिक आवश्यकताओं के लिये प्रति वर्ष औसतन कुल कितनी पेट्रोलियम जेली खरीदी जाती है तथा उसका मूल्य कितना होता है;

(ख) प्रति वर्ष औसतन जेली पर आधारित दवाइयों, जैसे आँखों का मरहम, दर्द का मरहम तथा जेली पर आधारित एंटी बायटिक्स की कितनी मात्रा खरीदी जाती है उनका मूल्य कितना होता है;

(ग) सरकार द्वारा प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयोग के लिये किन दरों पर जेली खरीदी जाती है तथा मूल्यों में अन्तर की किस आधार पर अनुमति दी जाती है और उसका फार्मूला क्या है; और

(घ) जेली पर आधारित दवाइयाँ, जैसे आँखों का मरहम, दर्द का मरहम तथा एंटी बायटिक्स किन दरों पर खरीदी जाती है, उनका खर्च क्या होता है तथा मूल्यों में अन्तर की किस प्रकार अनुमति दी जाती है और उसका फार्मूला क्या है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) : पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 1966-67 **में की गई खरीद**

इंडेंटकर्ता	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य (रु०)
रक्षा	—	—
रेल	22,920	34,000
अन्य	680	1,000
पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 1967-68 **में की गई खरीद**		
रक्षा	88,900	2,70,000
रेल	2,680	4,000
अन्य	2,596	4,000

विशेष टिप्पणी : उक्त आँकड़ों में राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों द्वारा की गई खरीद शामिल नहीं है। वे स्वयं अपना सामान खरीदते हैं।

(ख) :	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य (रु०)
आँखों की दवा (मलहम)	लगभग 2,000	1,76,522
जेली से निर्मित एंटी बायोटिक	लगभग 258	62,750
फार्माकोपियल विशिष्टि के लिए पैट्रोलियम जैली, मलहम के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त की गई	1,20,046	3,66,542
पीड़ा दूर करने वाली बाम		

विशेष टिप्पणी : उक्त वार्षिक औसत आँकड़े पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 1966-67 और 1967-68 में की गई खरीद पर आधारित हैं।

(ग) : 2.69 रु० से 3.64 रु० प्रति किलो तक की दरों पर। मूल्यों में अन्तर की अनुमति नहीं दी गई थी।

(घ) :	मद	दर
	आँखों की दवा (मलहम)	वस्तु की विशिष्टि के आधार पर 3.5 ग्राम की ट्यूब के लिये 0.45 रु० से 10 ग्राम की ट्यूब के लिए 2.88 रु० तक के बीच के दरों पर।
	पीड़ा दूर करने वाली बाम	कोई खरीद नहीं की गई
	एंटी बायोटिक्स, जेली पर आधारित	उत्पाद की विशिष्टि के अनुसार 3.5 ग्राम की ट्यूब के लिए 0.45 रु० से 0.95 रु० तक की दरों पर।

मूल्यों में अन्तर की अनुमति नहीं दी गई थी।

दवाइयों में उपयोग की जाने वाली जेली में दोषों की शिकायतें

5539. **श्री कृ० गु० देशमुख :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की दवाइयों में जैली के वास्तविक प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं से उसमें निम्नलिखित खराबी होने की शिकायतें मिली हैं;

(1) अधिक कार्बनीय पदार्थ का होना, जिससे जलन पैदा होती है;

(2) दुर्गन्ध ;

(3) लसलसपनों और सोख क्षमता की दृष्टि से उनका गुण;

(4) स्टोर करने में स्थिरता;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर सरकर ने देशी जेली के उत्पादकों से अपनी किस्म सुधारने के लिये कहा था;

(ग) यदि हाँ, तो उन उत्पादकों के नाम क्या हैं जिनसे कहा गया था तथा किस बारे में कहा गया था और किस तारीख को कहा गया था; और

(घ) इस बारे में निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)

(क) : जी हाँ ।

(ख) : जी हाँ ।

(ग) : 23 जून, 1967 को सरकार ने उक्त शिकायतों के बारे में, मैसर्स सविता केमिकल्स, मैसर्स केला कम्पनी और मैसर्स भारत पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स को लिखा था और उन्हें कहा कि वे त्रुटियों को दूर करने की सम्भावना की जाँच करें तथा जैली की स्वीकार्य किस्म को सप्लाई करने की सम्भावना के बारे में सरकार को परामर्श दें ।

(घ) : मैसर्स केला कम्पनी ने उत्तर दिया था कि उनका उत्पाद बी० पी० विशिष्टियों के अनुसार था और यदि सम्बद्ध ग्राहक उन्हें कहते, तो वे किसी विशिष्ट स्टैन्डर्ड के नमूने भेज सकते थे। मैसर्स भारत पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स ने पैट्रोलियम जेली के निर्माण के लिए बैस तेलों की विशेष किस्म के आयात के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी। मैसर्स सविता केमीकल्स ने दोनों उपर्युक्त युक्तियाँ पेश की थीं।

पेट्रोलियम जेली के निर्माता

5510. **श्री ब० ना० भार्गव :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पैट्रोलियम जेली के मान्यता प्राप्त निर्माताओं के नाम क्या हैं, उनमें से प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता क्या है और उन निर्माताओं को किस आधार पर कच्चे माल का नियतन किया जाता है;

(ख) इन निर्माताओं को कच्चे माल के आयात हेतु सरकार द्वारा दिये गये लाइसेंसों की आयात, उपयोग तथा उत्पादन की बिक्री सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) जैली के इन मान्यता प्राप्त निर्माताओं को कच्चे माल के आयात लाइसेंस के आधार पर किन किन वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है और सरकार ने 1967 और 1968 में जिन-जिन वस्तुओं के आयात की अनुमति दी उनका तारीखवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) : भारत में पैट्रोलियम जेली के मान्यता प्राप्त निर्माताओं के नाम और पैट्रोलियम की इण्डियन इन्स्टीट्यूट द्वारा आँकित की गई उनकी उत्पादन-क्षमता निम्न प्रकार है :—

	(प्रतिवर्ष क्षमता मीटरी टन में)
1. मैसर्स केला कम्पनी, बम्बई	9,000
2. मैसर्स सविता केमिकल्स, बम्बई	3,000
3. मैसर्स भारत पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स, बम्बई	2,250
4. मैसर्स पैट्रो-प्रोडैक्ट्स इण्डस्ट्रीज, बम्बई	1,000
5. मैसर्स पाम इण्डस्ट्रीज, बम्बई	400
6. मैसर्स तेजपाल एण्ड कम्पनी, मद्रास	450

उपर्युक्त निर्माता अपेक्षित कच्चे माल के लिए, सामान्यतः प्रबन्ध स्वयं करते हैं। तो भी पिछले साल उनके द्वारा प्रस्तुत की गई माँग आयातित बेस तेल की थी। सरकार ने इन निर्माताओं की तीन महीनों की माँग की आवश्यकताओं तथा भारतीय तेल निगम और एस्सो की मार्फत आयात के लिए व्यवस्था की थी। इन आवश्यकताओं, जिनके आधार पर उत्तरोत्तर आबंटन किया गया था, का निर्धारण, उपर्युक्त क्षमताओं, वास्तविक उत्पादन के आँकड़े और 1966-67 के दौरान बैस तेलों की खपत तथा इन निर्माताओं द्वारा बैस तेलों की प्रस्तुत की गई माँग को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

बढ़िया किस्म के खनिज तेलों के आयात के लिये जैली उत्पादकों की शिकायतें

5541. **श्री ब० ना० भार्गव :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़िया किस्म के खनिज तेल के आयात की अनुमति देने के लिये सरकार द्वारा निर्णय किये जाने से पहले उसके आयात के लिये जेली उत्पादकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो उन जेली उत्पादकों के नाम क्या हैं और उनकी शिकायतें मंत्रालय में किस तारीख को प्राप्त हुई थीं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निर्माताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो किस कारण और किस तारीख को ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

(क) : जी हाँ।

(ख) : 1. मैसर्स केला कं०, बम्बई
2. मैसर्स सविता कैमिकल्स, बम्बई
3. मैसर्स भारत पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बम्बई
4. मैसर्स पैट्रो-प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज, बम्बई
5. मैसर्स पाम इंडस्ट्रीज, बम्बई
6. मैसर्स तेजपाल एण्ड कं०, मद्रास

शिकायतें पिछले दो वर्षों में विभिन्न अवसरों पर प्राप्त हुई थी; सही तारीखों की सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है। तेल कम्पनियों से सप्लाई प्राप्त करने के लिये उन्हें सहायता देने के कदम उठाये गये थे और सरकार ने मैसर्स एस्सो तथा भारतीय तेल निगम को अपेक्षित किस्म के खनिज तेलों के आयात और सप्लाई के लिये विशिष्ट आवंटन किये।

स्पेशल विक्स ग्रेड जैली के नमूनों का विकास

5542. **श्री ब० ना० भार्गव :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैली के वास्तविक उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्यवाही करते समय और औषधीय प्रयोग के लिये उनको इनके आयात की अनुमति देते समय निर्माताओं को स्पेशल विक्स ग्रेड जैली के नमूनों के विकास के लिये कहेगी;

(ख) जैली (विक्स ग्रेड) के विकास के लिए किन पार्टियों को कहा गया था और यह किस तारीख को किया गया था ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस विशेष किस्म की जेली का प्रयोग करने वालों से यह कहा गया है कि वे मान्यता प्राप्त निर्माताओं से अपनी माँग को पूरा करें; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा किन पार्टियों को यह सूचना दी गई है और उन्होंने इन पर क्या राय प्रकट की है और सरकार ने किस तारीख को वास्तविक उपयोगकर्ताओं को मान्यता प्राप्त निर्माताओं से पूरा करने को कहा था तथा उनसे उनकी राय किस तारीख को प्राप्त हुई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान ने, जिसे जैली की विशेष किस्म की जरूरत थी, अपनी आवश्यकताओं के लिये विभिन्न निर्माताओं से पहले से ही बात की थी। उन्होंने रिपोर्ट की कि निर्माताओं द्वारा भेजे गये नमूने सन्तोषजनक नहीं पाये गये क्योंकि उनमें अन्य कारणों के अतिरिक्त अधिक कार्बनीय पदार्थ तथा दुर्गन्ध की विद्यमानता थी। सरकार ने उनकी शिकायतें संबद्ध निर्माताओं के नोटिस में लाई और अन्ततः मैसर्स सविता केमीकल्स एक नमूना तैयार करने में समर्थ हुआ जिसे पैट्रोलियम इण्डियन इन्स्टीट्यूट ने, श्यानता के अतिरिक्त, जो अपेक्षित मात्रा से थोड़ा कम था, सारे परीक्षणों में उत्तीर्ण पाया। इन्स्टीट्यूट के विचार में यह नमूना संग्रहालय स्थिरता पर कुछ और परीक्षणों में पास होने से, सन्तोषजनक सिद्ध होना चाहिए।

मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन को जैली के आयात पर छूट

5543. **श्री ब० ना० भार्गव :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन ने जिसे सरकार ने जैली के आयात की छूट दी है, जैली के अन्य मान्यताप्राप्त निर्माताओं के साथ मिलकर विक्स ग्रेड जैली तैयार करने के लिये संयुक्त प्रयास किये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उन जैली निर्माताओं के नाम क्या हैं, जैली की किस्म सुधारने की उपयुक्तता के बारे में तैयार किये गये नमूने पर किसी की मान्यताप्राप्त परीक्षण गृहों की टिप्पणी तथा सिफारिशें क्या हैं, उनका ब्यौरा क्या है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत होने की तारीख क्या है;

(ग) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन ने जैली निर्माताओं के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास नहीं किये और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके कारण पूछे हैं; और

(घ) ये किस तारीख को पूछे गये थे, मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन से कब उत्तर प्राप्त हुआ तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) : जी हाँ।

(ख) : उपयुक्त किस्मों की जैली का विकास करने के लिये मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान ने मैसर्स सविता केमिकल्स के साथ संयुक्त यत्न किये हैं। सरकार के आग्रह पर मामला पैट्रोलियम

की इण्डियन इंस्टीट्यूट को भेजा गया था जिससे 18-11-1967 को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उनके अनुसार मैसर्स सविता केमीकल्स द्वारा तैयार किया गया नमूना श्यानता (viscosity) के अतिरिक्त सारे परीक्षणों में उत्तीर्ण था।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन द्वारा विक्स ग्रेड जैली का आयात

5544. **श्री ब० ना० भार्गव :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन ने, जिसे सरकार ने विशेष विक्स ग्रेड जैली का आयात करने की अनुमति दी थी, मैसर्स सविता केमिकल्स, बम्बई के साथ मिलकर विशेष विक्स ग्रेड जैली तैयार करने का संयुक्त प्रयास किया था और उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिली क्योंकि मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन के मुख्य केमिस्ट ने तैयार किये गये नमूनों की किस्म को स्वीकार नहीं किया;

(ख) क्या सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन को सलाह दी है कि वह मैसर्स सविता केमिकल्स द्वारा तैयार किये गये नमूनों को किसी मान्यता प्राप्त परीक्षण-गृह अथवा निरीक्षण अधिकारी के पास भेजे और उससे परीक्षण परिणाम प्राप्त करें तथा इन नमूनों में कमियों का कारण मालूम करें; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने किन-किन तिथियों को मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन को इस बारे में सूचना दी थी और मान्यता प्राप्त गृह से उनके मत किस तारीख को प्राप्त हुए ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान ने औषध-निर्माण में अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त जैली का विकास करने के सम्बन्ध में मैसर्स सविता केमिकल्स के साथ संयुक्त प्रयास किया। मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान ने मैसर्स सविता केमिकल्स द्वारा शुरू में तैयार किये गये नमूनों को उपयुक्त नहीं पाया। दोनों पार्टियों के कहने पर 12-7-1967 को सरकार ने पैट्रोलियम की इण्डियन इंस्टीट्यूट के पास मामले को परीक्षण तथा टिप्पणी के लिए भेजा। इन्स्टीट्यूट ने सम्बद्ध पार्टियों के साथ बातचीत की और मैसर्स सविता केमिकल्स द्वारा तैयार किये गये नमूनों का परीक्षण भी किया। 18-11-1967 को सरकार के पास इन्स्टीट्यूट की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई।

आयातित जैली के नमूना का परीक्षण

5545. **श्री कृ० गु० देशमुख :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैली के आयात की अनुमति देने से पूर्व भारत में पैट्रोलियम जैली के मान्यता प्राप्त निर्माताओं द्वारा स्पेशल विक्स ग्रेड जैली के तैयार किये गये नमूनों को किसी मान्यता-प्राप्त परीक्षण गृहों अथवा परीक्षण अभिकरण को भेजा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो परीक्षण गृह का नाम क्या है, नमूने किस तारीख को भेजे गये थे, नमूनों के परीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट किस तारीख को दी गई थी और स्वदेशी जैली में न पाई जाने वाली बातों के बारे में रिपोर्ट का विवरण क्या है; और

(ग) यदि नमूनों को मान्यताप्राप्त परीक्षण गृह को नहीं भेजा गया था तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान ने अपनी औषधियों में प्रयोग के लिए देशीय पैट्रोलियम जैली की स्थिरता की कमी के बारे में शिकायत की थी। इस शिकायत पर सरकार ने 12-7-1967 को पैट्रोलियम की इण्डियन इन्स्टीट्यूट को इस मामले की जाँच के लिए प्रार्थना की। इन्स्टीट्यूट ने मैसर्स सविता केमिकल्स द्वारा भेजे गये नमूनों का परीक्षण किया और सम्बन्धित पार्टियों से परामर्श किया। 18-11-1967 को इन्स्टीट्यूट की सरकार को अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया था कि मैसर्स सविता कैमिकल्स द्वारा तैयार किया गया आखिरी नमूना श्यानता के अतिरिक्त, जो अपेक्षित मात्रा से थोड़ा सा कम था, सारे परीक्षणों में उत्तीर्ण था और नमूना संग्रहालय स्थिरता में परीक्षण करने पर संतोषजनक सिद्ध होना चाहिए।

देशी जैली की उपयुक्तता के बारें में शिकायतें

5546. **श्री गा० शं० मिश्र :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के प्रति जीवाणु, मरहम, बाम आदि बनाने के लिये देशी जैली की उपयुक्तता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो शिकायतों का ब्योरा क्या है और वे कहाँ से प्राप्त हुई हैं और वे किन-किन तिथियों को प्राप्त हुई थीं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) : जी हाँ ।

(ख) : प्रतिजीवाणु मरहम आदि बनाने के लिये देशीय संशोधनों से उपलब्ध पैट्रोलियम जैली की अनुपयुक्तता के बारे में कुछ औषध-निर्माताओं से कभी-कभी शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस प्रश्न की जाँच करते समय सरकार ने कई प्रसिद्ध औषध और श्रृंगार सामग्री के निर्माताओं से उक्त जैली की उपयुक्तता की कथित कमी का ब्योरा माँगा था। जून, 1963 में मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान लि० बम्बई, बूटस प्योर ड्रग कम्पनी (इण्डिया) लि० बम्बई, जी० डी० फार्म्यूसिटीकल्स प्राइवेट लि० कलकत्ता, नौवा कम्पनी, बम्बई, स्टैपकोसमैटिक्स बम्बई, ई० एस० पाटनवाला बम्बई, स्मिथ क्लिने एण्ड फ्रेंच फ्रिजर लि० बम्बई, एलैम्बिक केमीकल वर्क्स कम्पनी लि०, और स्यनामिड (इण्डिया) लि० से उत्तर प्राप्त हुए थे, जिनमें एक या अधिक निम्न कमियाँ बतायी गई थीं :—

(अ) अधिक कार्बनीय पदार्थ का होना, जिससे जलन पैदा होती है;

(आ) दुर्गन्ध;

(इ) लसलसपनों और सोख क्षमता की दृष्टि से उनका निबल गुण;

(ई) स्टोर करने में निबल स्थिरता ।

मिनरल जैली एम्यूनिशन" उत्पादन के लिए अपेक्षित जैली की विशिष्टतायें

5547. **श्री गा० शं० मिश्र :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में हाई एक्सपलोसिव फैक्टरी किरकी द्वारा "मिनरल जैली एम्यूनिशन" का उत्पादन करने के लिये अपेक्षित जैली की जो विशिष्टतायें थीं वे जैली की वर्तमान विशिष्टताओं से भिन्न हैं;

(ख) यदि हाँ, तो जिन विवरणों में परिवर्तन हुआ था उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1965-66 से पूर्व भी वास्तविक उपयोगिताओं, हाई एक्सपलोसिव फैक्टरी, किरकी अथवा किसी अन्य प्रतिरक्षा संस्थान द्वारा स्वदेशी जैली के बारे में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और वे शिकायतें किस तारीख को प्राप्त हुई थीं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय संसद समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) निर्दिष्ट समय के लिये कोई विश्वासनीय सूचना उपलब्ध नहीं है । परन्तु 1965-66 से पहले , पैट्रोलियम जैली के आयात की अनुज्ञा थी और इसलिये देशीय जैली के बारे में वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं से शिकायत का प्रश्न आम तौर पर नहीं उठता।

जैली के प्रयोग के विरुद्ध शिकायतें

5548. **श्री गा० शं० मिश्र :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी जैली के औषधीय प्रयोग के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों को, आयात की सिफारिश करने के पहले किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा अथवा निरीक्षण अधिकारी से उसकी जाँच नहीं करवायी गयी;

(ख) यदि हाँ, तो यह मामला किस अधिकारी को सौंपा गया था, यह किस तारीख को सौंपा गया था, उक्त अधिकारियों को किस तिथि को रिपोर्ट दी और उन रिपोर्टों में क्या था; और

(ग) इस रिपोर्ट में मिनरल जैली एम्यूनिशन के उत्पादन के लिये देशी जैली के प्रयोग के बारे में क्या कहा गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान से एक विशेष शिकायत प्राप्त होने पर सरकार ने 12-7-1967

को मामला, पैट्रोलियम की इण्डियन इन्स्टीट्यूट को परीक्षण तथा टिप्पणी के लिए भेजा। इन्स्टीट्यूट ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 18-11-1967 को भेजी; जिसमें यह बताया कि मैसर्स सविता केमीकल्स द्वारा तैयार किया गया नमूना, श्यानता के अतिरिक्त, जो अपेक्षित मात्रा से थोड़ा सा कम था, सारे परीक्षणों से उत्तीर्ण था और नमूना उद्देश्य के लिये उपयुक्त होना चाहिये बशर्ते कि संग्रह स्थिरता भी संतोषजनक हो। उन्होंने आगे सिफारिश की कि जब तक मैसर्स सविता केमीकल्स के नमूना पर मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान द्वारा इच्छित अवधि के लिए एक संग्रहालय परीक्षण किया जाता है, तब तक मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान को औषधियों में इस्तेमाल के लिए पैट्रोलियम जैली के आयात की अनुमति दी जाए और मैसर्स सविता केमिकल्स को भी उक्त जैली के, जो अपने देश में उपलब्ध नहीं है, निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाए।

जैली का विशिष्ट विवरण

5549. **श्री गा० शं० मिश्र :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) आँख की मरहम, (दो) दर्द बाम, (तीन) एन्टीबायाटिक और (चार) ऐमीनिशन के लिये अपेक्षित जैली में क्या-क्या विशिष्ट विवरण होने चाहियें;

(ख) निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में इन विशिष्ट विवरणों में एक दूसरे से क्या भिन्नता होती है;

(1) कार्बोनीसेबल पदार्थ की उपस्थिति

(2) रंग और गंध

(3) स्थायित्व

(4) पैनीट्रेशन तत्व

(५) श्यानता

(ग) उपरोक्त मामलों में विशेष विक्स ग्रेड जैली के विशिष्ट विवरण, जिसके आयात की सिफारिश की गई है किस प्रकार भिन्न होते हैं; और

(घ) क्या औषध नियंत्रक ने जैली के उन विशिष्ट विवरणों में परिवर्तन किया है जो जैली के कुछ वास्तविक प्रयोक्ताओं को चाहियें थे, अथवा मंत्रालय ने विशिष्ट विवरणों में परिवर्तन पर विचार करने का प्रस्ताव उनके पास भेजा है और यदि हाँ, तो किस तारीख को भेजा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :(क) : पैट्रोलियम जैली के जो कि आँख की मरहम, दर्द बाम, एन्टीबायोटिक और एम्यूनिशन में काम आती है, कोई अलग-अलग विशिष्ट विवरण नहीं है। भारतीय औषध-मान में सफेद पैट्रोलियम जैली और पीली पैट्रोलियम जैली के लिये एक विशिष्ट विवरण समूह है।

(ख) : भाग (क) में दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि विभिन्न उपयोगों में लाई जाने वाली पैट्रोलियम जैली के अलग-अलग विशिष्ट विवरण भारतीय औषधि मान में निर्धारित नहीं किये गये हैं, कुछ औषधि निर्माताओं ने औषधि-मान में निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अन्तर्गत अपने स्वयं के बनाये कठोर मान ग्रहण कर लिये हैं। ऐसा बताया गया है कि विक्स ग्रेड जैली (जिसके आयात की अनुमति दी गई है) देशीय जैली की अपेक्षा, जिसमें उपस्थित कार्बोनीसेअस उत्तेजक पदार्थ, कभी-कभी पाई जाने वाली दुर्गन्ध और स्टोरेज में तेल अलग हो जाने के कारण, बढ़िया है। रिचार्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड ने जो मानक, विक्स उत्पाद के लिये निर्धारित किये हैं, वह इस प्रकार हैं :

द्रावक बिंदु	121–125° एफ
सौडीफाइंग बिंदु	114–118° एफ
ए० एस० टी० एम०	
कनजीलिंग बिंदु	112–116° एफ
प्रवेश वेधन	170
स्थिरता	3 से 5 वर्ष

(घ) : जी नहीं। परन्तु ऐसा समझा जाता है कि विभिन्न कामों में आने वाली पैट्रोलियम जैली के मानक निर्धारित करने के प्रश्न पर भारतीय मानक संस्था विचार कर रही है।

हाई ऐक्सप्लोसिव फैक्टरी, किर्की को मान्य जैली के विशिष्ट विवरण

5550 **श्री गा० श० मिश्र :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष विक्स ग्रेड जैली के विशेष विवरणों वाली जैली हाई एक्सप्लोजिव फैक्टरी, किर्की को स्वीकार्य है;

(ख) यदि हाँ, तो हाई ऐक्सप्लोसिव फैक्टरी, किर्की के निरीक्षण अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष विक्स ग्रेड के अनुरूप जैली को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय अथवा ऐसे ही सरकारी विभागों या इण्डियन आयल कारपोरेशन जैसे उपक्रमों में भेजा गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस किस्म की जैली के प्रयोग के बारे में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय अथवा उपक्रमों के निरीक्षण अधिकारी ने क्या टिप्पणियाँ दी हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

नेफा स्वास्थ्य सेवा में डाक्टर

5551. **श्री बे० कु० दास चौधरी :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956 के पश्चात् नेफा स्वास्थ्य सेवा में कितने डाक्टर नियुक्त किए गए और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से वर्षवार कितने डाक्टरों की अगले उच्च वेतनमानों में पदोन्नति की गई और उनके नाम क्या हैं;

(ग) उनमें से कितने डाक्टरों ने किस-किस वर्ष में अध्ययन-अवकाश लिया और अब कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं; और

(घ) स्वास्थ्य सेवा के कितने व्यक्तियों का अन्य स्थानों पर तबादला कर दिया गया है तथा तबादले की तिथि वर्षवार क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरी विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यह उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत में चेचक के उन्मूलन के लिए रूसी सहायता

5552. **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी सरकार राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किये गये करार का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये उपहार के रूप में रूस सरकार ने 1962 से अप्रैल 1968 तक के चेचक के टीके की 75 करोड़ मात्रायें दी हैं। वर्ष 1968-69 में 10 करोड़ मात्राएं और देने के लिये भी वे सहमत हो गये हैं।

(ख) अभी औपचारिक समझौता होना है।

गीता कालोनी दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय

5553. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीता कालोनी, दिल्ली के ब्लाक 1 के सामने एक प्लाट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लिए रक्षित रखा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त औषधालय के भवन का निर्माण कब तक होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

गीता कालोनी, दिल्ली में उत्पादन एवं कार्य केन्द्र

5554. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग गीता कालोनी, दिल्ली में महिलाओं के लिए एक उत्पादन-एवं-कार्य केन्द्र चला रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहाँ काम करने वाली महिलाओं की मजूरियों में से विभागीय खर्च के रूप में 25 प्रतिशत राशि काट ली जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस केन्द्र की पुरानी इमारत की मरम्मत बहुत समय से नहीं की गई है और इस केन्द्र में अत्यावश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं है; और

(घ) वहाँ इन अत्यावश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कब तक की जाने की संभावना है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुथ्याल-राव) :

(क) ऐसा एक केन्द्र झील कुरंजा (गीता कालोनी के पास) में चलाया जा रहा है।

(ख) हाँ, वर्दियों की सिलाई के लिये केवल 25% विभागीय प्रभार (केन्द्र प्रभार कहलाता है) लगाया जाता है और उसे राजस्व प्राप्ति के रूप में सरकार को जमा कर दिया जाता है ताकि प्रशासनिक तथा अन्य खर्च, जिसमें कटाई खर्च भी शामिल है, पूरे हो सकें।

(ग) 1967-68 में मरम्मतें की गई हैं। बिजली को छोड़कर अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(घ) केन्द्र में बिजली लगाने के लिये उपाय किए जा रहे हैं।

मुंगेर के निकट गंगा जल के दूषित होने के बारे में जाँच आयोग

5555. **श्री राम चरण :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मुंगेर के निकट गंगा के पानी के दूषण सम्बन्धी जाँच आयोग की अवधि 31 अक्तूबर, 1968 तक बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) यह पाया गया था कि आयोग मूलतः निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जाँच कार्य को पूरा करने में समर्थ नहीं होगा।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकलस लिमिटेड के बारें में रूसी दल का प्रतिवेदन

5556. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने, जिसने हाल ही में ऋषिकेश स्थित इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मस्यूटिकल लिमिटेड द्वारा चलाये जा रहे एंटीबायोटिक्स तथा अन्य कारखाने के कार्य-संचालन की हाल में ही जाँच की है, सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) रूसी टीम के विचारों का साराँश का विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार, कम्पनी से परामर्श कर, विभिन्न स्थलों पर अनुपरीक्षण कार्य कर रही है।

विवरण

एंण्टीबायोटिक्स प्लाण्ट, ऋषिकेश

(1) टेट्रासाइक्लीन्स, आक्सी टेट्रासाइक्लीन, क्लोर्टेट्रासाइक्लीन और निस्टैटिन के लिए तकनीकी, जैसे कि सप्लाई की जा चुकी है, को संशोधन की आवश्यकता है जिसके लिए व्यय का बड़ा भाग रूसी संस्था देगी।

(2) उक्त ड्रगों (औषधियों) की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए और दो वर्ष लगेंगे। टीम ने इस विचार को स्वीकार कर लिया कि यह दो चरणों में किया जाय--क्षमता का 50 प्रतिशत 6-9 महीनों में और बाकी दो वर्षों के ऊपर। सामान की सप्लाई उसी प्रकार कई चरणों में आयेगी।

(3) पैनिसिलीन क्षमता के लिये बूटैनाल की प्राप्ति अपर्याप्त स्वीकृत हुई। निर्णीत क्षमता तक इसमें वृद्धि कर दी जायेगी जिसके लिये सामान बिना मूल्य सप्लाई किया जायेगा।

सिंथिलब्टि औषध प्लाण्ट, हैदराबाद

(4) टीम ने स्वीकार किया कि जड़ गैस व नाइट्रोजन क्षमताएं अपर्याप्त थी और परियोजना-क्षमता तक पहुँचने के लिए सामान बिना मूल्य सप्लाई किया जायेगा।

(5) जहाँ तक पिछले वर्ष में एन्टीबायोटिक्स परियोजना और सिन्थेटिक् ड्रग्ज प्रोजेक्ट में कार्य की उन्नति का सम्बन्ध है, टीम ने उस पर संतोष व्यक्त किया और एण्टीबायोटिक्स प्राजेक्ट में अनुर्वर उत्पादन में शीघ्रता के विरुद्ध खबरदार किया।

सर्जिकल इन्स्ट्रूमेन्टस प्लाण्ट, मद्रास

टीम ने विचारा कि कम्पनी के द्वारा किये गये सर्वेक्षण ने सर्जिकल इन्स्ट्रूमेण्टस की (शल्य औजारों) आवश्यकता का सही पूर्वानुमान नहीं किया परन्तु विशेषज्ञ सर्जनों ने आवश्यक माँग और विशिष्ट विवरण की मौजूदा पद्धति की सराहना की है । टीम ने 180 औजार, उनके विस्तृत ड्राइंग समेत, बिना मूल्य सप्लाई करने का निवेदन किया है ।

मैसर्स बूट्स प्योर ड्रग द्वारा विक्स वैपोरव का निर्माण

5557. **श्री हरि कृष्ण :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विक्स वैपोरव का निर्माण मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन द्वारा अपने हाथ में लिये जाने से पहले मैसर्स बूट्स प्योर ड्रग द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा था;

(ख) क्या मैसर्स बूट्स प्योर ड्रग कम्पनी विक्स वैपोरव जैसी अपनी औषधी वस्तुओं के निर्माण के लिए, स्वदेशी जैली का उपयोग कर रही थी जिसे वह जैली के मान्यता प्राप्त तथा सबसे पुराने निर्माता से प्राप्त करती थी;

(ग) यदि हाँ, तो मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन को इसके आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) जैली पर रोक की अवधि में मैसर्स हिन्दुस्तान रिचर्डसन द्वारा आयातित जैली का उपयोग किया जाता था अथवा स्वदेशी जैली का;

(ङ) मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन को पिछली बार लगाये गये प्रतिबन्ध के दौरान तथा उससे पहले कुल कितनी जैली का आयात करने दिया गया था; और

(च) मैसर्स हिन्दुस्तान रिचर्डसन द्वारा विक्स वैपोरव का निर्माण अपने हाथ में लिये जाने के समय से उनकी जैली की वार्षिक औसत खपत तथा कुल खपत कितनी रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बढ़िया किस्म के खनिज तेल का आयात

5558. **श्री हरि कृष्ण :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा तथा औषधों के निर्माण के लिये अपेक्षित बढ़िया किस्म की जैली तैयार करने के लिये किस परीक्षण प्राधिकारी के प्रतिवेदन पर सरकार ने बढ़िया किस्म के खनिज तेल के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) सरकार को यह प्रतिवेदन किस तारीख को मिला था; और

(ग) जैली के आयात पर रोक लगाई जाने के बाद जैली के मान्यता प्राप्त निर्माताओं को इस समय क्रमशः कितना-कितना खनिज तेल आवंटित किया गया है और किस-किस तारीख को ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) सरकार ने इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय किया।

(ख) 18 नवम्बर 1967

(ग) पैट्रोलियम जैली के निर्माताओं में से किसी को भी सीधा आबंटन नहीं किया था, सिवाय इसके कि मैसर्स सविता कैमिकल्स को उनके पास पहले से ही मौजूद कच्चे मालों के आयात के लिए लाइसेंस पर 1.85 लाख रुपये के मूल लुब्रीकेटिंग तेलों के आयात की अनुमति दी गई थी। तथापि, भारतीय तेल निगम और एस्सो की मार्फत शुरू-शुरू में तीन महीनों की आवश्यकताओं तक के लिये उपयुक्त तेलों के आयात और सप्लाई, जिसका कुल लागत-बीमा-भाड़ों मूल्य 7.74 लाख रुपये है, के प्रबन्ध किये गये थे। पैट्रोलियम जैली और तरल पैराफिन के निर्माताओं को दी गई मात्राएं निम्न प्रकार थी :–

		मासिक मात्रा (मीटरी टनों में)
1.	केला एण्ड कं०, बम्बई	200
2.	भारत पैट्रोलियम प्रौडक्टस	42
3.	पाम इंडस्ट्रीज, बम्बई	4
4.	तेजपाल एण्ड कं०, मद्रास	12
5.	सविता कैमिकल्ज, बम्बई	80
6.	इस्टर्न पैट्रोलियम कं०, बम्बई	31

मैसर्स हिन्दुस्तान रिचर्डसन द्वारा स्पेशल विक्स ग्रैड जैली का आयात

5559. **श्री हरि कृष्ण :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्दुस्तान रिचार्डसन को, जिसको स्पेशल विक्स ग्रेड जैली की तीन महीने की आवश्यकताओं के आयात की अनुमति दी गई थी, मैसर्स सविता केमिकल्स द्वारा इस अवधि में स्पेशल विक्स ग्रेड जैली के विकास के बारे में आश्वासन दिया गया था क्योंकि आयात सम्बन्धी सिफारिश मैसर्स सविता कैमिकल्स के नमूनों पर आधारित थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या मैसर्स सविता कैमिकल्स की बात प्रमाणिक है और यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) इस विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बढ़िया किस्म के खनिज तेल का आवंटन

5560. **श्री हरि कृष्ण :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़िया किस्म के खनिज तेल का आवंटन, जिसे सरकार पैट्रोलियम जैली के मान्यता प्राप्त निर्माताओं के माध्यम से आयात करना चाहती है, पहले आयात किये जाने वाले मूल खनिज तेल के आवंटन का विकास होगा, अथवा यह एक अतिरिक्त आवंटन होगा; और

(ख) विशेष विकास ग्रेड जैली और विशेष किस्म के खनिज तेल की आवश्यकता का पूर्व अनुमान लगाये बिना भारतीय तेल निगम और मैसर्स एस्सो आदि पुराने आयातकों को विदेशी मुद्रा का विशेष आवंटन किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकार इस समय बढ़िया किस्म के खनिज तेल का आयात पैट्रोलियम जैली के मान्यता प्राप्त निर्माताओं के माध्यम से करने का विचार नहीं रखती।

(ख) 7.74 लाख रुपये का आबंटन, लूब आयल्स के आयात के लिये पहले से ही निर्धारित फंड में से किया गया है, इसलिये यह विशेष आबंटन नहीं है। एस्सो और भारतीय तेल निगम के माध्यम से लुब्रीकेटिंग तेलों के आयात की उक्त अनुमति पैट्रोलियम जैली और तरल पैराफिन के वास्तविक निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुमान के आधार पर दी गई थी।

मैसूर की बड़ी तथा जल विद्युत परियोजनायें

5561. **श्री सिद्दग्या :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के पास मैसूर राज्य की कौन-सी बड़ी-बड़ी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनायें मंजूरी के लिए लम्बित हैं; और

(ख) वे परियोजनायें किस तिथि को प्राप्त हुई थीं और वे अब किस प्रक्रम पर हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। 'देखिये संख्या एल० टी० 1890/68]

मैसूर में ग्रामीण आवास योजना

5562. **श्री सिद्दय्या :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की ग्रामीण आवास योजना के निमित्त 1966-67 तथा 1967-68 के लिये दी गई कुल राशि का राज्य सरकार ने उपयोग कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में कितने आवास गृह बनवाये गये हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली मैसूर राज्य की प्रस्तावित

विशेष गृह निर्माण योजनाओं का स्वरूप क्या है और इस योजनावधि में इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि का नियतन करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :(क) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम की क्रियान्विति के लिए मैसूर को नियत की 4.60 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता का राज्य के द्वारा सम्पूर्ण रूप में उपयोग कर लिया गया। केन्द्रीय सहायता प्राप्त सभी आवास योजनाओं के लिए 1967-68 के दौरान नियत की गयी 42.00 लाख रुपये की राशि का योजनानुसार तोड़ राज्य सरकार ने नहीं भेजा। तथापि, वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार ने 7.10 लाख रुपये के खर्चे की रिपोर्ट की है।

(ख) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 1966-67 के दौरान मैसूर में तैयार हुए मकानों की संख्या 930 थी तथा 1967-68 के दौरान (31 दिसम्बर, 1967 तक, जब तक कि राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट भेज दी है) यह संख्या 564 थी।

(ग) इस मंत्रालय की निम्नांकित सामाजिक आवास योजनाओं को, जो कि मैसूर में चल रही हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में भी चलती रहने का प्रस्ताव है :

(i) मध्य आय वर्ग आवास योजना।

(ii) निम्न आय वर्ग आवास योजना।

(iii) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए एकीकृत आवास योजना।

(iv) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम।

(v) भूमि अर्जन तथा विकास योजना।

(vi) राज्य कर्मचारियों के लिए किराया-आवास योजना।

(vii) उद्यान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में विभिन्न आवास योजनाओं के लिए निधियों को नियत करने के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Compensation to Farakka Barrage oustees

5563. **Shri K. M. Madhukar :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Delegation of nearly 50 persons representing the interests of nearly one lakh population, whose lands are to be acquired for the construction of the Farakka Barrage, met the District Magistrate, Bhagalpur in June, 1968 and apprised him of their difficulties ;

(b) if so, the details of the demands presented by them to him.

(c) the demands proposed to be met by Government;

(d) whether Government propose to make timely arrangements for providing adequate compensation of lands to be acquired and possible alternative lands for their rehabilitation ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) Yes, sir.

(b) The delegation was opposed to the acquisition of land if it could be avoidd as they claimed that the villagers being cultivators would have to face economic ruination due to loss of land, houses, garden and means of livelihood.

(c) to (e) The submergence due to ponding at Barrage is likely to be confined within the banks of the Ganga in the District of Bhagalpur. However, Survey is being carried out to ascertain if any low area will get submerged or not. Extent of acquisition may be nil or very little and the payment of compensation would be made, as necessary. The question of eviction or rehabilitation may not arise.

जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड

5565. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :**

क्या **वित्त मंत्री** 1962-63 और 1963-64 के लिये जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 206 के अन्तर्गत दाखिल किये गये फार्म संख्या 24 का ब्यौरा सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 1962-63 के लिए भरे गए फार्म में 251 नाम हैं और 1963-64 के लिए भरे गये फार्म में 595 नाम हैं। फार्म में 33 खाने हैं। फार्म की नकलें प्रस्तुत करने में काफी समय, श्रम तथा लेखन-सामग्री लगेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग-विशेष के बारे में सूचना माँगी जाने पर प्रस्तुत की जायगी।

Dams on River Sikrahna in Champaran District

*5566. **Shri K. M. Madhukar.**

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state.

(a) whether the construction of dam on either side of the River Sikrahna in Champaran District to control floods in that river is considered essential;

(b) if so, the reasons for which the work of constructing dams there is not expedited;

(c) the nature of alternate measures which Government propose to adopt to control floods in the Sikrahna river; and

(d) the total expenditure involved in the aforesaid project and the amount to be shared by the Centre and the State Governments respectivety in this regard.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) to (d) : A scheme for the construction of an embankment on the right bank of Sikrahna from Chanpatia Railway Bridge to village Bankatwa on the Motihari Madhuban Road had been prepared by the State Government. The State Government were advised that likely adverse effects of this embankment on the areas on the left bank should be carefully studied and suitable flood control measures devised for the left bank areas also by carrying out model experiments. These experiments are in progress.

The Central Government gives loan assistance to the State Governments for execution of flood control schemes, within the overall State Plan ceilings.

सरकारी पट्टेवाली सम्पदाओं के सम्बन्ध में पट्टेनामे में परिवर्तन

5567. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पट्टे वाली सम्पत्तियों के बारे में पुराने पट्टेनामे में दी गई दर में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार परिवर्तन किया गया है; और

(ग) पट्टे की पुरानी दर में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं। दिल्ली में भूमि-पट्टा पद्धति की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और इस विषय में सरकारी नीति के अनुसार होने के लिए पट्टेनामे के फार्मों को समय-समय पर संशोधित किया गया है। इसमें किए गए अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुपार्जित वृद्धि (अन-अर्न्ड इन्क्रीज) के भागीदार होने वाले स्थानों के उप-विभाजन तथा पट्टे वाली भूमि को दर-किरायेदारी (सब्लैटिंग) पर देने से रोकने, और पट्टे पर दिये गये परिसरों के प्रयोगार्थ उद्देश्यों को सीमित करने की व्यवस्था करते हैं। नए पट्टेनामे के फार्मों का प्रयोग केवल नए पट्टों के लिए किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक कम्पनियों के लिए ऋण

*5568 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में पश्चिमी बंगाल की कितनी औद्योगिक कम्पनियों ने 'पश्चिमी बंगाल वित्त निगम' से ऋण लेने के लिए आवेदन किया है;

(ख) उपरोक्त अवधि में निगम ने कितनी कम्पनियों को ऋण देना स्वीकार कर लिया है;

(ग) उपरोक्त अवधि में जिन कम्पनियों ने निगम से ऋण लिया है उनमें से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी और रिजर्व पूंजी तथा आस्तियाँ कितनी-कितनी हैं और प्रत्येक ने कितना-कितना ऋण लिया है, और

(घ) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में जिन कम्पनियों ने निगम से ऋण लिया है उनमें से प्रत्येक के निदेशक-मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) :

सूचना इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

	1966-67		1967-68	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
(1) प्राप्त आवेदनपत्र	43	198 84	57	160.07
(2) मंजूरियाँ	37	120.04	40	75.02
	(37 एकक)		(38 एकक)	

(ग) और (घ) : प्रत्येक प्रतिष्ठान की चुकता पूंजी, प्रारक्षित निधि और वास्तविक परिसम्पत्तियों के बारे में सूचना देना मुनासिब नहीं समझा गया है क्योंकि इस तरह की सूचना गोपनीय समझी जाती है। इसके अलावा, इस तरह की सूचना इकट्ठी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके मुकाबले में नतीजा कुछ न निकलेगा। निदेशक-बोर्डों के सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

Public Sector Industries in Madhya Pradesh

*5569. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of public sector industries established in Madhya Pradesh during the last five years as compared to those established in Maharashtra and Gujarat ; and

(b) the net income from each of these industries in the said three States ?

Deputy Prime Minsiter and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Presumably the Hon-ble Member desires to obtain information regarding the Central public sector industries which have been set up or are under construction including those under expansion in the State of Madhya Pradesh during the five year period 1962-63 to 1966-67. During this period,

(i) A further investment of the order of Rs.150 crores was made in the Bhilai Steel Plant.

(ii) An outlay of Rs.66 lakhs was incurred on the Alumina Plant under construction at Korba.

(iii) There was also some investment in the collieries being developed by National Coal Development Corporation.

During the same period, the following Central public sector industries were also set up in Maharashtra and Gujarat :

Maharashtra :

Nasik Unit of Hindustan Aeronautics Ltd.

Lubrizol India Ltd.

Gujarat :

Koyali Oil Refinery of Indian Oil Corporation Ltd.

(b) **Madhya Pradesh** : The working results of Bhilai Steel Plant for 1966-67 showed a net loss of Rs.1.3 crores after depreciation and interest. The Korba Alumina Plant is under construction. As regards collieries, the National Coal Development Corporation (including the collieries in Madhya Pradesh as well as those in other States) incurred a net loss of Rs.1.4 crores.

Maharashtra : The net profit earned by Hindustan Aeronautics Ltd. (including the Nasik Unit as well as units in other States) during 1966-67 was Rs.1.4 crores. The project being implemented by Lubrizol India Ltd., is under construction.

Gujarat : The net profit earned by Indian Oil Corporation Ltd., (including Koyali Refinery and all other units) was Rs.7.7 crores during 1966-67.

केरल में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें

5570. **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंच-वर्षीय योजनाओं की अवधियों में पृथक्-पृथक् कितनी पूंजी लगाई गई, और

(ख) केरल राज्य में चतुर्थ योजनावधि में कितनी राशि विनियोजित करने का अनुमान है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केरल की केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाओं में पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधियों में लगायी गयी रकमें क्रमशः 1 करोड़ रुपया, 0.9 करोड़ रुपया और 49.2 करोड़ रुपया थीं।

(ख) चौथी पंच-वर्षीय आयोजना अभी तैयार की जा रही है और यह मालूम नहीं है कि इस आयोजना की अवधि में कौनसी नयी केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाएं केरल में स्थापित की जायंगी और उन पर कितना रुपया खर्च किया जायगा।

सरकारी क्षेत्र में उद्योग

*5571. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री गु० च० नायक :**
श्री दे० अमात : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री म० माझी : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी, मध्यम और लघु उद्योगों के लिये देश में सरकारी क्षेत्र में अब तक कितने और किस प्रकार के उपक्रम स्थापित किये गये हैं (विदेशी सहयोग से स्थापित उद्योगों को अलग से बताया जाये);

(ख) उनमें से प्रत्येक उद्योग में आरम्भ से कितनी धनराशि लगायी गयी है;

(ग) उनकी स्थापना (राज्यवार) कहाँ-कहाँ हुई है;

(घ) उनमें से प्रत्येक उद्योग में कितने और कौन-कौन सी श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) उत्पादन आरम्भ होने के वर्ष से लेकर 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष तक प्रत्येक उद्योग को कितना-कितना वार्षिक लाभ और हानि हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (घ) : नीचे दी गयी सारणी में विभिन्न उद्योगों में लगी पूंजी तथा इन उद्योगों में से प्रत्येक में स्थापित उप-क्रमों की संख्या प्रत्येक उद्योग में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और उन राज्यों के नामों का 1966-67 के अन्त का ब्यौरा दिया गया है जिनमें विभिन्न एकक स्थापित हैं । 1966-67 ही सबसे हाल का ऐसा वर्ष है जिसके संबंध में सभी उपक्रमों के आँकड़े उपलब्ध हैं।

उद्योग	1966-67 के अन्त में			उन राज्यों के नाम जिनमें एकक स्थापित हैं
	उपक्रमों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपयों में)	कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	
इस्पात	1	1067	1.21	उड़ीसा, मध्य-प्रदेश पश्चिम बंगाल ।
इंजीनियरिंग	20	622	1.22	आँध्र-प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, मध्य-प्रदेश, बिहार, उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली ।
रासायनिक पदार्थ	14	282	0.29	केरल, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पंजाब, असम, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आँध्र-प्रदेश, मद्रास, दिल्ली ।
पैट्रोलियम	4	337	0.16	महाराष्ट्र, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास ।
खान और खनिज पदार्थ	5	234	0.87	बिहार, मद्रास, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ।
जहाज निर्माण और जहाजों की मरम्मत	3	13	0.16	पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आँध्र-प्रदेश ।

(ङ) : शायद माननीय सदस्य का संकेत इन उद्योगों के संबंध में 31 मार्च, 1968 के अन्त तक के संचित लाभ/हानि के आँकड़ों की ओर है। ये आँकड़े केवल सितम्बर, 1968 के बाद उस समय उपलब्ध होंगे, जब सभी उपक्रम उस वर्ष के सम्बन्ध में अपने लेखे अन्तिम रूप से तैयार कर लेंगे।

"हनी बैल" द्वारा संगणक (कम्प्यूटर) का उपहार

5572. **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हनी बैल" नाम की संगणक (कम्प्यूटर) फर्म ने भारत सरकार को उपहार के रूप में संगणक देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह उपहार स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में कोई भी विदेशी संगणक फर्म किन शर्तों पर अपना कार्य कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग) : संयुक्त राज्य अमेरिका के मेसर्स हनी बैल इन्कारपोरेटेड के साथ 28 जून, 1963 को हुए एक करार के अनुसार, भारत सरकार ने, उस फर्म से, कुल मिलाकर 12.5 लाख डालर के रियायती मूल्य पर माडल 400 के दस (10) हनी वैल संगणक खरीदे हैं जिसमें पाँच वर्ष तक इन संगणकों में काम में आने वाले फालतू पुर्जे भी शामिल हैं।

(घ) : एक विदेशी फर्म को इन शर्तों पर भारत में संगणकों के निर्माण का लाइसेंस दिया गया है :–

(1) यह फर्म उपर्युक्त मशीनों आदि के निर्माण के लिए आवश्यक हर तरह के मशीनी पुर्जे और उपकरण अपनी पूंजी से प्राप्त करेगी और सरकार इसे इस प्रयोजन के लिये किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा नहीं देगी;

(2) एक निश्चित सीमित संख्या तक संगणकों के निर्माण के कार्यक्रम के शुरू किये जाने के दो वर्ष के अन्दर फर्म और आधुनिक संगणकों के निर्माण की व्यवस्था करेगी, बशर्ते कि ऐसी योजना का वित्त-प्रबन्ध अधिक निर्यात से होने वाली आमदनी से किया जा सके।

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जो लाइसेंस संगणक और मशीनें तैयार करने के लिये लाइसेंस दिया गया है उसके लिये मशीनों के हिस्सों, मशीनों के पुर्जों और पूरी मशीनों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, वह तैयार माल के कम से कम उतने गारंटीशुदा निर्यात से पूरी हो जायगी जो आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के बराबर होगी।

(4) मरुय विदेशी कम्पनी को कोई रायल्टी, तकनीकी सेवा-शुल्क या अनुसंधान-शुल्क नहीं दी जायगी।

एक और विदेशी फर्म को, एक भारतीय फर्म में 60 प्रतिशत तक धन लगाने की अनुमति दी गई है। यह भारतीय फर्म भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के साथ संगणकों के निर्माण के कार्यक्रम में सहयोग देगी।

Tata Fertilizer Plant in Gujarat

5573. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri K. R. Ganesh :**
Shri S. S. Kothari : **Shri C. K. Chakrapani :**
Shri P. Gopalan : **Shri Sitaram Kesri :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a final sanction has been given for setting up Tata Fertilizer Plant in Gujarat ;

(b) if so, whether the said concern has agreed to the suggestions made by Government ; and

(c) when the production is likely to start in this plant ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) The case is under examination.

(b) and (c) Do not arise.

मैसर्स साराभाई कैमिकल्स द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का मूल्य

*5574. **श्री मधु लिमये :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स साराभाई कैमिकल्स द्वारा बनाई गई उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य अन्य कम्पनियों द्वारा बनाई गई उसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों की अपेक्षा अधिक है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन मूल्यों में अन्तर को दूर करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह अनुमान है कि प्रश्न कम्पनी द्वारा उत्पादित फार्मास्यूटीकल्स की सूचना के बारे में पूछा गया है। इन मदों की फुटकर कीमत अन्य कम्पनियों की कीमतों से तुलनात्मक हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रम

5575. **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी उपक्रमों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इन उपक्रमों में निर्मित माल की किस्म घटिया होने के कारण करोड़ों रुपये के मूल्य के क्रयादेश (आर्डर) प्रति-वर्ष रद्द किये जाते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों में कितने मूल्य के क्रयादेश रद्द किये गये हैं; और

(घ) माल की किस्म को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में लगी हुई पूंजी 1966-67 के अन्त में 2841 करोड़ रुपया थी। यह वर्ष सबसे हाल का ऐसा वर्ष है जिसके सम्बन्ध में सब प्रतिष्ठानों के लेखे उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) : चूंकि सम्भाव्य खरीददारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के लिये दिये गये आर्डर विभिन्न कारणों से, जैसे खरीददारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी एवजी चीजों के उपलब्ध होने, आवश्यकताओं के पैदा ही न होने और सम्भवतः सम्बन्धित वस्तुओं की किस्म में बाद में सुधार हो जाने आदि से, रद्द किये जा सकते हैं, इसलिये निर्मित वस्तुओं की किस्म घटिया होने के कारण ही रद्द किये गये आर्डरों की संख्या मालूम करना संभव नहीं है। हाँ, केवल ऐसे आर्डरों की संख्या मालूम की जा सकती है जो दोनों पक्षों के बीच तयशुदा करार में उल्लिखित किसी विशिष्ट खण्ड के अनुसार रद्द किये गये हों। इस संख्या के सम्बन्ध

में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासंभव जल्दी से जल्दी सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(घ) तैयार की जाने वाली वस्तुओं की किस्म सुधारने की आवश्यकता की ओर सम्बद्ध प्रबंधक बराबर ध्यान दे रहे हैं।

सार्थों द्वारा अग्रिम भुगतान का दुरुपयोग

5576. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री नी० र० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री न० कु० साधी : **श्री अम्बुचेजियान :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 27 जुलाई को क्रय मंत्रणा परिषद् को कुछ ऐसे मामले बताये थे जिनमें कुछ बेईमान फर्मों ने पूर्ति और निपटान निदेशालय के साथ ठेके की समान शर्तों के रूप में मिलने वाली अग्रिम धन सम्बन्धी सुविधा का दुरुपयोग किया था,

(ख) यदि हाँ, तो (एक) ऐसी बेईमान फर्मों के नाम क्या हैं (दो) इन फर्मों द्वारा किये गये दुरुपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो क्या; और

(घ) भविष्य में ऐसे धन का दुरुपयोग न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) कानूनी तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसी फर्मों के नाम केवल उन्हीं प्राधिकारियों को बताये जाते हैं जिनका ठेके देने से सम्बन्ध होता है। इन फर्मों ने अपने बिलों में जाली तथा झूठे रेलवे रसीद नम्बर देकर अग्रिम अदायगी का दुरुपयोग किया है, यद्यपि उन्होंने वस्तुतः कोई सामान नहीं भेजा था, अथवा उन्होंने ठेके में निर्धारित वस्तुओं से भिन्न वस्तुएं भेज दी थीं, अथवा उन्होंने बिलों में उल्लिखित मात्राओं से कम मात्राएं भेजी थीं।

(ग) दुरुपयोग के प्रत्येक मामले की जाँच की गई है या की जा रही है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए बेईमान फर्मों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) फर्म को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के स्वीकृत पूर्तिकर्ताओं की सूची में से निकाल देना।

(2) फर्मों से व्यापार विलंबित अथवा प्रतिबद्ध कर देना।

(3) फर्मों को काली सूची में शामिल कर देना; और

(4) न्यायालय में मुकदमा चलाना।

(घ) ठेके की शर्तों में यह संशोधन कर दिया गया है कि रेलवे रसीदें केवल परेषिति या अन्तरिम परेषिति के नाम ही जारी की जाएं। परेषितियों को यह प्रशासनिक हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं कि वे सम्बन्धित क्रय अधिकारियों को सामान के पूरे ब्यौरों, रेलवे रसीद नम्बर और प्राप्त मात्रा सहित प्राप्ति की वास्तविक तारीख के सम्बन्ध में शीघ्र ही सूचना दें। प्रगति-क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायतें भेज दी गई हैं कि वे इस बात का जाँच परीक्षण करें कि परेषितियों को वस्तुत: माल प्राप्त हो गया है ।

Generation of Electricity and Irrigation of Land by Chambal Hydel Power Project

*5577. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the estimated target of wattage of electricity to be produced and the acreage of land to be irrigated by the Chambal Hydel Power Project ;

(b) the wattage of electricity supplied to consumers during the last financial year and the uses of water supplied to farmers for irrigation purposes ;

(c) the target of wattage of electricity to be produced and the acreage of land to be irrigated during the current year ; and

(d) the acreage of new area in District Bhind and District Morena which would be irrigated during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 230 MW of power at 60% load factor and 14 ¼lakh acres irrigation.

(b) The total generation from the Chambal Hydel Power Project during 1967-68 was 176 million units out of which Madhya Pradesh's share was 88 million KWH. After allowing for losses in trasmission and consumption in station auxiliaries, about 73 million KWH units were sold in Madhya Pradesh. Rest was the consumption in Rajasthan.

4.35 lakh cusec days and 3.11 lakh cusec days of water was supplied to farmers in Rajasthan and Madhya Pradesh respectively.

(c) The power generation from the project during the current year will depend on the availability of water in the Gandhi Sagar and Rana Pratap Sagar reservoirs which can be known only after monsoons are over i.e. in October, 1968. The present generation from the two Power Houses at Gandhi Sagar and Rana Pratap Sagar is however of the order of about 14.5 lakh units per day.

(d) About 1,48,811 acres.

शीरे का अभाव

5579. **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में शीरे का अत्यधिक अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) शराब बनाने वालों तथा उद्योगपतियों को पृथक-पृथक रूप से अलाट किये जाने वाले शीरे की प्रतिशतता क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

(क) जी हाँ।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) शीरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(2) राज्य सरकारों को शीरे के वितरण के लिये कुछ प्राथमिकताओं का सुझाव दिया गया है;

(3) चालू वर्ष में 10,000 मीटरी टन शीरे, जिसकी लागत का अनुमान 22.5 लाख रुपये हैं, के आयात के प्रबन्ध किये गये हैं;

(4) शीरे की सप्लाई में वृद्धि करने की दृष्टि से सैंट्रल मैलेसिज कन्ट्रोल आर्डर में समर्थकारी व्यवस्था की गई है ताकि खाण्डसारी यूनिटों द्वारा उत्पादित शीरे को, सम्बन्धित राज्य सरकारों की इच्छा पर, नियन्त्रण में लाया जा सके।

(5) चीनी और परिणामस्वरूप शीरे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कुछ रियायतों की घोषणा की गई है।

(ग) यह प्रत्येक राज्य के लिये पृथक्-पृथक् हैं, किन्तु 1967 के दौरान अल्कोहल के वास्तविक उत्पादन पर आधारित, डिसटिलरीज तथा अन्य उद्योगों को सीरे की अलाट की गई प्रतिशतताओं की औसत क्रमशः 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत है।

भारत तथा ब्रिटेन के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिये करार

5580. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच दोहरा कराधान समाप्त करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो हस्ताक्षरित समझौते का ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता

5581. **डा० रानेन सेन :** **श्री चद्रशेखर सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिए विदेशी सहायता की संभावनाएँ अभी भी अनिश्चित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है जिससे विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर न करना पड़े; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, हाँ।

(ख) और (ग) : इसका संकेत "ऐप्रोच टु दि फोर्थ फाइव इयर प्लान (चौथी पंचवर्षीय आयोजना की भूमिका)" नामक पुस्तिका में किया गया है जिसमें से निम्नलिखित उद्धरण दिया गया है :–

"चौथी पंचवर्षीय आयोजना का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि जितनी जल्दी हो सके आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाय। लगातार विदेशी सहायता (अन्न-सहायता सहित) लेकर विकास करना अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि विदेशी सहायता की रकम-ब्याज और ऋण की वापसी की रकम को छोड़कर–चौथी-पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष तक, वर्तमान स्तर के मुकाबले में लगभग आधी रह जाय। इसके लिए आयात को कम करने और साथ ही निर्यात को बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयत्न करने पड़ेंगे।

कलकत्ता महानगर क्षेत्र का विकास

5582. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल-व्यवस्था, जल निकास तथा जल-व्यवस्था का विकास करने जैसी कलकत्ता महानगर क्षेत्र की अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहायता के हेतु पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या योजना आयोग ने सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) कितनी वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सन्दर्भ में योजना आयोग इस अनुरोध पर विचार कर रहा है।

अमरीका और कनाडा से उर्वरकों का आयात

5583. **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की सप्लाई के लिये अमरीका तथा कनाडा के निर्माताओं के साथ दीर्घकालीन करार करने के बारे में कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ

(ख) अमरीका के उर्वरक निर्माताओं के साथ दीर्घकालीन ठेके करने की सुकरता पर अमरीकी ए० आई० डी० प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। कनाडा की

फर्मों से दीर्घकालीन ठेके करने की सुकरता पर भी विचार किया जा रहा है। अभी तक किसी भी ठेके को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त

5581. **श्री सिद्दय्या :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन् 1951 में गृह मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से संविधान के अनुच्छेद 338 की विधिक व्याख्या करने को कहा था जहाँ तक कि इसका सम्बन्ध विशेष अधिकारी अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की शक्तियों और उसके कृत्यों से है;

(ख) यदि हाँ, तो आयुक्त की शक्तियाँ, और कृत्य क्या हैं; और

(ग) क्या उस सम्बन्ध में एक विस्तृत नोट सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० मुत्यालराव) : (क) सदस्य शायद यह जानना चाहते है कि क्या गृह मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से परामर्श किया था। इसका उत्तर नहीं में है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

फोर्क लिफ्ट ट्रक

5585. **श्री क० लकप्पा :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1963 में कम मूल्य वाले टेण्डरों की उपेक्षा करके उनके मंत्रालय ने 10 फोर्क लिफ्ट ट्रक खरीदे थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अधिक राशि वाले टेण्डर देने वालों को ट्रक खरीदने के क्रयादेश देने के बारे में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को कहने से पूर्व खाद्य विभाग ने कम राशि वाले टेण्डर देने वालों के ट्रकों का परीक्षण किया था;

(ग) क्या विशिष्ट ब्यौरे को अन्तिम रूप देने से पूर्व पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से परामर्श किया गया था; और

(घ) अधिक मूल्य वाले टेण्डर देने वालों को आर्डर दिये जाने के फलस्वरूप सरकार को कितनी अधिक राशि व्यय करनी पड़ी थी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :(क) जी हाँ, सबसे कम मूल्य वाले प्रस्ताव की उपेक्षा कर दी गई थी क्योंकि वह निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था।

(ख) जी, नहीं। परन्तु खाद्य विभाग को अन्य कई प्रयोक्ता-विभागों से इन ट्रकों के असन्तोषजनक कार्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट मिली थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तकनीकी रूप से स्वीकृत टेंडरदाता के प्रस्ताव और विशिष्टियों से अनुरूपता न रखने वाले निम्नतम टेंडर दाता के मूल्यों में 24,037 रु० का अन्तर था।

केन्द्रीय स्टोरों को सामान सप्लाई करने वाली फर्मों द्वारा ठगी

5586. **श्री के० सूर्यनारायण :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी अनेक कम्पनियाँ, जिन्हें भारत सरकार ने केन्द्रीय भण्डारों को कुछ वस्तुयें सप्लाई करने के लिये ठेका दिया हुआ है, जनवरी 1966 से लेकर आज तक की अवधि के दौरान अग्रिम राशि, तथा समय-समय पर जाली भुगतान प्राप्तियाँ और अन्य दस्तावेज देकर कुछ वस्तुओं की पूरी राशि लेती रही हैं तथा केन्द्रीय भण्डारों को उन वस्तुओं की सप्लाई न करके, जिनके लिये क्रयादेश दिया गया था, सरकार को धोखा देती रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ। कुछ मामले ध्यान में आये हैं जिनमें किन्हीं बेइमान कंपनियों ने ठेकों की सामान्य शर्तों के अधीन देय अग्रिम राशि की सुविधाओं का दुरुपयोग किया था।

(ख) कानूनी तथा अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन फर्मों के नाम केवल उन्हीं प्राधिकारियों को बताये जाते हैं जिनका ठेके देने से सम्बन्ध होता है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित फर्मों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है या की जा रही है। उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) उन फर्मों का पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के स्वीकृत पूर्तिकर्ताओं की सूची में से निकाल दिया जाना।

(2) उन फर्मों से व्यापार को निलम्बित कर देना या उस पर प्रतिबन्ध लगा देना।

(3) फर्मों को काली सूची में शामिल कर देना; और

(4) न्यायालय में मुकदमा चलाना।

Housing Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

5587. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state ;

(a) whether there is any scheme for providing housing accommodation to Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in urban areas ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare and in the Ministry of Petroleum and Chemical (Shri Muthyal Rao) : (a) and (b) There are two Schemes in operation:—(i) subsidies for construction of houses by Harijans under the State Plan Schemes, and (ii) grants-in-aid to the State Governments for the housing of sweepers and scavengers under the Centrally Sponsored schemes; this supplements the Slum

Clearance Scheme and the Low Income Group Housing Scheme of the Ministry of the Ministry of Works and Housing. The latter scheme is meant for towns and cities.

The Quantum of subsidy given under the schemes varies from State to State. For house-sites it varies from Rs. 200/- to Rs.500/-. In some States, house-sites are acquired by Government and allotted free of charge. Generally, the cost of construction of a house for purpose of subsidies for housing has been fixed at Rs. 1,200/- which could be raised at the discretion of the State Government to Rs. 1,600/- In the case of snowbound areas bordering the Himalayas, the cost has been fixed at Rs. 2,000/. 75% of the cost is given as subsidy and 25% has to be contributed by the beneficiary.

Landless Jobless People

*5588. **Shri Jageshwar Yadav :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the difficulties being faced by the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, landless and jobless people residing in the rural areas of the country ;

(b) whether Government are also aware that nothing has been done to improve the conditions of the poor people during the last 20 years but, on the contrary their conditions have been further worsened ; and

(c) if so, the steps being taken or proposed to be taken to improve their conditions ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare and in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Muthyal Rao) : (a) to (c) In the successive Five Year Plans considerable emphasis has been laid on the improvement of the socio-economic conditions of landless agricultural labourers. A Centrally Sponsored scheme was initiated by the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) during Third Plan period to re-settle landless agricultural workers on Government waste lands, surplus lands made available as a result of imposition of ceilings, bhoodan lands, etc. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes agricultural labourers are generally given preference over others in the matter of allotment of such lands.

Besides one of the important objectives of the programme of development of village and small industries, which has been undertaken since the beginning of First Plant period,is to create large scale employment opportunities all over the country, particularly in rural areas. A number of these village and small industries such as Khadi, Sericulture, Coir, Village Industry and, to an appreciable extent, Handloom, Powerloom, and also Handicrafts are located mostly in rural areas. A good number of people engaged in these industries belong to Schedued Castes and Scheduled Tribes.

Most of the schemes included in the backward Classes Sector e.g. Grant of pre-metric scholarships ; provision of books, clothings and mid-day meals; Development of land and irrigation facilities ; supply of bullocks, implements, seeds and fertilisers, soil conservation; cottage industries ; Medical facilities ; Drinking Water Supply ; provision of houses and house sites ; Tribal Development Blocks ; Forest Cooperatives are designed to benefit Scheduled Castes and Scheduled Tribes residing in rural areas. Upto the year 1966-67 an expenditure of about Rs.221 crores had been incurred on schemes for the welfare of Backward Classes. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes have definitely benefitted by these welfare measures and a generalised statement that their conditions have worsened due to neglect is unwarranted.

Strike by Students of Patna School for the Blind

*5589. **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of blind students in Bihar ;

(b) the number of schools functioning in Bihar for the purpose of imparting education to the blind students and the names of the districts in which they are functioning ;

(c) whether it is a fact that the students of Patna school for the blinds are on strike and some of their leaders had resorted to hunger strike in front of Government House ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the action proposed to be taken by Government to obviate their difficulties ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare and in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Muthyal Rao) : (a) to (e) : Information is not available with the Union Government.

बधिर और मूक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ

5591. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्धे, बधिर और विकलाँग विद्यार्थियों की सामान्य, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा और 1968-69 के लिये प्रशिक्षु पाठ्यक्रम के लिये छात्र-वृत्तियों की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) जी, हाँ।

(ख) 9.90 लाख रुपए।

Compulsory Insurance of Shops

5592. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the Indo-Pak conflict in 1965, a scheme of compulsory insurance of shops was initiated ;

(b) if so, the reasons for taking the insurance premia even now when the Emergency has been lifted ;

(c) the amount of premia realised from various States ;

(d) the date upto which these premia would be continued to be realised ; and

(e) the policy of Government in regard to the repayment of the said premia ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme making all persons carrying on business as sellers or suppliers of goods, compulsorily insurable against Emergency Risks in respect of goods above Rs.30,000 in value, was introduced with effect from the 1st January, 1963, in the wake of Chinese aggression. The Scheme ceased to be in force with the revocation of the Proclamation of Emergency with effect from the 10th January, 1968.

(b) After the lifting of the Emergency, **only** the arrears of premia due from defaulters are being realised.

(c) A statement is laid on the Table (Placed in Library. See no. LT 1891/68).

(d) No premiums are payable in respect of any period after the lifting of the Emergency. Arrears of premium would, however, continue to be realised.

(e) Since no new premiums were levied after the lifting of the Emergency, the question of repayment of premia realised after that date does not arise.

पश्चिमी बंगाल के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

5593. **श्री भगवान दास :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड फ्रंट सरकार 1967 में पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ता देने को सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई थी ;

(ख) क्या यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने राज्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि इसके लिए 1968-69 के बजट में आवश्यक उपबन्ध किया जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो पश्चिमी बंगाल सरकार यूनाइटेड फ्रंट सरकार द्वारा इसके कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन को पूरा करने की वाँछनीयता समझती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) और(ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उनको ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) तथा (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

Free Books for Scheduled Castes/Tribes

5594. **Shri Sheopujan Shastri :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an order had been issued on the 14th August, 1958 in Uttar Pradesh by the Harijan and Social Welfare Department for giving free education, scholarships and assistance for books to the students belonging to the scheduled Castes and if so, the details thereof ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid Department used to give scholarships and assistance for books even to the students belonging to the backward classes ; and

(c) if so, whether this assistance is being given at present also and if not, the reasons therefor ; and

(d) the amount of assistance given during the period from 1955 to 1960 to Backward Classes ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare and in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Muthyal Rao):

(a) to (d) The details are being collected from the State Government and will he laid on the table of the House when received.

इर्विन अस्पताल में श्री रामकृष्ण जैन की मृत्यु

5595. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जून में श्री रामकृष्ण जैन नामक एक व्यक्ति की इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाने के कारण चोट से मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस मृत्यु के बारे में कोई जाँच कराई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 क के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है जिसकी छान-बीन चल रही है।

नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग रोड पर क्रीड़ांगन (स्टेडियम)

5595. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग रोड क्षेत्र में एक क्रीड़ांगन (स्टेडियम) का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव के विरुद्ध सरकार को उस बस्ती के निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) किसी नये स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जा रहा है। अखिल भारतीय टूर्नामेण्ट चलाने के योग्य बनाने के हेतु मौजूदा लेडी हार्डिंग ग्राउण्ड के हाकी स्टेडियम में कतिपय सुधार, विस्तार और परिवर्तन किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

अश्लील चलचित्र

5598. **श्री जुगल मंडल : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विदेशी अश्लील चलचित्र भारत में चोरी छिपे लाये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कोई शिकायतें अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले दो वर्षों में सरकार ने कितने अश्लील चलचित्र पकड़े ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री **(श्री मोरारजी देसाई) :** (क) अश्लील चलचित्रों के चोरी छिपे भारत में लाये जाने के कोई बड़े मामले ध्यान में नहीं आये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा पकड़े गये अश्लील चलचित्रों की संख्या नीचे दी गयी है :

वर्ष	पकड़े गये अश्लील चलचित्रों की संख्या
1966	कुछ नहीं।
1967	44 रीलें।

Publications in Hindi of Audit Reports of Comptroller and Auditor General of India

5599. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various audit reports of the Comptroller and Auditor General of India are so far published only in English ; and

(b) the steps taken to publish them in Hindi according to the provisions of the Official Languages Act ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : The Audit Reports of the Comptroller and Auditor General have hitherto been prepared in English only. Following the amendment of the Official Languages Act in December, 1967, the preparation of the Hindi versions of the Audit Reports has been taken in hand. The various Reports of the Comptroller and Auditor General for 1968 along with the connected Accounts for 1966-67 are in the process of being translated into Hindi and every effort will be made to lay the Hindi versions before both the Houses of Parliament in the next Session.

विभिन्न प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पेंशन की छूट

5600. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के उन औद्योगिक कर्मचारियों को, जो अच्छी तरह समझ न सकने के कारण पेंशन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सके, इसके लिए दूसरा विकल्प देने के आदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितना समय दिया गया है; और

(ग) क्या ये आदेश रेलवे, प्रतिरक्षा तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के सब कर्मचारियों पर लागू होंगे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : संयुक्त परामर्शदाता-तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, रेलवे तथा अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को, जो अंशदायी भविष्य-निधि पर हैं, पेंशन योजना में आने के लिए एक और अवसर देने के आदेश जल्दी ही जारी करने का विचार है। यह विकल्प 31-12-1968 से पहले ही देना होगा। रक्षा संस्थापनों के औद्योगिक कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने के लिये इस योजना को विस्तृत कर दिया जायगा।

भारतीय तेल निगम और मद्रास तेल शोधक कारखाने की ढोलों और तारकोल के ड्रमों की आवश्यकता

5601. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में भारतीय तेल निगम की प्रत्येक स्थान के लिए तेल के ढोलों और तारकोल के ड्रमों की कितनी कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है;

(ख) मद्रास तेल शोधक कारखाने को 1969-70 से लेकर 1974-75 तक की अवधि में तेल के ढालों और तारकोल के ड्रमों की कितनी-कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है; और

(ग) जब बातचीत के बाद क्रयादेश दिये जाते हैं तो टेंडर माँगने की क्या आवश्यकता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम की 1969-70 और 1970-71 के दौरान ल्यूब तेल के ढोलों और तारकोल के ड्रमों की अनुमानित आवश्यकता का खुलासा निम्न प्रकार है :

	ल्यूब तेल के ढोल	तारकोल के ड्रम
1—बरौनी तेल शोधक कारखाना	150,000 संख्या	—
2—आई० ओ० बी० एल० प्लाँट, बंबई	1000,000 ,,	—
3—आई० ओ० बी० एल० प्लाँट कलकत्ता	400,000 ,,	—
4—मद्रास तेल शोधक करखाना	1000,000 ,,	500,000 संख्या
	25,50,000 संख्या	500,000 संख्या

ये अनुमानित आवश्यकतायें हैं जिनमें उत्पादन और माँग के उतराव-चढ़ाव के आधार पर हेर-फेर हो सकता है। 1970-71 के आगे के अनुमान अभी तक नहीं लगाये गये हैं।

(ग) ढोल निर्माताओं से बातचीत टेंडर मंगाने के बाद ही की जाती है, पहले नहीं।

खम्भात की खाड़ी में समुद्र तट से दूर तेल के लिये खुदाई

5602. **डा० रानेन सेन :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी तेल फर्मों तथा जापानी फर्मों के साथ खम्भात की खाड़ी में समुद्र से दूर तेल के लिए खुदाई करने सम्बन्धी करारों को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन करारों को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में निर्णय कब तक लिया जायेगा।

सल्फयूरिक एसिड बनाने के लिये फालतू गैस का प्रयोग

5603. **डा० रानेन सेन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सल्फयूरिक एसिड के उत्पादन के लिये भारतीय फालतू प्राकृतिक गैस उपयोग में लाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना पर कहाँ तक अमल किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर अपवंचन के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति

5607. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपे हुए धन तथा कर के कम निर्धारण के बारे में अब तक आय-कर अधिकारियों को महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक उन्हें कितनी राशि दी गई है; और

(ग) क्या किसी ऐसे सूचना देने वाले के विरुद्ध, जिसकी सूचना गलत और निराधार पाई गई हो, कोई अभियोग चलाया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) : जी नहीं।

बकाया आय कर

5608. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह 1 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5800 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 को बकाया 381.61 करोड़ रुपये की धन राशि में से कितनी धनराशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया है;

(ख) कर निर्धारण वर्ष 1948-49 से 1963-64 तक वर्षवार आँकड़े क्या थे;

(ग) उसमें से अब तक कितनी धनराशि वसूल कर ली गई है तथा अपीलों के परिणाम-स्वरूप या अन्य कारणों से घटा दी गई है और उसमें से कितनी धनराशि के बारे में अपील की गई है;

(घ) बकाया धनराशि में से कितनी धनराशि ऐसी है जो 31 जुलाई, 1968 को बकाया नहीं हुई थी और उसमें से कितनी धनराशि को अनुचित करार दिया गया है; और

(ङ) उसमें से कितनी धनराशि वसूल की जा सकती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) और (ख) : 381.61 करोड़ रुपये की रकम 31 जनवरी, 1968 को बकाया थी, 1 जनवरी 1968 को नहीं । 31 जनवरी 1968 को बकाया रकम के बारे में माँगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन, 1-4-1967 बकाया की रकम 541.71 करोड़ रुपये थी जिसमें से पाँच वर्षों से अधिक समय से कर की बकाया रकम के वर्ष-वार आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1956–57 और उसके पूर्ववर्ती वर्ष	55.06
1957–58	8.70
1958–59	7.11
1959–60	7.32
1960–61	9.30
1961–62	12.36
1962–63	14.47
1963–64	32.11

(ग) 381.61 करोड़ रुपये की बकाया में से 31-3-1968 तक 47.04 करोड़ रुपये की रकम वसूल हो गयी थी अथवा अपील आदि में कम कर दी गयी थी जबकि उस तारीख को 25.14 करोड़ रुपये की रकमों के बारे में अपीलें विचाराधीन थीं।

(घ) और (ङ) : बकाया माँग की जो रकमें 31 जुलाई 1968 को देय नहीं हुई थीं, उनके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसी जो माँगें 31 मार्च 1968 को देय नहीं हुई थी उनकी रकम हाल ही में उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार 2.09 करोड़ रुपये है।

वसूल हो सकने योग्य तथा वसूल नहीं हो सकने योग्य माँग के बारे में नवीनतम सूचना, वह उपलब्ध है जो 31 दिसम्बर 1967 को थी। 31 दिसम्बर 1967 को 411.25 करोड़ रुपये की बाकी रही माँग में से 68.78 करोड़ रुपये के बारे में अनुमान है कि यह वसूल नहीं हो सकेगी और शेष 342.47 करोड़ रुपये के बारे में अनुमान है कि यह बकाया की वास्तव में वसूल हो सकने योग्य रकम है।

बिहार के वरुआ बाँध से निकलने वाली नहरों के तल में विषमता

5609. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में वरुआ वान्ध का हाल में दौरा किया था ताकि वह वान्ध के जलाशय से निकलने वाली दोनों नहरों के तल में विषमता की जाँच कर सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषमता को दूर करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ताकि दोनों नहरों को सभी ऋतुओं में समान मात्रा में पानी मिल सके ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) उपयुक्त ऊंचाई पर दायीं ओर 8 फुट व्यास की सुरंग बना कर एक अनुपूरक निकास-मार्ग के निर्माण का सुझाव दिया गया है ताकि जब जलाशय का स्तर 380 से कम हो, दायीं ओर की नहर में पानी डाला जा सके। इसकी सम्भाव्यता की जाँच की जा रही है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को उनके मकानों और झोपड़ियों के लिये कब्जा प्रमाणपत्र

5610. **श्री सूरज भान :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश भर में 5 वर्ष से अधिक समय से मिट्टी की अपनी झोंपड़ियों तथा कुटियों में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भू-स्वामियों द्वारा प्रायः अपनी झोंपड़ियों को खाली करने को कहा जाता है और उन्हें इस तर्क पर बहुधा उनसे निकाल दिया जाता है कि जिस भूमि में वे रह रहे हैं, वह उनकी नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को, जो किसी स्थान विशेष में ५ वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं, उनके कुटियों तथा मिट्टी की झोंपड़ियों के सम्बन्ध में कब्जा प्रमाणपत्र जारी करने की कोई योजना तैयार करने अथवा राज्य सरकारों को ऐसा करने का निदेश देने का है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० मुत्यालराव) : (क) और (ख) : तथ्य परिस्थिति को देखते हुए इस प्रकार का व्यापक ब्यान उचित नहीं प्रतीत होता है। "भूमि" को संविधान की सप्तम अनुसूची में शामिल किये जाने के कारण, भूमि के स्वामित्व तथा कब्जे सम्बन्धित स्थानीय कानूनों को देखते हुए राज्य सरकारों को समुचित कार्यवाही करनी होती है। विवादास्पद स्वामित्व को देखते हुए ऐसे मामलों का निपटारा व्यक्तिगत आधार पर राजस्व तथा सिविल न्यायालयों में करना होगा। अलबत्ता, जहाँ कहीं मकानों की जमीनों की समस्या उग्र तथा व्यापक है, वहाँ राज्य सरकारों ने उपलब्ध साधनों के अनुसार सरकारी जमीनें नियत करने तथा नई जमीने अध्याप्त करने की पूरी चेष्टा की है ।

Allocations for rural Housing schemes under three plans

5611. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned during the First, Second and Third Five-Year Plans, respectively for Rural Housing Schemes ;

(b) the amount granted to each State for this purpose and the amount actually spent by the State Government therefrom ; and

(c) the amount spent by the Central and State Governments out of it for other purposes ?

The Deputy Minister in Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : The State Governments draw Central assistance on the basis of the expenditure reported by them. A statement showing the amounts allocated to, and drawn by the various State Governments during the Second and Third Plans is laid on the Table of the House (the Scheme was introduced only during the Second Plan period). (Placed in Library. See No. LT/1892-68).

(c) The Village Housing Projects Scheme is a Centrally-aided Scheme in the State Plans and the State Governments are free to divert provisions allocated for this Scheme, to other development heads depending upon their own requirements. The Central assistance depends upon the amount which the State Governments can accommodate in their Annual Plans, as also on the expenditure incurred by them during the course of a year. The difference between the figures of allocation and the amounts actually drawn by the State Governments as shown in the attached statement, represent amounts which have either been diverted wholly or partly for other purposes, or not utilised at all. (The question of Central Government spending any amount allocated under this Scheme for other purposes does not arise as the Scheme is being implemented through the various State Governments, and **not** directly).

Collapse of Barrage of Kosi Canal Project

5612. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many villages have been submerged due to the collapse of a barrage of a branch of Kosi Canal Project ; and

(b) if so, the details thereof ?

Deputy Minister for Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) and (b) A breach occurred in a length of 95 ft. on the Janaki Nagar Branch Canal at R. D. 126 at about 3.00 a.m. on the 16th July, 1968, resulting in accummulation of water in the adjoining areas and submerging some cultivated land. Within a few hours of the breach, the water found its way in the South and South-West directions and ultimately fell in the Mughaladhar Stream. As the breach occurred at a place with sandy nature of soil, no damage is reported to have been caused to crops. The breach was closed on the night of 20th July, 1968 and the Canal started functioning in the normal way on 21st July morning.

Sind Project, Dabra (Madhya Pradesh)

5613. **Shri Ram Avatar Sharma : Shri Shiv Kumar Shastri : Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the reasons for which the implementation of Sind Project, Dabra, Gwalior (Madhya Pradesh) is being delayed ;

(b) when it is likely to be completed ; and

(c) the steps taken by Government to expedite the completion of the said project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) The Project Report of Sindh Diversion Scheme (Stage I) was submitted by the Madhya Pradesh Government in October, 1966. Replies to the Central Water and Power

Commission's comments thereon, which were sent to the State Government in February, 1967, are awaited.

(b) The Project is proposed to be completed in six years from the date of commencement of construction.

(c) The State Government has been reminded to expedite their replies to Central Water and Power Commission.

Bulk Supplies by Firms

5614. **Shri Shri Gopal Saboo :** **Shri Sharda Nand :**
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to State :

(a) the names of firms, companies and individuals who made bulk supplies worth five lakhs of rupees during the last two years and the names of those among them against whom comlaints were received ;

(b) the details of these complaints and the action taken by Government thereon;

(c) whether complaints against some Government officials were also received in this connection ; and

(d) if so, the names thereof and the nature of complaints and the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) to (d): The Directorate General of Supplies and Disposals places approximately 18,000 contracts annually with about 2,500 firms. Separate particulars have not been kept of firms who made bulk supplies of stores worth Rs.5 lakhs or more during the last two years. Complaints on various counts such as non-supply, short supply, supply of sub-standard stores, abuse of advance payment facilities etc. are sometimes received. These complaints are duly investigated and suitable action taken against the defaulting contractors and the delinquent officials.

कुछ कम्पनियों द्वारा देय आय-कर

5615. **श्री निहाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्योर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, मैसर्स जे० बी० बौटलिंग कम्पनी और मैसर्स पारले कम्पनी की ओर इस समय आय-कर की बकाया राशि कितनी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इन तीन कम्पनियों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

कम्पनी का नाम	आयकर की बकाया माँगें
(i) मेसर्स जे० वी० बोटलिंग कम्पनी दिल्ली	1963-64 — 29,700 रुपये 1968-69 — 53,825 रुपये
(ii) मेसर्स प्योर ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	इस कम्पनी के आयकर का निर्धारण पटियाला में होता है। माँगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(iii) मेसर्स पारले कम्पनी — इस कम्पनी का कर-निर्धारण दिल्ली में नहीं होता। यह मालूम किया जा रहा है कि कम्पनी के आयकर का निर्धारण कहाँ होता है। माँगी गई सूचना इकट्ठी किये जाने के बाद सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) (i) मेसर्स जे० बी० बोर्टलिंग कम्पनी — कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 की माँग वित्तीय वर्ष 1967-68 के अन्त में जारी की गई थी तथा कानून में दी गई कार्य-प्रणालियों से कर की रकम वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। वसूली की कार्यवाही स्थगित करने के लिए कम्पनी द्वारा दी गई दरख्वास्त आयकर अधिकारी तथा आयकर आयुक्त द्वारा नामंजूर कर दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 141 के अधीन किये गये अन्तिम कर निर्धारण के आधार पर, कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए कर की माँग हाल ही में जारी की गई है। माँग अभी तक अदायगी-योग्य नहीं हुई है। यदि अदायगी में कोई चूक होगी तो वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(ii) तथा (iii) — सूचना इकट्ठी की जायगी तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Recognition of Diploma in Pharmacy of Delhi Polytechnic

5616. **Shri Nihal Singh :** **Shri Sheopujan Shastri :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 2563 on the 4th March, 1968 and state :

(a) whether the question of recognising the Diploma in Pharmacy of Delhi Polytechnic has since been considered by the Pharmaceutical Council of India ;

(b) if so, the decision taken by the said Council ;

(c) if not, when it is likely to be considered ; and

(d) the names of other Diploma courses which have not been recognised by Government so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development : (Shri B. S. Murthy) :

(a) Yes.

(b) The Pharmacy Council of India has approved the courses for a period of four years from its inception in the first instance.

(c) Does not arise.

(d) The following institutions which have started the Diploma in Pharmacy course during 1967-68 are yet to be approved by the Pharmacy Council of India :

1. Government Polytechnic, Hyderabad (Andhra Pradesh).
2. Government Polytechnic, Visakhapatnam (Andhra Pradesh).
3. S. V. Government Polytechnic, Tirupati (Andhra Pradesh).
4. Calicut Medical College, Calicut (Kerala).
5. V. L. College of Pharmacy, Raichur (Mysore).
6. N. M. Higher Secondary School, Shimoga (Mysore).
7. Medical College, Rohtak (Haryana).

Post of Hindi Officer

5617. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of a Hindi Officer in his Ministry was filled up on an **ad hoc** basis ;

(b) if so, when ;

(c) whether it is also a fact that such posts are required to be filled up through U.P. S. C. ; and

(d) if so, the action taken in this regard and the time by which this post is likely to be advertised by U. P. S. C. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development :

(a) Yes.

(b) 12th June, 1968.

(c) and (d) The recruitment rules for the post are being framed in consultation with the U. P. S. C. Necessary action to fill the post on a regular basis will be taken as soon as the recruitment rules for the post have been finalized. The question of advertising the post will arise if it is decided to fill the post by direct recruitment.

Out-of-Turn Allotment

5618. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of employees and officers who have been allotted quarters on 'out-of-turn' basis or whose names have been included in the list for this purpose from the 1st March, 1967 till the 30th June, 1968 ;

(b) the number of Stenographers out of them who are among the personal staff of Ministers and high officers ; and

(c) the number of those out of them who are working in the Directorate of Estates and the office of Director General Health Services ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply : (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : From 1st March, 1967 to 30th June, 1968, 879 persons have been allotted accommodation on out of turn basis. In addition 55 Stenographers on the personal staff of the Ministers and high officers have been allotted accommodation.

On date 738 persons including Stenographers are waiting for allotment of accommodation on out of turn basis.

(c) 15 persons working in the Directorate of Estates have been allotted accomodation on out of turn basis and 13 are waiting allotment. In the case of D. G. H. S., 41 persons have been allotted out of turn accommodation and 38 are waiting allotment.

Out-of-Turn Allotment of Quarters to the Employees in the D. G. H. S.

5619. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of quarters allotted so far to real brothers and other relatives of the employees working in the Directorate of Estates and in the office of the Director-General of Health Services ;

(b) the number of such cases, where 'out-of-turn' allotment was made on the same ground to two real borthers ;

(c) the percentage of quarters allotted on 'out-of-turn' basis between the period from the 1st March, 1967 to the 30th June, 1968 ; and

(d) whether this procedure is a cause of discontentment among other employees ?

Deputy Minister of Works, Housing and Supply : (Shri Iqbal Singh) : (a) Allotment of accommodation is made to the eligible Government officers according to their priority dates. No information is obtained by the Directorate of Estates from prospective allottees as to the real borthers or other relatives who may be occupying Government accommodation. In the circumstances this information is not available in respect of the Directorate of Estates or the D. G. H. S. or any other Government office eligible for 'general pool' accommodation.

(b) No statistics are maintained in this behalf. If the member cites any specific case, information will be collected and supplied.

(c) During the period from 1st March, 1967 to 30th June, 1968, 879 residences were allotted on out of turn basis, against the overall availability of 40,050 residences in Delhi and thus the percentage of out of turn allotment comes to about 2.2. In addition 55 Stenographers on the Personal staff of the Ministers etc. were allotted accommodation on *ad hoc* basis.

(d) Out-of-turn allotment of accommodation is made to government officers under the provisions of the Rules and procedures. Similarly allotment of accommodation in turn is made to government officers according to the provisions in the Allotment Rules. Percentage of overall satisfaction is 40. Shortage of accommodation is a cause of discontentment amongst the government employees but allotment on Out-of-turn basis is made in exceptional circumstances.

National Smallpox Eradication Programme

5620. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a change has been brought about in the National Smallpox Eradication Programme ;

(b) whether it is also a fact that the present programme is aimed at preventing Smallpox in the initial stages only, while the progrmme of total eradication of Smallpox has been given up ; and

(c) if so, the reasons therefor, and to what extent this change will lead to successful implementation of the scheme ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development: (Shri B. S. Murthi) :

(a) to (c) : The objective of the National Smallpox Eradication Programme remains unchanged. On the recommendations of a Joint Government of India World Health Organisation Assessment Team, the strategy of the Programme has been modified as under :

(1) All efforts are being made to carry out 100 per cent successful primary vaccinations in the vulnerable age group 0-14 years in order to protect the new borns and to eliminate the existing backlog in primary vaccinations.

(2) Apart from primary vaccinations of infants and young children, priority is being given to the urban communities and those groups of the population (labour/migratory), who are most likely to be involved in the transmission of the disease.

(3) Re-vaccination is carried out on a selective basis, e.g., children at first school entrance, at school leaving and workers in industry, etc.

Electrification of Villages in Bihar

5621. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages in Bihar supplied with electricity during 1967-68 and the district-wise number of such villages ;

(b) the number of tube-wells in Bihar provided with electricity connections during 1967-68 ;

(c) the expenditure incurred in extending electricity and providing electricity connections to tube-wells ; and

(d) the increase in the annual receipt of Government thereby ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad) :

(a) A statement giving the information is laid on the Table of the House [Placed in Library, See No. LT.1893/68].

(b) 15,807 tubewells/pumpsets were energised in Bihar during 1967-68.

(c) The expenditure has been estimated at Rs.606 lakhs.

(d) The increase in the annual revenue receipts on account of energy supplied for agricultural pump connections for 1967-68 has been estimated at about Rs. 21 lakhs.

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी

5622. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 को विभिन्न सरकारी उपक्रम में केन्द्रीय सेवाओं के कितने राजपत्रित अधिकारी प्रतिनियुक्त थे ;

(ख) उक्त उपक्रमों द्वारा ऐसे कितने अधिकारियों को स्थायी रूप से रख लिया गया है अथवा रखने का विचार है; और

(ग) ऐसे कितने अधिकारियों को उनके मूल कार्यालयों को वापस भेजा जा रहा है और उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

आय-कर का कम-निर्धारण

5623. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-3-1968 को समाप्त होने वाले गत चार वित्तीय वर्षों में आयकर अधिनियम (किसी भी निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा अनुभाग ने ऐसे मामलों का पता

लगाया अथवा किन्हीं अन्य तरीकों से ऐसे कितने मामलों का पता लगा जिनमें कुल आय कम निर्धारित की गई थी और जिन पर पुनः विचार करने तथा कुल सही आय को पुनः निर्धारित करने के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती थी; और

(ख) यदि कोई ऐसे मामले हैं, तो आरम्भ में निर्धारण करने वाले अधिकारियों की असावधानी के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : 31-3-1966 को समाप्त होने वाले दो वर्षों (1964-65 तथा 1965-66) में न्यून-निर्धारण के जिन मामलों का पता चला और जिनमें फिर से कर-निर्धारण की कार्यवाही नहीं की जा सकी उनकी संख्या 275 थी।

जिन मामलों में आवश्यक समझा गया उनमें सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगे गये थे और उन्हें चेतावनी दी गई है। लापरवाही के मामलों में चेतावनी गोपनीय चरित्र-पंजी में रिकार्ड कर दी गई है।

31-3-1968 को समाप्त होने वाले दो वर्षों (1966-67 और 1967-68) के सम्बन्ध में आयकर आयुक्तों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

सरकारी उपक्रमों में स्थापित किये गये वित्तीय विभाग

5624. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने संगठनों में पृथक वित्त अनुभाग स्थापित किये हैं और वित्तीय सलाहकार के पद भी स्थापित किए हैं; और

(ख) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो ऐसा करने पर सिद्धान्त रूप में सहमत नहीं हुए ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सरकारी उपक्रमों के वित्तीय प्रबन्ध के सम्बन्ध में 1968 की अपनी रिपोर्ट में 67 उपक्रमों के वित्तीय प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन किया है। समिति ने बताया है कि इन उपक्रमों में से 14 उपक्रमों में अलग वित्त प्रभाग नहीं हैं। अन्य 53 उपक्रमों के नाम संलग्नक में दिये गये हैं। अन्य सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा। जहाँ तक वित्तीय सलाहकार के पद का सम्बन्ध है, वित्तीय और रेखा सम्बन्धी मामलों की देख-भाल करने के लिये प्रत्येक उपक्रम में उपयुक्त हैसियत का एक-एक अधिकारी है, यद्यपि इस काम की देखभाल करने वाले अधिकारी के पद का नाम अलग-अलग होता है।

संलग्नक

1. एअर इंडिया
2. अशोक होटल्स लिमिटेड
3. भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड
4. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

5. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
6. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
7. भारत हेवी प्लैंट ऐण्ड वैसेल्स लिमिटेड
8. बोकारी स्टील लिमिटेड
9. केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड
10. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड
11. दामोदर घाटी निगम
12. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
13. फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
14. फ़र्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
15. गार्डेन रीच वर्कशाप लिमिटेड
16. हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड
17. हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान ऐण्टीबायोटिक्स लिमिटेड
19. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
20. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड
22. हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड
23. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
24. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
25. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
26. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
27. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
28. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
29. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड
30. इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन
31. इंडियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
32. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
33. इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
34. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
35. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
36. जनपथ होटल्स लिमिटेड
37. लुब्रिजोल इंडियन लिमिटेड
38. मद्रास रिफायनरीज लिमिटेड
39. मैंगेनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
40. माझगाँव डाक लिमिटेड
41. मिनरल्स ऐण्ड मैटल्स ट्रैडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

42. नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
43. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
44. नेशनल प्रोजक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
45. नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
46. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
47. आयल ऐण्ड नेचरल गैस कमीशन
48. प्रागा टूल्स लिमिटेड
49. पाइराइट्स ऐण्ड केमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
50. रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
51. शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
52. स्टैट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
53. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

अपीलीय अधिकारियों द्वारा रद्द किये गये निर्धारण के मामले

5625. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960-61 से 1966-67 में अपीलीय अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, अतिरिक्त मुनाफा कर अधिनियम तथा कारोबार मुनाफा कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारणके कितने मामले वर्षवार आयकर अधिकारी द्वारा फिर से निर्धारण करने के लिये रद्द किये गये; और

(ख) वर्ष-वार कितने मामलों में फिर से निर्धारण पूरा हो गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : माँगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी द्वारा नई दिल्ली की एसोसिएटिड जर्नलिस्ट्स लिमिटेड को दिया गया ऋण

5626. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री शिवप्पा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इंडिया एस्योरेंस कम्पनी ने नई दिल्ली की एसोसिएटिड जर्नलिस्ट्स लिमिटेड को हाल ही में कई लाख रुपये का ऋण दिया है; और

(ख) क्या न्यू इंडिया एस्योरेंस कम्पनी अथवा अन्य बीमा कम्पनियों ने ऐसे ऋण कुछ अन्य संस्थाओं को भी दिये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : बीमा अधिनियम 1938 के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि बीमा कम्पनियाँ ऋणों के ब्यौरे बीमा नियंत्रक को प्रस्तुत करें। अतएव माँगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

Supply of Electricity to U. P. for Irrigation

5627. **Shri Prkash Vir Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to adopt more liberalised policy in regard to the supplying of additional electricity to Uttar Pradesh for irrigation purposes ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) when the said decision is likely to be implemented ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) to (c) : The Government of Uttar Pradesh have issued instructions on the 7th June, 1968, liberalising procedures and terms and conditions for the grant of power connections for irrigation purposes. Previsouly the District Power and Irrigation Committee were authorised to sanction power connections up to 5 H. P. for cultivators having land holdings up to 20 acres and 7.5 H. P. for cultivators having land holdings more than 20 acres. These restrictions have now been removed. The District Power and Irrigation Committee can now sanction the H.P. necessary for running tubewells/pumping sets.

Research for Indigenous Medicines for Family Planning

5628. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the further progress made in the research work that was going on sometime back on Indian Medicines for purposes of family planning ;

(b) whether the cooperation of certain Unani and Ayurvedic specialists is also being sought in this regard ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development) (Dr. S. Chandrashekhar) :

(a) As a result of experiments so far conducted on animals a medicinal plant—Palasa (Butea monosperma Kuntze) is found to have some anti-fertility effect. Further investigations are being carried on.

(b) Yes.

(c) Practitioners of Indigenous System of Medicine have suggested some drugs and compound preparations claiming to have an anti-fertility effect. Out of 295 such claims, 16 single drugs and 17 compound preparations have been selected on the recommendation of an Expert Committee for further investigations.

Use of Indian Languages in Currency Notes

5629. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent to which the proposal for giving prominence to the Indian languages, particularly to the Official language Hindi in currency notes, which was under consideration some time ago, has been implemented ;

(b) whether there were certain technical difficulties due to which that decision could not be implemented ; and

(c) if so, the time by which it would be possible to implement that ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) Further use of Hindi has been made in the new series of Bank notes of the denomination of rupees ten put into circulation recently. The value renderings already appear in the Indian languages in currency and bank notes and these have been made somewhat more prominent in the notes referred to above. In considering the matter, several aspects such as the portion of the notes that can be utilised for words within the limits imposed by layout and security aspects of design etc. have to be kept in view. The position in regard to further use of Hindi in the notes of other denominations also will be examined at the time of issue of notes of new series.

Vacant Quarters in R. K. Puram, New Delhi

5630. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi are still lying vacant as water and electricity could not be provided in them ;

(b) whether it is also a fact that Government have not considered any scheme to increase the supply of electricity and water in proportion to the ever-increasing population of Delhi ; and

(c) if so, the time by which the necessary arrangements in this regard would be made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply : (Shri Iqbal Singh) :

(a) Yes, 400 completed quarters in Sector XII of R. K. Puram are awaiting supply of electricity and water.

(b) It is understood that the Delhi Electric Supply Undertaking and the Delhi Water Supply and Sewage Undertaking have formulated schemes to augment supply of electricity and water keeping in view the ever-increasing requirements.

(c) The completed quarters in R. K. Puram are expected to receive water supply in a month or so. About half the quarters are expected to receive power supply in September 1968 and the balance after two to three months after that.

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिये किराया-खरीद योजना

5631. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकारी ने राजधानी में किराया-खरीद के आधार पर मकान बनाने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने और कहाँ-कहाँ पर मकान बनाये जायेंगे, और

(ग) इसके लिए कितना धन नियत किया गया है ?

स्वास्थ्य,परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) 3,130 आवास एकक। इन आवास एककों का विवरण इस प्रकार है :

योजना का नाम	आवास एककों की संख्या				योग
	150 वर्गगज	125 वर्गगज	80 वर्गगज	40 वर्गगज	
1. सफदरजंग आवासिक योजना	140	248			388
2. पूर्वी कैलाश	88	40			128
3. नजफगढ़ रोड	24		260		284
4. नरैणा	148	118			266
5. पंखा रोड			784	1000	1784
6. सफदरजंग में पूर्व निर्मित फ्लैट आवासिक योजना ब्लाक "सी"					280
					3,130

(ग) 1968-69 में मकानों के निर्माण पर (भूमि की लागत निकाल कर) प्रत्याशित व्यय 281.71 लाख रुपये है जबकि आगामी वित्तीय वर्ष (1969-70) में 469.47 लाख रुपये हैं।

नरेला (दिल्ली) स्थित तेल मिलों द्वारा आय कर की अदायगी

5632. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में दिल्ली में नरेला स्थित तेल मिलों में से प्रत्येक ने कितना आय कर दिया;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत पाँच वर्षों में इन मिलों के खाते में आयकर की अदायगी के सम्बन्ध में बहुत सी अनियमिततायें पाई गई थीं; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली के नरेला कस्बे की प्रत्येक तेल मिल ने 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में नीचे लिखे अनुसार आयकर अदा किया है।

(1) मैसर्स सुमनलाल चुन्नीलाल (अब सुमन आयल एण्ड जनरल मिल्स)	1965–66	23,680	रुपये
	1966–67	36,231	रुपये
	1967–68	1,06,078	रुपये
(2) मेसर्स रोशन आयल कम्पनी	1965–66	14,216	रुपये
	1966–67	8,748	रुपये
	1967–68	14,216	रुपये

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Supply of Surplus Gas in Assam to other Parts of the Country

5633. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to supply the surplus gas in Assam through pipelines to other parts of the country where there is great demand for it instead of flaring it ;

(b) whether it is a fact that this type of gas is suplied to a distance of more than 3000 miles in U. S. S. R. and Canada through pipelines and Government of the said countries have made an offer in this regard to Government ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) It is proposed to utilise 95 per cent of the gas produced by Oil India Lld., for industries located in Assam and the balance which is very low pressure gas will be flated. The Oil and Natural Gas Commission has yet to make an assessment about the availability of the associated gas from the Rudrasagar and Lakwa fields which are on trial production. There is at present no surplus gas available for disposal in other parts of the country.

(b) In the U. S. S. R. and Canada, where very large quantities of natural gas are available, gas is transported over long distances by pipeline. The quantity of gas produced in the Assam fields is very small compared to the quantities available in those countries. Such long pipelines can be built only when there is an assured supply of large quantities of gas so as to make the transportation an economic proposition. Government have not received any offer from the Governments of U. S. S. R. and Canada for the transport of gas through pipelines.

(c) Does not arise.

Production of Fertilizer from Rock Phosphate

5634. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Research and Development Division, Sindri has evolved a new formula for producing fertilizer from rock phosphate and sulphuric acid after mixing ammonia ;

(b) whether it is also a fact that gypsum would be obtained as a by-product and the cost of production ammonium sulphate would be reduced by Rupees 100 per tonne as a result thereof ; and

(c) if so, the scheme formulated for production of fertilizer with this formula ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) :

(a) It is presumed that the question relates to the Sindri Rationalisation Scheme. If so, the scheme involves the production of Ammoniated Triple Superphosphate, for which the plant will be designed and engineered by the Planning and Development Division of Fertilizer Corporation of India Ltd., at Sindri.

(b) Yes; the cost of production of ammonium sulphate will be reduced substantially as by-product gypsum will be available at a nominal price.

(c) The Sindri Rationalisation Scheme envisages production of about 156,000 tonnes of P205 per year in the form of Triple Superphosphate in addition to the existing products at the Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India Ltd. The scheme would use sulphuric acid produced from Amjhore pyrites for production of phosphoric acid and by-product gypsum. The phosphoric acid will be used for the production of Triple Superphosphate while the by-product gypsum will be used for the production of ammonium sulphate in

place of natural gypsum. The scheme is estimated to cost about Rs. 23 crores including a foreign exchange component of Rs.5.93 crores.

D. V. C. Hydel Power Houses

5635. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production cost of power generated in Hydel Power Houses of Damodar Valley Corporation has constantly been rising since 1965-66 and if so, the relative cost of power production since 1965-66 each year and the reasons for the rise ;

(b) whether it is also a fact that all these hydel power houses are running at loss ; and

(c) if so, the source from which such loss is made good and the steps being taken by Government to make them profitable ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) The unit cost of hydel power of the Damodar Valley Corporation went up from 7.08 paise per kwh during 1965·66 to 15.55 paise per kwh. during 1966'67 ; but it came down to about 9 paise per Kwh during 1967-68. The increase during 1966-67 was due to considerable short fall in generation consequent on drought conditions which prevailed during the year.

(b) The answer is in the negative.

(c) Does not arise.

शाहदरा क्षेत्र में अविकसित भूमि के लिये प्रीमियम

5636. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री द० रा० परमार :**
श्री रामचन्द्र जे० अमीन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविकसित भूमि के लिये 8 रुपये प्रति वर्ग गज (शुद्ध क्षेत्र) प्रीमियम अधिक नहीं है;

(ख) क्या प्रीमियम "दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, उसके विकास और विक्रय की योजना" के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिससे बिना लाभ तथा बिना हानि के आधार पर पूर्व निश्चित आरक्षित मूल्य पर सहकारी समितियों को भूमि आवंटित करने की व्यवस्था है और जिसकी कंडिक 11 (क) के साथ पठित कंडिया 7 के अनुसार भूमि अर्जन की वास्तविक लागत के अतिरिक्त हुआ व्यय आधा वसूल किया जाना चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो इन समितियों के मामले में, जिन्हें शाहदरा क्षेत्र में अविकसित भूमि की पेशकश की गई है, प्रशासन ने 8 रुपये प्रतिगज के हिसाब से प्रीमियम की उपरोक्त दर का निश्चय किस आधार पर किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास और व्ययन की योजना के अनुसार प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। आधी दरों पर अतिरिक्त प्रभार की वसूली केवल

उन्हीं समितियों से की जाती है जो भूमि की मालिक थीं अथवा जिन के लिए भूमि योजना चालू होने से पूर्व अर्जनार्थ अधिसूचित कर दी गयी थी।

(ग) इस समय यह निश्चय करना कठिन है कि अर्जित भूमि अन्त में सरकार को किस भाव पड़ेगी क्योंकि अधिकाँश अपीलों, सन्दर्भों के विषय में अभी न्यायालयों को निर्णय करना है। फिर भी भूमि की कुल अनुमानित लागत प्रतिवर्ग गज 5 और 6 रुपये के बीच और अतिरिक्त प्रभार कुल क्षेत्र के आधार पर 2 और 3 रुपये प्रतिगज के बीच आंके गये हैं।

केसरी दाल से प्रतिबन्ध हटाना

5637. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत केसरी दाल पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाया जायेगा, ताकि बिहार तथा मध्य प्रदेश से इसका निर्यात किया जा सके और अन्य राज्यों में पशुओं के खाने के लिये यह उपलब्ध किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इन राज्यों में पड़े हुए केसरी दाल के भारी स्टाकों का किस प्रकार इस्तेमाल करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ब० सू० मूर्ति) : (क) केसरी दाल का एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को निर्यात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। फिर भी अधिकाँश राज्य सरकारों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन केसरी दाल की बिक्री तथा किसी नाम से इसको विक्री के लिये रखना अथवा बिक्री के लिये तैयार किये गये किसी खाद्य पदार्थ में इसे मिलाकर प्रयोग करने पर, प्रतिबन्ध लगा दिया है क्योंकि केसरी दाल का अत्यधिक मात्रा में उपभोग मानव तथा पशुओं दोनों में ही लेथीरिजम अर्थात् त्रिपुर रोग उत्पन्न कर देता है।

(ख) इस सम्बन्ध में बिहार अथवा मध्य प्रदेश राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

पैनिसीलिन की उत्पादन लागत

5638. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड में पैनिसीलिन की उत्पादन लागत कितनी है तथा इसका बिक्री मूल्य क्या है;

(ख) क्या इन दोनों में बड़ा अन्तर है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : उत्पादन की लागत के आँकड़ों को बताना जनहित में या कम्पनी के हित में नहीं है। तथापि सरकार ने कम्पनी के पैनिसीलिन उत्पादों का विक्रय मूल्य, उत्पादन की लागत को ध्यान में रख कर किया है। उत्पादन की लागत और विक्रय मूल्यों में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा उर्वरक की दरें बढ़ाना

5639. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने अपनी दरों को देश के अन्य कारखानों की दरों के बराबर करने के लिये उर्वरक की दरों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह वृद्धि प्रति टन कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पैट्रोलियम उत्पादों की माँग

640. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई पक्का अनुमान लगाया गया है कि 1975 तक पैट्रोलियम उत्पादों की कितनी माँग होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों के लिये लगाये गये अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विभिन्न तेल शोधक कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) 1975 में पैट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित माँग को कैसे पूरा करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) इस अनुमानित माँग को पूरा करने के लिये गैर-सरकारी तेल-शोधक कारखानों को कहाँ तक अपनी तेल शोधक क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1975 तक पैट्रोलियम उत्पादों की संभावनीय माँग का अनुमान लगाया गया है। इसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा।

(ख) 1975 में पैट्रोलियम उत्पादों की माँग के निम्न प्रकार होने की संभावना है :

	('000 मीटरी टन)
हल्के आसुत	7903
मिट्टी के तेल	4444
डीजलस	8404
हैवी इन्डज़	6485
बिटूमैन	945
लुब्रीकैन्टस	806
अन्य	2929

(ग) इस समय शोधनशालाओं में अनुमोदित प्रासैसिंग (Processing) क्षमता प्रतिवर्ष 17.50 मिलियन मीटरी टन है।

(घ) 1975 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की माँग को वर्तमान शोधनशालाओं के विस्तार या नई शोधनशालायें बना कर जैसा भी अधिक उपयुक्त पाया जायेगा, शोधन क्षमता में वृद्धि से पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ङ) देश में, सामान्यता, और अपने-अपने क्षेत्रों में, विशेषतया, माँग के बढ़ने पर इस पर जाँच की जायेगी।

औद्योगिक खपत के लिये पैट्रोलियम कोक

5641. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान तथा धातु विभाग द्वारा स्थापित अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि देशी स्रोतों से उपलब्ध समूचे कच्चे पैट्रोलियम कौक को औद्योगिक खपत के लिये आरक्षित किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) आवश्यकतानुसार इसकी उपलब्धि कराई जा रही है।

ग्रुप चार गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा नये सदस्यों का पंजीकरण

5942. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री जी० सी० नायक :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ग्रुप चार गृह-निर्माण सहकारी समितियों को हिदायतें दी गई हैं कि वे सहकारी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये उपनियमों के अनुसार पत्र सदस्यों को पुराने अंश हस्तांतरित करके भी नये सदस्यों का पंजीकरण बन्द कर दें;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन की उपरोक्त प्रशासनिक हिदायतें कानून तथा उसके अधीन संविहित नियमों के प्रतिकूल हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले में पुनर्विचार करेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क), (ख) और (ग) : दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और व्ययन योजना के अधीन भूमि के समुचित नियतन तथा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी सहकारी गृह निर्माण समितियों को, जिन्हें भूमि दी गई है अथवा दिये जाने का विचार है, इस आशय के अनुदेश दे दिये गये हैं कि दिल्ली प्रशासन की मंजूरी के बिना बनाये गये नये सदस्यों को भूमि। प्लाट के नियतन अथवा उनके पक्ष में उप-पट्टों के क्रियान्वयन को मान्यता नहीं दी जायेगी।

ग्रुप चार की गृह निर्माण सहकारी समितियों को शाहदरा में भूमि का आवंटन

5643. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री गु० च० नायक :**
श्री वीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा क्षेत्र में ग्रुप चार की कितनी तथा किन-किन गृह-निर्माण सहकारी समितियों को भूमि देने का विचार है;

(ख) इन समितियों से प्रीमियम की कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) इन समितियों के कितने सदस्यों को भूमि आवंटित करने का विचार है; और

(घ) इन समितियों को भूमि आवंटित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है और क्या सरकार, दिसम्बर, 1969 तक भूमि का आवंटन करने के लिये कटिबद्ध है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) समूह चार की ३९ समितियों ने शाहदरा क्षेत्र में भूमि नियतन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, इन समितियों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1894/68] ।

(ख) भूमि के अधिमूल्य के रूप में इन समितियों से कुल 3,09,34,000 रु० की रकम प्राप्त हुई है।

(ग) इन समितियों की कुल सदस्य संख्या लगभग 10,000 (दस हजार) है।

(घ) नियतन के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है।

ग्रुप चार की सहकारी गृह-निर्माण समितियों पर अतिरिक्त शुल्क

5644. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री वीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री गु० च० नायक :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप चार की सहकारी गृह-निर्माण समितियों (शाहदरा) को 8 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भूमि का प्रीमियम देने के अतिरिक्त जो कुल सड़कों के निर्माण (कुल क्षेत्र) पर 0.50 पैसे प्रति वर्ग गज की दर से अतिरिक्त शुल्क देने के लिये कहा गया है;

(ख) क्या उपरोक्त उपकर मूल शर्तों के विरुद्ध है;

(ग) क्या प्रशासन ने भूमि का वास्तविक कब्जा ले लिया है तथा सड़कों के निशान-देही लगाने का कार्य हो रहा है;

(घ) क्या वृहद् योजना के अन्तर्गत सैक्टर/जोन विकास को क्रियान्वित करने के लिये नियत सार्वजनिक धनराशि से अन्तर्सम्बद्ध सेवाओं और सार्वजनिक सड़कों की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेवारी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब०सू०मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) क्योंकि यह शुल्क क्षेत्रीय/परिसीमा वाली सड़कों के निर्माण पर हुये खर्च को पूरा करने के लिये है अतः यह अधिमूल्य की राशि में नहीं आता। ऐसी स्थिति में इससे उन मूल शर्तों का उल्लंघन नहीं होता जिनके अनुसार इन समितियों को भूमि देने का प्रस्ताव किया गया था।

(ग) शाहदरा क्षेत्र में सड़कों की निशान देही का काम अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही के पूरा होते ही शुरू कर दिया जायेगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

ग्रुप चार की सहकारी गृह-निर्माण समितियाँ, शाहदरा

5645. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री गु० च० नायक :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रुप चार की कुछ सहकारी गृह-निर्माण समितियों को शाहदरा की और भूमि देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें भूमि के प्रीमियम की राशि देने को कब कहा गया था तथा किन शर्तों पर ;

(ग) क्या सरकार के लिये उन शर्तों का पालन करवाना संभव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू०मूर्ति)

(क) जी हाँ।

(ख) इन समितियों को आठ रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से इस भूमि का प्रीमियम दो समान किश्तों में देना था। पहली किश्त जुलाई-अगस्त, 1966 में वसूल की गई थी। अधिकाँश समितियों ने मार्च-जुलाई, 1968 की अवधि में दूसरी किश्त दे दी है। दूसरी किश्त का भुगतान कर देने के बारे में समितियों को फरवरी, 1968 में जो पत्र जारी किया गया था उसमें भी उल्लेख कर दिया गया था कि इस भूमि का कब्जा सम्भवतया छः महीने के अन्दर-अन्दर दिया जाना है।

(ग) और (घ) : कानूनी कठिनाइयों के कारण भूमि के अर्जन में विलम्ब होने से अभी तक इन समितियों को भूमि का कब्जा देना सम्भव नहीं बन पड़ा है।

Directive by Pope in use of Contraceptives

5646. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Onkar Singh : **Shri S. R. Damani :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the direction issued by Pope to the effect that Christians should not use contraceptives ;

(b) whether it is also a fact that Father Anthoni-Desouza, the Director of the Indian Social Institute, has called a conference of Church authorities in Delhi in order to formulate a scheme to implement the said direction of Pope ;

(c) whether it is likely to give a set back to the Family Planning programmes of Government ;

(d) if so, the action taken by Government in this rgard ; and

(e) whether Government would give a clear assurance that in the case of Family Planning , no discrimination on the basis of religion, caste or community would be shown ?

The Minister of State for Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) Yes. I have seen the Encyclical letter dated the 25th July, 1968 from His Holiness Pope Paul VI on the regulation of birth.

(b) Yes.

(c) and (d) The Family Planning movement in India has been founded on ethical, rational scientific and voluntary basis. The programme is essentially related to socio-economic development of the people and the country. The programme envisages 'cafeteria' approach laying full emphasis, without any compulsion, coercion or force, on all known and approved methods including abstinence, safe period, IUCD, sterilization etc., the relative significance and use of which are explained to people in order to enable them to make their own choice on voluntary basis. The acceptance of known methods of Family Planning by people depends upon the acceptance of the idea of small family norm by them in the interest of their own and family welfare. The Government does not consider this as a religious question and does not want religion to be brought in the programme in any shape or form.

(e) There is no discrimination on the basis of religion, caste or community in the Family Planning Programme.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की वरिष्ठता का निर्धारण

5647. **श्री स० अ० अगड़ी :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के कितने डाक्टरों के मामलों में वरिष्ठता ठीक तरह से निर्धारित नहीं की गई है;

(ख) क्या ऐसे मामले संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इन मामलों पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गलत वरिष्ठता निर्धारित करने के कारण जिन डाक्टरों के साथ अन्याय हुआ है उसको ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में काम करने वाले किसी भी डाक्टर की वरिष्ठता गलत रूप से निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की वरिष्ठता निर्धारित करना

648. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अधिक योग्यता प्राप्त, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये तथा वरिष्ठ विभागीय सी० एच० एस० डाक्टरों को 21 अगस्त, 1967 की वरिष्ठता सूची में कुछ कम योग्यता प्राप्त, कनिष्ठ विभागीय सी० एच० एस० डाक्टरों की तुलना में बहुत नीचे स्थान दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे डाक्टरों की संख्या क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है कि मंत्रालय की विभागीय पदोन्नति समिति ने कम योग्यता प्राप्त तथा कनिष्ठ सी० एच० एस० डाक्टरों की तदर्थ सेवाओं को नियमित कर दिया है और अधिक योग्यता प्राप्त वरिष्ठ डाक्टरों को छोड़ दिया है; और

(घ) अधिक योग्यता प्राप्त तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये डाक्टरों के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) : 21 अगस्त, 1967 को कोई वरिष्ठता सूची नहीं निकाली गई थी। केन्द्रीय स्वास्थ्य-सेवा के विभिन्न संशोधित ग्रेडों में भर्ती के लिए अनुमोदित अधिकारियों की सूचियाँ 21 मार्च, 1967 को निकाली गई थीं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1963 की यथा संशोधित उपबन्धों के अनुसार समस्त विभागीय उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर इन नियमों के अधीन गठित चयन समिति तथा संघ लोक सेवा आयोग ने विचार किया था । सभी संबंधित अधिकारियों की शैक्षिक योग्यताओं, सेवा अभिलेखों तथा अन्य सम्बन्धित विवरणों की जाँच करने के पश्चात ही विभिन्न ग्रेडों में उनका योग्यता क्रम सुझाया गया था और ऐसा करते हुए ,कुछ अधिकारियों को उनसे निचले ग्रेडों के लिए अनुमोदित किया गया, जिनके कि वे पात्र थे।

(ग) स्वास्थ्य परिवार, नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय की किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति ने इस मामले पर विचार नहीं किया। यह तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक चयन समिति थी जिसने सभी मामलों पर उनके गुण दोषों के आधार पर विचार किया था। अतः किसी डाक्टर की तदर्थ सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

तिब्बत में भारतीय व्यापार एजेंसियों के लिए डाक्टर

5649. **श्री स० अ० अगडी :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1959-60 में तिब्बत में भारतीय व्यापार एजेंसियों के लिए कितने डाक्टरों का चयन किया गया;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये डाक्टरों में से कितने डाक्टरों को उक्त पद पर नियुक्त किया गया;

(ग) उन डाक्टरों की संख्या कितनी है, जिनका चयन तो किया गया था, परन्तु जिन्हें उक्त पदों पर नियुक्त नहीं किया गया;

(घ) क्या उन्हें किसी ऐसे ही अन्य समकक्ष पदों पर नियुक्त करने की कोई पेशकश की गई है; और

(ड.) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य,परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) एक ।

(ख) कोई नहीं।

(ग) एक।

(घ) जी हाँ ।

(ङ) सहायक सर्जन ग्रेड 1, विलिंग्डन अस्पताल तथा उपचर्या गृह, नई दिल्ली में।

आबादी पर परिवार नियोजन का प्रभाव

5650. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के परिणाम स्वरूप मुसलमानों की तुलना में हिन्दुओं की प्रतिशतता बहुत कम हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो परिवार नियोजन योजना चालू होने से पहले हिन्दुओं और मुसलमानों की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि होती थी तथा इस समय कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) :

(क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये बस्तियां

5651. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के राज्यों में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों की बहुत सी बस्तियाँ गन्दगी, पेय जल, चिकित्सा तथा बाजार की सुविधाओं के अभाव के कारण बुरी स्थिति में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों में स्थिति में सुधार करने के लिये राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या अधिक सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुथ्याल-राव) :

(क) से (घ) : हरियाणा में कोई अनुसूचित आदिम जाति नहीं है तथा उत्तर प्रदेश की आदिम जातियों को अभी हाल में अनुसूचित किया गया है।

पिछड़े वर्ग क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए, अग्रताएं विहित की गई हैं; जिनके अनुसार शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य तथा आवास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम समझा गया है। पिछड़े वर्ग क्षेत्र में सीमित साधन उपलब्ध होने के कारण अन्य कार्यक्रमों में भी कल्याण सेवाओं को शामिल करना कठिन है। इसलिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की बस्तियों में चिकित्सा तथा विपणन की विशेष सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को पीने का पानी प्रदान करने की योजना के अधीन पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय सहायता का हिसाब कुल व्यवस्था और खर्च के अनुसार न कि विशिष्ट योजनाओं के अनुसार, लगाया जाता है।

पीने के पानी की प्रदाय सम्बन्धी योजना को अधिक सहायता दिये जाने का कोई अनुरोध उत्तर प्रदेश अथवा हरियाणा से प्राप्त नहीं हुआ है।

विशाल दिल्ली की योजना

5652. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशाल दिल्ली की एक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के बड़े भू-भागों को शामिल किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा क्या उन राज्यों ने अपने भू-भाग देने की मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है तथा प्रत्येक राज्य के किन-किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने दिल्ली के इर्द-गिर्द के क्षेत्र के जिसे 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' के नाम से पुकारा जाता है, आयोजन के लिए एक उच्चाधिकार सम्पन्न बोर्ड गठित किया है। इस बोर्ड का उद्देश्य दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों का एक समेकित इकाई के रूप में आयोजन करना तथा विकास प्रायोजनाओं को समन्वित रूप से क्रियान्वित करना है। इसमें राज्यों द्वारा अपने किसी भू भाग को छोड़ने की कोई बात नहीं है।

Opening of Post-Graduate Medical Colleges in U. P.

5653. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is not a single Post-graduate Medical College in Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether it is also afact that there are such Colleges in Madras and West Bengal;

(c) if so, the reasons for the said discrimination ;

(d) whether Government propose to open such colleges in Uttar Pradesh in the near future ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development, (Shri B. S. Murthy) :

(a) There is no Medical College in Uttar Pradesh exclusively for Post-graduate Medical Education. The following Medical Colleges/Institutes in the State are, however, imparting Post-graduate training :

1. K. G. Medical College, Lucknow.
2. G. S. V. M. Medical College, Kanpur.
3. S. N. Medical College, Agra.
4. Motilal Nehru Medical College, Allahabad.
5. College of Medical Sciences, Banaras.
6. Institute of Ophthalmology, Aligarh.

(b) West Bengal has an Institute of Post-graduate Medical Education and Research at Calcutta. There is no such Institute in Madras.

(c) The Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Calcutta, is a State managed institution.

(d) The Central Government do not propose to open any post-graduate institute in U. P.

(e) Limitation of funds.

अमीचन्द प्यारेलाल तथा सम्बन्धित फर्मों से इस्पात के सौदों के बारे में राजस्व आसूचना का प्रतिवेदन

5654. **श्री सीताराम केसरी : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के राजस्व आसूचना विभाग ने मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल तथा उससे सम्बद्ध फर्मों के साथ किये गये इस्पात के सौदों के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियाँ क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न ही पैदा नहीं होते ।

दिल्ली में अस्पतालों में प्रयोगशाला उपकरणों तथा कर्मचारियों की कमी

5655. **श्री सीताराम केसरी :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अस्पतालों में उपकरणों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण शव परीक्षण तथा पेट की क्लाई इत्यादि के विश्लेषण में काफी विलम्ब होता है: और

(ख) यदि हाँ, तो संघ राज्य क्षेत्रों में अपेक्षित प्रयोगशालायें स्थापित करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी उपक्रम ब्यूरो

5656. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रम ब्यूरो को कौन से कृत्य सौंपे गये हैं;

(ख) ब्यूरो का संगठन किस प्रकार का है;

(ग) क्या सरकार ने ब्यूरो के कार्यों का कोई पुनरीक्षण किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : सरकारी उपक्रम ब्यूरो, सरकारी उपक्रमों के लिये समन्वय, सेवा और मूल्याँकन करनेवाले अभिकरण के रूप में काम करता है।

(ख) : इस समय यह कार्यालय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की एक प्रशाखा के रूप में गठित किया गया है।

(ग) और (घ) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में ब्यूरो के कार्यों के संबंध में विचार किया है और उसने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है।

आन्ध्र प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

5657. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक निगम ने आन्ध्र प्रदेश में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना लगाने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस कारखाने पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारतीय उर्वरक निगम ने आन्ध्र प्रदेश में कोयला पर आधारित उर्वरक प्लांट का तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्य अध्ययन बनाया है। यह रिपोर्ट निगम के निदेशकों के बोर्ड के विचाराधीन है।

(ख) रिपोर्ट में प्लांट के कोठागुडम और रामगुण्डम में लगाये जाने की सम्भाव्येता की जाँच की गई है। प्लांट की क्षमता 495,000 मीटरी टन प्रति वर्ष निर्धारित की गई है।

(ग) लगभग 63 करोड़ रुपये।

Compensation to Farmers for Acquisition of Land for Construction of Rajasthan Canal

5658. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that plights of hundreds of farmers, whose agricultural land had been requisitioned during the course of the construction of the Rajasthan Canal and who have not been allotted any land in compensation thereof even after the lapse of about 7-8 years, is very miserable ; and

(b) if so, when the compensation is proposed to be made to these farmers and what other relief measures for them are being contemplated ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) and (b) In case of persons whose lands have been acquired in connection with the construction of the Rajasthan canal, allotments of land in lieu thereof, when they so desired, has been sanctioned as permissible under the rules. To the others whose lands have been acquired, cash compensation has been paid as determined under the Land Acquisition Act.

फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के लिये कोचीन में भूमि का अर्जन

5659. **श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में उर्वरक एवं पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिये लगभग 1300 एकड़ भूमि का अर्जन करने के बारे में, फर्टीलाइजर एण्ड केमीकल्स त्रावनकोर लिमिटेड ने केरल सरकार से एक समझौता किया है;

(ख) क्या कम्पनी ने यह समझौता केन्द्रीय सरकार की सहमति से किया है; और

(ग) क्या उद्योग समूह में से पैट्रो-रसायन उद्योग को इस बीच निकाल दिया गया है और यदि हाँ , तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) : जी हाँ। फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड ने कोचीन उर्वरक परियोजना की स्थापना के लिये लगभग 1300 एकड़ भूमि के अर्जन के लिये केरल सरकार से एक करार किया है।

(ख) जी नहीं, कम्पनी राज्य सरकार से सीधा करार करने में समर्थ है।

(ग) कोचीन के लिये पहले किसी पैट्रो-रसायन परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया था और इसे त्याग देने का प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य जमा योजना

*5660. **श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनिवार्य जमा योजना में आरम्भ से अब तक जमा बकाया राशि के वर्षवार आँकड़े क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत 1963-64 से लेकर प्रत्येक वर्ष के अन्त तक वापसियों की रकमें घटाने के बाद, ये रकमें बकाया थीं :

	(करोड़ रुपयों में)
1963-94	30.12
1964-65	31.73
1965-66	30.12
1966-67	29·37
1967-68	29.09

Computers in L. I. C.

5661. **Shri Indrajit Gupta :** **Shri J. M. Biswas :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Life Insurance Corporation of India expressed his disagreement at the Standing Labour Committee meeting held in New Delhi on 18th July, 1968, with the consensus of the meeting that introduction of electronic computers should be held in abeyance pending fuller review ;

(b) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation authorities are going ahead with plans to instal a computer at their Calcutta Office at an early date ; and

(c) if so, whether Government propose to intervene in the matter ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : At the 28th Session of the Standing Labour Committee held at New Delhi on the 18th July, 1968, there was a prolonged discussion in the course of which the different parties stated their respective posi ions in regard to automation. At the end of the conference, the Chairman stated that the views expressed had been noted and would be taken in to account by Government in arriving at a decision on the subject. In the meanwhile, the procedure being followed at present for screening of proposals regarding import of computers would continue.

On behalf of the wokers' representatives, it was stated that a Committee should be appointed representing all parties to go into the question of computerization and that *status quo* should be maintained till that Committee reported and also that the L. I. C.'s programme of computerization at Calcutta should be kept in abeyance. In reply to this, the Chairman, L. I. C., once again gave the historical background of introduction of computers in the L. I. C. He pointed out that the decision to instal the two computers in the L. I. C. was taken as far back as in 1964. One had been already installed in Bombay and for the computer for Calcutta, the L.I.C. had entered into a firm contract with the suppliers. He also stated that his computerization was a decision taken by the L.I. C. with the full approval of Government.

हल्दिया में इण्डियन आयल कारपोरेशन का निर्माण कार्यालय

5662. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल-शोधक कारखाना स्थल पर इण्डियन आयल कार्पोरेशन ने कोई निर्माण कार्यालय स्थापित किया है;

(ख) क्या इंजीनियरिंग ठेकेदारों, अर्थात् इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने निर्माण स्थल पर अब तक कोई कार्यालय स्थापित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस प्रगति की इसी गति से यह तेल-शोधक कारखाना 1970 की समाप्ति से पहले चालू हो जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) यह अभी आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) शोधनशाला के कार्यक्रम के अनुसार चालू होने की आशा है।

जीवन बीमा निगम के एजेंटों को कमीशन का भुगतान

5663. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि जीवन बीमा निगम के एजेन्टों में उनके अर्जित कमीशन की अदायगी में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण असंतोष निरंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) बार-बार किये गये अभ्यावेदनों के बावजूद जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा बहुत काल से चली आ रही इस शिकायत को दूर न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : जीवन बीमा निगम की मौजूदा कार्यप्रणाली के अनुसार पहली किश्तों पर कमीशन की अदायगी सम्बन्धित शाखा कार्यालय द्वारा महीने में दो बार की जानी होती है। पहले वर्ष की तथा बाद के नवीकरण की किश्तों का समायोजन जिस महीने में होता है, उन पर कमीशन की अदायगी उसके बाद वाले महीने के खतम होने से पहले की जानी होती है। बोनस कमीशन जब और जैसे देय होता है, वैसे ही उसकी अदायगी की जाती है। लेकिन इसकी अदायगी सामान्यतः पहले वर्ष की तथा बाद के किश्तों के कमीशन-बिलों के साथ की जाती है।

नवीकरण-कमीशन की अदायगी में देरी होने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में देरी मशीनों के खराब हो जाने से अथवा किन्हीं अन्य अनिवार्य कारणों से हुई है। जब कभी देरी के बारे में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धकों को शीघ्र कार्यवाही करने के लिये कहा जाता है। निगम ने एजेंटों को आश्वासन दिया है कि मशीनों का खराब हो जाना अथवा भारी गैर-हाजरियों जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर अन्यथा एजेंटों के देय कमीशन की अदायगी में देरी नहीं होगी।

राष्ट्रीय ऋण परिषद्

5664. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वित्त** मन्त्री-यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण की आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु हुई राष्ट्रीय ऋण परिषद् की हाल ही की बैठक में बफर स्टाकों के लिए बैंकों द्वारा वित्त-व्यवस्था करने के औचित्य तथा अनौचित्य पर विचार किया गया था; और

(ख) उसमें क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय ऋण परिषद् ने 24 जुलाई, 1968 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह विचार प्रकट किया था कि व्यापारिक भण्डारों से पृथक्, अनाज के संकट-निवारक भण्डारों (बफर स्टाक) का खर्च सामान्यतः बजट-सम्बन्धी विनियोगों से ही पूरा किया जाना चाहिए।

नागार्जुन सागर परियोजना का दूसरा प्रक्रम

5665. **श्री देव राव पाटिल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना के द्वितीय चरण पर कार्य शुरू करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार

5666. **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयाली तेल शोधक कारखाने की क्षमता 40 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है;

(ख) इस विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है तथा कितनी अवधि में विस्तार कार्य पूरा हो जायेगा; और

(ग) विस्तार योजना के लिए यदि किसी विदेशी पक्ष से सहयोग माँगा गया है तो उसका नाम क्या है तथा किन अस्थाई शर्तों पर ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) : जी नहीं। परन्तु कुछ अन्दरूनी क्षमता है जिसका निर्धारण किया जा रहा है और इसे यथा समय जरूरत पड़ने पर वर्तमान सहूलियतों में सुधार करने के बाद, उपयोग में लाया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तरल पैट्रोलियम गैस का वितरण

5667. **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 20 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : तरल पैट्रोलियम गैस का वितरण कार्य किस फर्म को सौंपा गया है और यह किन शर्तों पर सौंपा गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

यह अनुमान है कि देश में भारतीय तेल निगम के वितरकों के बारे में सूचना अपेक्षित है। इससे सम्बन्धित ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और यथा समय सभा-पटल पर रखा जायेगा।

मद्रास तेलशोधक कारखाने का निर्माण

5668. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तेलशोधक कारखाने के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है और क्या यह योजना मूल प्राक्कलनों में ही पूर्ण हो जाने की संभावना है, और यदि नहीं, तो तेलशोधक कारखाने की लागत मूल अनुमान से कितनी बढ़ जाने की संभावना है; और

(ग) नवीनतम स्थिति को ध्यान में रखते हुए तेलशोधक कारखाने के कब तक चालू हो जाने की संभावना है और इस परियोजना के पूर्ण होने में यदि कोई विलम्ब होने की संभावना है, तो कितनी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 31 जुलाई, 1968 तक कुल प्रगति 77.6 प्रतिशत है।

(ख) 31 जुलाई, 1968 तक लगभग 25 करोड़ 73 लाख रुपये। मूल अनुमानों से लागत 1 करोड़ 9 लाख रुपये, अर्थात पहले अनुमानों से लगभग 2 प्रतिशत अधिक आने की सम्भावना है।

(ग) 1969 के प्रथम चतुर्थांश तक, अर्थात लगभग तीन महीने देरी से।

जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों में विनियोजन

5669. **श्री एस० पी० राममूर्ति :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम जनता का धन समवायों के शेयर खरीदने में लगाती है;

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा धन लगाने के बारे में सरकार ने क्या मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं और क्या सट्टेबाजी वाले उपक्रमों में विनियोजन किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे उपक्रमों में पूंजी क्यों लगायी गयी है और अब तक ऐसी कुल कितनी राशि लगायी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : जीवन बीमा निगम द्वारा धन का निवेश, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27ए (जैसा वह 23 अगस्त 1958 की अधिसूचना द्वारा जीवन बीमा निगम पर लागू किया गया) द्वारा, तथा तत्कालीन वित्त मन्त्री द्वारा 25 अगस्त 1958 को दिये गये नीति सम्बन्धी वक्तव्य से नियन्त्रित होता है। कम्पनियों के शेयरों में धन लगाने की स्वीकृति है।

कम्पनियों के तरजीही (प्रिफरेंस) और सामान्य शेयरों में 31-3-1968 को कुल 152.10 करोड़ रुपये की रकम लगी हुई थी।

केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत परामर्श बोर्ड

5670. **श्री एस० पी० राममूर्ति :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग न होने के कारण केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत परामर्श बोर्ड के कार्य में रुकावट पड़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्यों में राज्य सलाहकार बोर्डों के, जिनके अध्यक्षों को केन्द्रीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्रियाकलापों का समन्वयन तथा बचत आन्दोलन के प्रसार के लिये आवश्यक विशिष्ट उपायों के बारे में सरकार को सलाह देना शामिल है। सरकार ने इस बोर्ड द्वारा दिये गये सभी सुझावों तथा सिफारिशों पर हमेशा समुचित रूप से विचार किया है और उसे इस बात का पता नहीं है कि सरकारी संगठनों द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है।

संसद सदस्यों के मकानों की देखभाल के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का डिवीजन

5671. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसत्सदस्यों को अलाट किये गये मकानों की देखभाल आदि का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग डिवीजन के एक पृथक एकक को सौंपा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी-कितनी है तथा उन्हें 1 अप्रैल, 1967 से लेकर 31 मार्च, 1968 तक की अवधि में कितना-कितना वेतन तथा भत्ते दिये गये हैं;

(ग) क्या संसत्सदस्यों के मकानों की देखभाल आदि की भारसाधक डिवीजन अन्य मकानों की भी भारसाधक है और यदि हाँ, तो उन मकानों का ब्यौरा क्या है जिनकी वह देखभाल करती है; और

(घ) उसके द्वारा 1967-68 में क्या-क्या काम आरम्भ किया गया, कितने मूल्य की सामग्री का प्रयोग किया गया तथा कितना धन व्यय किया गया तथा इसमें कितना धन मंत्रियों के मकानों पर व्यय किया गया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ। संसद सदस्यों को आवंटित निवास स्थानों की देखरेख केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नांकित यूनिटों के द्वारा की जाती है :

(i) पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन फार बिल्डिंग वर्क्स ।

(ii) एक, सब-डिवीजन फार इलैक्ट्रिक वर्क्स।

(iii) एक, सब-डिवीजन फार हर्टीकल्चर वर्क्स।

(ख) सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1895/68]।

(ग) 1967-68 के दौरान कुछ समय के लिये निम्नांकित मकान/वास जो कि संसद सदस्यों के लिए हैं तथा उप-मंत्रियों के द्वारा दखल में थे, की देखरेख भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन के द्वारा की गयी थी :

(i) 123, नार्थ एवेन्यू
(ii) 7, फिरोजशाह रोड
(iii) 52, साउथ एवेन्यू
(iv) 12-ए, 14 तथा 15 वैस्टर्न कोर्ट।

यह यूनिट संसद भवन तथा संसद भवन के निकट प्लाट नं० 115 पर स्थित सिग्नल बैरक में कार्यालयों की देखरेख भी करता है। यह डिवीजन वैस्टर्न कोर्ट तथा विट्ठलभाई पटेल हाउस के कमरों (सूइट्स) का भी प्रभारी है, चाहे वे कमरे संसद सदस्यों के द्वारा दखल में हों या सरकारी कर्मचारियों के। और फिर, विट्ठलभाई पटेल हाउस तथा आडीटोरियम तथा वैस्टर्न कोर्ट होस्टल की देखरेख इलेक्ट्रिक सब-डिवीजन भी कर रहा है। हार्टीकल्चर सब-डिवीजन केवलमात्र संसद सदस्यों के फ्लैटों की देखरेख करता है। ए० सी० यूनिटों तथा रिफ्रिजरेटरों से संबंधित कार्य के लिए कोई अलग से यूनिट नहीं है। तथापि, यह कार्य अलग से एक इलैक्ट्रिकल सब-डिवीजन द्वारा किया जाता है जो कि मत्रियों के निवास स्थानों का भी इंचार्ज है।

(घ) (i) सामग्री का मूल्य — 8,27,625 रुपये
(ii) कुल किया गया खर्च — 28,98,587 रुपये
(3) उपर्युक्त (2) में से मंत्रियों के निवास स्थानों पर किया गया खर्च — 1,30,633 रुपये।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

56. 2. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आय-कर आयुक्तों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया;

(ग) कार्य की वर्तमान प्रणाली में क्या त्रुटियाँ पाई गई थीं और किन सुधारों का सुझाव दिया गया; और

(घ) क्या कोई निर्णय किये गये थे और यदि हाँ, तो वे क्या हैं?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख), (ग) और (घ) : जिन महत्वपूर्ण मसलों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा निर्णय किये गये उनका एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०1896/68)

विदेशों में शिष्ट मण्डलों का भेजा जाना

5673. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उनके मन्त्रालय के कितने शिष्ट मण्डलों, मन्त्रियों अधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों ने सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की है;

(ख) प्रत्येक ने किन-किन देशों की यात्रा की और प्रत्येक यात्रा कितने-कितने दिनों की थी;

(ग) प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च आया और उसमें से विदेशी मुद्रा कितनी थी;

(घ) ऐसी प्रत्येक यात्रा से सरकार को निश्चित रूप से किस प्रकार का लाभ हुआ; और

(ङ) क्या कोई समझौते सम्पन्न हुए और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ.) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधों के मामले

5674. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में उनके मन्त्रालय में भ्रष्टाचार घूस, चोरी तथा अन्य अपराधों के कितने-कितने मामले पकड़े गए तथा उनमें कितने अधिकारियों (श्रेणीवार) तथा गैर-अधिकारियों का हाथ था;

(ख) कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया तथा कितने मामले केन्द्रीय जाँच विभाग को सौंपे गये;

(ग) 1967-68 में कितने मामले पकड़े गये, कितने मामलों में सजा की गई तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई; और

(घ) ऐसे मामले पुनः न हों इसके लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सिंचाई और बिजली मंत्रालय और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :–

(क) एक––सम्बन्धित अधिकारी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था।

(ख) एक––सम्बन्धित अधिकारी चतुर्थ श्रेणी का था किन्तु यह मामला केन्द्रीय जाँच विभाग को नहीं सौंपा गया था।

(ग) 1967-68 के दौरान ऐसे आठ मामले थे। दो मामलों में मुकदमा चलाया गया था। पहले मामले में सम्बन्धित कर्मचारी को मुक्त कर दिया गया। दूसरे का मामला कचहरी में पड़ा है। तीन व्यक्तियों के 4 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई थी, क्योंकि एक के प्रति दो आरोप लगाये गये हुए थे।

(घ) ऐसे मामलों के बार-बार होने से रोकने के लिए सिंचाई व बिजली मंत्रालय और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता संस्थाएं स्थापित की गई हैं।

परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में सर्वेक्षण

5675. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में 1967-68 में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो वर्गवार कितने कर्मचारी फालतू पाये गये और इस बारे में क्या नीति अपनाई गई है तथा क्या कर्मचारियों की छंटनी करने या उन्हें किसी अन्य प्रकार से खपाने का प्रस्ताव है;

(ग) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1969 की अवधि के दौरान वर्गवार कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और इस अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये; और

(घ) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों के साथ कार्य कर रहे उन फालतू कर्मचारियों का ब्योरा क्या है जिनके लिये उचित स्वीकृति नहीं ली गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) जी नहीं। 1968-69 में ऐसा सर्वेक्षण करने का विचार है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1969 की अवधि में निम्नलिखित आठ अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किये गये :--

परिवार नियोजन विभाग

मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव—1 (श्रेणी-1 राजपत्रित)

स्वास्थ्य एवं नगर विकास विभाग

वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी—1 (श्रेणी-1 राजपत्रित)
(आयुर्वेद शिक्षा बोर्ड)

अपर सचिव के निजी सचिव—1 (श्रेणी-2 राजपत्रित)
स्वास्थ्य एवं नगर विकास विभाग
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और
नगर विकास मंत्री के

प्रथम निजी सहायक (हिन्दी)—(श्रेणी-2 राजपत्रित)

प्रथम निजी सहायक (अंग्रेजी)—1 (श्रेणी-2 राजपत्रित)
अपर सचिव के निजी सहायक—1 (श्रेणी-2 अराजपत्रित)
स्वास्थ्य एवं नगर विकास विभाग
गेस्टेटनर आपरेटर —1 (श्रेणी-3 अराजपत्रित)
जमादार —1 (श्रेणी-4 अराजपत्रित)

कुल 8

स्वास्थ्य एवं नगर विकास और परिवार नियोजन विभागों में निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारियों के पद बनाए गए :

स्वास्थ्य एवं नगर विकास विभाग

अपर सचिव के निजी सचिव	1
वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (आयुर्वेद शिक्षा बोर्ड)	1
अनुभाग अधिकारी (आयुर्वेद शिक्षा बोर्ड)	1
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री के	
प्रथम निजी सहायक (हिन्दी)	1
प्रथम निजी सहायक (अंग्रेजी)	1

परिवार नियोजन विभाग

मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव	1
प्रचार कार्यकारी	1
मैनेजर मार्केटिंग अनुसंधान	1
सम्पर्क अधिकारी	3
प्रणाली विकास आयोजक	1
विक्रय विश्लेषक	1
प्रशासनिक अधिकारी	1
विश्लेपक	2
कुल	16

(घ) मंत्री, राज्य-मंत्री और उप मंत्री के पास ऐसा कोई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है जिसके लिए उचित स्वीकृति नहीं ली गई है। स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के व्यक्तिगत अनुभागों में जब कभी कार्य बढ़ जाता है तो आन्तरिक व्यवस्था द्वारा मंत्रालय के स्वीकृत कर्मचारियों में से अतिरिक्त कर्मचारी दे दिए जाते हैं।

दिल्ली में धार्मिक इमारतों के बारे में विवाद

5676. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय तथा राजधानी में दिल्ली प्रशासन के बीच धार्मिक इमारतों के बारे में कोई विवाद है; और

(ख) यदि हाँ, तो सभी धर्मों की विवादस्पद इमारत कौन-कौन सी हैं, वे कहाँ-कहाँ पर हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार

5677. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य,परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्षों से चल रही केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना सफल सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को अधिक लोगों पर लागू करने के योजना के कार्यान्वियन में देरी होने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस योजना की सफलता के बारे में बता दिया गया है तथा क्या उनमें से कोई उसे अपने राज्यों में भी लागू करने को तैयार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी हाँ।

(ख) प्रारम्भ में यह योजना केवल दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए जुलाई 1954 में शुरू की गई थी। बाद में, 1963 में, इसे बम्बई में शुरू कर दिया गया।

इस योजना को कुछ अन्य शहरों में चरणवार शुरू करने का प्रस्ताव है जो कि उपयुक्त स्थान, कर्मचारियों और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था कि वे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अनुरूप मार्गदर्शी प्रायोजनायें चलायें परन्तु जिन 5 राज्य सरकारों ने उत्तर भेजा है, उनमें से कोई भी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं :

भारतीय तेल परियोजनाओं में सहयोग कर रही अमरीकी तेल कम्पनियाँ

5678. **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल परियोजनाओं में कितनी अमरीकी तेल कम्पनियाँ सहयोग कर रही हैं;

(ख) उनकी सहयोग सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) गत दस वर्षों में उन्होंने कितना मुनाफा कमाया है और इस अवधि में उन्होंने इसमें से कितना मुनाफा पुनः भारत में लगाया है और कितना अपने देशों को भेजा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) : चार।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1897-68]

(ग) (1) मद्रास स्थित शोधनशाला और लूब इंडिया लिमिटेड का सन्यन्त्र निर्माणाधीन है। 31-8-1967 को समाप्त हुए पहले वर्ष के दौरान कोचीन शोधनशाला में 110 लाख रुपये का लाभ हुआ, जो सारे का सारा डिवैल्पमैन्ट रिबेट रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया है। किसी लाभांश की अदायगी नहीं की गई अतः कोई लाभ विदेशों को नहीं भेजा गया।

(2) इंडियन आयल ब्लैंडिंग लि० का 31-3-1968 तक का संचित वास्तविक लाभ 9.45 लाख रुपये है, जिसमें से मैसर्स मोबिल पैट्रोलियम कं० के 20 लाख रुपये की साम्य पूंजी पर 20 प्रतिशत की दर से 4 लाख रुपये का लाभांश, सहयोग करार की शर्तों के अन्तर्गत अमरीका भेजने के लिये उपलब्ध है ।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन

5679. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन, अलग-अलग कितना हुआ और वर्ष 1968-69 में कितना होने का अनुमान है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हर वर्ष कुल कितना राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त करने का विचार है;

(ग) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के आँकड़े इसी अवधि में पाकिस्तान के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के आँकड़ों की तुलना में कितने कम अथवा अधिक हैं; और

(घ) क्या सितम्बर 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् के वर्षों में हर वर्ष भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के आँकड़े पाकिस्तान की अपेक्षा कम रहे हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मत्री (श्री मोरारजी देसाई) : : (क) केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित अनुमानों के अनुसार, साधन-लागत (फैक्टर कास्ट) के आधार पर 1966-67 में भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य 25461 करोड़ रुपया था। 1967-68 तथा 1968-69 से सम्बन्धित कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुमानों के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यह जानकारी चौथी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी ।

(ग) पाकिस्तान सरकार के अनुमानों के अनुसार, साधन-लागत के आधार पर 1966-67 में पाकिस्तान के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य 6018 करोड़ (पाकिस्तानी) रुपया था।

(घ) वर्तमान विनिमय दरों के अनुसार अमरीकी डालरों के रूप में 1965-66 में भारत के सम्बन्ध में प्रति-व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य 95.5 डालर और पाकिस्तान के सम्बन्ध में 90.3 डालर होता है । कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 1966-67 के अनुमानों से पता चलता है कि जबकि पाकिस्तान के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वास्तविक रूप में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में केवल 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उस वर्ष भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में हुई कम वृद्धि देश की कृषि-सम्बन्धी कठिन स्थिति की द्योतक है। यद्यपि 1967-68 के सम्बन्ध में, कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुमानों के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी 1967-68 की वास्तविक राष्ट्रीय आय के जो त्वरित अनुमान केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन ने दिये हैं उनसे पता चलता है कि आय में वास्तविक रूप में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, पाकिस्तान सरकार की 1967-68 की आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि 1967-68 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अलिया बेट द्वीप तथा तापति बेसिन में तटदूर कम गहरे जल में छिद्रण कार्य में रूस का सहयोग

5680. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलिया बेट द्वीप में तथा तापती बेसिन में तट दूर कम गहरे जल में तेल की खोज हेतु छिद्रण कार्य के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता देने के निमित्त रूसी सहयोगकर्ताओं द्वारा नवीनतम रुख क्या अपनाया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में एक करार होने की दिशा में नवीनतम सम्भावना क्या है; और

(ग) यदि ऐसा करार होने की सम्भावना नहीं है, तो इस परियोजना के लिए अन्य साधनों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : सोवियत सरकार ने अलियाबेट द्वीप में जो कुएं खोदने और खम्बात की खाड़ी के कम गहरे पानी में आगे अन्वेषण करने के लिये तकनीकी सहायता देने की इच्छा प्रकट की है। इस समय इस मामले में रूसी अधिकारियों से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(ग) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

Licences for Kerosene Oil in the name of M/s. Radhakrishan Bimalkumar

5681. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred question no. 45 on the 22nd July, 1968 and state :

(a) the nature of the action taken against Messrs. Radhakrishan Bimalkumar, local agent of the Indian Oil Corporation besides suspending the licence for kerosene oil ;

(b) the number of other licences for kerosene oil issued in the name of Messrs. Radhakrishan Bimalkumar in the country which have not been suspended as also the name of the places for which such licences were issued to them and the reasons therefor ; and

(c) the name of th person to whom the aforesaid cancelled licence has now been issued in lieu thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Rghuramaiah) : (a) to (c) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

गैर-सरकारी कम्पनियों में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों के लड़कों की नियुक्ति

5682. **श्री जार्ज फरनेंडीज :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय लंदन और वाशिंगटन में उसके मिशनों में काम करने वाले निदेशकों तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को ऐसी हिदायतें जारी की हैं कि वे अपने लड़कों को ऐसी कम्पनियों में, जिनके साथ उनका सरकारी तौर पर कामकाज है अथवा पहले था, नियुक्त नहीं करा सकते;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जिन्होंने इन बीस वर्षों में अपने लड़कों को यूनियन कार्बाइड, एक्साइज बैटरीज तथा कलकत्ता दिल्ली और बम्बई में ऐसी अन्य कम्पनियों में नौकर कराया है;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें क्या हैं तथा नियुक्ति के समय उन्हें क्या वेतन तथा भत्ते दिये गये थे तथा इस समय क्या मिल रहा है;

(ङ) उनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है जिन्होंने लंदन और वाशिंगटन में नियुक्त अपने माता-पिता से मिलने के उद्देश्य से विदेश का दौरा किया था, और

(च) अपनी सरकारी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिये ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख) : केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियमावली, 1964 के नियम 4 (2) के अनुसार कोई भी प्रथम श्रेणी का अधिकारी सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अपने पुत्र, पुत्री या किसी अन्य आश्रित व्यक्ति को ऐसे किसी भी गैर-सरकारी उपक्रम में; जिससे उसका सरकारी तौर पर काम काज रहता है या ऐसे अन्य किसी भी गैर-सरकारी उपक्रम में; जिससे सरकार का सरकारी तौर पर सम्बन्ध रहता है, नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त जहाँ तक भारत पूर्ति मिशन, लंदन और वाशिंगटन के भारतीय अधिकारियों के पुत्रों, पुत्रियों आदि की विदेशों में नियुक्ति का सम्बन्ध है, विदेश मंत्रालय ने ये हिदायतें जारी की हैं कि अधिकारियों की पत्नियों/पतियों, निकट सम्बन्धियों तथा अन्य आश्रित व्यक्तियों को स्थानीय कार्यालयों (सरकारी या गैर-सरकारी) या वाणिज्यिक फर्मों या अन्य विदेशी मिशनों या विदेशी केन्द्रों में किसी भी हैसियत में कोई नौकरी नहीं करनी चाहिए और न ही प्राइवेट व्यापार में भाग लेना चाहिए या प्राइवेट प्रेकटिस करनी चाहिए। फिर भी, कुछ मामलों में हिदायतों में छूट देकर प्रशिक्षण, शिक्षण आदि के लिए अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। (पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1898/68)

(ङ.) जानकारी उपलब्ध नहींहै।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Admission to Medical Colleges in India

5683. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Health Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of applications received for admission in the Medical Colleges in Delhi and the number of those who got admission during the last three years ;

(b) whether it is a fact that some First divisioners did not succeed in getting admissions ;

(c) if so, the number thereof ; and

(d) the reasons for which Government do not open another Medical College in Delhi ?

Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) A statement is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1899/68).

(b) Yes.

(c) Out of three Medical Colleges in Delhi admissions in the All India Institute of Medical Sciences, except those against the seats reserved for the nominees of the Central Government, are made not on the basis of the marks/division secured in the qualifying examination. but on the results of an All India competitive examination. In the Lady Hardinge Medical College admissions are made on merit on an All'India basis. Only in the Maulana Azad Medical College admissions are made on the basis of marks/division secured in the qualifying examination. The number of first division students who could not secure admission in these three institutions during the last three years is as below:—

	1966	1967	1968
All India Institute of Medical Sciences, New Delhi ...	116	218	315
Maulana Azad Medical College, New Delhi	...	34	132
Lady Hardinge Medical College, New Delhi	136	158	254
	252	410	701

(d) According to the national norm laid down by the Health Survey and Planning Committee, the Union Territory of Delhi is not entitled to another Medical College on the basis of its population.

Water and Electricity Bills in respect of Ministers, Residences

5684. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5840 on the 1st April, 1968, and state :

(a) whether the required information regarding expenditure on water and electricity in respect of residences of Ministers has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken in this regrd and when the said information is likely to be laid on the Table ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) Yes.

(b) and (c) The required information in fulfilment to the assurance to Unstarred Question No. 5840 had been furnished to the Department of Parliamentary Affairs. That Department would be laying the implementation report in respect of the assurance on the Table of the House on the 30th August, 1968.

Hospitals in Delhi

5685. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of hospitals in Delhi and the estimated number thereof required;

(b) the steps being taken by Government to open new hospitals ;

(c) the details of the schemes in regard to the opening of new hospitals or making extensions in the existing ones in the next two years ; and

(d) the places where these hospitals would be opened ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) There are at present 7 General Hospitals and a number of private hospitals, maternity hospitals and T.B. Hospitals. There is also one Infectious Diseases Hospital and one Mental Hospital.

The Delhi Master Plan suggests establishment of 20 additional hospitals, calculated on the basis of one hospital of 500 beds to serve a population of 1.25 lacs.

(b), (c) and (d) : Government had appointed a Committee to review the working of Central Government Hospitals in Delhi. The report of this Committee has been received and is under examination. The question of opening of new hospitals or the expansion of the existing ones will be considered in the context of the recommendations made by this Committee.

Seizure of Gold

5686. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity and value of gold seized by Government during each of the last three years ; and

(b) the manner in which it was utilised ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) The quantity and value of gold at international rate seized by the Customs and Central Excise authorities during the last three years are as under :

Year	Quantity	Value
	Kg.	(Rs. in lakhs) approx.
1965	2284	122
1966	2456	195
1967	4863	410

(b) After adjudication and confiscation, the gold was transferred to the Government of India mint and its value credited to the Central Revenues.

कालकाजी, दिल्ली के निकट संत नगर कालोनी को नियमित कालोनी बनाना

5687. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालकाजी के निकट संत नगर कालोनी काफी समय पहले दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा नियमित कर दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक इस कालोनी का विकास करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ; तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) पूर्वी कैलाश के नाम से विख्यात इस कालोनी का नक्शा, जिसमें संत नगर कालोनी के नियमित नक्शे का भी एकीकरण कर दिया गया था, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1961 में पास किया गया था।

(ख) इस कालोनी में जल मलोत्सरण, बरसाती नालियाँ, सड़कें आदि जैसी आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और विकास कार्य जल्दी ही शुरू करने की सम्भावना है।

(ग) कैलाश की आवास योजना का सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र जिसमें संत नगर कालोनी भी शामिल है अर्जन के लिए अधिसूचनाधीन था। इस मामले में बहुत दिनों तक विचार करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी 1968 में यह निश्चय किया कि नक्शे में दिखाये गये सभी प्लाट, चाहे वे निर्मित हों या अनिर्मित, अर्जन से मुक्त कर दिये जाएं बशर्ते कि प्लाट के स्वामी दिल्ली विकास प्राधिकरण को विकास व्यय का भुगतान कर दें और साथ ही यह भी शर्त है कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्लाट रहेगा। ऐसे घर या प्लाट, जो सड़क के नक्शे के अन्दर आते हैं या अन्य विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हैं, मुक्त नहीं किये जाएंगे। नक्शे में कुछ वस्तुगत अशुद्धियाँ भी हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा गया है कि वे दिल्ली नगर निगम से परामर्श करके इस मामले को यथाशीघ्र निपटा लें।

दिल्ली में सार्वजनिक अस्पतालों की स्थापना

5688. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद ने 500 रोगी शय्याओं के दो अस्पताल——एक पश्चिम दिल्ली और दूसरा शाहदरा में——खोलने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव को कार्य रूप देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां।

(ख) पश्चिम दिल्ली में 500 पलंगों वाले एक अस्पताल के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है। शाहदरा में इसी प्रकार के अस्पताल खोलने के बारे में अभी कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं मिला है।

रामकृष्णपुरम् (नई दिल्ली) में कुछ सुविधाओं की व्यवस्था

5689. **श्री बलराज मधोक :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर नं० 9, 10, 11 और 12 में बहुत सी सड़कें अभी अधूरी पड़ी हैं तथा वहाँ पर अभी तक कोई पार्क नहीं लगाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रामकृष्णपुरम के सैक्टर 12 में अभी तक कोई भी प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो वहां पर इन सुविधाओं की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) सैक्टर 9 और 12 में बने तथा दखल किये गये क्वार्टरों के आस-पास की सड़कें पूरी हो चुकी हैं। सैक्टर 10 का अभी विकास नहीं हुआ है। विकास के समय सड़कों की व्यवस्था की जायेगी। सैक्टर 9 में, पार्कों के लिए दो स्थान निर्धारित कर दिये गये हैं, जिनमें से एक तो विकसित हो चुका है और दूसरे का विकास किया जा रहा है। सैक्टर 12 में दखल हुए क्वार्टरों के पास एक पार्क का विकास किया जा रहा है और इस कार्य के शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।

(ख) और (ग) : सैक्टर 12 में एक प्राईमरी स्कूल के लिए तथा दो हायर सैकण्डरी स्कूलों के स्थानों का आवंटन किया जा चुका है। प्राइमरी स्कूल के आवंटनों ने चार दीवारी बनाना आरंभ कर दिया है जबकि हायर सैकण्डरी स्कूलों के निर्माण के लिए निर्दिष्ट भूमि को अभी विकसित नहीं किया गया है। अतएव इन स्थानों पर भवनों का आरंभ कुछ समय बाद होगा। तब तक सैक्टर 12 के बच्चों को सैक्टर 9 में चल रहे स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

नई दिल्ली में चल चित्र गृहों द्वारा वृहद योजना का उल्लंघन

5691. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले कई चलचित्रगृहों द्वारा वृहद योजना का उल्लंघन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रामकृष्णपुरम दिल्ली के लिए जल सम्भरण

5692. **श्री स० च० सामन्त :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रामकृष्णपुरम के सैक्टर 8 तथा 9 में मई तथा जून में जल सम्भरण पूर्णतया अपर्याप्त था और तीसरी मंजिल पर रहने वालों को प्रति दिन आधा घंटा मुश्किल से जल मिल पाता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न मंजिलों के लिये पृथक-पृथक पाइप लाइन नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप निचली मंजिलों पर नल के खुलने पर ऊपरी मंजिल में जल पहुंचने पर सीधा प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या सैक्टर 13 के क्वार्टरों में विभिन्न मंजिलों के लिए पृथक-पृथक पाइप लाइनें हैं; और

(घ) सैक्टर 8 तथा 9 में जल का पर्याप्त सम्भरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है और उन सैक्टरों के निवासी जल की मूल आवश्यकताओं के कब तक पूरा करने की आशा कर सकते हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ; पानी की सप्लाई अपर्याप्त थी।

(ख) दो मंजिले क्वार्टरों में दो पाईप लाइनें अलग से हैं, एक नीचे की मंजिल (ग्राउंड फ्लोर) तथा दूसरी पहली मंजिल के फ्लैटों के लिए। चार मंजिले क्वार्टरों में भी दो पाईप लाइनें हैं, एक नीचे (ग्राउंड) तथा पहली मंजिल के लिए तथा द्वितीय तथा तृतीय मंजिल के फ्लैटों के लिए। जब नीचे के फ्लैटों में पानी के नल खोल दिये जाते हैं तो ऊपर के फ्लैटों में पानी की सप्लाई पर आंशिक प्रभाव पड़ता है।

(ग) जी हाँ।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि 1971 के अन्त तक कैलाश रिजरवायर स्कीम के पूरा हो जाने पर पानी की और अधिक सप्लाई की संभावना की जा सकती है।

मद्रास बिजली बोर्ड की ताप बिजली की दरें

5693. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े तथा भारी उद्योगों के लिए मद्रास बिजली बोर्ड सबसे अधिक दर पर ताप बिजली देता है;

(ख) इसी भार की बिजली के लिए मैसूर, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू तथा काश्मीर में क्या दर हैं; और

(ग) अधिकतम तथा न्यूनतम दरों वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) : मद्रास शहर में बड़े तथा भारी उद्योगों को दी जा रही बिजली की औसत दरें सर्वाधिक हैं। ये दरें मद्रास राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सेवित अन्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नहीं हैं। मद्रास में बड़े तथा भारी उद्योगों से ली जा रही औसत दरें तथा उसी प्रकार के भार की बिजली के लिए मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और जम्मू व काश्मीर में ली जा रही दरें निम्नलिखित हैं :

श्रेणी	प्रति यूनिट दर (पैसों में)					
	मद्रास नगर	मद्रास के अन्य क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश	मैसूर	जम्मू क्षेत्र	काश्मीर क्षेत्र
बड़े उद्योग--अधिकतम माँग 250 किलोवाट--40% भार अनुपात--प्रतिमास 73,000 यूनिट।	16.99	11.56	15.08	7.03	5.84	4.34
बड़े उद्योग--अधिकतम माँग 1000 किलोवाट--50% भार अनुपात, प्रतिमास 3,65,000 यूनिट।	15.44	9.54	13.55	5.96	ऐसा कोई उद्योग नहीं।	
भारी उद्योग--अधिकतम माँग 5000 किलोवाट--60% भार अनुपात--प्रतिमास 21,90,000 यूनिट।	13.78	7.40	10.50	4.90	ऐसा कोई उद्योग नहीं।	

(ग) मद्रास नगर में बड़े व भारी उद्योगों को दी जा रही बिजली की दरें सर्वाधिक हैं। परन्तु मद्रास के अन्य क्षेत्रों में यह दरें सर्वाधिक नहीं हैं। 250 किलोवाट की माँग के बड़े उद्योगों को दी जा रही बिजली की सबसे कम दरें काश्मीर में हैं। अन्य प्रकार के सभी बड़े व भारी उद्योगों को दी जा रही बिजली की सबसे कम दरें मैसूर में हैं।

Electric Crematorium, Delhi

5694. **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people are averse to the cremation of dead bodies in the Electric Crematorium, in Delhi and very few bodies are cremated there ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the total number of dead bodies cremated there during the last one year ;

(d) the total annual expenditure on its employees and the annual income therefrom ; and

(e) the amount spent on the building of the crematorium ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) It is a fact that very few bodies are cremated at the Electric Crematorium,

(b) It is not possible to state any specific reasons. Perhaps, it is due to orthodox habits and religious prejudices of the people.

(c) 1565.

(d) A sum of about Rs.1,60,000 is spent annually on the maintenance of the Crematorium and a sum of about Rs.10,000 is received every year from the cremation charges.

(e) A sum of about Rs.3,30,000 was spent on construction of this Crematorium including land development charges, water supply, Electric Sub-Station etc. The cost of building alone was about Rs. 2,85,000/.

पंजीकृत चिकित्सा विधेयक

5695. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित पंजीकृत चिकित्सक विधेयक के विरुद्ध दिल्ली के चिकित्सकों में रोष है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विधेयक को पेश करने से पूर्व उसकी माँगों पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार छपे थे।

(ख) दिल्ली प्रशासन तथा महानगर परिषद को परामर्श दिया गया है कि वे इस मामले में कार्यवाही को स्थगित करें। इस सम्बन्ध में चिकित्सकों के जो विचार हैं उनसे सरकार अवगत है।

Income-Tax Paid by Certain Companies

5696. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the date when the Dyers Stone Lime Company (Private) Limited, Calcutta, Lime and Refractories (Private) Limited, Bombay and the Indian Distributors (Private) Limited, Katni were established and the capital with which they were started ;

(b) the amount of Income-tax paid by these Companies during the last five years and the amount of Income-tax arrears due from them ; and

(c) the names of the Directors of the said Companies and the number of shares they are holding separately ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shr Morarji Desai) :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Seizure of Foreign currency and Gold

5697. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign exchange worth about Rs. ten lakhs and about four kilograms of gold bearing foreign marking were recovered by the Custom Officers after conducting a raid in a house in the Bara Tallar area of Calcutta in June, 1968 ; and

(b) if so, the number of persons against whom action was taken by Government in this connection as well as the nature of action taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai: (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Operations under Family Planning Programme in Madhya Pradesh and Bihar

5698. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8004 on the 22nd April, 1968 and state :

(a) whether complete information regarding the operations under the Family Planing Programme in Madhya Pradesh and Bihar has since been complied ;

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) and (b) : Complete information regarding sterilization operations has been received from the Government of Bihar. Details are given below :

(i) Number of persons who underwent operations under the Family Planning Programme in Bihar since December, 1967 till April 22.4.1968 : 68,450.

(ii) Number of men and women among them : 67,233 and 1,217 respectively.

(iii) Number of persons whose age was more than 50 years and who had undergone operation during the above period : 147.

(iv) Amount paid by Government under the Family Planning Scheme to the Doctors and the persons who underwent operations during the above period :

Doctors	...	...	...	...	...	Rs.3,42,250.
Individuals	...	...	...	...	...	Rs.17,11,250.

2. In the case of Madhya Pradesh, information in respect of some districts is awaited. It will be placed on the table of the Sabha as soon as it is received.

हिमा प्रदेश में पेय जल के तालाब का निर्माण

5699. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जिला महासू में डाकघर जांगला के अन्तर्गत थाली नामक गाँव में पेय जल का एक तालाब बनाने की योजना लगभग दो वर्ष पहले मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बहुत सा धन खर्च करके और श्रमदान के रूप में जनता के काफी बड़े योगदान को बेकार बनाकर अब इस योजना को छोड़ दिया गया है;

(ग) यह योजना किन परिस्थितियों में छोड़ दी गई और किस प्रक्रय पर; और

(घ) इस योजना को पूर्ण करने का काम कब तक तथा किन परिस्थितियों में पुन: आरम्भ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) : सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों में भारतीय डाक्टर

5700. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुमानतः कितने भारतीय डाक्टर विदेशों में काम कर रहे हैं; और

(ख) डाक्टर विदेशों में न जायें इसके लिए सरकार यदि किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) विदेशों में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार जुलाई, 1968 में विदेशों में 2139 भारतीय चिकित्सक काम कर रहे थे। तो भी, इससे पूर्व जानकारी उपलब्ध नहीं होती क्योंकि राष्ट्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2600 भारतीय चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत इंगलैंड में काम कर रहे थे।

(ख) जहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय डाक्टरों की नियुक्ति का प्रश्न है संयुक्त राज्य अधिकारियों ने यह शर्त रखी हुई है कि ऐसे सभी भारतीय चिकित्सकों को जो वहाँ नियुक्ति के इच्छुक हैं, विदेशी मेडिकल स्नातकों की शैक्षिक परिषद की वह परीक्षा पास करनी चाहिये जो भारत में भी ली जाती थी। भारत सरकार ने इस परीक्षा को भारत में फरवरी, 1967 के बाद बन्द कर दिया था। डाक्टरों को विदेशों में जाने से रोकने में कुछ वैधानिक दिक्कतें हैं। फिर भी सरकार यह प्रयास कर रही है कि इस व्यवसाय में प्रवेश करने वालों के लिए भारत में चिकित्सा सेवाओं को आकर्षक बनाया जाय।

स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़

5701. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़ में कितने अन्तरंग रोगी रखने की क्षमता है;

(ख) कितने रोगी शय्याओं को काम में लाया जा रहा है; और

(ग) सभी रोगी-शय्याओं का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के अस्पताल की पलंग-क्षमता एक हजार है। वैसे, केवल 730 पलंग उपयोग में लाये जाते हैं।

(ग) पलंगों की संख्या में वृद्धि करना इस संस्थान की आवश्यकता तथा स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बम्बई में हृदय प्रतिरोपण आपरेशन

5703. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जुलाई, 1968 के 'मदर इंडिया' में प्रकाशित 'प्राफिट्स फ्रौम साइन्टिफिक मरडर्स' और 'नेओकेन्नीबलिजम'——शीर्षक लेखों की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की पूरी तौर से जाँच की है जिनमें बम्बई के एक सर्जन डा० पी० के० सेन ने केवल अनुभव प्राप्त करने हेतु एक हृदय प्रतिरोपण का औपरेशन किया जिसके परिणामस्वरूप दिल देने वाले और दिल लेने वाले दोनों ही व्यक्तियों की समय से पूर्व मृत्यु हो गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उनको भारी प्रसिद्धि मिलने के कारण इन आपरेशनों में भारी वृद्धि हो रही है, चीरफाड़ के औपरेशनों को नियमित करने के उद्देश्य से एक कानून बनाने का सरकार का विचार है;

(च) यदि हाँ, तो कब; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी हाँ।

(ख) 'हृदयरोपण' आपरेशनों के विषय में जो अभी तक बहुत कुछ प्रयोगात्मक रूप से ही किये जा रहे हैं, सरकार निष्पक्ष रुख अपनाये हुए है और चिकित्सीय, सामाजिक, नीति-विषयक, वैधानिक तथा अन्य संबंधित बातों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) अस्पतालों में जिन हालात में ये आपरेशन किये जाते हैं उनकी छान-बीन करना सरकार का सामान्य कार्य नहीं है।

(ड.) (च) और (छ) : पूर्व कहे अनुसार, हृदयरोपण में जो चिकित्सीय, सामाजिक, नीति-विषयक, वैधानिक और अन्य बातें आती हैं, उनका पहले अध्ययन करना होगा। इस विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव यदि कोई हो तो उसकी तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक उसके सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं किया जाता।

बैंकों द्वारा अपनी शाखाएं खोलना

5704. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों द्वारा प्रत्येक गली के कोने पर अपनी शाखायें खोली जाने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष ज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या अनेक शाखाओं को चलाने पर होने वाले भारी खर्च तथा ज्ञापनों के वार्षिक खर्च का बैंकों के स्थायीत्व पर कुप्रभाव पड़ता है;

(घ) बैंकों द्वारा की जा रही इस प्रकार की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या नियंत्रात्मक कार्यवाही की जाती है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क): बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, की धारा 23 के अनुसार बैंकों को नयी शाखायें खोलने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व-अनुमति लेनी होती है। इस तरह की अनुमति देते समय, रिजर्व बैंक इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करता है कि शाखाएं खोलने का काम इस तरीके से किया जाय, जो लोक-हित में हो।

(ख) :

(लाख रुपयों में)

	1965	1966	1967
भारतीय राज्य बैंक तथा इसके सहायक बैंक	22.66	22.41	23.47
76 दूसरे वाणिज्यिक बैंक	94.17	106.91	119.87
जोड़	116.83	129.32	143.34

(ग) : जी नहीं। बैंक-विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (2) के अन्तर्गत, बैंकों को शाखायें खोलने की अनुमति देने से पहले, रिजर्व बैंक, बैंकिंग कम्पनी की वित्तीय स्थिति, उसके प्रबन्ध के सामान्य स्वरूप, उसकी पूंजी की पर्याप्तता तथा आमदनी की संभावनाओं के बारे में तसल्ली करता है। शाखायें खोलने में जहाँ कुछ रकम खर्च होती है, वहाँ उससे आमदनी भी बढ़ जाती है। इसी तरह विज्ञापनों से बैंकों के लिए और ज्यादा ग्राहक आकर्षित होते हैं।

(घ) और (ड.) : बैंकों के संचालन के सम्बन्ध में समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षण के दौरान, रिजर्व बैंक, बैंकों के खर्च की विभिन्न मदों के औचित्य पर भी विचार करता है और जहाँ आवश्यक हो, खर्च में कमी करने के लिए मुनासिब हिदायतें भी जारी करता है।

गुड़गाँव नहर में दरार पड़ जाने के कारण बाढ़

5706. **श्री अब्दुल गनी दार : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुड़गाँव नहर में अक्सर विभिन्न स्थानों पर दरारें पड़ जाती हैं जिससे गुड़गाँव में सोहना और नूह के बीच के क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) नूह उपशाखा, नूह शाखा और इन्द्री शाखा कुछ काश्तकारों द्वारा काट दी गई थी ताकि वे पानी को अपने खेतों से निकाल सकें।

(ख) काश्तकारों से कहा जा रहा है कि वे पानी का उपयुक्त रूप से उपयोग करें। अनाधिकृत काटों को रोकने के लिए जल मार्गों की खुदाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। निगरानी व्यवस्था को पक्का किया जा रहा है।

भारतीय तेल निगम द्वारा लिये गये स्नेहक उत्पादों में मूल्य

5707. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम, स्नेहक उत्पादों के लिये एस्सो और बर्मा शेल द्वारा समान उत्पादों के लिये जाने वाले मूल्यों की तुलना में से 11 पैसे प्रति लिटर अधिक लेता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय तेल निगम द्वारा अधिक मूल्य न लिये जायें, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ, कई श्रेणियों के बारे में।

(ख) और (ग) स्नेहक तेलों की वैयक्तिक ग्रेडों के विक्रय मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं है। परन्तु सम्पूर्णतया स्नेहक तेलों के विपणन और वितरण, खर्च एवं लाभ पर ब्लाक नियंत्रण (block control) की एक प्रणाली है, जो बर्मा-शैल, एस्सो और कालटैक्स के, जिनका अधिकाँश व्यापार है, निष्पादन पर आधारित है। उपर्युक्त तेल कम्पनियों द्वारा यदि कोई अतिरिक्त सीमान्त (margin) वसूल किये जाते हैं, तो वे समय-समय पर अप्राप्य-उत्पादन-शुल्क, जो भारतीय तेल निगम पर समान रूप से लागू होते हैं, की उगाही से वसूल किये जाते हैं। अतः तेल कम्पनियाँ वैयक्तिक ग्रेडों के मूल्यों को निर्धारण करने में स्वतन्त्र हैं और उन्हें एक दूसरे की प्रतियोगिता में बेचते हैं। भारतीय तेल निगम के कई ग्रेडों के मूल्य अधिक हैं क्योंकि वे अंशतः अच्छी किस्म के हैं और अंशतः उनकी अधिक लागत है। इन मूल्यों को कम करने में भारतीय तेल निगम का सतत प्रयास हैं।

भारतीय तेल निगम द्वारा वस्तुओं की विदेशों से खरीद

5708. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में भारतीय तेल निगम द्वारा रूस, रूमानिया और अन्य देशों से कौन-कौन सी, कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की वस्तुयें खरीदी गईं;

(ख) उन देशों के नाम और उनको खरीदने की स्थितियाँ क्या हैं और यह खरीद किन एजेंसियों के माध्यम से की गई थी; और

(ग) क्या ऐसी वस्तुएं भी खरीदी गई थीं जो देश में उपलब्ध हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम द्वारा, पिछले तीन सालों में रूस, रूमानिया तथा अन्य देशों से खरीदे गये विभिन्न पी० ओ० एल० उत्पादों की मात्रा का विवरण संलग्न है। भारतीय तेल निगम के व्यापारिक हितों को देखते हुए मूल्य नहीं बताया जा सकता। सारी खरीद सीधे भारतीय तेल निगम द्वारा की गई थी, जिसमें से अधिकतर संबद्ध राज्यों या प्राइवेट एजेंसियों से हुये वार्षिक करारों के आधार पर थी।

(ग) जी नहीं, देशीय उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये, कमी को दूर करने के लिये आयात किया गया है।

विवरण

मीटरिक टनों में मात्रा

उत्पाद	विक्रेता या खरीदा गया सप्लायरों से	कुल मात्रा 1965-66	1966-67	1967-68
सुपीरियर केरोसीन, हाई स्पीड डीजल आयल और फरनेस आयल।	रूस	1575156	947244	459039
सुपीरियर कैरोसीन, ल्यूब्स, टी० आयल और एक्सल आयल।	रूमानिया	49473	97673	94706
ल्यूब/बेस स्टाक्स	युगोस्लाविया	...	10636	8917
ल्यूब, ग्रीजेज, टी० आयल, बेस स्टाक, एडीटिव्ज, डी० पी० के०, एवं गैस और मिनरल टरपेन्टाइन आयल	यू० के०	278480	346651	8013
ल्यूब्स, ग्रीजेज, ट्रान्सफौरमर आयल, एक्सल आयल बेस स्टाक, एडीटिव्ज, सुपिरियर केरोसीन, फरनेस आयल और एव० गैस	अमेरिका	143714	151631	181011

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अंशदाताओं को औषधियों की सप्लाई

5709. **श्री चक्रपाणि** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अंशदाताओं को औषधियाँ सप्लाई करने के बारे में एक पुनरीक्षित सूत्र सूची जारी की है;

(ख) क्या नई सूत्र सूची के अनुसार सभी गुणकारी और महंगी औषधियों को उस सूची में शामिल नहीं किया गया;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विशेषज्ञ और परामर्शदाता डाक्टरों को कोई ऐसी हिदायतें मौलिक अथवा लिखित, जारी की गई हैं कि वे रोगियों को महंगी औषधियाँ निर्धारित न करें; और

(ड.) यदि हाँ, तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है?

स्वास्थ्य,परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। योग संहिता को अधिक व्यापक बनाने के लिये बहुत सी महंगी तथा प्रभावशाली औषधियों के स्थान पर कम खर्चीली औषधियों को स्थान दे दिया गया है। योग संहिता से बाहर की औषधियों के नुस्खे परामर्शदाता तथा आपात मामलों में वरिष्ठ विशेषज्ञ ही दे सकते हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ड.) यह प्रश्न नहीं उठता।

अंशदाताओं को दवाइयों की सप्लाई

5710. **श्री चक्रपाणि :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषधियाँ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की पूर्व अनुमति लेने पर ही सप्लाई की जा सकती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी प्रक्रिया अपनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना के अंशदायी व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य,परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधि-संहिता या विशेषज्ञ सूची के अन्तर्गत न आने वाली औषधियाँ स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक की पूर्व अनुमति लेने पर ही सप्लाई की जा सकती हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी विशेष मामले में ऐसी औषधि का नुस्खा वास्तव में अनिवार्य है।

(ग) किसी भी अंशदायी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होने दी जाती।

उत्तर तथा दक्षिण बिहार में बिजली की दरें

5711. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 1454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1969

के अन्त तक उत्तर बिहार में कितनी बिजली उपलब्ध होगी तथा उत्तर बिहार में ली जाने वाली बिजली की दर को दक्षिण बिहार के समान करने के फलस्वरूप उत्तर बिहार में उपलब्ध बिजली का दक्षिण बिहार की तुलना में क्या अनुपात होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जैसा कि 22 जुलाई 1968 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर में बताया गया है, समान टैरिफ दरों के कारण तथा उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुविधाओं के आवर्द्धन के लिये उठाए गए पगों के कारण उत्तर बिहार में मार्च, 1969 के अन्त तक 18 यूनिट प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत होने का अनुमान है। इसी अवधि के लिये बिहार में लगभग 116 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत होने का अनुमान है। अतः मार्च, 1969 तक उत्तर बिहार की प्रति व्यक्ति खपत दक्षिण बिहार की संभावित प्रति व्यक्ति खपत का 15.5% भाग होगा, ऐसा अनुमान है।

कमला नदी के साथ तट बांधों के निर्माण के सम्बन्ध में नेपाल से करार

5712. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला नदी के हिमालय से निकलने के स्थान से लेकर भारतीय राज्य क्षेत्र में वर्तमान तट बान्धों तक नेपाल के राज्य क्षेत्र में इस नदी के दोनों ओर तट बान्ध बनाने के सम्बन्ध में नेपाल सरकार के साथ कोई करार किया गया है;

(ख) क्या इसमें पानी के एक बड़े जलाशय की भी व्यवस्था है;

(ग) क्या योजना के अनुसार इस परियोजना का काम पूरा नहीं किया जा रहा है जिससे नेपाल सरकार को गलतफहमी पैदा हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) नेपाल सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह मान लिया है कि नेपाली क्षेत्र में कमला नदी के दोनों ओर तटबन्ध बनाए जाएं जो भारतीय क्षेत्र में बने तटबन्धों के साँतत्य में होंगे। नेपाल तथा बिहार सरकार के अभियन्ताओं ने मिलकर हाल ही में इस कार्य से सम्बद्ध सर्वेक्षण पूरा किया है और राज्य सरकार इन सर्वेक्षणों के आधार पर एक विस्तृत स्कीम तैयार कर रही है। जलाशय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दरभंगा (बिहार) में मोहिनी नदी पर तट बान्ध का निर्माण

5713. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के दरभंगा जिले में मोहिनी नदी के दोनों ओर सिरोई के पश्चिमी तट बान्ध तक तट बान्ध बनाने की एक योजना वर्ष 1967 में प्रस्तुत की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सिरोई नदी में हरिहरपुर, कालीगाँव तथा मुरैथा नामक स्थानों पर सिंचाई के लिए तूम फाटक (स्लूस गेट) बनाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1966 में बिहार राज्य सरकार से एक प्रस्ताव आया था। जाँच करने पर यह पता चला कि यह स्कीम अनुसन्धानों पर आधारित नहीं थी और राज्य सरकार को यह सलाह दी गई कि विस्तृत अनुसन्धानों के पश्चात वे एक संशोधित स्कीम तैयार करें। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विस्तृत अनुसन्धान का काम चल रहा है।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

मैसर्स एस० वैद्यनाथ अय्यर और उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा सरकारी उपक्रमों का लेखा परीक्षण

5714. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनका लेखा-परीक्षण मैसर्स वैद्यनाथ अय्यर ऐण्ड कम्पनी तथा मैसर्स आर० ठाकुर ऐण्ड कम्पनी, अय्यर ऐण्ड कम्पनी तथा मेहता ऐण्ड कम्पनी नामक इसकी अन्य सहयोगी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) इन परस्पर सम्बद्ध कम्पनियों को 1966-67 और 1967-68 में लेखा परीक्षक शुल्क, परामर्श शुल्क तथा अन्य शुल्कों के रूप में पृथक्-पृथक् क्या राशि दी गई है;

(ग) लेखा परीक्षकों की अन्य फर्मों को किये गये भुगतान की तुलना में इन फर्मों-को सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये भुगतान का प्रतिशत क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सरकारी उपक्रमों का परामर्श संबंधी काम लेखा परीक्षकों की विभिन्न फर्मों में निष्पक्षता आधार पर वितरित हो ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे, जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(घ) : सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, पर चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों का उपक्रम, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, परामर्श सम्बन्धी अन्य कामों के लिये स्वयं नियुक्त करते हैं।

विदेशों में उर्वरकों की खरीद

5715. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले पाँच वर्षों में उर्वरक खरीदने के लिये भारत ने किन विदेशी सरकारों के साथ ठेका किया है, और

(ख) प्रत्येक ठेके के अधीन माल के देश में पहुंचने पर कितनी-कितनी लागत आयेगी और कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात करने का समझौता हुआ है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अभी तक ऐसा कोई ठेका नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नेफ्था की कमी

5716. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री चं० चु० देसाई :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970 के बाद विश्व में नेफ्था की सामान रूप से कमी हो जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत अपने उत्पाद का प्रयोग किस प्रकार करेगा और इस कमी को कैसे पूरा करेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) इस मामले में कोई भविष्यवाणी करना कठिन है। जब कि नैफ्था की माँग शीघ्रता से बढ़ रही है, ऐसा मालूम देता है कि रिफाइनरी विस्तार और प्रक्रियात्मक योजनाओं में उचित तकनीकी परिवर्तनों द्वारा, इसकी पूर्ति हो सकती है और होगी।

(ख) नैफ्था का प्रयोग मुख्यतः उर्वरक और पेट्रो-रसायन प्लाँटों के लिए फीडस्टाक के रूप में होगा। एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना यह अध्ययन और सिफारिश करने के लिये की गई है कि 1975 तक उर्वरक और रसायन उद्योगों की माँग पूरा करने के लिए नेफ्था की स्थानीय सप्लाई किस तरह अच्छे से अच्छे ढंग से बढ़ाई जाय।

गुजरात में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

5717. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री चं० चु० देसाई :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुमानतः कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध हैं :

(ख) इसका क्या संभावित उपयोग होगा; और

(ग) उर्वरक के लिए अमोनिया तैयार करने के हेतु कितने अनुपात में यह गैस उपलब्ध होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सम्मिलित तथा असम्मिलित गैस के 29 लाख घन मीटर प्रतिदिन।

(ख) और (ग) : अंकलेश्वर से सम्मिलित गैस, उत्तारन विद्युत केन्द्र, गुजरात राज्य उर्वरक निगम और बड़ौदा के कुछ उद्योगों, को सप्लाई की जाती है। कैम्बे से उपलब्ध फ्री गैस की सप्लाई घुबारन विद्युत केन्द्र को इसकी आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। गैस, जो कलोल नवागाँव और खानन्द क्षेत्रों से उपलब्ध होगी, का निपटान इस समय अध्ययनाधीन है और उर्वरकों के लिये अमोनिया के निर्माण के लिये उपलब्ध होने वाली इस गैस का अनुपात इस अवस्था में बताना संभव नहीं है।

पैट्रो-रासायनिक उद्योगों के लिये भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग

5718. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री चं० चु० देसाई :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सऊदी अरब के सहयोग से पैट्रो-रासायनिक उद्योग स्थापित करने के लिए सऊदी अरब के प्रतिनिधि के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) केवल व्याख्यात्मक प्रकार की बातचीत होने की वजह से कुछ सूचना का आदान-प्रदान हुआ ।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

वित्त मंत्री की दुर्गापुर की यात्रा

5719. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस विशेष विमान में जो उन्हें जुलाई 1968 के आरम्भ में दिल्ली से दुर्गापुर ले गया था उनके साथ कितने व्यक्ति थे;

(ख) उस विमान में कितने गैर सरकारी व्यक्ति थे;

(ग) क्या उस विमान में कोई ऐसा व्यक्ति था जो गैर-सरकारी था तथा संसद सदस्य भी नहीं था; और

(घ) यदि हाँ, तो वह व्यक्ति कौन था, उसके उस विशेष विमान में यात्रा करने के क्या कारण हैं तथा उसने किस अधिकार से यात्रा की ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ग्यारह व्यक्ति ।

(ख) दो।

(ग) जी, हाँ।

(घ) (1) उप-प्रधान मंत्री श्री अतुल्य घोष को दुर्गापुर ले गये थे, क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास में विशेष रुचि है।

(2) कलकत्ता के "विश्वमित्र समूह तथा दैनिक बसुमति" के विशेष संवाददाता, श्री एन० भट्टाचार्य, को साथ जाने दिया गया था क्योंकि उन्होंने निवेदन किया था कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में "स्केल्प मिल" और दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के कोयला साफ करने के कारखाने के उद्घाटन समारोह के समाचार अपने समाचार-पत्रों के लिए प्राप्त करना चाहते थे ।

कलकत्ता का विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

5720. **श्री भगवान दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता महानगर आयोजन क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1966-67 तथा 1968-69 में कुल कितना धन दिया;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने समूची राशि का प्रयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो 1966-67 तथा 1967-68 में कितनी केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया गया;

(घ) पश्चिमी बंगाल द्वारा केन्द्रीय सहायता की समूची राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ड.) केन्द्रीय सरकार ने 1968-69 के लिए इसी प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें 1966-67 और 1967-68 के लिए कलकत्ता महानगर (मैट्रोपोलिटन) की विकास योजनाओं का स्वीकृत परिव्यय तथा उसी अवधि का खर्च, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, दे दिया गया है।

(ग) और (घ) : 1966-67 के लिए, राज्य आयोजना के बाहर, 3.30 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1.65 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में देना स्वीकार किया गया था। चूंकि राज्य सरकार स्वीकृत परिव्यय की पूर्ण सीमा तक खर्च नहीं कर सकी, इसलिए राज्य सरकार का केन्द्रीय सहायता पाने का अधिकार तदनुसार घट गया। अस्थायी तौर पर उन्हें 1.23 करोड़ रुपये की रकम दे दी गयी है।

1966-67 में कलकत्ता महानगर की विकास योजनाओं का परिव्यय, समुचित विकास-शीर्षकों के अन्तर्गत राज्य की आयोजना में सम्मिलित किया गया था। राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता, सम्पूर्ण आयोजना-सहायता के हिस्से के रूप में दी गयी थी और इसलिए इसका इन योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता है।

(ड.) राज्य की 1968-69 की वार्षिक आयोजना के अन्तर्गत कलकत्ता महानगर की विकास-योजनाओं के लिये अस्थायी तौर पर 3.07 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गयी है।

विवरण

कलकत्ता महानगर की विकास योजनाएं

करोड़ रुपयों में

वर्ष	स्वीकृत परिव्यय	राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया खर्च
1966-67	3.30	2.64
1967-68	3.65	2.61

सरकारी मुद्रणालय पर पत्रकार अधिनियम, 1955 लागू करना

5721. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित सरकारी मुद्रणालय के कुछ प्रूफ-रीडर बनाम मुख्य प्रबन्धक तथा भारत संघ के मामले में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 को

क्रियान्विति के प्रश्न पर पंजाब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह बताया है कि संसद को इस विवादास्पद अधिनियम पर अपने विचार स्पष्ट करने चाहियें;

(ख) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के इस निर्माण पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि --"तथापि, ये ऐसे मामले हैं जिन पर ध्यान देने का कार्य संसद का है तथा यदि आवश्यक समझा जाये तो वह विधान में समुचित संशोधन के द्वारा अपने आशय को और स्पष्ट करे, किन्तु यह कहना संभव नहीं कि धारा 19--बी भेदभाव के दुर्गुण से ग्रसित हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निकाली जा सकती है।"

(ख) जी हाँ।

(ग) सरकार इस मामले में और कार्यवाई करना उचित नहीं समझती।

सरकारी मुद्रणालयों में 'रीडिंग ब्रांच' के कर्मचारी

5722. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी मुद्रणालयों की 'रीडिंग ब्रांच' के कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक वर्ग में शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन शाखाओं को शामिल करने के लिये श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का भी विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) रीडिंग ब्रांच के कर्मचारियों को औद्योगिक वर्ग के कर्मचारियों के समान ही समझा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्किंग जर्नलिस्ट्स (कन्डीशन्स आफ सर्विस) एन्ड मिसलेनियस प्रोवीजन्स एक्ट, 1955 की धारा 19-बी के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को विशेष रूप से बाहर रखा है क्योंकिवे फन्डामेंटल एन्ड सप्लीमेंटरी रुल्स, सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एन्ड अपील) रूल्स, सिविल सर्विसेज (टैम्परेरी सर्विस) रूल्स आदि के द्वारा नियंत्रित होते हैं।

आसाम में बराक परियोजना

5723. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन योजना अवधियों में आसाम में कोई भी बड़ी बाढ़ नियन्त्रण परियोजना आरम्भ नहीं की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बराक परियोजना को आरम्भ करने का है जिसके बारे में विस्तृत जाँच पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो आसाम में इस परियोजना को आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इसकी व्यवहार्यता सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) दिब्रूगढ़ नगर सुरक्षा कार्य जो कि एक वृहद बाढ़ नियंत्रण स्कीम है, राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई थी ।

(ख) और (ग) : नारायणघर स्थल पर बारक नदी के ऊपर एक बान्ध बनाने के लिये अनुसन्धान कर लिए गए हैं । निम्नलिखित वैकल्पिक प्रस्तावों की जाँच हो रही है ।

(1) अधिकतम सम्भव बाढ़ों को रोकने के लिये 16 करोड़ रुपये की लागत पर लगभग 150 फुट ऊंचे एक बान्ध का निर्माण--यह केवल बाढ़ों को रोकने की परियोजना होगी ।

(2) लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत पर पचास वर्ष से आ रही बाढ़ के नियंत्रण के लिये तथा 100% भार अनुपात पर 76,000 किलोवाट की वास्तविक बिजली के उत्पादन के लिये लगभग 180 फुट ऊंचे बाँध के निर्माण की परियोजना ।

(3) लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत पर अधिकतम संभव बाढ़ों को रोकने के लिये तथा 100% भार अनुपात पर 35000 किलोवाट की वास्तविक बिजली के उत्पादन के लिये लगभग 162 फुट ऊंचा बान्ध ।

दिल्ली में टैगोर थियेटर

5724. **श्री जि० मो० विस्वास : श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में 'रिज' पर स्थित टैगोर थियेटर में वास्तुकला की बहुत सी त्रुटियाँ हैं;

(ख) क्या इस थियेटर के निर्माण-कार्य पर लगभग 55 लाख रुपये की लागत लगेगी;

(ग) क्या यह सच है कि इस थियेटर में अभी सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में देरी होने के क्या कारण हैं तथा इस देरी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) लगभग 46.89 लाख रुपये ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) एक गैर सरकारी रजिस्टर्ड सोसाइटी रवीन्द्र नाथ टैगोर शताब्दी समिति (रवीन्द्र नाथ टैगोर सेन्टेनरी कमेटी) के तत्वावधान में मार्च 1961 से रवीन्द्र रंगशाला का निर्माण आरंभ हुआ था। सरकार ने 1 अप्रेल 1967 को रंगशाला अपने अधीन ले ली। आशा की जाती है कि कार्य इस माह के अंत तक पूरा हो जायेगा। कार्य के शेष भाग को पूरा करने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा कोई देरी नहीं की गई है ।

चोरी-छिपे लाये गये माल का पता लगाने के लिये छापे

5725. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून तथा जुलाई में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में तस्करी का माल पकड़ने के लिये बड़ी संख्या में छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त महीनों के दौरान छापों में तस्करी का कितना माल पकड़ा गया;

(ग) किस प्रकार का माल पकड़ा गया और वह माल किन-किन देशों का था; और

(घ) तस्करी का कितना सोना पकड़ा गया और वह कितने मूल्य का था और यह किन लोगों से पकड़ा गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

तुंगभद्रा परियोजना की ऊंची सतह वाली नहर

5726. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना की ऊंची सतह वाली नहर के गुटकल के अलूर तालक के गाँवों से होकर जाने के बारे में कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार किन गाँवों को तथा कितनी एकड़ भूमि को लाभ होता;

(ग) अब क्या परिवर्तन किये गये हैं और उनके क्या विशिष्ट कारण हैं;

(घ) क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रभावशाली व्यक्तियों को पानी देने के लिये मूल योजना में परिवर्तन करने के आरोप लगाये गये हैं; और

(ड.) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जाँच की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) आँध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अन्तूर शाखा से, जो गुन्टकल शाखा नहर के 36 1/2 मील से निकलती है, आलूर तालुक के काजीपुरम् गुम्मानूर, बन्टनाहल, इरूरू, चिरपागिरि, देगलाहल, केक्कराचेड़ू, सिरिगापुरम, मल्लिकार्जुनापहल्ली, बेलडोना, थिम्मापुरम्, नागरदोना, रामादुर्गम, कामीनाहल, हदागेरी, हलहर्नी, मोदोहल, और चिन्ताकुन्त नामक के 18 गावों के 28, 481 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी।

(ग) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि चूंकि अलूर शाखा एक कंटूर नहर है इसलिए रेखांकन में कोई परिवर्तन नहीं है और उसमें कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। किन्तु तटबन्धों की उन कुछ पहुंचों में कुछ विस्तृत सर्वेक्षण किये जा रहे हैं जिन्हें आरम्भ में नहीं किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप हो सकता है कि नहर व क्रास ड्रेनेज कार्यों की निर्माण लागत को कम करने के लिये कहीं-कहीं थोड़ा-सा परिवर्तन करना पड़े। बहरहाल कमान क्षेत्र वही रहेगा जो पहले था।

(घ) जी, हाँ।

(ङ.) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में वंश धारा परियोजना

5727. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँध्र प्रदेश में वंशधारा परियोजना 1968-69 में आरम्भ की जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो 1968-69 में इस योजना के लिए कितनी राशि नियत की गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) यह 1968-69 में सम्भव नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिजली के विकास के लिये विदेशी अनुदान

5728. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली के विकास के लिये कोई ऐसे विदेशी अनुदान प्राप्त होते हैं, जिन्हें सिंचाई के लिए दिए जाने वाले अनुदानों से सम्बद्ध नहीं किया जाता है;

(ख) 1967-68 में किन देशों से ऐसे अनुदान प्राप्त हुए;

(ग) सम्बन्धित देशों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(घ) यदि ये अनुदान विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुए थे, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) 1967-68 वर्ष से पहले कनाडा से लगभग 542.5 लाख डालर की राशि अनुदान के रूप में मिली थी। इन अनुदानों को निम्नलिखित संयंत्रों की प्राप्ति करने के लिए उपयोग में लाया गया था :—

(1) उमत्रु पन-बिजली परियोजना (असम), कुन्डाह पन-बिजली परियोजना (मद्रास) और इदिक्की पन-बिजली परियोजना (केरल) के लिए उत्पादन यूनिट।

(2) मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार राज्य बिजली बोर्डों के लिए ट्रांसफार्मर तथा तडित निरोधक।

(3) आँध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार और पंजाब में परियोजनाओं के लिए निर्माण मशीनरी।

(4) उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए 33 के० वी० के पार्श्व-वाही धारित्र (शंट कैपेसीटर)

(5) 1967-68 के दौरान बिजली परियोजनाओं के लिए कोई अनुदान नहीं मिले।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में अंशधारी

5729. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा किये गये हाल के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के 90 प्रतिशत अंशधारियों के पास 10,000 रुपये से भी कम के शेयर हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे हिस्सेदारों को मिलने वाले लाभांश पर लगे कर को आय स्रोत पर ही काट लेने की व्यवस्था को समाप्त करने और नये लोगों को पूंजी लगाने हेतु आकर्षित करने के लिये लाभांश आय की छूट-सीमा 1,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार करेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिसम्बर 1965 के अन्त में जो 200 ऐसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ थीं जिनके शेयरों के भाव स्टाक एक्सचेंज में लगते थे, उनमें से 189 कम्पनियाँ, रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण में आ गई हैं ।

कम्पनियों का चुनाव उनकी चुकता पूंजी से प्रकट, विभिन्न आकार-श्रेणियों में से वैसे ही अलग-अलग श्रेणी-गत नमूने के आधार पर किया गया था । जिन शेयर होल्डरों के पास 1 रु० से 10,000 रुपये मूल्य तक के शेयर थे, उनकी संख्या का अनुपात सर्वेक्षण में आये शेयर होल्डरों की कुल संख्या के प्रति 97.57 प्रतिशत है, परन्तु यह पाया गया कि उनके पास जितने शेयर हैं, उनके मूल्य का अनुपात उन कम्पनियों के शेयरों के कुल मूल्य के प्रति केवल 28.51 प्रतिशत है। उपर्युक्त परिणाम नमूना-सर्वेक्षण पर आधारित हैं तथा इसलिये उनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिनकी व्याख्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन के फरवरी 1968 अंक में पृष्ठ 137 पर प्रकाशित लेख में दी गई है।

इन आँकड़ों की सीमाओं में एक यह है कि संयुक्त शेयर होल्डरों के मामलों में शेयर होल्डरों की गिनती दोबारा भी हुई हो सकती है। किसी-किसी कम्पनी के शेयर होल्डरों की सूची में एक ही व्यक्ति के दो या अधिक खाते भी हो सकते हैं। यह भी सम्भव है कि किसी कम्पनी में, एक ही शेयर होल्डर के एक से अधिक खाते भी हो सकते हैं क्योंकि व्यक्ति वही एक होते हुए भी नाम अलग-अलग खाते में नाम अलग-अलग ढंग से दिये हो सकते हैं । कभी-कभी नामजद व्यक्तियों के नाम में भी शेयर रखे होते हैं। शेयर रखने में दोहरी गिनती का एक उदाहरण इस कारण भी हो सकता है कि उसी एक शेयर होल्डर व्यक्ति के एक से अधिक कम्पनियों में शेयर सर्वेक्षण में आ गये हों।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Doctors in North and South Avenue Dispensary

5730. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the **Minister of Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to less number of doctors posted in the dispensaries of North and South Avenues, Members of Parliament and Gvernment servants have to wait for doctors for a very long time whenhey go on visits to the houses of the Members of Parliament and officers ;

(b) if so, whether Government proposes to appoint one more Doctor in each of these dispensaries and if not, the reason therefor ;

(c) whether it is also a fact that the male doctors do not examine ladies and children and the lady doctors refuse to examine male patients ;

(d) if so, the steps being taken by Government to solve the said difficulty of the patients; and

(e) whether it is also a fact that as a result of making entries in three to four registers, which is time-consuming, the patients have to wait for a very long time to get medicines and if so, the steps proposed to be taken by Government to solve this difficulty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) There are two medical officers each at these two dispensaries which is considered adequate. Waiting for a medical officer who is away on a domiciliary visit is a part of the process of organised health care.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Both male and female doctors, are supposed to examine the patients belonging to either sex. However, some working arrangements have been made in the dispensaries for the convenience of the patients whereby normally male patients go to the male doctor and ladies and children consult a lady doctor as a matter of preference.

(e) In order to avoid any pilferage of medicines it is necessary to have these entries made in the different registers. However, it has been calculated that a patient has to spend, on an average, about 30 minutes in getting treatment in C. G. H. S. Dispensaries.

Visit by Doctors of Gole Market and Paharganj Dispensaries

5731. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Doctors of the C. G. H. S. Dispensaries at Gole Market and Paharganj do not visit the quarters of the Class IV employees in emergency cases when called for;

(b) if so, whether Government have received any complaints in this regard during this year and if so, the action taken by Government against those doctors ; and

(c) whether Government propose to direct the Doctors of all the dispensaries in the Capital to visit the houses of the Government employees of all categories as and when they are called to attend on an emergency case ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No.

(b) No complaint has been received.

(c) There are existing instructions to this effect.

पश्चिम बंगाल में आदिम जातीय लोगों की भूमि की बिक्री

5732. **श्री कार्तिक उराव :**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में समकुताला खण्ड के तुड़ीवुड़ी गाँव में आदिम जातीय लोगों की भूमि आदिम जातीय लोगों की उपेक्षा करके पश्चिम बंगाल पट्टा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गैर-आदिम जातीय लोगों को बेची जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुथ्यालराव) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Increase in Electricity Rates in Bihar

5733. **Shri Ram Avatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have increased the electricity rates by Rs.10 per horse power for the mills and industrial establishments, by Rs. 6 per horse power for tube wells etc. and in the case of domestic meters, they have made an increase of Rs. 3 per meter by way of "Surcharge" ;

(b) whether it is also a fact that the farmers have stopped paying electricity bills, taking the aforesaid increase as a heavy burden on them and this increase is being opposed throughout the State;

(c) if so, the reasons for the aforesaid increase ; and

(d) whether Government have under consideration any proposal to annul this increase ; and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister for Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) The Bihar State Electricity Board has revised its tariff and the terms and conditions for supply of electrical energy to its consumer from March, 1968. The fixed charge of Rs.10 per K. V. A. for low-tension supply in respect of small and medium industrial loads has been retained, while the minimum guarantee of 500 kwh. per KW of connected load has been abolished. The ceiling rate of 18 paise per unit in the revised tariff is not applicable to 'atta chakkis' and hullers. In respect of small scale industries, and aricultural pumping sets, a fixed charge of Rs.6 per month per BHP has been introduced in the revised tariff, while the minimum charge of Rs.36 per BHP per year has been abolished. The unit energy charge has been reduced from 15 to 10 paise for supply to small scale industries and agricultural pumping sets. In respect of domestic connections, the fixed charge of Rs. 1.50 per connection per month has been increased to Rs.3 per connection per month.

(b) Complaints in respect of the revised tariff have been received from a few consumers in the State.

(c) and (d) The tariff has been revised and adjusted in order to enable the State Electricity Board not to carry on its operations at a loss, as provided under section 59 of the Electricity (Supply) Act, 1948. There is, therefore, no proposal under consideration of the State Government to annul the present tariff of the Board.

बम्बई-मध्य में नायलोन के कपड़े का पकड़ा जाना

5734. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने 3 अगस्त, को बम्बई-मध्य में एक इमारत के रास्ते से 78,000 रुपये के मूल्य का जापानी नायलन का कपड़ा पकड़ा था;

(ख) क्या इससे पहले मारे गये छापों में बम्बई-मध्य में चोरी-छिपे लाया गया और अधिक कपड़ा पकड़ा गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके तस्कर व्यापार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बम्बई ने 3 अगस्त 1968 को, जापान में बना नाइलान का कोई कपड़ा नहीं पकड़ा। लेकिन, उक्त ब्यूरो ने 1 और 2 अगस्त 1968 को मदनपुरा तथा सांकली स्ट्रीट, बम्बई-8 में नाइलान टेट्रान कपड़े, टोरे नाइलान फ्लेट स्क्रेप और टेट्रान सूती कपड़े माल के दो जत्थे पकड़े जिनका (बाजार भाव पर) मूल्य लगभग एक लाख रुपया होता है ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं :–

सुव्यवस्थित ढंग से गुप्त-सूचना इकट्ठी करना और सूचना के अनुसार सतत ध्यानपूर्वक काम करते रहना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, समुद्री, तटवर्ती तथा सुगमता से पार करने योग्य दूसरे क्षेत्रों की गश्त लगाना, ज्ञात तस्करों तथा संदिग्ध यात्रियों/पार्सलों इत्यादि पर निगरानी रखना, असबाब की विवेकपूर्व जाँच करना, विदेशी वस्तुओं का प्रदर्शन करने वाली दुकानों पर अचानक छापे मारना, निरोधक संगठनों को सुदृढ़ बनाना, निरोधक कार्यों पर कर्मचारियों को फिर से लगाना और उपयुक्त मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही के अलावा इस्तगासे की कार्यवाही करना।

दरभंगा मेडिकल कालेज

5735. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विश्वविद्यालय के दरभंगा मैडिकल कालेज में स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विभाग में एक भी प्राध्यापक (अन्तरंग) परीक्षक नहीं है;

(ख) क्या बिहार विश्वविद्यालय के नियम और भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद् तथा सरकार के निदेशों में यह अनिवार्य नहीं है कि केवल प्राध्यापक ही ऐसी परीक्षाओं के मुख्य परीक्षक हो सकते हैं;

(ग) क्या कालेज में स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापकों का दूसरे स्थानों को स्थानान्तरण कर दिया गया अथवा उनको परीक्षक पद से हटा दिया गया है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि प्राध्यापक ही मुख्य परीक्षक बनाये जायें ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड

5736. **श्री भगवान दास :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड के, जो पश्चिम बंगाल सरकार का उपक्रम है, निर्माण-कार्य का कुछ भाग मैसर्स लार्सन एण्ड टोबरो लिमिटेड को सौंपा गया था;

(ख) क्या कम्पनी के तकनीकी सलाहकार मैसर्स क्रेब्स एण्ड सी० आई० ई०, पैरिस और उसके सहायक मैसर्स क्रेब्स एण्ड सी० आई० ई० इण्डिया की राय थी कि ठेका मैसर्स लार्सन ऐण्ड टोबरो को नहीं दिया जाना चाहिए;

(ग) यदि हाँ, तो मैसर्स लार्सन एण्ड टोबरों को ठेका देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दुर्गापुर केमिकल्स लिमिटेड के महा अधीक्षक के सुझाव पर ठेके का पूरा मूल्य दे कर मैसर्स लार्सन एण्ड टोबरों के साथ ठेके को समाप्त कर दिया गया था और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ.) क्या मैसर्स लार्सन एण्ड टोबरो को ठेके की पूरी रकम देने से पहले शेष रह गए कार्य का सही निर्धारण कर लिया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ठेके को समाप्त कर दिया था क्योंकि आयातित/देशीय उपकरण के उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य नियत अवधि में पूरा नहीं हुआ था। अतः महाअधीक्षक एवं प्रबन्ध निदेशक के परामर्श और निदेशकों के बोर्ड की अनुमति से कम्पनी ने ठेके को समाप्त कर दिया था। ठेके की पूरी रकम नहीं दी गयी थी और ठेकेदारों ने कटौती कर दी थी। शेष रह गये कार्य को 1,93,000 रुपये की अनुमानित लागत से विभागीय तौर पर किया जाना था। कम्पनी की यह राय थी कि यदि ठेके को समाप्त न किया जाता और मैसर्स लार्सन एण्ड टोबरो को जारी रखा जाता तो कम्पनी को अधिक ठहराव के लिए मुआवजा देने के कारण अधिक खर्च करना पड़ता।

(ङ.) जी हाँ।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Entitlement of Treatment of C. G. H. S. Dispensaries

5737. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Central Government employee can get medicines from the C. G. H. S. dispensary of the area in which he is residing and cannot get his name registered with the dispensaries of the other areas in which his relations reside even after furnishing the addresses of his relations ;

(b) if so, the arrangements made by Government for those employees who have not been allotted Government quarters and who have to shift from one place to another after every two or three months due to which they have to face great difficulty in getting medicines ; and

(c) whether Government propose to permit those Government employees who are not living in Government quarters to get medicines from or get their Token Cards registered with the dispensaries functioning near their offices or in the areas in which their relations reside on furnishing the addresses of their relations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Yes.

(b) In the event of change of residence, the token card can be transferred to the dispensary of the new locality.

(c) No.

कृषि उत्पादन के लिये राज सहायता

5738. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के कृषि मंत्री द्वारा हाल में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि खाद्य राजसहायता के रूप में राज्यों को अब तक जो राशि दी जा रही थी, उसे अब उन्हें कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये दिया जाना चाहिए, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, हाँ।

(ख) राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए, जिनमें कृषि-उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं, दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की रकम निर्धारित करते समय, अन्न-सम्बन्धी राज-सहायता के निर्णय के, केन्द्रीय बजट पर पड़ने वाले प्रभाव को पहले ही से ध्यान में रखा गया है।

इस्पात की 24 गेज की चादरों का आयात

5739. **श्री समर गुह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 29 जुलाई, 1908 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुरू में इस्पात की 24 गेज की चादरों के आयात के लिए भारतीय तेल निगम को लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं और बाद में इन लाइसेंसों को 18 गेज की इस्पात चादरों का आयात करने के लाइसेंसों में क्यों परिवर्तित किया गया;

(ख) 18 गेज की 5700 मीट्रिक टन इस्पात चादरों का विशेषकर मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, स्टील कन्टेनर्स और हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (पीठ) लिमिटेड को वितरण क्यों और किस अनुपात में किया गया था; और

(ग) क्या अन्य निर्माताओं को ये इस्पात चादरें इस कारण नहीं दी गई थी, कि उनकी शर्तें और काम अच्छा नहीं था और उनके द्वारा बनाये गये ढोल निर्धारित स्तर के नहीं थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) बरौनी शोधन-शाला की बिटूमैन के ड्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 24 गेज की चादरों के आयात का लाइसेंस जारी किया गया था। कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण शोधनशाला नियमित आधार पर बिटूमैन को तैयार करने में समर्थ नहीं हुई है। देश में 18 गेज की चादरों की कमी के कारण, 24 गेज की चादरों के लाइसेंस को 18 गेज की चादरों में लाभदायक रूप से बदला गया। 22-4-1968 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7958 के भाग 'ख' के उत्तर में भी यह स्पष्ट किया गया है।

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा आयातित इस्पात बैरलों के निर्माण के लिए था। क्योंकि भारतीय तेल निगम का निर्माण करने वाला अपना कोई सन्यन्त्र नहीं है, इसलिए इस्पात भारतीय तेल निगम के बैरल-निर्माताओं को बैरल बनाने के क्रयादेश को ध्यान में रखते हुए, दिया गया था। 18 गेज की कुल 5700 मीटरी टन इस्पात चादरों के आयात के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम के साथ ठेका किया गया था, जिसमें से अब तक 5171.598 मीटरी टन प्राप्त हुआ है और इसका निर्माताओं को विवरण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	मीटरी टन	
1. मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी।	2267	लगभग
2. मैसर्स स्टील कन्टेनर्स।	908	"
3. मैसर्स हिन्द गैल्बेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड।	1992	"
	5167	"

(ग) कारण यह था कि अन्य निर्माताओं को बैरल के लिए क्रयादेश नहीं दिये गये थे।

भारतीय तेल निगम द्वारा "बिटुमन चादरों" का आयात

5740. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 29 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा आयात की गई अप्रयुक्त 3000 मीट्रिक टन बिटुमन चादरों का तटागत मूल्य क्या था और उनको ढोने और रखरखाव आदि पर कितना धन व्यय हुआ;

(ख) कोचीन तेल शोधक कारखाने और बर्मा तेल शोधक कारखाने ने भारतीय तेल निगम को इन बिटुमन चादरों को किस मूल्य पर खरीदने की पेशकश की थी ;

(ग) क्या इन बिटुमन चादरों के आयात के लिए यन तेल शोधक कारखानों को कभी लाइसेंस दिये गये थे;

(घ) यदि हाँ, तो इन लाइसेंसों पर इन कारखानों द्वारा आयात की गई बिटुमन चादरों का तटागत मूल्य क्या था; और

(ड.) इन कारखानों द्वारा जिन मूल्यों की पेशकश की गई थी उन मूल्यों में और उनके तटागत मूल्य में क्या अन्तर था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ड.) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आयातित सोडियम नाइट्रेट का मूल्य

5741. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 60 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाये जाने के परिणाम स्वरूप आयातित सोडियम नाइट्रेट के मूल्य वर्ष 1965-66 और 1966-67 के मूल्यों की तुलना में चौगुना हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सोडियम नाइट्रेट के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि होने का क्या कारण है तथा नाइट्रिक एसिड तैयार करने वाले लघु उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) लघु उद्योगों में नाइट्रिक एसिड के उत्पादन के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने के लिये देशी तथा विदेशी बाजारों के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes Employees in Ministry of Social Welfare

5742. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes working in his Ministry, Department-wise, State-wise and Category-wise ;

(b) the number of employees benefited by the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/60-Establishment (D) dated the 20th April, 1966, State-wise, Department-wise and category-wise, and

(c) the details thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare in the Ministry of Petroleum and the Chemicals (Shri Muthyal Rao):

(a) The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees working in the Department and its Attached and Subordinate Offices as on 1st January, 1968, is given in Annexure 'A' (Placed in Library See No. LT 1900/68).

No information can be given in respect of "Other Backward Classes" because they are not identified on the basis of caste and there is no reservation for such category of employees.

(b) This Department is not aware of any such Office Memorandum of the Ministry of Home Affairs.

(c) Does not arise.

Scheduled Caste/Tribes in the Ministry

5743. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes respectively in his Ministry, department-wise, State-wise and category-wise ;

(b) the number of employees benefited by the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/60-Establishment (D) dated the 20th April, 1961, State-wise and category-wise ; and

(c) the complete details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) :

A statement is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-1901/68).

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कर्मचारी

5744. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः विभागवार, राज्य-वार तथा श्रेणी-वार कितनी है;

(ख) गृह-कार्य मंत्रालय के दिनाँक 20 अप्रैल, 1961 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/45/60 एस्टेब्लिशमेंट (डी) के उपबन्धों के अनुसार राज्य-वार, विभागवार तथा श्रेणी-वार कितने-कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Scholarship for Students in U. P.

5745. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state the amount of scholarships paid each year during the period from 1958 to July, 1968 to those students of 7th to 10th classes, School-wise and District-wise, whose father's or guardian's monthly income was or is below Rs. 250/- as per Office Order No. 2435/26-82/1955 dated the 14th August, 1968 of Harijan and Social Welfare Department, Uttar Pradesh ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare and in the Ministry of Petroleum and Chemical (Shri Mutthyal Rao) : The details are being collected from the State Government, and will be laid on the table of the House as soon as available.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमासियूटिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन का निजी व्यय

5746. **श्री जि० मो० बिस्वास :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इंडियन ड्रग्स एंड फारमासियूटिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन का अपने पद के कार्यभार को निभाने पर निजी व्यय 36,000 रुपये आता है;

(ख) क्या यह सच है कि चेयरमैन ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमासियूटिकल्स लिमिटेड के चालू बजट में निजी व्यय के लिये 37,000 रुपये का उपबन्ध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमासियूटिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रतिवर्ष 3000 रुपये न। कि 36,000 रुपये के मनोरंजन व्यय की अनुमति दी गई है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिकेश एन्टीबायोटिक्स कारखाने के मुख्य इंजीनियर

5747. **श्री अदिचन :** **श्री जि० मो० बिस्वास :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश एन्टीबायोटिक्स कारखाने में जो मुख्य इंजीनियर हैं वह केवल एक डिप्लोमा धारी हैं; और

(ख) यदि हाँ तो एक डिप्लोमाधारी ऐसे उद्योग-समूह वाली परियोजना का मुख्य इंजीनियर कैसे हो सकता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हाँ।

(ख) किसी डिप्लोमाधारी को इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स के मुख्य इंजीनियर के रूप में नियुक्त करने के लिये कोई रोक नहीं है बशर्ते कि उसके पास आवश्यक अनुभव हो और अन्यथा योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाया जाये।

सरकारी उपक्रम ब्यूरो

5748. **श्री कार्तिक उरांव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रम ब्यूरो द्वारा किस प्रकार का योगदान दिया गया है;

(ख) इस ब्यूरो के आरम्भ से अब तक उस पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) ब्यूरो के कुल कितने कर्मचारी हैं और कर्मचारीवृन्द पर कितना मासिक व्यय होता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : सरकारी उपक्रम कार्यालय, सरकारी उपक्रमों के लिये समन्वय, सेवा और मूल्यांकन अभिकरण के रूप में काम करता है।

(ख) और (ग) : इस कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या 74 है जिसमें 25 राजपत्रित अधिकारी हैं। सरकारी उपक्रम कार्यालय की स्थापना 1965 में की गयी थी और 31 जुलाई, 1968 तक इस पर कुल 14 लाख रुपया खर्च किया गया था। इसमें 2 जून, 1967 के बाद किया गया आकस्मिक व्यय शामिल नहीं है, जब सरकारी उपक्रम कार्यालय का काम व्यय विभाग को सौंप दिया गया था, क्योंकि इस संबंध में उस तारीख के बाद के आँकड़े अलग से नहीं रखे गये हैं। उपर्युक्त आँकड़ों के आधार पर, 1967-68 के पिछले वित्त-वर्ष में औसत मासिक खर्च 48,089 रुपया था।

Facilities for Tribals after Changing Religion

5749. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the people belonging to the Scheduled Tribes also have their own religious, cultural and social traditions which they have to give up on changing their religion ;

(b) if so, the reasons for which a tribal, unlike Harijans, is allowed to continue to enjoy the facilities which are given by Government to the tribals even after changing his religion ;

(c) whether a tribal is not regarded as untouchable or backward among the Hindus, unlike Harijans ; and

(d) if so, the reasons for this discrimination ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare and in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Muthyal Rao) : (a) Change in religion may not necessarily lead to a change in social and cultural traditions.

(b), (c) and (d) : The Scheduled Tribes are specified on the basis of primitive culture, a distinct social organisation, shyness of contact with other sections of population and geographical isolation.The Scheduled Castes are specified on the basis of handicaps suffered as a result of the traditional practice of untouchability in the caste heirarchy of the Hindu and the Sikh religious systems.

Admissions in the Tibbia College in Delhi

5750. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that students are being admitted to Tibbia College, Delhi, but the course for the classes has not so far been prescribed in accordance with the directions of Government ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) if the said course has been prescribed, the names of the books and their authors, which have been prescribed in the "Shuddha" course of Ayurveda ; and

(d) what are the implications of the term "Shuddha" course ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthi) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) The names of books and their authors required for "Shuddha" course of Ayurveda are as indicated below :

Serial No.	Name of the books and Authors :
1.	Raghuvamsa by Kalidasa.
2.	Nitisatakam by Bhartrhari.
3.	Padarthavijnana by Kasikara.
4.	Ayurvediya Padarthavijnanam by Balavanta Sarma.
5.	Ayurveda Sutram by Pandit Ramaprasada Sarma.
6.	Bhavaprakasa by Bhavamisra.
7.	Sarnagadharasamhita by Sarngadhara.
8.	Carakasamhita by Agnivesa.
9.	Astangahrdayam by Vagbhatta.
10.	Susrutasamhita by Susruta.
11.	Dravyagunavijnana by (Parts I and II) by Yadavaji.
12.	Tantrayuktivivecana by Arunadatta.
13.	Madhavanidana by Madhavakara.
14.	Rasaratnasamuccaya by Vagbhatta.
*15.	Yogratnakara.
16.	Ayurvedaprakasa by Srimadupadhyaya Madhava.
17.	Rasendracudamani by Somadeva.
18.	Bhaisajyaratnavali by Govindadasa.

*Author's name not known.

19. Dravyagunaparibhasaprakarana by Yadavaji .
20. Kasyapasamhita by Kasyapa.
21. Astangasamgraha by Vagbhatta.
22. Rajamartanda by Maharaj Bhoj.
23. Arthasastra by Kautilya.
24. Manusmrti by Manu.
25. Kamandakiya Nitisara.
26. Sukraniti by Sukracarya.

(d) It implies instruction in medicine according to the concepts and methods of Ayurveda and not by any other method superimposed on it.

नाइट्रोजन के उत्पादन का अनुमान

5751. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय 1973-74 तक 37 लाख मीट्रिक टन तथा 1975 तक 50 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन का उत्पादन चाहता है किन्तु उनके मंत्रालय के विचार में 1975 तक 70 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन के उत्पादन की क्षमता स्थापित की जा सकती है न कि उतने टन का उत्पादन हो सकेगा और इस प्रकार देश की नाइट्रोजन की आवश्यकता के बारे में भारी अन्तर पैदा हो जायेगा;

(ख) क्या योजना आयोग की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये प्रार्थना की गई है ताकि पर्याप्त उत्पादन सुविधायें पैदा की जा सकें और माँग तथा पूर्ति में गम्भीर अन्तर से बचा जा सके; और

(ग) यदि हाँ तो इस मामले में उनके क्या विचार हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सन 1973-74 और 1975-76 में उर्वरक उत्पादन का जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य है उस समय तक उर्वरक के निर्णीत माँग को पूर्ण करना ।

(ख) और (ग) : उर्वरक उत्पादन के कार्यक्रम को बनाने में योजना आयोग सम्मिलित है।

माही सिंचाई परियोजना, राजस्थान

5752. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3684 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस बीच माही परियोजना पर विचार कर लिया है तथा क्या आयोग ने इसे कार्यान्वित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में समुचित राशि नियत की है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : योजना आयोग यह महसूस करता है कि 1968-69 की राजस्थान योजना में माही सिंचाई

परियोजना, राजस्थान, के लिए कोई धन-राशि सम्मिलित नहीं की जा सकती । चौथी योजना अभी बन रही है और चौथी योजना में इस परियोजना के लिए धन-राशि के निपतन के सम्बन्ध में चौथी योजना बनाते समय विचार किया जाएगा।

गृह-निर्माण समस्या

5753. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री जे० एच० पटेल :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता के पश्चात् गृह-निर्माण समस्या काफी उपेक्षित रही है और अब तक यह बहुत ही गंभीर हो गई है;

(ख) 1951 में मकानों की कितनी कमी थी और अब कितनी है;

(ग) पिछले 15 वर्षों में प्रति वर्ष शहरी तथा देहाती क्षेत्र में कितने मकान बनाये गये;

(घ) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता होती है किन्तु मकान अपेक्षाकृत बहुत कम बनाये जाते हैं; और

(ड.) यदि हाँ, तो शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में मकानों की कमी को पूरा करने के लिये चौथी योजनावधि में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह सत्य है कि आवास समस्या की विशालता के अनुरूप राष्ट्रीय योजना (नेशनल प्लान) में आवास को समुचित प्राथमिकता देना संभव नहीं हो सका है।

(ख) 1951 में 25 लाख शहरी मकानों की कमी निर्धारित की गई थी। 1951 में ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में मकानों की कमी के विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1967 के अन्त में, 814 लाख यूनिटों की कमी निर्धारित की गयी थी---118 लाख यूनिट शहरी क्षेत्रों में तथा 696 लाख यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में ।

(ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 15 वर्षों में विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत बने मकानों की वर्षानुसार संख्या सभा पटल पर रखे विवरण में दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1902/68]

(घ) और (ड.) : मकानों की कमी में प्रति वर्ष लगभग 20 लाख और यूनिटों की कमी की वृद्धि निर्धारित की गयी है। इसके विपरीत, वार्षिक नव-निर्माण की दर लगभग 3 लाख यूनिट निर्धारित की गयी है, जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र (का निर्माण) शामिल है। आवास मुख्य रूप से राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार राज्यों आदि को अनेक सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दिये जा रही है। प्रथम तीन योजनाओं (पंच वर्षीय योजनाओं) के दौरान इन योजनाओं (स्कीम्स) ने लगभग 4 लाख यूनिटों की व्यवस्था की है। इन योजनाओं (स्कीम्स) को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान चालू रखने का प्रस्ताव है। तथापि, आवास को दी गयी निम्न प्राथमिकता तथा समस्या की विशालता को ध्यान में रखते हुए, आवास के कार्यक्रम को तेज करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र, संस्थात्मक अभिकरणों आदि के अतिरिक्त स्रोतों से सहायता लेने का प्रयत्न करना होगा।

विदेशों में भेजे गये सरकारी प्रतिनिधिमंडल

5754. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी सरकारी प्रतिनिधि मंडल के बाहर भेजे जाने से पूर्व उनके मंत्रालय से मंजूरी ली जाती है;

(ख) क्या ऐसी यात्रा से पहले उनके मंत्रालय से कोई प्रमाणपत्र लिया जाना आवश्यक है;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों से विदेशों को सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजने सम्बन्धी कितने प्रस्ताव भेजे गये इनके उद्देश्य क्या थे और इन यात्राओं पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(घ) कितनी विदेशी यात्राओं की अनुमति दी गई और प्रत्येक यात्रा पर कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ङ) क्या इन यात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई और क्या सरकार को विश्वास है कि यात्राएं बहुत आवश्यक थीं और जनहित में थीं; और

(च) क्या प्रक्रिया में अग्रेतर सुधार करने के लिये कार्यवाही की गई है ताकि ऐसी यात्राओं की संख्या को यथासंभव कम किया जा सके ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(च) वर्तमान आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को विदेश भेजने के प्रस्तावों की वरिष्ठ सचिवों की एक समिति द्वारा, कड़ी छानबीन की जाती है और सामान्यत: केवल उन्हीं मामलों में विदेश जाने की मंजूरी दी जाती है जो अपरिहार्य हों अथवा जिनसे विदेशी मुद्रा की काफी बचत होने की संभावना हो अथवा जो रक्षा कार्यों अथवा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखते हों। इस कारण इस प्रणाली को अतिरिक्त रूप से सुव्यवस्थित करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

Status of Katihar City

5755. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reasons for which Katihar City of Purnea district in Bihar is not being declared 'C' class city, although its population has exceeded 50,000 ; and

(b) if this city is fit to be declared a 'C' class city, the reasons for which House Rent Allowance is not being paid to the Central employees there according to Rules ?

The Deputy Prime Minister of and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) As per 1961 Census, the population of Katihar Municipality was 46837, i.e., less than 50,000, which is the minimum qualifying limit for 'C' Class cities. It does not therefore, qualify to be categorized as a 'C' Class city.

चंडीगढ़ में नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन

5756. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में अनेक गाँवों के किसानों के नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, हालाँकि नलकूप एक वर्ष से अधिक समय पहले से तैयार पड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके लिये बिजली के कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) नलकूपों को ऊर्जित करने के लिए ऐसे दस आवेदन पत्र पड़े हैं जो कि एक वर्ष से अधिक देरी से पड़े हुए हैं ।

(ख) चण्डीगढ़ प्रशासन इनको ६ मास के भीतर कनेक्शन देने का विचार रखता है ।

शाँति सेना (पीस कोर) के स्वयंसेवक (वालिंटियर)

5757. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में शांति सेना के कितने स्वयंसेवक काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने स्वयंसेवक उन्हें सौंपे गये काम की तकनीकी योग्यता रखते हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुछ समय पहले शाँति सेना के गैर-सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय किया था;

(घ) यदि हाँ, तो क्या ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : भारत में काम करने वाले , शाँति-दल के स्वयंसेवकों की संख्या 1 अगस्त, 1968 को 586 थी।

(ख) : प्रत्येक स्वयंसेवक को उस काम के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है जो उसे भारत में करना पड़ता है और इनमें से बहुत-से स्वयंसेवकों में तकनीकी योग्यता भी होती है तथा उन्हें व्यावहारिक अनुभव भी होता है। इसलिए उनसे जिस प्रकार के काम की आशा की जाती है उसके लिये उनमें पर्याप्त योग्यता होती है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) और (ड.) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा फ्लेटों की बिक्री

5758. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने दो और तीन कमरों वाले कुछ फ्लैटों का किराया खरीद आधार पर बेंचने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सफदरजंग, नरायण और ग्रेटर कैलाश में फ्लेटों के लिये उनकी लागत के भुगतान की भिन्न-भिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो वे शर्तें क्या हैं; और

(घ) यदि उनमें कोई भिन्नता है तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) सफदरजंग और पूर्वी कैलाश रिहायशी योजनाओं में आवेदक को प्लाट के नियतन होने पर कुल मूल्य का 50 प्रतिशत देना होता है और शेष राशि 60 समान मासिक किश्तों में देनी होती है। सफदरजंग रिहायशी योजना ब्लाक सी में प्रीफेब्रीकेटेड फ्लेटों के विषय में कुल लागत का 30 प्रतिशत तो नियतन पर और शेष राशि सात वर्षों की अवधि में बराबर-बराबर मासिक किश्तों में वसूल करनी होती है। नरायण, नजफगढ़ रोड और पंखा रोड रिहायशी योजनाओं के विषय में कुल लागत का 30 प्रतिशत तो नियतन पर और शेष राशि को 15 वर्षों की अवधि में बराबर-बराबर मासिक किश्तों में वसूल किया जायेगा।

(घ) दिल्ली विकास अधिकरण ने सफदरजंग और पूर्वी कैलाश जैसी अधिक लोक प्रिय बस्तियों में अन्य बस्तियों की अपेक्षा जिनमें मकानों की माँग कम होने की संभावना थी, मकानों के मूल्य को कम किश्तों में वसूल करने का फैसला किया है।

Investment by General Manager, Punjab National Bank

5759. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the General Manager of the Punjab National Bank invested seven crores of rupees with the help of two agents in 1958-60 in Rajasthan and Uttar Pradesh in Zamindari/Jagirdari Abolition Bonds ;

(b) whether it is also a fact that the Reserve Bank of India declared the said deal to be unsound and irregular ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) The Reserve Bank pointed out certain undesirable features in the manner of investment of the Bank's funds in the said bonds.

(c) On the basis of the investigations conducted by the Central Bureau of Investigation, prosecution proceedings have been launched in the court of the First Class Magistrate, Delhi on the 17th June, 1968 against two former officers of the Punjab National Bank and three stock and share brokers under Sections 420B and 409 of the Indian Penal Code.

Assistance for Power Connections to Farmers by Madhya Pradesh Government

5760. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have asked for Central assistance for providing power connections to farmers in the rural areas lying by the side of rivers for lift irrigation schemes in certain drought-affected areas of the State for the current year; and

(b) if so, the quantum thereof and the Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister for Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) The River Pump Irrigation scheme in Madhya Pradesh which envisages energisation of pumpsets has been sanctioned by the Planning Commission in June, 1968, for an estimated cost of about Rs.162 lakhs. Earmarked Central assistance is provided for rural electrification schemes with a bias for energisation of pumpsets. The allocation for Madhya Pradesh would be finalised after the total quantum of Central assistance for the State Plan for 1968-69 has been determined.

Fertilizer Factories in Madhya Pradesh

5761. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of fertilizer factories in Madhya Pradesh and the total annual production capacity in respect of each ;

(b) the total amount spent on the construction thereof ; and

(c) the total number of employees working therein ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) There is only one fertilizer factory in Madhya Pradesh, namely, that of Messrs. Dharamsi Morarji Chemical Company Ltd., at Kumhari. The total annual production capacity of the factory is 75,000 tonnes of single-superphosphate.

(b) Rs.113 lakhs.

(c) 398.

Central Assistance for Irrigation Purposes to Madhya Pradesh

5762. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have been requesting for loans or assistance constantly since 1960-61 for irrigation purposes ;

(b) if so, the details of such amounts and schemes and the years in which the State Government applied for the same ;

(c) whether any loans have been sanctioned and whether they have been utilised ; and

(d) if so, the year-wise figures thereof to-date ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) Selected major irrigation projects are being given hundred per-cent earmarked Central assistance based on the actual expenditure incurred on a particular project from year to year. The other irrigation projects get central assistance indirectly through miscellaneous development loans which are sanctioned to make up the difference between the total assistance promised for their Annual Plan as a whole and the assistance allocated under the various heads of development. These miscellaneous development loans are not relatable to any specific scheme although they *inter alia* meet part of the expenditure on irrigation projects included in the State Plan for which no earmarked assistance has been provided. Chambal Multi-purpose Project is getting earmarked central assistance. The amounts of loan assistance granted since 1960-61 for this project is indicated below :

(Rs. in lakhs)

		Interest Loan
1960-61	550.00	37.84
1961-62	349.01	...
1962-63	324.92	...

1963-64	...	...	...	343.39	297.53
1964-65	...	...	...	367.18	39.12
1965-66	...	...	...	519.98	...
1966-67	...	...	...	530.78	...
1967-68	...	...	...	360.00	...
1968-69	...	...	...	62.50	...

(Upto June 1968)

The Bagh Project is also getting earmarked assistance from 1967-68. A sum of Rs.32 lakhs was sanctioned in 1967-68 for this project.

A special loan assistance of Rs. one crore each year was given for Tawa Project in 1964-65 and 1965-66, with a view to intensify the work on the project so as to settle some displaced persons from East Pakistan.

Chinese Goods in Madhya Pradesh

5763. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that watches, fountain pens, safety razors and blades made in China are being sold in the open market in Neemach city of Madhya Pradesh, as has appeared in the press ; and

(b) if so, whether Government propose to take any action in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

दिल्ली में स्थानीय निकायों के डाक्टरों का केन्द्रीय सरकार में स्थानान्तरण

5764. **श्री न० रा० देवधर :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के स्थानीय निकायों के डाक्टरों को केन्द्रीय सरकार के समान पदों पर स्थानान्तरण और केन्द्रीय सरकार से दिल्ली के स्थानीय निकायों के पदों पर डाक्टरों के स्थानान्तरण के बारे में सामान्य प्रणाली क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवों के गठन से पूर्व और बाद में दिल्ली के स्थानीय निकायों से कितने डाक्टरों का सी० जी० एस० एच० में स्थानान्तरण किया गया; और

(ग) दिल्ली के स्थानीय निकायों को सी० जी० एच० एस० में शामिल करने के क्या कारण हैं जबकि भारत के अन्य स्थानीय निकायों के डाक्टरों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) दिल्ली के स्थानीय निकायों के डाक्टरों का केन्द्रीय सरकार के समान पदों पर और केन्द्रीय सरकार के डाक्टरों का दिल्ली के स्थानीय निकायों के पदों पर स्थानान्तरण उस पैटर्न के अनुसार किया जाता है जो प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के लिए निर्धारित किया है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गठन के पहले दिल्ली के स्थानीय निकायों से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में किसी भी डाक्टर का स्थानान्तरण नहीं किया गया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गठन के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में स्थानान्तरण किए गये डाक्टरों की संख्या सात है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में केवल दिल्ली के स्थानीय निकायों के ही डाक्टरों को सम्मिलित किया गया है। राज्यों और राज्यों के स्थानीय निकायों के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। दिल्ली के स्थानीय निकायों ने अपने अधीन चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन करने के लिए एक संकल्प पारित किया था और उन पदों पर कार्य कर रहे डाक्टरों को, सेवा के नियमों के अनुसार, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित किया गया था।

जी० डी० एम० ओ० ग्रेड I की स्थापना

5766. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 1 की आरम्भिक स्थापना में क्या समस्यायें और कठिनाइयाँ हैं; और

(ख) जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 1 की आरम्भिक स्थापना कब तक पूरी हो जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने वाले कुछ संगठनों और प्रशासनों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड 1 के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित अधिकारियों की संख्या उनके अधीन इस संवर्ग में सम्मिलित पदों की संख्या से अधिक है। उपयुक्त समायोजना करने का प्रश्न विचाराधीन है और आशा है कि उस ग्रेड का प्रारम्भिक गठन शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

देहातों में बिजली लगाना

5767. **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहातियों को उनके देहातों में बिजली लगाने तथा सिंचाई के पम्पिंग सेटों को सर्विस कनेक्शन देने सम्बन्धी पूंजीगत लागत में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु उपभोक्ता जमा योजना, अथवा वित्त लगाने सम्बन्धी योजना (फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन स्कीम) अथवा स्वेच्छिक ऋण देने सम्बन्धी योजना जैसी योजनाएं राज्य बिजली बोर्ड द्वारा चालू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं का देहातों में बिजली लगाने का क्या प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी हाँ। ऐसी स्कीमें बहुत से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा चालू की गई हैं।

(ख) स्कीमों की मुख्य बातें सभी पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1903/68]

(ग) इन स्कीमों से ग्राम-विद्युतन के विस्तार के लिये राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय संसाधन बढ़ाने में मदद मिली है।

नागपुर ताप बिजली घर

5768. **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के कोराडी गाँव में नागपुर बिजली घर बनाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) चौथी योजना के प्रथम वर्ष के अन्त में इसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी; और

(ग) 1967-68 में कितना धन व्यय हुआ और चौथी योजना में उस राज्य की कितनी राशि व्यय करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) 120-120 मैगावाट के पहले दो उत्पादन यूनिटों के लिए आदेश दे दिए गए हैं। बिजली घर के लिए भू-अर्जन, स्थल अनुसंधान, सिविल इन्जीनियरी के आधारभूत अध्ययन का काम प्रगति पर है।

(ख) महाराष्ट्र की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता मार्च, 1970 तक बढ़कर 1828 मैगावाट तक हो जाने की सम्भावना है।

(ग) महाराष्ट्र में 1967-68 के दौरान बिजली विकास पर अनुमानत: 36.85 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं।

Deferred Payment Facilities to U. S. S. R.

5769. **Shri K. M. Koushik :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reasons for and the extent of deferred payment concessions afforded to the U. S. S. R. and other East European countries on deferred payment for the goods supplied to them ;

(b) whether this concession has also been extended to any other country other than the East European countries ;

(c) whether the world Bank have objected to the said concession being offered to U. S. S. R. and other like countries ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) : Exports are permitted on deferred payment terms in certain cases of capital goods when they are justified on the basis of such factors as international practices, keenness of competition, etc. The treatment is similar for U. S. S. R. and East European countries as for others.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Fertilizer Factory, Mirzapur

5770. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fertilizer Factory proposed to be set up between Mirzapur and Vindhyachal is now proposed to set up elsewhere ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Smuggling of Diamonds

5771. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that suit No. 623/W of 1962was filed in the Bombay High Court against Shri Suresh Mehta and others on the charges of smuggling diamonds ;

(b) whether it is also a fact that the suit was not filed against Shri Mafatlal Mohanlal, one of the persons against whom smuggling charges were levelled, as he was in a foreign country;

(c) whether it is further a fact that the Judge of the Bombay High Court had noted while delivering the judgment on the 3rd November, 1966 that as Shri Mafatlal Mohanlal was the master mind behind this conspiracy, he might be sued on his return to India ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to call Shri Mafatlal Mohanlal back to India and try him here ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) A criminal complaint was filed in the Chief Presidency Magistrate's court, Bombay, bearing No. 623/W of 1962, against Shri Suresh V. Mehta and four others including Shri Mafatlal Mohanlal Mehta. The case against Shri Mafatlal Mohanlal Mehta was separated later from the rest of the accused persons, as he was living abroad.

(c) The Hon'ble Judge of the High Court of Bombay in his judgment delivered on the 2nd November, 1966 mentioned, *inter alia*, that Shri Mafatlal Mohanlal Mehta was the arch conspirator of this conspiracy. There is, however, no observation by the Hon'ble Judge in the said judgment that Sri Mafatlal Mohanlal Mehta might be sued on his return to India.

(d) Efforts were made in the past to bring back to India Shri Mafatlal Mohanlal Mehta from Antwerp, where he has been staying, to face trial but these efforts did not succeed. As and when apprehended, necessary proceedings will be instituted against him.

पारादीप बन्दरगाह पर उर्वरक कारखाना

5772. **श्री रवि राय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 जून, 1968 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री ने उड़ीसा के मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया है कि एक उर्वरक कारखाना पारादीप बन्दरगाह पर स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ, परन्तु कृषि तथा खाद्य मंत्री ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के स्वर्णकारों को वित्तीय सहायता

5773. **श्री दे० अमात :** **श्री गु० च० नायक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के स्वर्णकारों को ऋण देने के लिये और स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले उनके बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिये केन्द्रीय सरकार से तुरन्त इस वर्ष धन देने के लिये प्रार्थना की है;

(ख) यदि हाँ तो इस उद्देश्य के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी जायेगी; और

(ग) यह राशि सरकार कब देगी और इसके दिये जाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) इस संबंध में उड़ीसा राज्य सरकार से माँगे गये आवश्यक आँकड़े जैसे ही प्राप्त होंगे, वैसे ही उड़ीसा सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली रकम के बारे में निर्णय किया जायगा।

कृषि ऋण संगठन

5771. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक कृषि ऋण संगठन स्थापित करने का विचार है ताकि किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध किये जा सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : कृषि सम्बन्धी ऋण देने के वर्तमान साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगमों की स्थापना करने के लिये लोक-सभा में 6 मई, 1968 को राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक, 1968 पहले ही पेश किया जा चुका है। बड़े पैमाने पर कृषि सम्बन्धी ऋणों की व्यवस्था करने के लिए भारतीय बैंक संघ के अनुरोध पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी एक कृषि वित्त निगम की स्थापना की गई है।

नगरीय विकास हेतु गुजरात के लिए धन का नियतन

5775. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नगरीय विकास हेतु गुजरात के लिए कितनी राशि नियत की गई थी; और

(ख) उससे किन-किन शहरों तथा नगरों का विकास किया गया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) (1) अहमदाबाद महानगर क्षेत्र, (2) बड़ौदा महानगर क्षेत्र, (3) सूरत और (4) राजकोट के मास्टर प्लानों को तैयार करने के लिए केन्द्रीय सहायता (अनुदान) के रूप में, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात सरकार को 17.25 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी।

आसाम में तेल के क्षेत्रों से निकाला गया अशोधित तेल

5776. **श्री बी० ना० शास्त्री :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के विभिन्न तेल क्षेत्रों से इस समय प्रति दिन तथा प्रति वर्ष कितना अशोधित तेल निकाला जाता है तथा प्राप्त होता है;

(ख) प्रति दिन तथा प्रति वर्ष कितने प्रतिशत अशोधित तेल डिगबोई, नूनमाटी और बरौनी तेल शोधक कारखाने को सप्लाई किया जाता है;

(ग) नूनमाटी और बरौनी तेल शोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है; और

(ङ) आसाम के तेल क्षेत्रों में 1970 में कितना अशोधित तेल निकाले जाने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1968 के पहले 6 महीनों में आसाम में लगभग 14.8 लाख टन या लगभग 8130 टन प्रतिदिन, अशोधित तेल का उत्पादन किया गया।

(ख) 1967 में विभिन्न शोधनशालाओं को भेजे गये तेल का प्रतिशत निम्न प्रकार से है;

गोहाटी	—	27.6 प्रतिशत
बरौनी	—	54.0 ,,
ए० ओ० सी०	—	18.4 ,,

(ग) गोहाटी और बरौनी की डिजाइन क्षमता क्रमश: 7.5 लाख तथा 20 लाख टन प्रतिवर्ष है। बरौनी की क्षमता को 30 लाख टन प्रतिवर्ष बढ़ाने का कार्य हो रहा है।

(घ) जी हाँ, अनपेक्षित कठिनाइयों के कारण यदा-कदा होने वाली कमी के अलावा।

(ङ) 1970 तक आसाम के तेल क्षेत्रों से लगभग 45 लाख टन अशोधित तेल के उत्पादन की आशा है।

गाल ब्लैडर हटाने के लिये श्रीमती रेणुका दत्त गुप्त का आपरेशन

5777. **श्री देवन सेन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जनवरी 1968 को प्रिंस आफ वेल्स अस्पताल, मेडिकल कालेज कलकत्ता में 12, जी०सी० एवेन्यू, कलकत्ता के श्री ए० आर० दत्त गुप्ता की पत्नी श्रीमती रेणुका दत्त गुप्त का गाल ब्लैडर हटाने के लिए प्रो० ए० के० राय द्वारा आपरेशन किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि आपरेशन से पूर्व "स्किनग्राफी" सहित आवश्यक प्रारम्भिक डाक्टरी परीक्षण भी नहीं किये गये थे;

(ग) क्या निजी मरीजों में व्यस्त होने के कारण आपरेशन करने वाले सर्जन डा० ए० के० राय आपरेशन के बाद कई दिनों तक रोगी को नहीं देख सके;

(घ) क्या यह सच है कि आपरेशन के कुछ दिन बाद ही रोगी ने श्वास संबंधी पीड़ा, वक्षीय दर्द और 'अवोमा' के बढ़ते हुए आध्मान की शिकायत की थी; और

(ङ) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि मृत्यु आपरेशन से पूर्व तथा बाद में नितांत लापरवाही, गलती करने से तथा इस आपरेशन को ठीक से न करने के कारण हुई है, कोई जांच करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

Realisation of Income Tax

5778. **Shri J. B. Singh :** **Shri T. P. Shah :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of money realised by the Central Government as Income tax during the months of April, May and June, 1968; and

(b) the amount realised as Income-tax during the corresponding period of the financial year 1967-68 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) and (b) The required information is as under :

Month		1968-69 Rs.	1967-68 Rs.
April	...	11.39 crores	4.52 crores
May	...	17.66 crores	14.26 crores
June	...	45.16 crores	47.38 crores.
		74.21 crores	66.16 crores

Rural Housing for Agricultural Workers and Scheduled Castes and Scheduled Tribes People

5779. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the reasons for the slow progress of the Rural Housing Scheme and for the failure to provide residential accommodation to the agricultural workers and members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also in carrying out the housing programme till the end of the Third Five Year Plan period ; and

(b) the action taken to accelerate the pace of this programme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The Village Housing Projects Scheme of this Ministry is intended for the benefit of all sections of the rural population irrespective of occupation, caste or creed, and was continued throughout the Third Plan period. No separate allocation of funds is made under the Scheme specifically for the agricultural worker and members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The main reasons for the slow progress under the Scheme is that the States are giving it a low priority as compared to development programmes having higher priority such as agriculture, irrigation and power etc. Since the Scheme is classified as Centrally-aided the State Governments are free to divert the provisions allocated for this Scheme, to other development projects. Therefore, even the small amounts allocated for this Scheme in the State Plan are often diverted by the States to other Schemes during the course of the year. During the Third Plan period, the hostilities with China and Pakistan necessitated re-orientation of the Plan towards defence effort causing a further set-back to this Scheme along with several other housing schemes.

(b) Efforts have been made to persuade the State Governments etc. from time to time in meetings, seminars and conferences etc. to give greater attention to the implementation of this Scheme. The efforts of the Central Government in this regard can, however, only be persuasive in nature unless the Scheme is reclassified as a Centrally-sponsored Scheme in which case the State Governments will not be able to divert funds intended for the Village Housing Projects Scheme to other development projects.

विशाखापटनम पुलिन क्षेत्र (बीच) का कटाव

5780. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वर्षों से समुद्री लहरों द्वारा विशाखापटनम पुलिन क्षेत्र में समुद्र तट कटता रहता है;

(ख) क्या सरकार ने विशाखापटनम समुद्री तट पर उक्त कटाव को रोकने के लिए कोई वृहद् योजना बनाई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर अनुमानत: कुल कितना व्यय होगा और इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकार ने पहले कुछ संरक्षणात्मक कार्य आरम्भ किए थे परन्तु फिर भी पुलिन कटाव हो रहा है। पुलिन कटाव के एक अमरीकी विशेषज्ञ ने 1964 में तथा सिंचाई व बिजली मन्त्रालय एवम् परिवहन और नौवहन मन्त्रालय के विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में इस समस्या की जाँच की थी ।

(ग) राज्य सरकार को बुरी तरह प्रभावित लगभग 1100 फुट के कुल क्षेत्र में वर्तमान संरक्षणात्मक कार्यों को पक्का करने तथा आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आपातिक कार्यों को शीघ्र ही करने की सलाह दी गई है। इन कार्यों की अनुमति लागत 5-6 लाख रुपये है।

विशेषज्ञों की एक और सिफारिश यह है कि यथा सम्भव उत्तरी पुलिन क्षेत्र में अधिक रेत डाली जाये। परिवहन व नौवहन मन्त्रालय ने पत्तन अधिकारियों से कहा है कि वे इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दें ।

राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई हैं कि वे पलस्तर-कृत शेष भागों को आवश्यकतानुसार पक्का करने के लिए यथा-शीघ्र स्कीमें तैयार करें।

प्रधान मंत्री का निवास-स्थान

5781. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री के० आर० गणेश :**
श्री राम सिंह आयरवाल : **श्री रवि राय :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री का निवास स्थान तीन मूर्ति में रखने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह इमारत कब तक इस योग्य हो जायेगी कि उसमें प्रधान मंत्री रह सकें ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इस स्थिति पर यह बताना सम्भव नहीं।

Departmental Complaints Officer in Hydro-Electric Department, U. P.

5782. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Departmental Officer has been appointed in Hydro-Electric Department in U. P., to listen to the complaints made by the farmers in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that there has been very little progress in redressing the farmers' grievances in spite of the appointment of the said officer ;

(c) if so, whether Government are considering the question of appointing an independent vigilance officer to listen to the complaints against the said department ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) An Executive Engineer has been posted in January, 1968 ; at the headquarters of Chief Engineer, State Electricity Board to deal with public complaints.

(b) As reported by the State Government, grievances of thce public including farmers are removed as far as possible. The progress made in respect of investigations into complaints has been indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 3640 on 12th August, 1968.

(c) and (d) The employees of the State Electricity Board come within the purview of the Vigilance Department of the State Government and of the State Vigilance Commission. It is, therefore, not proposed to appoint a separate Vigilance Officer in addition to the Executive Engineer indicated in reply to (a) above.

Maternity Centres for Propagating Family Planning Programme in Rural Areas

5783. **Shri Yashpal Singh** :Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up Maternity Centres in the rural areas with a population of more than 3,000 with a view to propagate family planning ; and

(b) if so, the reasons for not setting up such centres in villages with a population of less than 3,000 ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) The Central Government have already sanctioned the setting up of sub-centres, each for a population of 10,000 to render maternity and family planning services.

(b) The obstacles are financial and organisational. However, the population in such villages will also be covered by the sub-centre mentioned above.

Smuggling of Opium

5784. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 134 Kilograms of opium was seized in Jorhat on the 8th July, 1968 ;

(b) if so, whether Government have been able to get any information from the arrested persons regarding the smuggling of opium on an international scale ;

(c) the number of cases of smuggling of opium detected every year and the value of the opium seized ;

(d) whether Government are taking any concrete steps to check such smuggling ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) On the 8th July, 1968 the Excise Staff of Assam Government seized 134 packets of opium weighing 125.064 kg. from a car intercepted at Jorhat.

(b) No, Sir.

(c) The number of cases of smuggling of opium detected in India and the value thereof during the years 1964 to 1968 (upto July are indicated below) :

Year	No. of cases	Value (in lacs) (Rs.)
1964	6,884	5.84
1965	4,737	5.23
1966	5,301	7.94
1967	2,941	2.02
1968	217	1.42 (upto July)

(d) and (e) The following are the important steps taken by the Government to check opium smuggling :

(i) Limiting poppy cultivation to contiguous areas with a view to securing effective control ;

(ii) A cent per cent survey and measurement of the poppy fields by the staff of the Narcotics Department ;

(iii) Intensive field inspection and preliminary weighment of opium produced soon after collection of opium by the grower ;

(iv) Early purchase of opium by the Government from the grower.

(v) Intensive vigilance and checks by the staff of the Narcotics Department in and around growing areas.

(vi) Elimination of unproductive areas and undesirable cultivators through a system of licensing principles.

(vii) Stepping up progressively from year to year the average yield required to be tendered by a grower for judging his eligibility for licence ;

(viii) Adequate preventive measures at vulnerable points by all enforcement agencies including the State Excise and Police and the staff of the Customs, Central Excise and Narcotics Departments and check of road and rail traffic, wherever necessary.

(ix) Rummaging of suspected sea-going vessels and cancellation of registration certificates of sea-men convicted for narcotic offences.

(x) Collection of intelligence and maintenance of liaison by the staff of the Narcotics Department with enforcement agencies, both within the country and outside.

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन का रिसना

5785. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया और महिशादल के निकट एक गाँव के बीच हल्दिया बरौनी पाइप लाइन रिसना और उसमें पाई गई अन्य त्रुटियाँ ठीक कर दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, इस पर कुल कितना व्यय हुआ था;

(ग) यह व्यय किसके द्वारा वहन किया गया; और

(घ) क्या वैक्चेल एण्ड कम्पनी को जिसने हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के निर्माण का मुख्य रूप से अधीक्षण किया था इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : भारतीय तेल निगम ने जंक वाले पाइपों को बदलने और लेपने एवं लपेटने की सामग्री पर कुल 4 लाख रुपये खर्च किया। विशेषज्ञों, श्रमिकों, निर्माण-उपकरण और अपेक्षित सामग्री के अंश का व्यय स्नाम (निर्माण के ठेकेदारों) ने सहन किया है; परन्तु इस व्यय की धनराशि मालूम नहीं है।

(घ) यह प्रश्न भारतीय तेल निगम के परीक्षणाधीन है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त

5786. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्य हाल में प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वर्तमान आयुक्त के बारे में एक ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन-पत्र में क्या लिखा हुआ था तथा उसमें क्या-क्या माँगें की गई थीं;

(ग) क्या उस मामले की तुरन्त उचित कार्यवाही करने का उनका विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) क्या उस ज्ञापन-पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्थ्याल-राव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ङ) ज्ञापन-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) : ज्ञापन-पत्र अभी हाल ही में प्राप्त हुआ था अतः उस पर विचार किया जा रहा है।

Rajasthan Canal

5787. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is beyond the financial resources of the Government of Rajasthan to complete the construction of the Rajasthan Canal ; and

(b) if so, whether Government propose to reconsider their decision not to take over the construction work of the Rajasthan Canal which has been declared and accepted by Gorvernment as a project of national importance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) The Government of Rajasthan have been representing that due to heavy shortfalls in the resources of the State, it had not been possible for them to allocate more funds for the Rajasthan Canal Project and that it should be financed by the Centre.

Already, hundred percent earmarked central loan assistance, within the State Plan ceiling is being given to the State Government for this project. This year, an additional amount of Rs.3.5 crores has been allocated for the Project outside the State Plan, on the understanding that the State Government would provide Rs.3 crores for it within the State Plan ceiling.

(b) No, Sir.

Installation of Statue of Maharana Pratap in Delhi

5788. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether the Statue of Maharana Pratap is included among the statues proposed to be installed in Delhi by removing statues of foreigners ; and

(b) if not, whether Government would consider the question of installing his statue in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b) Government do not ordinarily initiate proposals for the erection of statues at public expense. Such proposals have to be sponsored by municipal bodies, non-Government organisations or individuals who have to bear all expenses in this regard. All proposals for statues in Delhi are first considered by a Committee set up by Government who decide individual cases in the light of the Committee's recommendations.

No decision to instal a statue of Maharana Pratap has so far been taken.

Inclusion of Denotified and Nomadic Tribes among Scheduled Tribes

5789. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the denotified tribes such as Kanjar, Sansi, Bawri and Santhio and the nomadic tribes such as Gadia, Lohars, Banjare, Gawaria, Pal are proposed to be included in the list of the Scheduled Tribes ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) whether the Gujar community which is more backward than the Bheels has been included in the said list ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Mutthyal Rao) : (a) to (c) : The question of revising the Orders specifying the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is now before the Joint Committee of both the Houses of Parliament on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967.

अन्धे लोगों के लिये रोजगार

5790. **श्री हेम राज :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार प्राप्त करने में विकलाँग लोगों, विशेषतया अंधे लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है; और

(ख) क्या उनकी संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्थाल-राव) : (क) विकलाँग व्यक्तियों को नौकरी में लगाना एक पेचीदा समस्या है और प्रगति उतनी संतोषजनक नहीं है, जितनी कि सरकार चाहती है ।

(ख) जी, हाँ। नेत्रहीनों के लिए अखिल भारतीय संस्था, दिल्ली से एक अध्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें सरकारी क्षेत्र में नेत्रहीनों के लिए रिक्तताओं का आरक्षण माँगा गया है ।

शारीरिक रूप से विकलाँग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों में तकनीकी अधिकारियों से कहा गया है कि वे नेत्रहीनों को रोजगार पर लगाने पर विशेष ध्यान दें ।

हंगरी के साथ ऋण सम्बन्धी करार

5791. **श्री जे० एस० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी की सरकार ने भारत को कुछ मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के लिये 25 करोड़ रुपये का ऋण दिया है;

(ख) क्या ऋण सम्बन्धी करार में इस बात की व्यवस्था है कि 12.5 करोड़ रुपये भारत सरकार के लिये हैं तथा शेष 12.5 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस पर कितना ब्याज दिया जायेगा; और

(घ) क्या हंगरी को भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकार के साथ कोई करार किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : जी, हाँ ।

(ख) : इस करार में भारत सरकार को 1250 लाख रुपये का ऋण तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के आयातकों द्वारा माल खरीदे जाने के लिए 1250 लाख रुपये का सम्भरक-ऋण (सप्लायर्स क्रेडिट) दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

(ग) : सरकार को दिये जाने वाले ऋण पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक व्याज और सम्भरक-ऋण पर 4.5 प्रतिशत वार्षिक व्याज लगेगा।

(घ) : हंगरी को भारतीय माल का निर्यात, भारत-हंगरी व्यापार और भुगतान करार के अनुसार किया जाता है।

मध्य प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5792. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए धन देने तथा अन्य सुधार, जिनमें मेहतरों के लिए मकान शामिल हैं, करने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष केन्द्रीय सहायता के नियतन सम्बन्धी तिथियाँ तथा अन्य ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेगी;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि वापिस की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि मंजूरी देर से दी गई है और जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को देर से भुगतान किया गया और परिणामतः बहुत अधिक राशि खर्च न किए जाने के कारण व्यपगत हो गई;

(घ) क्या ऐसा नियतन देर से देर प्रतिवर्ष अप्रैल तक किये जाने के बारे में भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) (घ) और (ङ.) मध्य प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत 1968-69 के लिये उन्हें जितनी केन्द्रीय सहायता की राशि आबंटित की गई है, उसकी सूचना उन्हें शीघ्र ही दी जाए। सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर यह मंत्रालय योजना आयोग से परामर्श करके, विचार कर रहा है।

संतति निग्रह के साधनों के बारे में पोप का संदेश

5793. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में इसाई जाति के अधिकांश लोग सन्तति निग्रह के कृत्रिम साधनों से सन्तुष्ट हो गये थे क्योंकि कैथोलिक चर्च के इस मामले पर भिन्न-भिन्न विचार थे;

(ख) क्या समाज और जनसंघकीय विशेषज्ञों के सन्तति निग्रह के बारे में पोप के सन्देश को दुःख और खेद के साथ ग्रहण किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकारी विशेषज्ञ जनसंख्या रोक के काम को करते रहेंगे; और

(घ) उपर्युक्त बातों को देखते हुए क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सम्मेलन बुलायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) परिवार नियोजन सेवाएं प्राप्त करने वालों के समुदायवार आँकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी, कुछ विशेष स्थानों पर किये गए अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अन्य समुदायों के साथ-साथ, ईसाई समुदाय के सदस्यों ने भी विभिन्न परिवार नियोजन सेवाएं प्राप्त की हैं जिनमें नसबन्दी आपरेशन और लूप पहनना भी सम्मिलित है।

(ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित पोप-परिपत्र से सम्बन्धित विभिन्न वक्तव्य सरकार के ध्यान में लाए गये हैं।

(ग) भारत में परिवार नियोजन आन्दोलन नैतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक और स्वैच्छिक आधार पर चलाया गया है। यह कार्यक्रम सार रूप से लोगों और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। कार्यक्रम में 'केफेटेरिया' पद्धति को अपनाया गया है। इसमें बिना किसी मजबूरी या दबाव के संयम, सुरक्षित अवधि, लूप, नसबंदी आदि के सहित सभी जाने-पहचाने तरीकों पर पूरा जोर डाला गया है। लोगों को इनका महत्व और प्रयोग अच्छी तरह समझाना होगा ताकि वे अपनी इच्छा से अपना मन पसंद साधन अपना सकें। जनता द्वारा परिवार-नियोजन के जाने-पहचाने तरीकों की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपने और परिवार के हित में छोटा परिवार के नियम को अपनायें। सरकार इसे धार्मिक प्रश्न नहीं समझती है और कार्यक्रम में धर्म को किसी भी आकार या रूप में नहीं लाना चाहती है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की विदेश यात्रा

5794. **श्री समर गुह :** **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 30 जून, 1968 की अवधि में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में अधिक कड़ी नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार इस व्यय की जाँच करेगी ताकि जो यात्रायें टाली जा सकती हैं वे टाली जा सकें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस अवधि में विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये अधिकारि-मण्डलों पर 2,00,157 रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

(ख) सरकारी कर्मचारियों को विदेश भेजने के प्रस्तावों की, वरिष्ठ सचिवों की एक समिति द्वारा, कड़ी छानबीन करने की कार्य-प्रणाली पहले से ही वर्तमान है और सामान्यत: केवल उन्हीं मामलों में विदेश जाने की मंजूरी दी जाती है जो अपरिहार्य हो अथवा जिनसे विदेशी मुद्रा की काफी बचत होने की संभावना हो अथवा जो रक्षा कार्यों अथवा प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखते हों। इस कारण, अधिकारियों को विदेश भेजने पर ह ने वाले खर्च की अतिरिक्त छानबीन करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

सरजू परियोजना

5795. **श्री विश्वनाथ राय :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरजू परियोजना सम्बन्धी ब्योरे को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित राज्य सरकार ने इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार इस स्कीम को चालू वर्ष में ही आरम्भ करने का विचार रखती है। यह स्कीम स्वीकार हो चुकी है ।

मध्य प्रदेश में भंगियों तथा मेहतरों के लिये मकान बनाना

5796. **श्री अ० सिं० सहगल : श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भंगियों तथा मेहतरों के लिये 328 मकान बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति मकान कितनी लागत मंजूर की है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक मकान की लागत का 75 प्रतिशत भाग राजसहायता के रूप में देना अपेक्षित है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार कुल लागत के 75 प्रतिशत से बहुत कम दर पर राजसहायता देने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख), (ग) और (घ) भारत सरकार की गन्दी बस्ती सफाई और सुधार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता का पैटर्न 37½ प्रतिशत तो अनुदान

के रूप में है और 50 प्रतिशत प्रायोजनाओं की अनुमोदित लागत के कर्जे के रूप में। अनुमोदित लागत की 12½ प्रतिशत राशि की व्यवस्था राज्य सरकारें या उनके सम्बन्धित स्थानीय निकाय सहायता के रूप में करेंगे। परन्तु मेहतरों और सफाई कर्मचारियों की गन्दी बस्ती प्रायोजनाओं के लिए समाज कल्याण विभाग की निधियों से 12½ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता और भी मिल जाती है। ऐसे मामलों में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले कर्जे की राशि उतनी ही घटा दी जायेगी जितनी उस विभाग से सहायता के रूप में प्राप्त होगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों पर खर्च की गई राशि

5797. **श्री कार्तिक उराव :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 के पश्चात से वर्ष 1967-68 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर कुल कितना धन खर्च किया गया और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उनके लिये अलग-अलग कितनी राशि नियत की गई है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुत्थ्यला-राव) : (क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं की कालावधियों में पिछड़े वर्गों के कल्याण पर किए गए खर्च का ब्योरा समाज कल्याण विभाग की (1966-67) रिपोर्ट जिसकी प्रतियाँ सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं, के अध्याय 2 में दिया गया है। 1966-67 के दौरान किया गया खर्च नीचे दिया गया है :—

	रुपये करोड़ों में
अनुसूचित आदिम जातियाँ	14.55
अनुसूचित जातियाँ	7.40
अन्य पिछड़े वर्ग	1.27
अनुसूचित तथा खानाबदोश आदिम जातियाँ	0.81
स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता	0.22
जोड़	24.25

1967-68 के दौरान किए गए खर्च के बारे में पूरी सूचना अब तक अधिकतर राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) चालू वर्ष के लिए 20.90 करोड़ रुपये का विनिधान किया गया है; 12.22 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए तथा शेष 8.68 करोड़ रुपये राज्य आयोजना योजनाओं के लिए। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं सम्बन्धी विनिधान का बंटवारा इस प्रकार है :

	रुपये करोड़ों में
अनुसूचित आदिम जातियाँ	6.86
अनुसूचित जातियाँ	4.11
अनुसूचित तथा खानाबदोश आदिम जातियाँ	0.50
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग	0.75
जोड़	12.22

भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल

5798. **श्री कार्तिक उराव :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आदिम जाति सेवक मंडल की देख-रेख में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा अब तक चलाये जा रहे सभी स्कूलों को, जिनका खर्च बिहार सरकार के कल्याण विभाग से पूरा किया जा रहा है, शिक्षा विभाग द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने ऐसी कार्यवाही की है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के स्कूलों के सम्बन्ध में ऐसी ही, प्रक्रियाएं अपनाने का विचार किया जा रहा है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुथ्यालराव) : (क) और (ख) : भारतीय आदिम जाति सेवक संघ बिहार में कोई स्कूल नहीं चला रहा है। आदिम जाति सेवा मंडल, राँची. नामक संस्था है, तथा बिहार में कुछ स्कूलों का प्रबंध कर रही है । मंडल को राज्य सरकार से इस वर्ष इन स्कूलों के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों के लिए जाने के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) नेफा को छोड़ कर अन्य किसी राज्य अथवा क्षेत्र में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ सीधे कोई स्कूल नहीं चला रही है। नेफा शासन इन स्कूलों को लेना नहीं चाहता है।

बिहार की आदिम जातीय जन संख्या में कमी

5799. **श्री कार्तिक उराव :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आदिम जातीय जन संख्या वर्ष 1941 की तुलना में 1961 में लगभग दो लाख कम हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी आदिम जातीय जन संख्या में इसी प्रकार की कमी हुई है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुथ्यालराव) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय पौषाहार अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद

5800. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पौषाहार अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने देश के 194 कालिजों के हास्टिलों में दिये जाने वाले भोजन के स्तर का सर्वेक्षण किया है और यह पाया है कि लड़कों के 70 प्रतिशत और लड़कियों के 50 प्रतिशत होस्टलों में घटिया स्तर का भोजन दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 30 प्रतिशत से अधिक होस्टलों में नास्ता नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) 1963-64 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि लड़कियों के होस्टलों के आहारों की कुल संख्या के आधे से भी अधिक तथा लड़कों के होस्टलों के 70 प्रतिशत से कुछ कम आहारों में उतनी कलोरीन नहीं पायी गई जितनी होनी चाहिये।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस मामले को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जायेगा।

आसाम तेल कम्पनी द्वारा मोम का उत्पादन

5801. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम तेल कम्पनी प्रतिवर्ष कितना मोम तैयार करती है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या यह सच है कि यह मूल्यवान उप-उत्पाद गौहाटी तथा बरौनी शोधनशालाओं में भी तैयार किया जा सकता है;

(घ) यदि हाँ, तो इन शोधनशालाओं में मोम तैयार करने के लिये अपेक्षित पैट्रोलियम के मूल-उत्पादन को नष्ट होने देने के क्या कारण है;

(ङ) क्या देश में तथा देश से बाहर मोम की माँग को पूरा करने के लिये इन शोधन-शालाओं में मोम तैयार करने की सम्भावना का पता लगाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) पिछले तीन सालों में औसत उत्पादन लगभग प्रतिवर्ष 37,400 मीटरी टन प्रतिवर्ष था।

(ख) निर्यात से उपलब्ध विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

1965	1966	1967
59.18	65.27	39.50

(ग) जी नहीं, जैसे शोधनशालाएं आज हैं।

(घ) लुब्रीकेटिंग तेलों का , जो मोम के उत्पादन के लिये पूर्व-अपेक्षित सामग्री है, उत्पादन करने के लिये गोहाटी शोधनशाला के पास यूनिट एकक) नहीं हैं। बरौनी शोधनशाला में शोधित पैराफीन मोम का उत्पादन करने की सुविधाएं स्थापित नहीं की गई हैं। बरौनी शोधनशाला से उपलब्ध मूल स्लैक मोम ईंधन तेल से मिलाई जाती है और इसे व्यर्थ नहीं होने दिया जाता।

(ङ.) और (च) जी नहीं, क्योंकि जिस समय शोधनशालाओं का रुपाँकन किया गया था, उस समय देश में मोम का उत्पादन देश की आवश्यकताओं से अधिक था। परन्तु मद्रास और हल्दिया शोधनशालाओं में मोम उत्पादन करने की सम्भावना का इस समय अध्ययन किया जा रहा है ताकि सम्भावित आगामी माँग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

बैंक की दरें

5803· **श्री लोबो प्रभू :**

क्या **वित्त** मंत्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2621 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण प्राप्त करने और ऋण देने की दरों में वर्तमान अन्तर की ब्योरेवार इस बीच जाँच कर ली है;

(ख) क्या सरकार ऋण लेने वालों तथा उद्योग के हित में समझती है कि बैंक की दरें, बैंकों द्वारा दिये गये ब्याज से, 100 से 200 प्रतिशत अधिक हो जाये।

(ग) क्या सरकार निर्यात-ऋण पर तथा लघु उद्योगों को दी जाने वाली 1½ प्रतिशत की राजसहायता को पर्याप्त समझती है जबकि बैंकों द्वारा प्राप्त कुल ब्याज की राशि सामान्य ऋणों पर 9½ प्रतिशत और उससे अधिक की तुलना में 17½ प्रतिशत होगी; और

(घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया या सरकार सीधे ऋण क्यों नहीं देती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह अन्तर, प्रतिष्ठान-व्यय, प्रारक्षित निधि में अन्तरण, आयकर की अदायगी और कर्मचारियों को अधिलाभ (बोनस) की अदायगी जैसे सांविधिक दायित्वों को पूरा करने तथा शेयरहोल्डरों को लाभांश की अदायगी करने भर के लिए ही काफी होता है।

(ग) बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में कोई राज सहायता नहीं दी जाती। इस बात का ध्यान रखते हुए कि बैंक , रिजर्व बैंक से 4½—5 प्रतिशत की दर के हिसाब से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं और उधार देने की औसत दर 9½ प्रतिशत की अधिकतम सीमा से कम है, निर्यात ऋण पर 1½ प्रतिशत वार्षिक की राज-सहायता पर्याप्त है।

(घ) देश की केन्द्रीय बैंकिंग संस्था के रूप में, रिजर्व बैंक का काम व्यक्तियों को सीधे ऋण देना नहीं है। सरकार भी इस प्रकार के कार्यों को, जो वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, अपने हाथ में नहीं ले सकती।

दिल्ली के हस्पतालों में अवैतनिक डाक्टरों की सेवाओं का समाप्त किया जाना

5803. **श्री लोबो प्रभू : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैतनिक डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग जारी न रखने के बारे में दिल्ली प्रशासन के निर्णय में सरकार का कोई दायित्व नहीं है;

(ख) क्या इस व्यवसाय के विशेषज्ञों के स्थान पर अनुभवहीन डाक्टरों की भर्ती करने से बढ़ने वाला खर्च उचित होगा; और

(ग) अवैतनिक डाक्टरों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के पश्चात रोगियों की देख-रेख में कमी होने के बारे में दिल्ली प्रशासन को जनता से क्या-क्या शिकायतें मिली हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) दिल्ली प्रशासन का यह निर्णय केन्द्रीय सरकार की इस सामान्य नीति के अनुरूप है कि जहाँ तक सम्भव हो सके पूर्वकालिक डाक्टरों की नियुक्ति की जाये।

(ख) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में पहले से ही अनेक वरिष्ट और अनुभवी डाक्टर मौजूद हैं जो कि इर्विन अस्पताल के रोगियों को देखते हैं।

(ग) रोगियों की चिकित्सीय देख-रेख में किसी भी प्रकार की कमी के बारे में अभी तक जनता से कोई शिकायत नहीं मिली है।

सम्पदा शुल्क

5804. **श्री लोबो प्रभू :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 49 सी० डब्ल्यू० एन० 9 को दृष्टि में रखते हुए सम्पत्ति पर पड़ने वाला सम्पदा शुल्क कानून की दृष्टि में एक कर है;

(ख) क्या यह सच है कि आस्तियों के मूल्य पर लगाया हुआ शुल्क नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहाँ सम्पत्ति के लिए सांवैधानिक संरक्षण है और जहाँ सम्पदा शुल्क लगाया गया है; और

(घ) यदि ऐसा कोई देश नहीं है, तो भारत में यह शुल्क लगाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संघ न्यायालय का 49 सी० डब्ल्यू एन 9 में सूचित निर्णय भारत सरकार अधिनियम 1935 के उपबन्धों के सम्बन्ध में है। संविधान के लागू हो जाने के बाद यह निर्णय लागू नहीं रहता। सम्पदा शुल्क लगाना

संविधान की अनुसूची VII की सूची 1 की प्रविष्टि 87 तथा सूची 11 की प्रविष्टि 48 के अनुसार स्पष्टत: अधिकृत है। इस प्रकार सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 द्वारा लगाया गया उक्त शुल्क कानून के प्राधिकार द्वारा वसूल किया गया कर होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कैनेडा, जापान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका तथा पाकिस्तान में सम्पदा शुल्क लगाया जाता है। इन देशों में जायदाद के संबैधानिक संरक्षण के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारत में धन के असमान वितरण को कम करने के लिए सम्पदा शुल्क एक महत्वपूर्ण राजस्व उपाय है। इसके अतिरिक्त इस शुल्क को लगाने का उद्देश्य राज्यों को उनकी विकास योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने की दिशा में सहायता करना है।

उर्वरक उत्पादन क्षमता

5805. **श्री लोबो प्रभू :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उर्वरक उत्पादन की कितनी क्षमता है और इसमें से कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्षमता के बेकार रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) नई क्षमता स्थापित करने के पूर्व इन कारणों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : मौजूदा क्षमता निम्न प्रकार है :

(i) नाइट्रोजनी उर्वरक	849,000 मीट्री टन–नाइट्रोजन के रूप में
(ii) फास्फेटिक उर्वरक	411,000 मीटरी टन–पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में

वर्तमान समय में, सारी नाइट्रोजन क्षमता काम में लाई जा रही है। जहाँ तक सुपर-फास्फेट उर्वरकों का सम्बन्ध है, कुछ सुपर फास्फेट फैक्ट्रियों में अपर्याप्त उठाव के कारण उत्पादन की गति कम करनी पड़ी। यह एक अस्थाई लक्षण है और फास्फेटिक्स में भी किसी क्षमता के बेकार रहने की आशा नहीं है।

(ग) उक्त उत्तरों के कारण प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिये फास्फेटिक उर्वरकों का आयात कम कर दिया गया है जिससे घरेलू उत्पादक अपना स्टाक बेच सकें और पूरा उत्पादन फिर शुरू कर सकें।

घाटे की वित्त व्यवस्था

5806. **श्री लोबो प्रभू :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि की घाटे की वित्त-व्यवस्था की जाने का अनुमान है, और

(ख) क्या इससे मुद्रा-स्फीति बढ़ी है और यदि नहीं तो इस समय सामान्य सूचकांक क्या हैं और वित्तीय वर्ष के आरम्भ में क्या था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार के 1968-69 के बजट में 289 करोड़ रुपये का कुल घाटा दिखाया गया है। अभी यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में वास्तव में कितनी रकम के लिये घाटे की वित्त-व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है।

(ख) थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक (1952-53 = 100) 3 अगस्त 1968 को समाप्त हुए सप्ताह में 209.8 था जबकि वह मार्च 1968 के अंत में 200.6 था। इस अवधि में मूल्यों में कुछ वृद्धि हो जाना सामान्य मौसमी बात है। 3 अगस्त 1968 को समाप्त हुए सप्ताह में एक वर्ष पहले के उसी सप्ताह की तुलना में, मूल्य 4.4 प्रतिशत कम थे।

दिल्ली में रक्षा बन्धन के अवसर पर विषाक्त भोजन के मामले

5807. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस वर्ष रक्षा बन्धन के अवसर पर खरीदी गयी मिठाई खाने पर विषाक्त भोजन के कितने मामले की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या मिठाइयों के नमूने लिये गये थे और उनका रासायनिक परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका क्या परिणाम है और इस बारे में दोषी सिद्ध हुए दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) नौ।

(ख) जी हाँ।

(ग) ये नमूने गुच्छ गोलाणुओं (स्टैफिलोकोक्सी) से दूषित पाये गये थे। दोषी दुकान-दारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

चीनी की तस्करी

5808. **श्री मणिभाई जे० पटेल** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया, चीन और क्यूबा की चीनी जो नेपाल में 95 पैसे प्रति किलो-ग्राम बिकती है भारत में लायी जाती है और उत्तर प्रदेश में 2 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाती है जहाँ पर चीनी का आम भाव 4 रुपये प्रति किलोग्राम है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस तस्करी को रोकने के लिये सरकार क्या निरोधक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के नजदीक चीनी का भाव 3 रु० 50 पैसे से लेकर 4 रु० प्रति किलोग्राम है जिसके मुकाबले नेपाल की उत्तर प्रदेश के साथ लगी सीमा के क्षेत्र में चीनी का भाव 3 रु० प्रति किलो है। पोलेण्ड, चेकोस्लोवाकिया तथा रूस में बनी चीनी के नेपाल से भारत में चोरी छिपे लाये जाने के कुछ मामले पकड़े गये हैं लेकिन सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आस्ट्रेलिया, चीन तथा क्यूबा से चीनी भारत में आती है तथा उत्तर प्रदेश में 2 रुपये प्रति किलो ग्राम के भाव से बिकती है।

(ख) भारत-नेपाल सीमा पर सभी निरोधक तथा गुप्तचर्या संगठन-व्यवस्थाओं को सतर्क कर दिया गया है तथा निरोधक उपाय दृढ़ कर दिये गये हैं। तस्कर आयात निर्यात रोकने के अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

M/s. Bird and Co.

5809. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2731 on the 4th March, 1968 and state :

(a) whether the information has since been collected in regrad to M/s. Bird and Company ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay ;

(d) whether it is a fact that with a view to save Income tax the members of the family have individually been shown as the proprietors of the firms being run by M/s. Bird and Company while the firms actually belong to one man ; and

(e) if so, the total number of firms of the said company along with their names and addresses ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information relating to Messrs Bird & Co. (P.) Ltd., asked for in Lok Sabha Unstarred Question No. 2731 dated the 4th March, 1968 has since been collected and a statement containing this information is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT 1904/68).

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

मैसूर राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण जल व्यवस्था योजना

5810. **श्री सं० अ० अगड़ी** :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में रायचूर जिले में, बेल्लारी जिले की होस्पेट तथा हडागल्ली तालुकों में, धारवाड़ जिले की मुंदरेगी तथा गदग तालुकों में राष्ट्रीय ग्रामीण जल व्यवस्था योजना के लिये आरम्भ से अब तक कोई प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ग्राम-वार और तालुक-वार मंजूर की गई, क्रियान्वित की गई और क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विदेशों के दौरे

5811. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष तथा इस वर्ष 31 जुलाई, 1968 तक इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार-मेस्यूटिकल लिमिटेड, नई दिल्ली के कुछ अधिकारियों को व्यापार की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने के लिये स्वतंत्र रूप से अथवा कुछ अन्य प्रतिनिधिमण्डलों के साथ विदेशों में भेजा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के पद-नाम क्या हैं तथा उनकी अर्हतायें क्या हैं और विशेषतया औषध निर्माण उद्योग में उनका क्या विशेष अनुभव है जिसके कारण उन्हें यह विशेष कार्य सौंपा गया तथा उनके दौरों के क्या परिणाम निकले;

(ग) उन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(घ) उनका चयन किस प्रकार किया गया था तथा क्या इसके लिये उनके मंत्रालय से मंजूरी ली गई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) 1. इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, जो उत्पादन व्यय, विक्रय प्राप्तियों, विक्रय मूल्यों में रियायतों आदि से सम्बंधित लेखों के सर्वकार्यभारी अधिकारी हैं।

2. सर्जीकल इंस्ट्रूमेंटस प्लाँट, मद्रा के वर्कस मैनेजर, जो आर्डरों की प्राप्ति, कार्यों की कार्यान्विति और सर्जीकल इंस्ट्रूमेंटस के उत्पादन का समस्त नियंत्रण करने के कार्यभारी हैं।

3. इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स के चीफ सेल्ज मैनेजर, जो आई० डी० पी० एल० उत्पादों की बिक्री के सर्वकार्यभारी हैं।

(ग) 24,898 रुपये।

(घ) उनका चयन कम्पनी ने किया था और सरकार ने अनुमोदन किया था।

लौह-धातु उद्योग के लिये बिजली की दरों का पुनरीक्षण

5812. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजारों में लौह मिश्रधातु उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से सरकार को इस उद्योग से बिजली की दरों में उपयुक्त पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) राज्य सरकार के माध्यम से रियायती दर पर बिजली देने के रूप में सहायता देने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) बैंकटारमन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने अपने संकल्प दिनाँक 27 दिसम्बर, 1966 में राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी है कि विद्युत-रासायनिक और धातु कार्मिक उद्योग को सप्लाई की गई बिजली की दर से होने वाले लाभ को उचित मात्रा तक कम कर दें। परन्तु किसी भी हालत में यह दर इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि चालन, रख-रखाव, मूल्य ह्रास और ब्याज की लागत को पूरा न किया जा सके ।

गुजरात में आदिम जातीय खण्ड

5813. **श्री द० रा० परमार :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने आदिम जातीय खण्ड हैं तथा वहाँ पर श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन और श्रेणी चार की सेवाओं में इस समय कितने आदिम जातीय कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या आदिम जातीय कर्मचारी खण्ड विकास अधिकारी अथवा परियोजना अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिये हकदार हैं;

(ग) क्या आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले उन विस्तार अधिकारियों को, जिन्होंने पाँच वर्ष से अधिक समय सेवा पूरी कर ली हो खण्ड विकास अधिकारियों या परियोजना अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो अब तक इस प्रकार पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्थ्याल-राव) :

(क), (ग) और (घ) : आदिम जातीय विकास खण्डों की संख्या 53 है। अन्य ब्यौरे राज्य सरकार से एकत्र किये जा रहे हैं तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ख) जी, हाँ ।

अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियाँ

5814. **श्री द० रा० परमार :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिये अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को इस समय किस दर पर छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं; और

(ख) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार उनके अनुसार छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम उपमंत्री (श्री मुत्थ्यालराव) : (क) और (ख) : यह सूचना लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 1879 के 8 जून, 1967 को दिए गए उत्तर में शामिल है।

वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर दरों को प्रशोधित किया जा सकता है।

कोरवा उर्वरक कारखाना

5816. **श्री दे० वि० सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनः आरम्भ की गई कोरवा उर्वरक परियोजना पर कितना परिव्यय होने का अनुमान है और नये कारखाने की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ख) किस विदेशी पक्ष में सहयोग प्राप्त होने की संभावना है और उक्त सहयोगी की अन्तिम शर्त क्या है और मूल परियोजना की शर्तों की तुलना में ये शर्तें कैसी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) कोरवा स्कीम अभी तक भारतीय उर्वरक निगम के परीक्षणाधीन है। परिव्यय और उत्पादन के क्रमशः 72 करोड़ रुपये तथा 495,000 मीटरी टन यूरिया होने की आशा है।

(ख) जब तक निगम की अन्तिम सिफारिस प्राप्त न हो जाये, परियोजना से सम्बन्धित ब्यौरे देना संभव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेन्शन का लाभ

5817. **श्री नाथू राम अहिरवार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को, जो 1952 से पहले रिटायर हो गये थे और जिनकी पेंशन 200 रूपये मासिक से अधिक थीं, अपनी पेंशन में अपने मंहगाई भत्ते का एक भाग मिलाने का लाभ नहीं दिया गया था;

(ख) क्या गाडगिल समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कर्मचारियों की पेंशन के साथ मंहगाई भत्ते का एक भाग मिला दिया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दास आयोग की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की पेंशनों के साथ और अधिक मंहगाई भत्ता मिलाया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो किन तारीखों से, किस सीमा तक और कितने पेंशन-भोगियों को यह लाभ मिला ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 15-7-1952 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त हुए उनके मामले में मंह-

गाई भत्ते का जो 50 प्रतिशत अंश, गाडगिल समिति की सिफारिशों के अनुसार मंहगाई वेतन माना जाता था, उसे पेंशन निर्धारित करने के लिए परिलब्धियों के रूप में हिसाब में लेने की अनुमति दी गयी थी। जो व्यक्ति उस तारीख से पहले सेवा निवृत्त हो गये थे उनके मामले में, 1945 में मंजूर की गयी अस्थायी वृद्धि की दरों को 1-4-58 से नीचे लिखे अनुसार बढ़ा दिया गया है :

जो पेंशन 50 रुपये (प्रतिमास) से अधिक नहीं हैं.....10 रुपये प्रतिमास,
50 रुपये से अधिक 100 रुपये से अधिक नहीं हैं
(सीमांत समायोजन सहित जो पेंशन 112.50
रुपये से अधिक नहीं हो) .....12.50 रुपये प्रतिमास ।

इन दोनों में से किसी भी मामले में, कर्मचारियों को, सेवा में रहते हुए प्राप्त मंहगाई भत्ते का कोई भाग उनकी पेंशन में समाहित नहीं किया गया था ।

(ग) जी, नहीं। मंहगाई भत्ते को पेंशन में समाहित करने अथवा पेंशन के लिए उसको हिसाब में लेने के सवाल को उस एक व्यक्तिक स्वतंत्र निकाय के निर्देश-पदों में शामिल नहीं किया गया था, जिसका सम्भवतः माननीय सदस्य ने 'दास आयोग' के नाम से उल्लेख किया है।

(घ) यह सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली से बाहर रहने वाले सरकारी पेन्शन पाने वाले व्यक्ति

5818. **श्री नाथू राम अहिरवार :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बाहर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा की सुविधायें देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय क्षेत्रों में दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी पेंशनर स्वेच्छा के आधार पर दिल्ली में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की भांति निर्धारित अंशदान देकर इस योजना के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। यह दिल्ली में न रहने वाले पेंशनरों के विषय में संभव नहीं है ।

स्टेट बैंक द्वारा खराब करेंसी नोटों का बदलना

5819. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ स्थानों पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने स्टेट बैंक आफ इंडिया को फटे तथा खराब करेंसी नोटों का अच्छे नोटों से बदलने का अधिकार दिया है ;

(ख) क्या स्टेट बैंक की मंदसोर शाखा को यह अधिकार दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्टेट बैंक की मंदसौर शाखा को भी यह कार्य करने का अधिकार देने का विचार कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे तेल या अन्य पदार्थों से विकृत या खराब हुए नोटों और मामूली फटे या क्षति-ग्रस्त नोटों के बदले में अच्छे नोट दे सकें बशर्ते कि ये नोट असली साबित किये जा सकें और उनके बारे में किसी प्रकार की धोखा धड़ी का संदेह न हो। उनको ये अधिकार भी दिया गया है कि वे एक-एक रुपये के ऐसे नोट ले सके जो बीचोबीच फट कर दो टुकड़े हो गये हों और जिनके ये टुकड़े फिर से जोड़ दिये गये हों बशर्ते कि शाखाओं के कार्यभारी अधिकारी को इस बात की तसल्ली हो जाय कि नोट के सामान्य रूप से कटने-फटने के कारण ही अलग-अलग दो बराबर भाग हो गये हैं और ये दोनों भाग एक ही नोट के हैं । स्टेट बैंक की शाखाओं को, उपर्युक्त प्रकार के फटे या क्षतिग्रस्त नोटों को छोड़कर अन्य प्रकार के फटे या क्षतिग्रस्त नोटों को बदलने या लेने का अधिकार नहीं है। रिजर्व बैंक के निगम-कार्यालय ही इस प्रकार के नोटों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

(ख) और (ग) : स्टेट बैंक की मंदसौर-स्थित शाखा भी, उक्त बैंक की अन्य शाखाओं की भांति उपर्युक्त प्रकार के नोटों के सम्बन्ध में ही आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिक राशि निकालना

5820. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आँध्र प्रदेश सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक से नियत राशि से कितनी अधिक राशि निकलवाई है;

(ख) राज्य नियत राशि से कितनी अधिक राशि निकलवा सकते हैं;

(ग) अब तक कितनी राशि का समायोजन किया गया है तथा 1967-68 तक कितनी राशि का समायोजन किया जाना है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है तथा कितनी सहायता दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक से हाल में नियत राशि अधिक कोई राशि नहीं निकाली है ।

(ख) आन्ध्र सरकार इस समय भारत के रिजर्व बैंक से नियत राशि से 6.50 करोड़ रुपये तक की और ज्यादा राशि निकाल सकती है ।

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक से अनधिकृत ओवरड्राफ्टों का हिसाब-किताब चुकता करने । राशि में कमी करने के लिये भारत सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुल मिलाकर 70.20 करोड़ रुपये के तदर्थ ऋण दिये थे । इसमें से राज्य सरकार ने 1967-68 के अन्त तक 7 करोड़ रुपये चुकाये हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत हरयाणा में भूमि का विकास

5821. **श्री सूरज भान :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरयाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) फरीदाबाद, गुड़गाँव, सोनीपत और बहादुरगढ़ में 21.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 7600 एकड़ भूमि के अर्जन और विकास के बारे में हरयाणा सरकार के प्रस्ताव वाले एक एजेंडा नोट पर 2 मई, 1967 को उच्चाधिकार सम्पन्न बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। राज्य सरकार ने इस खर्च की पूर्ति के लिए 1967-68 से आगे चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपये का एक रिवोल्विंग फंड खोलने का विचार किया है। बोर्ड की प्रतिक्रिया यह थी कि इन नगरों का विकास कार्यक्रम राज्य सरकार की पंच वर्षीय योजना से सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए और उनके लिए राज्य की वार्षिक योजना में धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

पश्चिमी यमुना नहर जल परियोजना

5822. **श्री सूरज भान :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से पश्चिमी यमुना नहर परियोजना के लिये 6 करोड़ रुपये मंजूर करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में हैजा

5823. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग हैजे से मर गये हैं और हैजे तथा गैस्ट्रोइन्टेरिटिस के मामले अचानक बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस बीमारी के कारण कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इस राज्य में हैजे के कुल कितने मामले बताये गये हैं; और

(ग) बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में इस बीमारी की रोक-थाम के लिए राजस्थान को क्या केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सीकर नगर को छोड़ कर जहाँ पर हैजे की 55 घटनायें और 2 मौतें हुई, राजस्थान के अन्य बाढ़-पीडित क्षेत्रों से हैजे या आमाशय शोथ की किसी घटना की खबर नहीं मिली है।

(ख) अगस्त, 1968 के मध्य तक आमाशय शोथ और हैजे की 1052 घटनाएं हुई जिनमें 82 मौतें हुई। 19 रोगियों के मल के नमूनों में से हैजे के रोगाणु अलग किये गये हैं।

(ग) रोग के फैलाव पर काबू पाने के लिये इस राज्य को हैजा-वैक्सीन प्राप्त करने में सहायता दी गई। एक महामारी विशेषज्ञ, एक जीवाणु वैज्ञानिक और तीन तकनिसियनों के एक दल को रोगियों को महामारी-विज्ञान सम्बन्धी जाँच करने के लिए राजस्थान भेजा गया था।

दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन

5826. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **वित्त** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब्जी मण्डी, दिल्ली के फलों के व्यापारियों के विरुद्ध जाँच में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इन करापवंचकों को दिल्ली की नई सब्जी मण्डी में दुकानें दी जायेंगी?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जाँच-पड़ताल अब पूरी हो चुकी है और जिन मामलों में कर का अपवंचन पाया गया था, उनमें आवश्यक कार्य-वाही की गयी है।

(ख) मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार किया जायगा।

दिल्ली में नई सब्जी मण्डी

5827. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कब तक सब्जी बाजार को आजादपुर ले जाने की सम्भावना है तथा नई सब्जी मण्डी में क्या-क्या विकास किया गया है;

(ख) दुकानदारों को दुकानों का आवंटन करने से पहले उन फल व्यापारियों से किराये तथा आय करों की बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1959 से किराये तथा अन्य करों की बकाया राशि को वसूल न करने के लिये कौन जिम्मेदार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस बाजार को शीघ्र ही नये स्थान पर ले जाने की सम्भावना है। नये सब्जी मण्डी मार्केट का एक भाग पहले ही विकसित किया जा चुका है। रोड शेडों एवं खुले भागों के लिये स्थान, बिजली की लाइनों, पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्पों और पेशाबघरों आदि की व्यवस्था भी कर दी गई है। बैंक और डाक तथा तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था भी कर दी गई है। शेष क्षेत्र में विकास कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) यह विषय विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश के मेडिकल कालेजों में दाखिला

5828. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दाखिले के लिये मध्य प्रदेश के मैडिकल कालेजों के प्राधिकारियों को लगभग 4,000 प्रार्थना-पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में केवल 720 स्थान हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रार्थना-पत्रों की संख्या अधिक होने और स्थानों की संख्या कम होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) मध्य प्रदेश के छः चिकित्सा कालेजों की चालू वर्ष की प्रवेश क्षमता 750 है ।

(ग) इस मामले पर विचार करना राज्य सरकार का कार्य है ।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क समाप्त करना

5829. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये प्रति व्यक्ति शुल्क को समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है और राज्यों को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं; और

(ख) इस समय प्रति व्यक्ति शुल्क की कितनी राशि नियत है और इसके आरम्भ होने के समय से लेकर अब तक राज्य-वार और वर्ष-वार विभिन्न संस्थाओं ने कितनी राशि एकत्र की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे प्राइवेट मेडिकल कालेजों के खुलने को निरुत्साहित करें जो अपने अस्तित्व के लिये उच्च कैपीटेशन फीस और/या उच्च ट्यूशन फीस पर निर्भर करें ।

(ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नांकित प्राइवेट मेडिकल कालेज उनके सामने अंकित दरों पर कैपीटेशन फ़ीस लेते हैं :

आंध्र प्रदेश :

1. काकतिया मेडिकल कालेज, वारंगल	(i) 5,000.00 रुपये प्रति छात्र प्रथम वर्षीय मिश्रित कोर्स में दाखिले के लिए, और (ii) 6,000.00 रुपये प्रति छात्र द्वितीय वर्ष के मिश्रित कोर्स के दाखिले के लिए ।
2. रंगाराया मेडिकल कालेज, काकीनाडा ।	6,000.00 रुपये प्रति छात्र ।

बिहार :

3. मेडिकल कालेज, जमशेदपुर	4,000.00 रुपये प्रति छात्र ।
महाराष्ट्र	
4. मेडिकल कालेज, शोलापुर	7,020.00 रुपये प्रति छात्र ।
मैसूर :	
5. मेडिकल कालेज, गुलबर्ग	मैसूर निवासियों से 3,020.00 रुपये प्रति छात्र और अन्य से 5,020.00 रु० प्रति छात्र ।
6. मेडिकल कालेज, बेलगाँव	मैसूर निवासियों से 3000 रुपये प्रति छात्र और अन्य से 5000.00 रुपये प्रति छात्र ।
7. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल	3000.00 रुपये प्रति छात्र ।

प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा ली गई कैपीटेशन फीस की राशि के विषय सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Termination of Services of Workers of Gandak and Chandan Dams after Industrial Tribunal's Award

5830. **Shri Mrityunjai Prasad:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Industrial Tribinal and the arbitrator have given their awards in regard to the industrial dispute raised by the workers, who have been engaged on the Gandak River Valley Project, Balmikinagar and the Chandan Dam Unit, Baunsi (Bhagalpur) by the National Project Construction Corporation and the said award has been published by the Government of Bihar in their Gazette ;

(b) if so, the broad details of the award in favour of the workers ;

(c) whether it is a fact that after the publication of the award, the Gandak Project and the Chandan Project authorities have suddenly removed from service 356 and 956 workers respectively without assigning any reasons, and if so, the reasons as to why so many workers have been removed from the service; and

(d) whether the said workers have been given all benefits due to them according to the award given by the Industrial Tribunal before being removed from the service ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) The industrial dispute raised by the workers of Gandak and Chandan Dam units of N. P. C. C. was referred for arbitration and the arbitrator has given his award. The award was published in an extra-ordinary issue of the Bihar Gazette dated 15th June, 1968.

(b) The operation of the award has been stayed by the Hon-ble High Court of Judicature of Bihar at Patna and the matter is sub-judice in respect of Chandan and Gandak Units except the question of transfer of workers on closure of units to other units. On this demand, the award states that the workers, who have served the Corporation for 3 years, should be given preference if any vacancy occurs at any site and transferred to that place ; but if for any reason the Corporation is not in a position to do so, it shall pay retrenchment compensation according to law.

(c) 308 casual workers who had not completed 240 days continuous service at Gandak were disengaged with effect from 31st July, 1968 in consultation with the Assistant Labour Commissioner and the Labour Superintendent of the area and offered payment of all their dues payable to them under the law. In the case of Chandan Unit, against the Management's proposal of retrenchment of 1,656 workers, 962 persons were retrenched in batches between 1st and 6th August, 1968, in accordance with the procedure laid down by the Labour Advisory Council of the State of Bihar after approval had been accorded by the Commissioner of Labour, Bihar and offered payment of retrenchment compensaion and all other dues payable to them under the law.

(d) Does not arise in view of answer to part (b).

बम्बई में रिजर्व बैंक के लिये भवन

5831. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बम्बई में टुलक रोड (थोबर्न हाउस के पीछे) पर एक भवन किराये पर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो भवन का क्षेत्रफल कितना है और वह भवन किन शर्तों पर लिया गया है; और

(ग) क्या सरकार के विचार में किराया और अन्य शर्तें उचित और युक्तियुक्त हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, हाँ।

(ख) : रिजर्व बैंक ने कोलावा, बम्बई में टुलक रोड पर स्थित एक इमारत की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिलों में 6,601 वर्गफुट कार्यालय-स्थान छुड़ाने के अधिकार और लाइसेंस (लीव ऐण्ड लाइसेंस) के आधार पर, अनुबन्ध में बतायी गयी शर्तों पर लिया है।

(ग) : जिस जगह पर यह इमारत है उसे और प्रचलित किराये को देखते हुए, रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की समिति ने इन शर्तों को उचित समझा और उन्हें स्वीकार किया। इस समिति को ऐसे मामलों में निर्णय करने का अधिकार है।

विवरण

कोलाँबा, बम्बई-1 में टुलक रोड पर 'अशोक महल' नामक इमारत में रिजर्व बैंक द्वारा किराये पर जगह लिये जाने की शर्तें।

(i) 6,601 वर्ग फुट के कुल क्षेत्र के लिए प्रतिमास 2 रुपया प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से मुआवजा देना पड़ेगा।

(ii) लाइसेंस पाँच वर्षों की अवधि के लिये होगा और बैंक को यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो पाँच वर्षों की और अवधि के लिए लाइसेंस का पुनर्नवीकरण उन्हीं शर्तों पर, जिनमें लाइसेंस के पुनर्नवीकरण का अधिकार भी शामिल है, कर सके।

(iii) बैंक तीन महीनों के मुआवजे के रूप में 39,591.00 रुपये की रकम जमा करेगा, जो, लाइसेंस का पुनर्नवीकरण न किये जाने की स्थिति में, लाइसेंस की अवधि के अन्तिम तीन महीनों के लिये देय मासिक मुआवजे के रूप में समायोजित की जायगी। यदि लाइसेंस का पुनर्नवीकरण किया जायगा, तो वह जमा रकम पुनर्नवीकरण की अवधि के अन्तिम तीन महीनों के लिए देय मासिक मुआवजे के रूप में समायोजित की जायगी।

(iv) बिजली और पानी का खर्च बैंक को देना पड़ेगा । पर बैंक देय मुआवजे की रकम में से प्रतिमास 5 रुपया, लाइसेंस में शामिल न किये गए, तीसरी मंजिल के शौचालय में इस्तेमाल किये गये पानी के सम्बन्ध में काट लेगा।

(v) इमारत का मालिक, तीसरी मंजिल की छत का इस्तेमाल केवल सामाजिक कार्यक्रमों के लिए काम के दिनों में शाम के 6 बजे के बाद ही और रविवार को तथा बैंक की छुट्टियों में, किसी भी समय, कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस शर्त का उल्लंघन किये जाने पर बैंक को मुआवजे की रकम में से 500.00 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उतने दिनों के लिए काटने का अधिकार होगा जितने दिन उल्लंघन किया गया हो। उक्त छत के इस्तेमाल के लिए बैंक को कोई रकम नहीं देनी पड़ेगी।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड

5832. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स लिमिटेड में उत्पादन कब से आरम्भ हुआ था; और

(ख) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स लिमिटेड के उत्पादों का मूल्य कितना है और अब तक भेजे गये उत्पादों की मात्रा कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सर्जिकल इन्स्ट्रूमेण्ट (यन्त्र) प्लांट ने सन् 1965 के अन्त में उत्पादन आरम्भ किया। संश्लिष्ट ड्रग्स प्रोजेक्ट ने 1967 के मध्य से आंशिक उत्पादन आरम्भ किया । प्रतिजैविकी प्रोजेक्ट ने भी 1968 के द्वितीय पाद में उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के व्यापार प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट

5833. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल ने मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के गत वर्ष के अपने दौरे के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड को अनवर्ती कार्यवाही करने और निर्यात, जिसके लिये दल ने उत्साहवर्द्धक संभावनाओं की रिपोर्ट दी है, का विकास करने का परामर्श दिया गया है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड का बिक्री संगठन

8354. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के विक्रय संगठन का ढांचा क्या है;

(ख) मुख्य विक्रय प्रबन्धक को किस आधार पर नियुक्त किया गया था; और

(ग) उस पद के लिये क्या-क्या अर्हतायें और कितना अनुभव निर्धारित किया गया था;

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) विक्रय संगठन के ढांचे का एक चार्ट सभा पटल पर रखा गया है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1905/68)

(ख) मूलतः इस पद का प्रस्तावित पद-नाम 2000-2250 रु० के वेतन-क्रम में विक्रय सलाहकार था। जिन 8 उम्मीदवारों का इस द के लिये एक चयन समिति द्वारा जिसमें कम्पनी के अध्यक्ष, एक अन्य डाइरेक्टर और कम्पनी के वित्त सलाहकार सम्मिलित थे इन्टरव्यू लिया गया उनमें से किसी को उपयुक्त नहीं पाया गया। समिति ने यह फैसला किया कि इस वेतन क्रम में खुले बाजार से किसी व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल है और इसलिये यह निर्णय किया गया कि सरकार से कुछ ऐसे आफीसरों की सूची लेकर जिन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लम्बी अवधि का प्रशासनिक अनुभव हो, इस पैनल में से किस उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाये। इस आधार पर मुख्य विक्रय प्रबन्धक का चयन और नियुक्ति की गई।

(ग) समिति के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि इस पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाये जिसे सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में लम्बी अवधि का प्रशासनिक अनुभव हो, मुख्य विक्रय प्रबन्धक के लिये किसी अर्हता और अनुभव का निर्धारण नहीं किया गया।

रामाकृष्णपुरम् (नयी दिल्ली) में सेक्टर आठ में क्वार्टरों की सीढ़ियों में बिजली की व्यवस्था

5835. **श्री सूरज भान** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1967 में रामाकृष्णपुरम् नई दिल्ली, सेक्टर आठ के बहुमंजिले ब्लाकों में सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच कि उपरोक्त बहुमंजिले ब्लाकों की सीढ़ियों में अब तक बिजली नहीं लगाई गई है जिसके फलस्वरूप रात के समय वहाँ के निवासियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन ब्लाकों की सीढ़ियों में सरकार का कब तक बिजली लगाने का विचार है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) सीढ़ियों में बिजली की फिटिंग पहले ही कर दी गई है। इनमें अगले मास बिजली आने की आशा है।

एयर इण्डिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध जाँच

5837. **श्री नायनार :** **श्री प० गोपालन :**
श्री उमा नाथ :

क्या **वित्त** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क प्रवर्तन कर्मचारी वृन्द ने एयर इण्डिया के वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध जाँच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो जाँच के कब पूरा होने की सम्भावना है; और

(ड.) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ।

(ख) जाँच पड़ताल से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे सिद्ध हो सके कि सम्बन्धित अधिकारी, सीमा शुल्क अधिनियम अथवा विदेशी-मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के किसी कार्य में ग्रस्त रहा है।

(ग) (घ) और (ड.) : ये प्रश्न नहीं उठते।

केरल में परियोजनाओं का विकास

5838. **श्री चक्रपाणि :** **श्री प० गोपालन :**
श्री नायनार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 22 जुलाई 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कल्लाडा कुट्रियादी तथा पझास्सी परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु प्रत्येक परियोजना के लिये 50,000 रुपये मंजूर किये जाने की केरल सरकार की प्रार्थना पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : इस विषय पर अभी विचार हो रहा है।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों का माँगपत्र

5839. **श्री ज्योतिर्मय बसु ।** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष । **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों ने दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों को एक माँग पत्र पेश किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं;

(ग) क्या अधिकारियों ने उनकी माँगों पर विचार किया है;

(घ) यदि हाँ, तो कौन-कौन सी माँगें मान ली गई हैं; और

(ङ.) कौन-कौन सी माँगें स्वीकार नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ.) विवरण सभा पटल पर रखा गया है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1905/68)

Electrification of District Banda, U. P.

5841. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pace of electrification in the District Banda (Uttar Pradesh) is very slow;

(b) the progress made so far in the said direction and the reasons for slow progress; and

(c) the further schemes formulated in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir. The progress is slow.

(b) Against the target of 150 tube-wells/pump-sets to be energised in 1968-69, 14 have been energised till 15th August, 1968. Further 38 connections have been given in cases relating to the previous year. In respect of 39 tube-wells/pump-sets consumers are not yet ready to avail of power.

(c) The work is in progress for construction of 33 KV lines from Banda to Palra and 33/11 KV sub-stations at Karwi, Palra and Rajapur.

Arrangements for Injections and Vaccination in Banda Hospital

5842. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the arrangements made for injections and vaccinations and for eradication of Smallpox and Malaria in the villages of Banda District, Uttar Pradesh are very inadequate; and

(b) the number of persons injected and vaccinated against the infectious diseases and the number of times D. D. T. was sprayed in each of the villages of the aforesaid District during the years 1966 and 1967, separately ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) The operations now being undertaken under National Smallpox/Malaria Eradication Programmes in the villages of Banda District, Uttar Pradesh, are adequate.

(b) 1,45,911 persons in 1966 and 2,46,477 persons in 1967 were vaccinated against Smallpox.

Spray operations with D. D. T. are undertaken only in areas which are in the Attack Phase. As the areas in Banda District entered the Consolidation Phase from 1.4.1963, the spray operations were withdrawn and surveillance operations were intensified.

Focal outbreaks were, however, reported in 1966 and 1967 on account of which spray operations were resumed in the affected areas, but as it was not found possible to check the trend of increased incidence of Malaria, the entire Banda MMEP Unit has been reverted to Attack Phase from 1968. The first round of spray operations was started from 1st May, 1968 and is now reported to have been completed. The area will also receive a second round of spray during this year. Village-wise information is not available.

Shortage of Medicines in Local Hospitals in Banda District

5843. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is always a shortage of medicines in the local hospitals of the Banda District of U. P. ; and

(b) if so, action taken to meet the full requirements of the medicines in these hospitals ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Cane Canal of District Banda, U. P.

5844. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the stipulated quantity of water is not being released from Cane Canal in District Banda (U.P.) during the last two years in spite of the fact that Rangavan Barrage has also been completed ;

(b) whether it is also a fact that due to inadequate release of water, thousands of Bighas of paddy fields which are meant for irrigation by this Canal have withered away ;

(c) the area of paddy fields falling under the irrigational jurisdiction of this canal which withered away due to inadequate water supply from this canal during 1966 and 1967, separately ;

(d) the reasons for the unsatisfactory operation of the canal when the feeding barrages contain sufficient water ; and

(e) whether it is also a fact that the release capacity of the Canal is less and if so whether the release gates are proposed to be widened ?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) All available supplies from Ken Canal have been released according to the demand.

(b) No large areas served by Ken Canal have been damaged due to inadequate release. Certain areas do get damaged when, more areas than proposed for irrigation are sown.

(c) Proposed area for irrigation is 1,20,000 acres each for Kharif and Rabi. In 1966 1,59,942 acres were sown. Due to unprecedented drought conditions 54,468 acres got demaged due to failure in supplies for which remission worth Rs.7,06,374 have been granted. In 1967 1,43,772 acres sown of which 15 acres were damaged.

(d) The State Government reports that there is no inefficient operation of the canal.

(e) Present discharge capacity of the Canal is inadequate compared to the large increase in irrigation. Scheme for re-modelling Ken Canal is being framed. Proposals for construction of greater Gangau Dam and Baghain Dam are under negotiations with Madhya Pradesh.

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी संघ का ज्ञापन-पत्र

5845. **श्री बासुदेवन नायर :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन-पत्र अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतें क्या-क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुथ्याल-राव) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) मुख्य शिकायत यह है कि बोर्ड के कम्पनी बन जाने पर उनकी नौकरी की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा के लिये आवश्यक उपाय किये जाएंगे।

सिन्दरी में सुपरफास्फेट फैक्टरी का उत्पादन

5846. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी स्थित बिहार राज्य सुपरफास्फैट फैक्टरी ने इस वर्ष अपना उत्पादन कम कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारणों को समाप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ

(ख) फैक्ट्री में सुपरफास्फेट के बड़े स्टाक जमा हो जाने के कारण।

(ग) डाइ अमोनियम फास्फेट का आयात बन्द कर दिया गया है ताकि सुपरफास्फेट के घरेलू उत्पादक अपना स्टाक बेंच सकें। उधार की सहूलियतें जो अब तक केवल पूल उर्वरकों पर ही लागू थी, अपूल उर्वरकों, जैसे सुपरफास्फेट, पर भी लागू कर दी गई है।

तीव्र गति डीजल के रूप में घटिया मिट्टी के तेल की बिक्री

5847. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री अनिरुद्धन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ खुदरा तेल व्यापारी घटिया मिट्टी के तेल को तीव्र गति डीजल के रूप में, बेच रहे हैं जो कि घटिया मिट्टी के तेल से मंहगा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह ज्ञात होता है कि ऐसी घटनायें हो रही हैं।

(ख) और (ग) : ऐसे दुरुपयोग को मालूम करने के लिए समय-समय पर जाँच की गई है और उचित मामलों में दण्डनीय कार्यवाही की गई हैं। इसके अतिरिक्त सरकार अब मिट्टी के तेल में एक रसायन मार्किंग ऐजण्ट (a chemical marking agent) को लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि तीव्र गति डीजल तेल में मिलावट को मालूम किया जा सके।

बरौनी तथा कोयली तेलशोधक कारखानों में बढ़िया मिट्टी के तेल का उत्पादन बन्द करना

5848. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सल्फर डायाक्साइड के स्टाकों में कमी हो जाने के कारण बरौनी और कोयली में सरकारी क्षेत्र की शोधन शालाओं ने बढ़िया मिट्टी का तेल तैयार करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो स्टाकों में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बढ़िया मिट्टी के तेल का उत्पादन बंद हो जाने से शोधन-शालाओं को हानि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो कुल कितनी हानि हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ, बरौनी में किन्तु कोयली में नहीं।

(ख) घटिया मिट्टी के तेल को साफ करने के लिये अपेक्षित सल्फर डायाक्साइड की पर्याप्त मात्राओं को उपलब्ध करने में कठिनाई।

(ग) और (घ) : जी हाँ, 23 जून, 1968 से लगभग 8 लाख रुपये।

कलकत्ता कस्टम्स हाउस के निवारक अधिकारी

5849. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अन्तर्गत कस्टम्स हाउस, कलकत्ता में वरिष्ठ श्रेणी के निवारक अधिकारी (प्रिवेन्टिव आफिसर) के पदों को भरने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) इन पदों का वर्गीकरण क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण के बारे में गृह कार्य मंत्रालय का दिनाँक 31 मई, 1965 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/20/65 ऐस्ट० (सी) इस श्रेणी के पदों पर भी लागू होता है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या विशिष्ट कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमाशुल्क गृह, कलकत्ता में वरिष्ठ ग्रेड के निरोधक अधिकारियों के पदों पर भर्ती पूरी तरह केवल सामान्य ग्रेड के ऐसे स्थायी निरोधक अधिकारियों के ग्रेड 1 में से योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर तरक्की देकर की जाती है जो उसी ग्रेड में चार वर्ष काम कर चुके हों।

(ख) वरिष्ठ ग्रेड के निरोधक अधिकारियों के पदों का वर्गीकरण श्रेणी 111, गैर-कार्यालयी, गैर-चुनाव वाले पदों के तौर पर किया गया है।

(ग) तथा (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों के लिये पद सुरक्षित रखने के मामले में गृह मंत्रालय के दिनाँक 21 मार्च 1965 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/20/65 एस्ट (सी) में निहित अनुदेश केवल उन्हीं पदों के मामले में लागू होते हैं जिन पर सीधी भर्ती नहीं की जाती और जिन पर या तो चुनाव द्वारा तरक्की देकर अथवा विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगिता की परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती हैं। इसलिए वे वरिष्ठ ग्रेड निरोधक अधिकारियों जैसे पदों के लिये प्रार्थना पत्र नहीं भेजते, जिन पर केवल योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर तरक्की देकर नियुक्तियाँ की जाती हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का स्थायीकरण

5850. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने उन मामलों में, जहाँ अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों स्थायीकरण के विषय में आरक्षण की व्यवस्था है, वरिष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में वर्ष 1954 में कुछ आदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार जारी किये गये आदेशों की पृष्ठभूमि तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस बोर्ड को गृह मंत्रालय ने सलाह दी थी कि ऐसे मामलों में भर्ती तथा स्थायीकरण नियमों को वरिष्ठता के लिये आधार नहीं माना जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा किये गये परामर्श की तथा इस बोर्ड द्वारा सिफ़ारिश किये गये मामले की प्रतियाँ सभा पटल पर रखने का है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : मद्रास के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के समाहर्ता के संस्थापन के कुछ कर्मचारियों के यह दरख्वास्त करने पर कि एक ही तारीख को मुस्तकिल किये गये व्यक्तियों की अन्तर्वर्ती वरिष्ठता, उन जगहों के खाली होने के क्रम के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिये, उक्त समाहर्ता ने दिसम्बर 1963 में इन दरख्वास्तों पर जिनमें उक्त कर्मचारियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुस्तकिल किया गया था। गृह मंत्रालय से परामर्श करने के बाद बोर्ड ने 1964 में स्थिति स्पष्ट की कि एक ही तारीख को स्थायी बनाए गए कर्मचारियों की अन्तर्वर्ती वरिष्ठता का नियमन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सेवा-काल के आधार पर होता रहेगा और ऐसे मामलों में भर्ती के क्रम से वरिष्ठता के आधार रूप में नहीं किया जाना है।

ये अनुदेश सामान्य प्रवर्तन के होने के कारण इन्हें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के अधीन सभी विभागाध्यक्षों को भी भेज दिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

कलकत्ता कस्टमस हाउस के निवारक अधिकारी

5851. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सीमा शुल्क विभाग के संस्थापन तथा प्रशासन शाखा ने 28 जनवरी, 1967 को ग्रेड प्रथम संवर्ग के निवारक अधिकारियों (प्रिवेन्टिव अधिकारियों) के स्थायीकरण की सूची जारी की थी जिसमें विभिन्न अधिकारियों को विशिष्ट स्थान दिये गये थे ;

(ख) क्या बाद में जारी की गयी वरिष्ठता सूची के द्वारा उपरोक्त सूची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की स्थितियों पर विपरीत प्रभाव पडा है;

(ग) यदि हाँ, तो उनकी पदोन्नति की सम्भावनाओं को समाप्त करने वाली इस कार्य-वाही को करने का आधार और कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को प्रभावित अधिकारियों से उनकी वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण करने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ड.) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या उन्हें पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता का लाभ उनको भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त होगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमाशुल्क समाहर्ता, कलकत्ता ने ग्रेड 1 के निरोधक अधिकारियों को मुस्तकिल करने का आदेश जारी किया जिसमें उनके नाम, उस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के अनुसार नहीं, बल्कि मुस्तकिली के क्रम के अनुसार रखे गये थे। इस आदेश में ही, अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी थी कि उपर्युक्त अधिकारियों तथा पहले मुस्तकिल किये गये अधिकारियों को भी वरिष्ठता इस विषय पर वर्तमान आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ख) तथा (ग) : वर्तमान आदेशों के अनुसार स्थायी व्यक्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण उनके स्थायी किये जाने की तारीख से किया जाता है। किसी पूर्ववर्ती तारीख से स्थायी हुआ व्यक्ति परवर्ती तारीख से स्थायी हुए व्यक्ति के ऊपर रखा जाता है किन्तु एक ही तारीख से स्थायी हुए व्यक्तियों के मामले में उनकी अन्तर्वर्ती वरिष्ठता, उस ग्रेड में उनके सेवा-काल के सन्दर्भ में निर्धारित की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति-भिन्न/अनुसूचित आदिम-जाति-भिन्न अधिकारियों की अन्तर्वर्ती वरिष्ठता उक्त सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित की गई थी।

(घ) तथा (ड.) अभी तक सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ नहीं लगता। फिर भी, सीमाशुल्क समाहर्ता, कलकत्ता को, अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति के

एक निरोधक अधिकारी, ग्रेड 1, से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। समाहर्ता द्वारा उस अभ्यावेदन का निपटान किया जा चुका है।

(च) यदि यह मामला अपील में आया तो उस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

कलकत्ता सीमा शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

5852. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के इस आशय के आदेशों, कि सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरम्भिक नियुक्ति के समय और स्थायीकरण के समय पद आरक्षित होने चाहिये, पर कलकत्ता के सीमा शुल्क विभाग में ठीक तथा वास्तविक रूप से अमल किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यालय में सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के स्थायीकरण और वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसे भी मामले हैं जिनमें इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि सम्बन्धित आदेशों का सीमा-शुल्क गृह कलकत्ता द्वारा कार्यरूप में सही और सम्यक् रूप से पालन नहीं किया गया।

(ख) सीधी भर्ती से और तरक्की से नियुक्त अधिकारियों को स्थायी करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिये स्वीकृत अधिकारियों की अलग-अलग सूचियाँ बनाई जाती हैं। तरक्की से तथा सीधी भर्ती से नियुक्त लोगों के नामों की सूची में दिये गये क्रम के आधार पर ही उन्हें स्थायी किया जाता है। सीधी भर्ती से नियुक्त लोगों में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित पदों की सूची के क्रम को पालन किया जाता है। स्थायी व्यक्तियों की वरिष्ठता का निर्णय स्थायी होने की तारीख से किया जाता है। पूर्ववर्ती तारीख से स्थायी हुए व्यक्ति को परवर्ती तारीख से स्थायी हुए व्यक्ति से ऊपर रखा जाता है। एक ही तारीख से स्थायी हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनकी अन्तर्वर्ती वरिष्ठता का निश्चय उस ग्रेड में लगातार सेवा-काल के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के मामलों में स्थायीकरण की नामावली से वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होता।

(ख) तथा (ग) : सरकार के पास अब तक कोई दरख्वास्त आई मालूम नहीं होती। सीमाशुल्क समाहर्ता कलकत्ता को, अन्य लोगों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के दो अधिकारियों से भी दरख्वास्तें मिली थी कि उनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थायीकरण की नामावली

के आधार पर किया जाना चाहिये, सेवा-काल के आधार पर नहीं। समाहर्ता द्वारा इन दो दरख्वास्तों का अब निपटारा कर दिया गया है।

आय-कर अधिकारियों की भर्ती

5854. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अधिकारी (श्रेणी 2) पदालि की भर्ती के लिये संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर कितने रिक्त स्थान भरने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि मूल विज्ञापन में बताये गये रिक्त स्थानों में इस बीच वृद्धि हो गई है और पहले हुई परीक्षा के आधार पर अधिक पदों के भरे जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तब कुल कितने रिक्त स्थानों को भरा जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : 200।

(ख) : नव-निर्मित अतिरिक्त पदों को तरक्की से भरा जा रहा है।

(ग) : यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

आय-कर अधिकारियों की भर्ती

5855. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर विभाग में आय-कर अधिकारियों की विभिन्न पदालियों में बड़ी संख्या में रिक्त स्थान हैं;

(ख) क्या आय-कर अधिकारियों की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक और परीक्षा कराये जाने के सवाल पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो सीधी भर्ती द्वारा कितने रिक्त स्थान भरने का प्रस्ताव है और कितने स्थान पदोन्नति के योग्य विभागीय उम्मीदवारों से भरे जायेंगे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

आय-कर अधिकारियों की भर्ती

5856. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अधिकारी (श्रेणी 2) पदालि में भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार सफल हुए ;

(ख) क्या सभी उम्मीदवारों का साक्षातकार (इन्टरव्यू) हो चुका है; और

(ग) यदि हाँ, तब कब तक परिणाम घोषित किये जाने और चुने गये उम्मीदवारों को बुलाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : 978

(ख) : इन्टरव्यू अभी किये जा रहे हैं और अक्तूबर 1968 के पहले सप्ताह तक चलते रहेंगे।

(ग) : इन्टरव्यू समाप्त होने के कुछ समय बाद ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

5857. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** **श्री प० गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1967 से जून, 1968 तक अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ताओं के मासिक सूचकाँक क्या थे और 30 जून, 1968 को सूचकाँक की पिछले बारह महीनों में औसत क्या थी;

(ख) क्या यह सच है कि बारह महीनों का औसत 215 अंक की सीमा के आगे निकल गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकारी कर्मचारियों की अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जुलाई 1967 से जून 1968 तक अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक (1949=100) नीचे दिया गया है :

महीना	**सूचकाँक संख्या**
जुलाई, 1967	213
अगस्त, 1967	215
सितम्बर, 1967	214
अक्तूबर, 1967	217
नवम्बर, 1967	216
दिसम्बर, 1967	214
जनवरी, 1968	220
फरवरी, 1968	217
मार्च, 1968	213
अप्रैल, 1968	214
मई, 1968	212
जून, 1968	214

जून 1968 को समाप्त बारह महीनों के लिये सूचकाँक की बारह महीनों की औसत 214.92 थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

आसाम के क्षेत्रों और तेल शोधक कारखानों में गैस का बरबाद जाना

5858. **श्री बेदब्रत बरुआ :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आसाम क्षेत्र और शोधनशाला में प्राकृतिक गैस तथा शोधनशाला की गैस की बहुत सी मात्रा बरबाद जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वित्तीय आधार पर इसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या इन गैसों का उपयोग करने के लिये चौथी योजना में आसाम में एक पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह स्थापित करने की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो बरबाद की जा रही इस गैस का क्या वैकल्पिक उपयोग सोचा गया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ। गैस जो विभिन्न पार्टियों को सप्लाई के लिये सुपुर्द की जाती है और उनसे नहीं उठाई जाती जलाई जाती है। कम दबाव वाली गैस, जिसके लिए कोई ग्राहक नहीं है, मजबूरन जलाई जाती है। कुछ शोधनशाला की गैस शोधनशालाओं में जलाई जाती है (1) शोधनशाला ईंधन के रूप में और (2) ईंधन गैस प्रणाली में दबाव बनाये रखने के लिये ताकि वहाँ कोई हवा की खैंच न हो जिससे विस्फोट हो जाये।

(ख) जिस गैस के लिये यथा समय कोई ग्राहक न हो उसका कोई मूल्य नहीं माना जा सकता।

(ग) और (घ) एक पेट्रो-रसायन के लिये बना योजना समूह, अब आसाम में तेल क्षेत्रों तथा शोधनशालाओं से कच्चे माल की उपलब्धि का पुनर्विलोकन तथा चौथी योजना में उनसे पैट्रो-रसायन मध्यवर्तियों के उत्पादन की सम्भावना की परीक्षा कर रहा है।

कुछ शोधनशालाओं की गैस के उपयोग के लिये, गौहाटी शोधनशाला में एक द्रवित पेट्रोलियम गैस प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव है।

आसाम के तेल क्षेत्रों से उपलब्ध प्राकृतिक गैस, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया, आसाम स्टेट इलेक्ट्रसिटी बोर्ड, आसाम तेल कम्पनी और कुछ अन्य छोटे उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित की गई है।

आसाम में सहकारी क्षेत्र में पटसन मिल

5859. **श्री बेदब्रत बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने सहकारी क्षेत्र में एक पटसन मिल खोली है;

(ख) क्या यह सच है कि पटसन आयोग की विपरीत रिपोर्ट के परिणामस्वरूप औद्योगिक वित्त निगम ने मिल अधिकारियों को ऋण देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मिल को कोई वित्तीय सहायता और राहत देने का है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) असम में, "असम सहकारी जूट मिल लिमिटेड" के नाम से 23 अक्तूबर 1959 को एक सहकारी समिति का गठन किया गया और उसे रजिस्टर कराया गया। इस समिति ने जूट का एक कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से 22 जून, 1962 को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया।

(ख) जूट के कारखाने ने, अपनी योजना की वित्त-व्यवस्था करने के उद्देश्य से रुपयों के रूप में 89.15 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिये औद्योगिक वित्त निगम के पास मई 1965 में आवेदन-पत्र दिया। तकनीकी मूल्याँकन की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, निगम ने जूट-आयुक्त के परामर्श से उस आवेदन-पत्र पर विचार किया। तकनीकी मूल्याँकन से पता चला कि यह प्रायोजना आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है। चूंकि निगम को वाणिज्यिक आधार पर काम करना है इसलिए वह व्यापार सम्बन्धी केवल सामान्य जोखिम ही उठा सकता है। चूंकि निगम समिति द्वारा तैयार की गयी प्रायोजना की वाणिज्यिक सक्षमता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट नहीं है इसलिए निगम के लिए सहकारी समिति को वित्तीय सहायता देना कठिन होगा। लेकिन निगम के अन्तिम फैसले की सूचना अभी तक औपचारिक रूप से समिति को नहीं दी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

Revision of Pay Scales

5860. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5975 on the 1st April, 1968, and state :

(a) whether the information regarding the revision of pay scales effected in relaxation of the ban on salary structures at any level has since been collected ;

(b) if so, the full details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay and the time by which the information is likely to be collected ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The information has since been collected and will be placed on the Table of the House shortly.

पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों को बेदखली के नोटिस

5861. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराने राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों को उनके स्थानों से बेदखली के नोटिस दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मामलों पर पुन: विचार करने तथा विस्थापित व्यक्तियों को तंग किये जाने से रोकने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस प्रकार का खाली कराने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म स्टुडियो से आयकर और धन-कर की बकाया राशि

5862. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित फिल्म स्टूडियो से आय-कर तथा धन कर की कितनी राशि बकाया है;

(1) आर० के० फिल्म स्टुडियोज, (2) कारदार स्टुडियोज, (3) रूपतारा स्टुडियो, (4) राजकमल स्टुडियो, (5) नवकेतन स्टुडियो, बम्बई, (6) ए० वी० एम० स्टुडियो, (7) जेमिनी स्टुडियो, मद्रास, (8) गुरूदत्त स्टुडियो, (9) महमूद स्टुडियो, (10) वाहनी स्टुडियो, मद्रास; और

(ख) क्या यह सच है कि उपर्योक्त स्टुडियो गत तीन वर्षों के दौरान आय-कर और धन-कर का आवंचन करते रहे हैं; और यदि हाँ, तो ऐसे स्टुडियो के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

चल-चित्र उद्योग से सम्बन्धित लोगों से बकाया कर

5863. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1968 को चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित निम्नलिखित लोगों से कितना-कितना कर बकाया था :

(1) अलंकार थियेटर (2) श्री हेमन्त कुमार मुकर्जी, (3) श्री प्रकाश पिक्चर्स (4) जेमिनी प्रोडक्शनस, (5) वासन प्रोडक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, (6) प्रसाद प्रोडक्शनस (प्राइवेट) लिमिटेड, (7) मेसर्स बिलीमोरिया छोटा भाई, (8) फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, (9) मैसर्स बी० एम० शाह, दिल्ली;

(ख) कर की बकाया राशि की वसूली के लिये किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) किन-किन के विरुद्ध फौजदारी मुकदमें दायर किये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Film People Operating Bank Accounts Abroad

5864. **Shri Kashi Nath Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the persons belonging to the film industry who are operating accounts in foreign banks ;

(b) whether Government charge any tax thereon ; and

(c) if so, the names of such tax payers ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) No classification on the basis of occupation is maintained. However, a complete list of all account holders has already been supplied when the assurance relating to Lok Sabha Unstarred Question No. 1799 dated the 8th June, 1967 was fulfilled.

(b) and (c) Income Tax is payable on the income assessed and not on any particular bank balance. Wealth Tax may be payable on such balances in some cases depending on the total wealth of the assessee.

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

5865. **श्री अदिचन :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को, जिसे वर्ष 1953 में शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के अन्तर्गत स्थापित किया गया था, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पूंजीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो कानपुर स्थित कम्पनी विधि बोर्ड के प्रादेशिक निदेशक को पेश किये गये आवेदन पत्र में इस कम्पनी के उद्देश्य क्या बताये गये हैं;

(ग) क्या पंजीकृत होने के बाद केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी वर्तमान कर्मचारियों को रोजगार की वर्तमान शर्तों पर ही नई कम्पनी में रख लिया जायेगा; और

(घ) क्या पंजीकरण का आवेदन पत्र देने से पहले केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रधान तथा सचिवों को इस निर्णय के बारे में बता दिया गया था ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्थ्याल-राव) :

(क) जी, हाँ।

(ख) कम्पनी के मुख्य उद्देश्य, जो कि कम्पनी विधि बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक को बताए गए, निम्नलिखित हैं :–

(क) समझौते के अनुसार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की, जैसा कि भारत सरकार द्वारा संकल्प संख्या एफ० 2-6-53 डी० 11 दिनाँक 12 अगस्त, 1953 में निर्मित किया था, सभी परिसम्पत्तियाँ और देनगियाँ लेना और पंजीकरण की तारीख पर अपना कार्यालय नयी दिल्ली में रखना;

(ख) जैसा आवश्यक हो उस प्रकार से सर्वेक्षणों, अनुसंधान तथा मूल्याँकन के द्वारा समय-समय पर समाज कल्याण संस्थाओं की जरूरतों तथा आवश्यकताओं का अध्ययन करना;

(ग) सहायता पाने वाले अभिकरणों के कार्यक्रमों तथा प्रयोजनों का मूल्याँकन करना;

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सौंपे गए कार्यक्रमों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समाज कल्याण कार्यवाहियों के लिए दी गई सहायता का समन्वय करना;

(ङ) जिन स्थानों पर स्वयंसेवी आधार पर समाज कल्याण संस्थाएं नहीं हैं, वहाँ ऐसी संस्थाएं स्थापित करने को बढ़ावा देना तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो अतिरिक्त संस्थाओं को बढ़ावा देना;

(च) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं तथा सिद्धान्तों के अनुसार पंचायत राज्य संस्थाओं समेत योग्य संस्थाओं तथा संगठनों को जब आवश्यक हो तकनीकी और वित्तीय सहायता देना;

(छ) परिवारों, स्त्रियों, बच्चों तथा विकलाँग व्यक्तियों के कल्याण जैसे जनता के साधारण कल्याण के लिये अभीष्ट समाज कल्याण कार्यवाहियों को बढ़ावा देना तथा बेरोजगारी, न्यून-रोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अयोग्यता और अपात्र आवश्यकता के मामलों में सहायता देना;

(ज) जैसे और जब अपेक्षित हो सामाजिक कार्य के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उन्हें बढ़ावा देना और जब कभी आवश्यक हो मार्गदर्शी प्रायोजनाएं चलाना; तथा

(झ) जहाँ कहीं ठीक समझा जाए अथवा आवश्यक हो राष्ट्रीय, प्राकृतिक अथवा अन्य आपद के मामलों में अपने संगठन के जरिये आपात राहत का संगठन करना।

(ग) कम्पनी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का अधिनियन्त्रण करने वाले नियमों तथा विनियमों को अन्तिम रूप दिया जाने तक वर्तमान कर्मचारियों को नौकरी की उन्हीं शर्तों पर लिया जाएगा, जो इस समय हैं।

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तथा मंत्री को इस विषय पर सरकार के निर्णय का पता है।

मफतलाल ग्रुप की फर्मों में लगी सरकारी पूंजी

5866. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के मफतलाल ग्रुप की फर्मों में सरकारी विनियोजन कितना है;

(ख) उस विनियोजन का ब्यौरा क्या है; किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से यह किया गया है; किस-किस कम्पनी में किया गया है, किस-किस प्रकार से किया गया है और किस-किस वर्ष में किया गया है; और

(ग) मफतलाल ग्रुप की कम्पनियों की कुल आस्तियों की तुलना में यह विनियोजन कितना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

उड़ीसा तथा राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी समितियाँ

5867. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री घुलेश्वर मीना :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उड़ीसा और राजस्थान में अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिये अलग-अलग कितनी सहकारी समितियाँ आरम्भ की गई; और

(ख) इनसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को किस प्रकार से लाभ हुआ है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुत्थाल-राव) : (क) और (ख) ब्योरा राज्य सरकारों से एकत्रित किया जा रहा है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया ऋण

5869. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस महीने में एक नया ऋण जारी करेगी;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी राशि कितनी होगी; और

(ग) यह ऋण किस प्रयोजन के लिये माँगा जा रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क),(ख) और (ग)उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपये का एक नया ऋण जारी करने की घोषणा की है। यह ऋण राज्य सरकार की विकास योजनाओं विशेषत: बिजली, सिंचाई और उद्योगों से सम्बन्धित योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु जारी किया जा रहा है।

Shareholder of Messrs. O. T. T. C.

5870. **Shri J. B. Singh :** **Shri Onkar Singh :**
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2542 on the 5th August, 1968 and state :

(a) the date of establishment of Messrs Pulp Industries Ltd., and name of its Managing Director at the time of its establishment and at present ;

(b) the number of directors, their main business and the amount invested therein and the location thereof ; and

(c) the amount of Income tax assessed and realised from the company during the last five years and the amount of tax arrears yet to be realised therefrom ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Income-tax assessment of Shri Ramjilal Jhunjhunwala

5871. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3688 on the 12th August, 1968 and state :

(a) whether the Income-tax Officer looking into the affair so Shri Ramjilal Jhunjhunwala, Bombay has since been transferred or orders for his transfer have since been issued by Government ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the time by which orders for his transfers would be issued ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Orders transferring the concerned Income-tax Officer from Bombay have been issued.

(b) and (c) Do not arise.

Income-tax paid by Messrs. Oriental Timber Trading Corporation and M/s Mekenzies Ltd.

5872. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2760 on the 5th August, 1968 and state :

(a) the amount of Income-tax paid to Government during the last three years by the Directors of Messrs. Oriental Timber Trading Corporation and Messrs. Mckenzies Ltd.,the two firms which took a contract in the public sector on the 27th February, 1962 at Ootacamund ; and

(b) the amount of Income-tax assessed in respect of them during the said period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) Rs.3,79,796.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

5873. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2542 on the 5th August, 1968 and state :

(a) the dates on which the firms named Messrs. N. Ganduram and Sons, and Messrs. Jhunjhunwala Family Trust were established, the amount of initial capital invested in the two firms, separately, and the amount of capital invested in them at present ;

(b) the names of the Directors of the two firms and the amount of Income-tax paid by the two firms during the last 5 years ; and

(c) the amount of Income-tax assessed in respect of them during the said period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a), (b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

5874. **Shri Onkar Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2542 on the 5th August, 1968 and state :

(a) the dates on which Messrs Gurusum Factory Visakh and Messrs. Jhunjhunwala Jarvis Limited were established and the amount of capital invested in them at that time ;

(b) the nature of business being done by the two firms and the places where they are located ; and

(c) the amount of Income-tax paid by these firms to Government during the last 5 years and the names of their Directors ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

M/s Ralon Pulp Manufacturing Company

5875. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2542 on the 5th August, 1968 and state :

(a) the date on which M/s Rayon Pulp Manufacturing Company was established

as also the names of their products ;

(b) the expenditure incurred on the establishment of this company and the present capital of the company;

(c) the amount of excise duty assessed on this company during the last five years, the amount realised as also that has yet to be realised ;

(d) the present stock of the products of this Company which is pledged with the Banks and the stock lying with them and the annual production capacity of this Company ; and

(e) the number and names of the Directors of this Company and the amount of Income-tax assessed on them during the last five years and the amount realised as also the amount of Income-tax yet to be realised from them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Messrs Rayon Pulp Manufacturing Company Limited was registered as a public limited company on the 27th March, 1961. Information regarding the names of the products, if any, manufactured by his company is being collected.

(b) Information is being collected.

(c) There is no licensed manufacturer of excisable goods by the name of M/s Rayon Pulp Manufacturing Company.

(d) Government have no information regarding the present stock of this Company which is pledged with the Banks and the stock lying with them. Information relating to annual production capacity of this Company is being collected.

(e) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किसानों को मशीनों की सप्लाई

5876. **श्री रा० बरूआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्थगित भुगतान तथा उदार पुनर्वित्त के आधार पर कृषि संबंधी मशीनें सप्लाई करने की औद्योगिक विकास बैंक की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे किसानों को कितना लाभ होगा, जिनका कृषि सम्बन्धी मशीनों और उपकरणों के निर्माताओं के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : देश में बनी मशीनों की बिक्री से सम्बन्धित मुद्दती हुंडियों (यूसेंस बिल्स) को फिर से भुनाने की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना का फरवरी 1966 में विस्तार कर दिया गया, ताकि इस योजना में देश में बने कृषि-उपकरणों की बिक्री को भी शामिल किया जा सके। अगस्त 1967 में यह शर्त भी हटा दी गयी जिसके अनुसार कृषि-उपकरणों के मामले में, फिर से भुनाये जाने के योग्य होने के लिये हुंडियों के किसी समूह (सेट) के अन्तर्गत लेनदेन की सीमा 15,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार यह योजना किसानों के लिये और उदार बना दी गयी।

देश भर में बसे उन किसानों की सहायता करने के लिये, जो निर्माताओं से सीधा सम्पर्क न होने के कारण उपर्युक्त योजना से लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं, इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं निर्माताओं द्वारा खेती की मशीनों और कृषि उपकरणों के बिक्री एजेण्टों/वितरकों/व्यापारियों के हाथ, जैसी भी स्थिति हो, की जाने वाली बिक्री के सम्बन्ध में भी जून

1969 तक के लिये दे दी गयी है । इन बिक्री एजेन्टों/वितरकों/व्यापारियों से भी यह आशा की जाती है कि वे किसानों के हाथ बेची जाने वाली मशीनों आदि के सम्बन्ध में भी उन्हें वैसी ही सुविधाएं देंगे और उनसे अनुचित रूप से अधिक मूल्य नहीं लेंगे। ये सुविधायें निर्माताओं द्वारा उन कृषि उद्यमों के हाथ बेची जाने वाली खेती की मशीनों और कृषि उपकरणों के संबंध में भी दी गई हैं, जो स्वयं खेती नहीं करते लेकिन छोटे किसानों के लिए यांत्रिक खेती संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करते हैं।

विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों में परियोजनाओं का वित्तपोषण

5877. **श्री रा० बरूआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विकासशील देशों में परियोजना के वित्तपोषण की एक पंचवर्षीय योजना पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत भारत को भी लाभ प्राप्त होगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

रामपुर के स्वर्गीय नवाब की आस्तियाँ तथा दायित्व

5878. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 6 मार्च, 1966 को रामपुर स्टेट (उत्तर प्रदेश) के भूतपूर्व नवाब की आस्तियों तथा दायित्वों का पूरा ब्यौरा क्या था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : रामपुर के स्वर्गीय नवाब की 6 मार्च 1966 को परिसम्पत्तियों औ देनदारियों के मामले में उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सम्पदा-शुल्क विवरणी में प्रस्तुत किये गये ब्योरे, सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1908/68)

Municipal Corporation for Jamshedpur

5879. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the population of Jamshedpur is about six lakhs ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government for setting up a Municipal Coproration in the said metropolitan city ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) and (b) : The population of Jamshedpur according to the 1961 Census was 3.28 lakhs. The present population of the city is estimated to be 4.12 lakhs approximately. There is no proposal at present for the establishment of a Municipal Corporation in Jamshedpur.

Government Quarters of Govindpur Colony, Jamshedpur

5880. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no arrangement of electricity, water and sanitation in the Government quarters constructed in the Govindpur Colony, Jamshedpur ;

(b) whether it is also a fact that dozens of houses are lying vacant for two years and are not being allotted to the wokers ;

(c) whether it is further a fact that there is a forest in between Govindpur and Teleon and no road has so far been constructed there ; and

(d) if so, the steps Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वर्जित साहित्य की दिल्ली में बिक्री

5881. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बहुत वर्ग संख्या में वर्जित विदेशी पत्रिकाएं और अन्य साहित्य पुरानी पत्रिकाओं और पुस्तकों के रूप में बेचा जा रहा है;

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है; और

(ग) ये पुस्तकें तथा पत्रिकायें किस प्रकार देश में आती हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वर्जित विदेशी पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य, राजधानी में बड़ी संख्या में बेंचा जा रहा है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित बनाना

5882. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की कुछ अनधिकृत बस्तियों को नियमित बनाने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकार किया गया कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यापार संतुलन

5883. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में प्राप्त बीमे सहित विदेशों को भारतीय सामान के निर्यात में हुई प्रगति के परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) आयात के लिये, जिसमें अनाज का आयात शामिल नहीं है, आवश्यक विदेशी मुद्रा से वह कितने प्रतिशत कम है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : फरवरी 1968 में संसद में पेश की गई 1967-68 की आर्थिक-समीक्षा में यह बताया गया था कि 1968-69 में 1967-68 के मुकाबले लगभग 6 प्रतिशत अधिक निर्यात किये जाने की सम्भावना है। चालू वर्ष में अब तक निर्यात में देखी गयी वृद्धि की प्रवृत्ति यदि जारी रही तो पहले लगाये गये अनुमान के अनुसार विदेशी मुद्रा मिल सकती है। 1967-68 में लगभग 1198.67 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।

(ख) : निर्यात से अर्जित मुद्रा का उपयोग अनाज तथा दूसरे आयातों पर खर्च करने के अलावा ऋण-परिशोधन और दूसरी अनिवार्य अदायगियों के लिये किया जाता है। जो कमी रह जाती है उसे सहायता के इस्तेमाल और अन्य उपलब्ध साधनों से पूरा किया जाता है। इसलिये अनाज के आयात को छोड़कर बाकी आयातों के लिये जरूरी विदेशी मुद्रा की अपेक्षा निर्यात से अर्जित मुद्रा में जितने प्रतिशत की कमी हो, संभव है कि उससे इस बात का ठीक-ठीक पता न चले कि सहायता-सम्बन्धी आवश्यकता कितनी है या अदायगियों का अंतर कितना है। फिर भी, 1967-68 में यह 17 प्रतिशत था।

विदेशी मुद्रा

5884. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा से क्या सरकार के लिये उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये अधिक कच्चे माल की अनुमति देना सम्भव हो सकेगा;

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ग) कौन-कौन से देश अधिक रियायतें अच्छी सुविधायें तथा बढ़िया सामान दे रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) : औद्योगिक कच्चे माल के आयात का विनियम आयात-नीति के अनुसार किया जाता है। आयात-नीति, प्रत्याशित विदेशी मुद्रा साधनों सहित विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गयी है। इस नीति में व्यवस्था है कि प्राथमिकता-प्राप्त श्रेणी के उद्योगों तथा माल निर्यात करने वाले उद्योगों के साथ अपेक्षाकृत उदार व्यवहार किया जाय। आयात के लिए उपलब्ध साधनों में, निर्यात की आमदनी और विदेशी सहायता शामिल है और आयात के प्रबन्ध के लिए इन साधनों की वास्तविक उपलब्धि, ऋण-शोधन, ब्याज की अदायगी तथा अन्य अनिवार्य अदायगियों पर निर्भर रहती है। सही-सही प्रतिशत निकालना संभव नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में ऐसी कितनी ही बातें हैं जो बराबर बदलती रहती हैं।

(ग) भारत बहुत सी किस्मों के माल का निर्यात करता है। यह बताना संभव नहीं है कि उन चीजों के सम्बन्ध में, जिनका निर्यात भारत द्वारा भी किया जाता है, दूसरे देश क्या रियायतें और कौन-सी अच्छी सुविधायें देते हैं या बढ़िया किस्म की चीजों का कितना निर्यात करते हैं। निर्यात के क्षेत्र में कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है और भारत अपनी स्थिति सुधारने का भरसक यत्न करता है जहाँ तक चीजों की किस्म का सम्बन्ध है, भारत ने परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में अपनी स्थिति बनाये रखी है और साथ ही गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में भी उन्नत औद्योगिक देशों के साथ सफलता से प्रतियोगिता की है।

रेल यात्री किराये में से हिस्सा

5885. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने, रेल यात्री किराये के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल प्राप्त आय में से हिस्सा माँगा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी माँग करने के राज्य सरकार द्वारा क्या कारण बताये गये हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि 1969-74 की अवधि में दिये जाने वाले रेलवे यात्री किराये पर टैक्स के बदले अनुदान के राज्यों में वितरण के प्रश्न पर पाँचवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

विदेशी मुद्रा का आवंटन

5886. **श्री एस० एम० जोशी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय-सामान निर्यात करने वाले कुछ उद्योगपतियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निर्यात संवर्द्धन के सम्बन्ध में विदेशों की यात्रा करने के लिये उन्हें पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती है; और

(ख) क्या सरकार इस बारे में कोई निश्चित नीति बनायेगी कि पूर्व वर्ष में निर्यात से प्राप्त हुई कुल विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक कितना भाग निर्यात संवर्द्धन के सम्बन्ध में विदेशों की यात्रा करने के लिये ऐसे उद्योगपतियों को दिया जा सकता है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ। समय-समय पर अभ्यावेदन मिलते रहते हैं।

(ख) सरकार इस बात के पक्ष में नहीं है कि निर्यात से प्राप्त राशि के आधार पर बतौर हक यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाये। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि विदेशों की यात्राएं आवश्यकता पड़ने पर ही होनी चाहिए और उसने ऐसी यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा देने के पैमाने निर्धारित किये हैं।

दक्षिण वियतनाम को अस्फाल्ट का निर्यात

5887. **श्री उमानाथ :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

श्री प० गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड का इस वर्ष अगस्त और सितम्बर में दक्षिण वियतनाम को 5,000 टन अस्फाल्ट भेजने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो यह अस्फाल्ट खरीदने वाली पार्टी का नाम क्या है और करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) इस अस्फाल्टक को किस काम के लिये प्रयोग में लाये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने काल्टेक्स को दक्षिण वियतनाम को अस्फाल्ट का निर्यात करने की अनुमति दे दी है; और

(ड.) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग) : मैसर्स कालटक्स (इण्डिया) लि० ने अपनी विशाखापत्तनम शोधनशाला से 4,800 मीटरी टन ऐस्फाल्ट का दक्षिण वियतनाम को निर्यात करने का प्रारम्भिक प्रस्ताव भेजा है। माल पाने वाला (प्रेषती) काल्टैक्स साँयगोन है। काल्टैक्स ने पेशकश के और ब्यौरों का अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है तथा तदनुसार निर्यात की कोई तिथि प्रस्तावित नहीं है।

(घ) जी नहीं। सरकार कालटैक्स से और ब्यौरों की प्रतीक्षा में है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

चीन में छापे गये जाली नोट

5888. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में चलाये जाने के लिये चीन में छापे गये भारत सरकार के जाली नोटों का कुछ समय पहले नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में पता लगा था; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत में इन नोटों को न आने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकार को सूचना मिली है कि नेपाल में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, जिनके पास दस-दस रुपये के ऐसे नोट पकड़े गये हैं, जिनके जाली होने का शक है। पर यह मालूम नहीं है कि ये नोट कहाँ छापे गये थे। पता चला है कि बिहार पुलिस ने सीमा पुलिस को सतर्क कर दिया है और सीमा पुलिस नेपाल की सीमा पुलिस से सम्पर्क स्थापित किये हुए है। फिर भी, बिहार सरकार से इस मामले में पूरी रिपोर्ट माँगी गयी है।

केरल में हरिजन कल्याण निधि का तथाकथित दुरुपयोग

5890. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केरल सरकार के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें हरिजन कल्याण निधियों के दुरुपयोग के बारे में लोक-सभा में समाज कल्याण के उपमंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने दोनों वक्तव्यों की जाँच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अपनी स्थिति स्पष्ट करने का है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुत्थ्याल-राव): (क) सरकार ने इस बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी है।

(ख) तथा (ग) : केरल में पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्र में निधियों के उपयोग के ब्यौरे का परीक्षण किया जा रहा है।

केरल में होमियोपैथिक मेडिकल कालेज के प्रबन्धकों द्वारा कदाचार

5891. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय होम्योपैथिक संघ कोट्यम की ओर से सरकार को कोई ज्ञापन पत्र मिला है कि अथुराश्रामम होम्योपैथिक मेडिकल कालिज, सचिवयामपुरम,केरल राज्य के प्रबन्ध में कुछ कदाचार हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कालिज के मामलों की जाँच करने का सरकार का विचार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ।

(ख) इस विषय में जाँच पड़ताल की जा रही है।

बारी से पहले क्वाटर का नियतन वालों के लिये आवास

5892. **श्री राम चरण :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों को नियमित सरकारी आवास कब दिया जायेगा जिनको अब तक बारी से पहले क्वाटर दिये गये हैं; और

(ख) उनको पहले ही मंजूर बारी से पहले आवास के दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : 1 मई, 1967 से 31 मई, 1968 तक सरकारी कर्मचारियों को बगैर बारी के आधार पर 797 मकान पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।

अन्य लोगों को, जिन्हें बगैर बारी के वास स्वीकृत किए जा चुके हैं, प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। जब कभी मकान खाली होंगे उन्हें आवंटित कर दिये जायेंगे।

बारी पर होने वाले आवंटन की प्रतीक्षा सूची पर अन्य अधिकारियों को भी वास का आवंटन हो जाए, इसे आश्वासित करने के लिए, खाली मकानों का अब केवल दसवाँ भाग बगैर बारी के आवंटन के लिए परिवर्तित किया जाता है।

आय-कर इंस्पेक्टरों की नियुक्ति

5893. **श्री अ० सिं० सहगल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिये जुलाई, 1966 में एक परीक्षा हुई थी और दिल्ली में इस परीक्षा में बैठे लगभग 3000 उम्मीदवारों में से अन्त में लगभग 15 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची (पेनल लिस्ट) तैयार की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रतीक्षा सूची से केवल चार व्यक्ति लिये गये थे और प्रतीक्षा सूची के शेष उम्मीदवारों को सेवा में लिये बिना, यद्यपि बहुत से स्थान रिक्त थे, जुलाई, 1968 में एक अन्य परीक्षा ली गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये रिक्त पद विद्यमान प्रतीक्षा सूची में से नहीं भरे जा रहे हैं और नई प्रतीक्षा सूची बनाने में अभी लगभग 9 मास लगेंगे;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ। आयकर निरीक्षकों की सीधी भर्ती के लिये जुलाई 1966 में एक अखिल भारतीय परीक्षा ली गई थी। दिल्ली केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 1225 उम्मीदवारों में से 20 के नामों की सूची तैयार की गयी थी। नामों की सूची में 14 उम्मीदवार सुरक्षित भिन्न पदों के लिये, 5 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और 1 अनुसूचित आदिम-जाति का उम्मीदवार था।

(ख) से (ङ·) : नामों की सूची में से कुल मिलाकर छः व्यक्तियों को निरीक्षकों के पद पर नियुक्त किया गया था, 4 सुरक्षित-भिन्न रिक्त पदों के लिये और एक अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रिक्त पद के लिए तथा एक अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित रिक्त पद के लिये।

यह निर्णय किया गया था कि देश के विभिन्न केन्द्रों में जुलाई 1966 में ली गई परीक्षा के आधार पर, सभी आयकर-आयुक्तों द्वारा चुने गये नामों की बनाई गई सूचियाँ 31-3-1968 तक प्रभावी रखी जायंगी और उस तारीख तक खाली होने वाले सभी पदों पर भरती उन सूचियों से ही की गई हैं।

दूसरी परीक्षा जुलाई 1968 में ली गई है। अप्रैल 1968 तथा उसके बाद रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति, जुलाई 1968 में ली गई परीक्षा के आधार पर चुने गये नामों की सूचियों से की जायगी। नई सूचियाँ बनने में केवल 2 महीने लगने की संभावना है।

महाराष्ट्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम

5894. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की सरकार ने परिवार नियोजन सम्बन्धी रियायतों के बारे में एक आदेश जारी किया है जो स्वतंत्रता दिवस से लागू होगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) जी हाँ। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार ने गत वर्ष निर्णय किया है। इन निर्णयों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह विषय पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विवरण

कोई भी रियायत, ऋण, सहायता अनुदान या निम्नलिखित में से कोई अन्य सुविधा उन परिवारों को उपलब्ध नहीं की जाएंगी जो अपने परिवारों को तीन जीवित बच्चों तक सीमित नहीं रखते हैं (अगर उनके तीन से कम बच्चे हैं) या परिवार के वर्तमान आकार तक सीमित नहीं रखते हैं (अगर उनके तीन से अधिक बच्चे हैं) ।

1. मंत्रियों, उप-मंत्रियों, अधिष्ठाताओं और राज्य विधान सभा के सदस्य और उनके परिवारों का मुफ्त इलाज। सम्बन्धित अधिनियमों में उपर्युक्त संशोधन राज्य विधान सभा में पेश किए जायेंगे ।
2. सरकारी अस्पतालों में जनता का मुफ्त इलाज।
3. सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों का मुफ्त इलाज।
4. महिला सरकारी कर्मचारियों को पूरे वेतन पर मातृत्व अवकाश प्रदान करना ।
5. राजकीय हाउसिंग बोर्ड कालोनियों में जगह अलाट करना।
6. सरकारी कर्मचारियों को मकान अलाट करना।
7. सभी 'फीशिप', मुफ्त पुस्तकों की व्यवस्था करना, पुस्तक अनुदान। इसमें वे अनुदान भी शामिल हैं जो उन बच्चों को दिए जाते हैं जिनके माँ-बाप की वार्षिक आय 1200 रुपये से अधिक नहीं होती है, या वे राजनीतिक पीड़ित अथवा स्वतंत्रता सेनानी हैं या वे सैनिक कर्मचारियों की विधवाएं या बच्चे हैं।
8. योग्यता छात्रवृत्तियों को छोड़ कर, सभी छात्रवृत्तियाँ जो समाज के विभिन्न वर्गों स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को प्रदान की जाती हैं।
9. व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों के लिये दिया जाने वाले ऋण, उपदान और अनुदान और समाज के विभिन्न वर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों, अवकाश-प्राप्त सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिये भूमि का अनुदान प्रदान किया जाना। ये आदेश 15 अगस्त, 1968 से लागू हैं ।

दिल्ली में पकड़ा गया सोना

5895. **श्री चेंगल राया नायडू :** **श्री अम्बचेजियान :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों ने विदेशी चिन्हों वाले लगभग 25,000 रुपये के मूल्य के 110 तोले सोने का एक पार्सल जुलाई, 1968 में पकड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पार्सल पर चिन्ह किस देश के थे; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 27 जुलाई 1968 को दिल्ली में सीमाशुल्क अधिकारियों ने बम्बई से डाक द्वारा भेजे गये एक पार्सल से विदेशी

मार्की के सोने की 110 तोले वजन की छड़ें पकड़ी और जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 10,8 8 रुपया होता है।

(ख) छड़ों पर ब्रिटेन की एक फर्म के मार्के हैं।

(ग) दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे और बाद में जमानत पर रिहा कर दिये गये। मामले की जाँच-पड़ताल चल रही है।

बम्बई और कलकत्ता में मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता

5895. **क. श्री भगवान दास :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर क्षेत्र किस आधार पर निर्धारित किया जाता है और माना जाता है;

(ख) बम्बई के मामले में मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता देने के मामले में कुल कितने क्षेत्र और जनसंख्या को लिया जाता है; और

(ग) वृहत् कलकत्ता के बारे में समकक्ष आँकड़े क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग): सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

किदवई नगर (नई दिल्ली) में एक ईसाई दल द्वारा भूमि पर कब्जा किया जाना

5895.—**ख. श्री ओमप्रकाश त्यागी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किदवई नगर (नई दिल्ली) में ईसाइयों के एक दल ने भूमि पर बलात कब्जा कर लिया है और वहाँ ईसा की मूर्ति स्थापित कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या धर्म के नाम पर भूमि पर बलात कब्जा करने के लिये इस प्रकार की घटना को पूर्व-दृष्टान्त के रूप में माना जा सकता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) अगस्त, 1968 के प्रथम सप्ताह में, 5'×4' तथा 4 फीट की ऊंचाई के एक प्लेट-फार्म पर ईसा मसीह (जेसूस क्राईस्ट) की एक मूर्ति अनधिकृत रूप से स्थापित कर दी गई है तथा प्लेटफार्म को लगभग 12'×10' के तारों से घेर दिया गया है।

(ग) जी नहीं। अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

ग्लैक्सो फार्मस्यूटिकल कम्पनी

5895.—**ग. श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लैक्सो फार्मस्यूटिकल कम्पनी अपने उत्पादन में विविधता लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और क्या इसने सरकार की अनुमति माँगी है;

(ग) इसके मुख्य उत्पादन क्या हैं;

(घ) क्या यह ब्रिटिश ग्लैक्सो कम्पनी की सहायका कम्पनी है;

(ङ) यदि हाँ, तो भारत में इसके काम करने की शर्तें क्या हैं; और

(च) भारत के ऐसे फार्मेस्यूटिकल उत्पादों में भारत को कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : जी हाँ। ग्लैक्सो फार्मस्यूटिकल कम्पनी ने अपने उत्पादन में विविधता लाने का संकेत किया है किन्तु अभी प्रस्ताव का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस समय उनके मुख्य उत्पादन हैं, विटामिन 'ए' कोरटीसोन, हाइड्रो-कोरटीसोन, प्रीडनीसोन, प्रीडनीसोलोन, बीटामेथासोन, केलशियम सिनोसाइड, बेबी फूड आदि। उनकी वर्तमानविनिर्माण क्रियाओं में गोलियाँ, मरहमें, केपसूलस, इन्जेक्शन और इलिक्सिरस आदि के रूप में बहुत सारी पेटन्ट तथा स्वयम् निर्मित चीज भी सम्मिलित हैं।

(घ) जी हाँ।

(ङ) कम्पनी का संचालन उस सहयोग करार द्वारा होता है जो सरकार के अनुमोदन से निष्पादित हुआ था।

(च) इस समय भारत, ग्लैक्सो लेबोरट्रीस के उत्पादों सहित, तैयार फार्मस्यूटिकल उत्पादों में लगभग आत्म निर्भर है। फिर भी बुनयादी औषधियों तथा तकनीकी पदार्थों में आत्म निर्भर होने में कुछ समय लगेगा। इसके लिए यथार्थ कार्यक्रम बताना कठिन है।

देहातों में मकान बनाने के लिये राज्यों को धन देना

5895.–**घ. श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहातों में मकान बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये धन का राज्य सरकारों ने पूर्ण उपयोग नहीं किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों ने अब तक कितने धन का उपयोग नहीं किया है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :(क) और (ख) : जी हाँ। ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के लिये 1966-67 के दौरान नियत की गयी केन्द्रीय सहायता को अनेक राज्य पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सके हैं। 1967-68 के लिए जिन राज्यों से केन्द्रीय सहायता प्राप्त सभी आवास योजनाओं के लिए नियत की गयी कुल सहायता का जो योजनानुसार तोड़ भेजने की संभावना थी उन्होंने आवश्यक आँकड़े नहीं भेजे हैं। तथापि; राज्य बजटों में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के लिए की गयी व्यवस्था तथा उनके द्वारा किये गये खर्चे की रिपोर्ट की तुलना करने पर अनेक मामलों में जैसा कि सभी

पटल पर रखे गये विवरण में दिखाया गया है, कमी का पता चलता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1908/68]

ग्लेक्सो लेबारेटरीज (इंडिया) लिमिटेड

5895—**डा. श्री ज० मो० विस्वास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड ने अपनी जारी पूंजी बढ़ाने तथा अपने कार्य का विस्तार करने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है 5 करोड़ रुपये के शेयर जारी करना ताकि कम्पनी के उन सामान्य कार्यकलापों का विस्तार किया जा सके जिसमें बुनियादी निर्माण-कार्यक्रम का क्रमिक विस्तार शामिल है और विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके तथा फर्मेस्युटिकल और अच्छी किस्म के रासायनिक वस्तुओं के लिए निर्यात-बाजार का विकास किया जा सके। शेयर आदि जारी किये जाने के प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) **बोनस शेयर जारी करना :**

मुक्त प्रारक्षित निधि का पूंजीकरण करके, प्रत्येक पाँच सामान्य शेयर पर चार बोनस शेयर देने के लिये दस-दस रुपये के 24,00,000 सामान्य शेयर जारी किये जायगे; 240 लाख रुपया

(2) **तरजीही शेयर :**

ब्रिटिश ड्रग हाउस ग्रुप लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन को, उसकी सहायक कम्पनी ब्रिटिश ड्रग हाउस (इण्डिया) प्राइवेट' लिमिटेड की परिसम्पत्ति के, 1 जुलाई, 1968 के वास्तविक खाता मूल्य के अनुसार हस्तान्तरण के बदले में, 9 प्रतिशत लाभांश वाले 800,000 अशोध्य तरजीही शेयर दिये जायेंगे। बम्बई के उच्च न्यायालय ने, समवाय अधिनियम की धारा 391-391 के अनुसार दोनों कम्पनियों को मिलाने की स्वीकृति दी है। 80 लाख रुपया

(3) **सार्वजनिक पेशकश :**

इस उद्देश्य से कि भारतीय जनता, कम्पनी द्वारा जारी किये जाने वाले कुलशेयर में से 25 प्रतिशत शेयर खरीद सके, प्रति शेयर 5.50 रुपये के प्रीमियम पर दस-दस रुपये के 18,00,000 सामान्य शेयरों की नकदी के आधार पर बिक्री किये जाने की पेशकश की जायगी। 180 लाख रुपया

जोड़ 500 लाख रुपया

(ग) पूंजी निगम नियंत्रक ने, शेयर जारी करने के सम्बन्ध में ख (1) और (3) में उल्लिखित प्रस्तावों पर 15 जुलाई, 1968 को अनुमति दी थी और शेयर जारी करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त (ख) (2) में उल्लिखित प्रस्ताव पर 12 अगस्त 1968 को अनुमति दी गयी थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदोन्नति की आदर्श प्रक्रिया

5895—**च. श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी और नेशनल फेडरेशन आफ पैट्रोलियम कर्मचारियों के बीच समझौता विवरण में श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा तैयार किये जा रहे "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में पदोन्नति की आदर्श प्रक्रिया" का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह आदर्श प्रक्रिया तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कब तक उसके तैयार हो जाने की संभावना है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ, इंडियन आयल कारपोरेशन (बाजार सम्बन्धी विभाग) के समझौता विवरण को छोड़कर।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आदर्श नियमों का मसौदा, जिसका अनुसरण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उद्योगिक कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी करने में किया जाना है; इन्डियन आयल कारपोरेशन को, श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय से, अभी प्राप्त हुआ है तथा अध्ययनाधीन है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वामित्व से प्राप्त आय का कुछ भाग छोड़ दिया जाना

5895. **छ. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन, लेख लिखने, नाटकों में अभिनय करने तथा रेडियो से वार्ता प्रसारित करने से प्राप्त होने वाले स्वामित्व का कुछ भाग छोड़ दिये जाने से सम्बन्धित नियम पहली बार कब बनाया गया था।

(ख) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यह नियम बनाने का औचित्य क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस नियम में परिवर्तन करने के बारे में अपने कर्मचारियों के संगठनों से परामर्श किया है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : 1934 ।

(ख) : सामान्यत: सरकारी कर्मचारी को प्राप्त 400 रुपये से अधिक अथवा आवर्ती किस्म की होने की हालत में 250 रुपये प्रति वर्ष से अधिक किसी भी "फीस" का एक तिहाई भाग सरकार के पास जमा करना होता है। "फीस" की परिभाषा इस प्रकार की गयी है :

"फीस का अर्थ है, सरकारी कर्मचारी को भारत की समेकित निधि से, अथवा किसी राज्य की समेकित निधि से, भिन्न किसी अन्य स्रोत से होने वाली आवर्ती अथवा अनावर्ती अदायगी, चाहे वह सीधे सरकारी कर्मचारी को की गयी हो अथवा सरकार के माध्यम से की गयी हो परन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं--

(क) अन-अर्जित आय जैसे सम्पत्ति और लाभांश से आय, तथा प्रतिभूतियों पर प्राप्त व्याज; और

(ख) साहित्यिक, साँस्कृतिक अथवा कलात्मक प्रयासों से आय, अगर इस प्रकार के प्रयासों में सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान से कोई सहायता प्राप्त नहीं की गयी हो।

(ग) सरकारी कर्मचारी का सारा समय सरकार के निमित्त होता है, जो उसे वेतन देता है।

(घ) जी, नहीं।

5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2568 के उत्तर को शुद्ध करने के लिए स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास राज्य मन्त्री द्वारा 26-8-1968 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जानेवाला विवरण ।

राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों के संक्षिप्त विवरण के सम्बन्ध में लोक सभा में 5 अगस्त, 1968 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2568 के भाग (ग) के उत्तर में मैंने उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित मद संख्या 5 में कहा था कि "ये आदेश 1 जनवरी, 1969 से लागू होंगे।" यह सूचना टेलीफोन पर प्राप्त की गयी थी। अब इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से लिखित रूप में यह सूचना प्राप्त हुई है कि ये आदेश उन्होंने 1 जुलाई 1968 से लागू कर दिए हैं ।

14 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के बारे में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में दी गयी सूचना को तथा 4 मार्च 1968 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2519 के उत्तर में दी गयी सूचना को सुधारते हुये वित्त मंत्रालय में मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा 26 अगस्त 1968 को दिया जाने वाला वक्तव्य।

14 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के बारे में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में दी गयी सूचना तथा 4 मार्च 1968 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2519 के उत्तर में दी गयी सूचना में, 1962 से 1967 तक के वर्षों के लिये निर्धारित आय बता दी गयी है, जबकि प्रश्न में निर्धारित किये गये आयकर की जानकारी माँगी गई थी। अत: अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में अधिकतम आयकर देने वाले प्रथम 10

व्यक्तियों के सम्बन्ध में 1962-63 से 1966-67 तक के वर्षों के लिये निर्धारित आयकर का संशोधित विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1909/68)

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Mr. Speaker, Sir, under Rule 222 I want to seek your permission to raise the question of privilege against the editor and publisher of the "Aryavrat", a daily published from Patna. He has presented the version of my speech in a distorted manner when I spoke about Czechoslovakia. This was publsihed in his daily on 23rd August, 1968 wherein he has stated that the spokesmen of Communist Party of India, Shri Yogendra Sharma stated in the House that the Socialist Countries were compelled to take this measure due to the restrictions imposed on the Czechoslovak Communist Party by the anti-socialist powers whereas I had stated quite differently. I have no where stated about the restrictions imposed on the Communist Party of Czechoslovakia. On the other hand I have supported the programme lanched by Comrade Dubeak in Czechoslovakia. As this is a case of mis-reporting, I am seeking to raise a question of privilege.

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय इन मामलों में आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा से समाचारपत्रों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : सब दलों के इस विषय पर अपने-अपने विचार हैं। किन्तु यहाँ दिये गये भाषणों को समाचारपत्रों में गलत ढंग से प्रकाशित नहीं करना चाहिये। मैं इस मामले पर विचार करूँगा तथा बाद में इस पर अपना विनिर्णय दूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्न की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाँक 25 फरवरी 1968 को जारी की गयी उद्घोषणा दिनाँक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृत्ति व्यापार आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम 1965 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार आजीविका और सेवा योजन कर (संशोधन) नियमावलि 1968 की एक प्रति जो दिनाँक 22 जनवरी, 1968 की अधिसूचना संख्या ए० एस०

टी-194/दस-800 (8)-63 में प्रकाशित हुई थी। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1474 की एक प्रति जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या क्रमशः एलटी 1885/68 और एलटी 1886/68]

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत-पत्र

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) (क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) (क) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड मद्रास का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(तीन) (क) 20 जुलाई, 1966 से 31 मार्च 1967 तक की अवधि के लिए लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड बम्बई के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) 20 जुलाई, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि के लिए लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड बम्बई, का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-1887/68]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 8 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1481 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एलटी-1888/68]

मंत्री के त्याग पत्र के बारे में

RE : RESIGNATION OF MINISTER

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want to invite your attention to item No. 19 of the list of Business. On Friday, the matter regarding resignation by Shri Asoka Mehta was raised in the House. We were under the impression that he would make a statement on Monday. I want to know the reason why there is no reference to the statement to be made by Shri Asoka Mehta.

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मैं यह बात मानता हूँ कि यहाँ की पद्धति के अनुसार ऐसे अवसर पर मंत्री को अपना वक्तव्य देना चाहिये। अन्यथा सदन को नहीं पता लग सकता है कि मंत्री ने क्यों त्यागपत्र दिया। मेरे त्यागपत्र के कारणों का सदस्यों को पता है। सदन के सामने एक प्रस्ताव था और मेरे लिये उसके पक्ष में मत देना संभव नहीं था। इसलिये मैंने त्यागपत्र दिया। मैं इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में और कुछ कहना नहीं चाहता।

बिहार आय व्ययक, 1968-69

BIHAR BUDGET 1968-69

सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की माँगें

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर केवल एक घंटे ही चर्चा होगी और उसके पश्चात माँगों को मतदान के लिये रखा जायेगा। श्री मुद्रिका सिंह अपना भाषण जारी रखें।

Shri Mudrika Singh (Aurangabad) : Sir, I was stating that the land in Bihar is rather fertile and productive and yet the people there are poor. Because of this poverty the revenue for development purposes cannot be raised there. If the taxes are increased the purchasing power of farmers would still go down and no funds can be raised for the development of agricultural land.

The other reason of poverty is exploitation of the people there by outsiders. We have numerous mineral resources such as Manganese, bauxite, cement and iron but not a single Bihari is the owner of these mines. The head offices of most of these mines are located at Calcutta and revenue thereof accrues generally to them.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

Not only that but almost all posts in these mines are manned by non-Biharis. Biharis are not given the small jobs like peons and messengers even. This tendency obtains not only in private firms but also in the centrally controlled factories.

The Central Government too is giving a step-motherly treatment to Bihar.

Bihar has several rivers, but these have not been travel so far such as west Canal, Gandak Scheme has not been fully nurtured. Otherwise instead of being a deficit state, Bihar would have been a surplus state. We could have then supplied rice to states like Kerala. We expected that D. V. C. Scheme would be of benefit to us but our hopes have been belied, and the flood control Scheme benefitted the state of Bengal. Bengal had already the benefit of irrigation. Even in the matter of generation of power, step-motherly treatment has been meted out to Bihar. There are 67,675 villages in Bihar but only 6,375 villages have been electrified there. There are only 92 mile transmission lines in Bihar whereas Mandras has 208 mile of transmission lines. In Bihar there are only 62 mile distribution lines in 100 squire miles.

The imposition of President's rule in Bihar has not improved the general condition in Bihar. We needed an Agricultural University there which would have improved the faces and would have regained the waste land there. These are the reasons for backwardness of Bihar.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Sir, Bihar has got all the mineral resources and a number of rivers and the farmers are industrious and laborious but still there is famine and poverty in Bihar. The population of Bihar state has doubleds ince 1901. There has been started no useful scheme in Bihar. Bihar is lagging behind so far heavy and small scale industries are concerned. In the factories at Jamshedpur, Tatanagar, Sindri and Hatia, non-Biharies are being provided with jobs. As Biharis have not been given these jobs, they are easy victims of famines and other calamities.

Bihar has many rivers and land too is fertile but because of defective inplementation of Schemes, poverty continues as before. Bihar is also adversely affected by floods every year and this menace of flood should be stopped immediately for the benefit of agriculture as 86 per cent of population is dependent on agriculture. In north Bihar 90 percent people are agricultural labourers. There are no practical Schemes for agriculture and cottage industries. Therefore the present condition of adversity continues. There is paucity of *pucca* roads as the amount sanctioned for this purpose is spent elsewhere. Corruption is rampant all over the state. I hope the Government would introduce new schemes for Bihar in this Bihar, otherwise it is not going to benefit Bihar.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : Sir, Inspite of the President's rule the price of kerosene oil there is one rupee per bottle and the farmers are not getting this for the last three months. I went there, proper steps should be taken to see that kerosene oil is available to farmers at resonable rates. The Engineers in Bihar are jobless, 10,000 engineers are the sons of poor farmers. I also wish that these engineers should be provided with jobs as early as possible. Thousands of Graduates are also without jobs and these educated class migrates to Delhi in the hope of finding jobs. There is no good scheme for irrigation in Bihar. There is lack of tubewells. The B. D. O's are also not helpful to the farmers and I want their proper judicial enquiry should be instituted in the case of beating of employees of the Block Development Department.

Bagmati river bed has fertile soil and also the river flows through entire fertile land but the plan about this river is to be found only in the papers of Planning Commission. If the Scheme regarding this river is properly implemented it would benefit Champaran and Muzaffarpur districts. So is the case with Adhwra river Scheme. I would urge upon the Hon. Minister of irrigation and power to pay his attention to its scheme so that it may be completed soon.

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेकानाल) : आज हम बिहार बजट पर चर्चा कर रहे हैं। परन्तु हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

काँग्रेस के 20 वर्ष के कुशासन के कारण प्रशासन में बड़ी खराबी थी तथा भष्टाचार के आरोप थे। अपर आयोग उसकी जाँच भी कर रहा है। ऐसे समय पर श्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने राज्य संभाला। जनता ने समझा कि उन्हें अच्छा शासन मिलेगा, परन्तु संयुक्त विधायक दल के नेता आपस में ही लड़ते रहे और उन्होंने जनता के हितों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। काँग्रेस दल ने श्री मंडल को तलाश करके संयुक्त विधायक दल के राज्य को समाप्त कर दिया और एक अल्पमत की सरकार वहाँ स्थापित कर दी।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

THE LOK SABHA REASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN OF THE CLOCK

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

चैकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में

RE : SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : महोदय सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि सदन को चैकोस्लोवाकिया की स्थिति से अवगत रखा जायेगा। मैं चाहता हूँ कि संसद कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कहें ।

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : Sir, 71 persons are on hunger strike in the Collectorate at Agra Collectorate. The property of the people has been looted and women have been molested.

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

Shri Shiv Charan Lal : We want an assurance of judicial inquiry into it.***

उपाध्यक्ष महोदय : जो यह कह रहे हैं उसे लिखा नहीं जाये ।

श्री शिव चरण लाल सदन से उठ कर चले गये

SHIR SHIV CHARAN LAL LEFT THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई गम्भीर बात है तो मंत्री महोदय उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री श्रीचन्द गोयल : गम्भीर स्थिति है । नई सेनायें वहाँ घुस गई हैं ।

बिहार आय-व्ययक, 1968-69 जारी

BIHAR BUDGET 1968-69—Cont.

श्री क० प्र० सिंह देव : महोदय, राष्ट्रपति शासन में भी अधिकारियों के रवैये में अन्तर नहीं पड़ा है। वहाँ अब भी भ्रष्टाचार चल रहा है ।

बिहार की राजनीति में जातिवाद तथा साम्प्रदायिकवाद बहुत है। राष्ट्रपति शासन में यह बातें समाप्त होनी चाहिये ।

उड़िया भाषा के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। वहाँ के प्रसिद्ध नाम चाऊ को भी समाप्त किया जा रहा है ।

बाढ़ के कारण मुंगेर जिले की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ शिक्षा का प्रसार तथा आय भी अपेक्षाकृत बहुत कम है ।

सिंचाई सुविधायें शीघ्र उपलब्ध कराई जायें। वहाँ के अधिकारियों के रवैये में अन्तर आना चाहिये। छोटा नागपुर तथा संदल परगनों की स्थिति पर तथा वहाँ की अनुसूचित

***कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।

जातियों तथा आदिम जातियों की स्थिति की ओर उचित ध्यान देना चाहिये क्योंकि गत 20 वर्षों से उनकी अवेहलना की गई है।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Mr. Deputy Speaker, Sir the Patriot newspaper of yesterday stated : "Bihar teacher strikes to death". The primary teachers there have not got their salaries for the last 4 and 5 months.

The Bihar Budget is not in favour of the people there. The U. F. Government there realised Rs.3 crores by way of development taxes.

In the irrigation field Congress during its 20 years of rule had set up only 950 tube-wells whereas the U. F. Government during its 10 months rule has given irrigation facilities and thereby augmented the food production by 12 lakh tons.

North Bihar was considered to be granary of Bihar but now the ministers go there only at election time to inaugurate the Western Kosi Canal.

In South Bihar there is much unemployment.

The U. F. Governments did much to realise the loans.

This Budget is anti-Bihar.

Ashok Paper Mill is the only industry of North Bihar but the Government wants to finish it.

The condition of roads in Bihar is very bad although it is on the border of Nepal and Pakistan.

I oppose this Budget.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : महोदय, मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार तथा उड़ीसा कुछ समय पूर्व तक एक ही राज्य थे। आज उड़ीसा में सबसे अच्छा राज्य चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आगामी चुनाव में बिहार के लोग केवल स्वतन्त्र दल को ही मान्यता देंगे ताकि वहाँ भी उसके पड़ोसी उड़ीसा भी भांति समृद्धि आ जाये।

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the remarks made by the Hon'ble members during the course of the debate. I can assure the Hon' ble members that I will try my best and do whatever legally is possible in that regard.

The Hon'ble members have mainly touched the matters regading land revenue, sales tax, floods, drought and the central assistance to state.

We have already ascertained the wishes of the people while framing the Budget of Bihar. We are not happy about the President's rule in Bihar but it had to be imposed there.

We also see that as far as possible the poor people should not be taxed.

Sales tax is not levied on people where turn over is to the tune of Rs. 15,000 only. The Government does not levy taxes on things of dailyuse. The agricultural tax has been levied on people where income is above Rs.3,000.

A reference has been made about tax evasion. If we are strict then the allegation is made that we harass the people.

The U. F. Government took a decision about the abolition of land revenue on un-profitable land holdings but the Shoshit Dal Government reversed it. I can say only this that the people when they get income from land are interested in paying the taxes. The abolition of land revenue is not a popular demand.

The matter regarding backwarndess of Bihar was also raised. But this is connected with the development of the whole country.

About the sales tax we have instructed the higher officials to take immediate action against corrupt officers in their department.

The recovery by way of Sales Tax in 1966-67 was to the tune of Rs.1,372 lakh but during the regime of the U. F. Government it was augmented. During the year 1967-68 the recovery was Rs.1,978 lakh.

Hon'ble Member time and again pleads that the Government should not collect tax from poor people. I want to draw his attention to the fact that he should first of all try to know the policies adopted by the Governments formed by the parties which are other than the Congress.

It is a matter of pleasure that the Hon. Members have drawn the attention of the Government towards the problems of soil erosion and flood control. It has always been the effort of the Government to take steps for checking floods and soil erosion. We have now 1540 miles of embankments compared to 286 miles in 1956. About Rs.14 crores have been spent on this work. It has not only served as a protection from the floods, but also benefited nearly 5 million acres of land. Efforts have also been made to rehabilitate the people who suffered as a result of soil erosion. During the past few years, nearly 10,000 such families have been resettled.

Almost all Hon'Members have referred to agriculture. It is not at all correct to say that Government is apathetic towards agriculture. I want to tell the Hon. Members that we are trying to increase the allotment year after year and plan after plan so that we become self-sufficient in this regard as early as possible. Statistics will show that our expenditure on agricultural development has been constantly increasing. In the first Five Year Plan we spent 3682.1 lakhs of rupees on Irrigation and electric projects. In Second Five Year Plan and third Five Year Plan the amount was Rs.8,704.8 Lakhs and Rs.18,481.02 Lakhs. This is the proofs to show that we are very vigilant in this regard.

We are also very much interested to increase the irrigation potential of our country. For this purpose we have spent Rs.1,298.3 Lakhs. Rs.2,658.3 Lakhs and Rs.6,672.58 Lakhs in First, Second and Third five year plan respectively. Now we are giving particular attention to small irrigation schemes in Bihar. For the current year a provision of about Rs.20 crores has been made for multipurpose irrigation schemes out of which Rs.13.30 crores, Rs.4.34 crores, Rs.1.18 crores and Rs.48 lakhs have already been spent respectively on Gandak, Kosi, Sone projects and on Damodar Valley corporation. These schemes will not only help in preventing soil erosion and floods, but also irrigate 2 lakhs acres of land. We all know that irrigation alone will not help us. I welcome one decision of the S.V.D. Government of Bihar and that is about the sinking of 15 thousand tube-wells there. Hon. Members are looking only towards the achievements of the S.V.D. Government, if we make a comparison, then the truth will come out. In 1967-68 during the tenure of the S.V.D. Government 11.38 lakh acres of land was irrigated whereas a target of 15.31 lakh acres has been fixed for this year i.e., an addition of 4 lakh acres over the achievement of the S.V.D. Government.

Hon. Members raised the question of Central assistance to states. I admit that Bihar is a backward state. We have now devised a formula and we have been giving aid according to that formula. Centre's assistance to Bihar has been constantly increasing for the third Five Year Plan against the State allocation of Rs. 319 crores the centre contributed Rs.216 crores.

We realise the necessity of giving more assistance to Bihar in view of its special problems. That is why we have increased the amounts in the successive Five Year Plans. The percentage of Central assistance has risen from 53 in the First Plan to more than 67 in the Third Plan. Apart from Plan allocations, large amounts have been given to Bihar for flood and drought relief. If these amounts are added to the total assistance it will exceed the amount of assistance given to any other State in the country. The allegation of a cut having been made in the Central assistance to Bihar is baseless. In fact we have given Rs.3½ crores more to them in 1968-69 than what we gave in 1967-68.

The opposition Members have stressed the question of giving increased dearness allowance to the State Government employees. So far as this question is concerned, if we give them the increase it will involve an additional burden of Rs. 10½ crores per year on the public. In view of the present financial position of the State, this additional expenditure is not justified. However, the demands of the employees are being sympathetically considered.

It has also been alleged that we have put an end to deficit financing only through juggllery. We have tried to reduce the deficit by taking various measures such as the increase in royalty on mining, by giving more assistance from the centre and by realising arrears of land revenue. There is no question of any jugglery.

So far as the question of communal riots is concerned. We are enforcing the decisions taken in the Chief Minister's Conference and the National Integration Council. Particular mention was made of the riots in Ranchi etc. Dayal Commission has been especially appointed to inquire into this matter. We shall consider its report when it is received, and take necessary action.

The question of giving priority to the people of Bihar in the matter of employment in the public sector undertakings in Bihar was also raised. While care will be taken to give more and more employment to the people of Bihar in those undertakings, there is nothing wrong if people of other States are also employed. The fact that the people of Bihar are also working in other States should not be lost sight of. To restrict employment to the people of the State also will not be conducive to national unity.

It is not correct to say that step-motherly treatment has been meted out to Bihar in regard to the setting up of public undertakings. Out of the total investment of Rs.2,629 crores in these undertakings in the country Rs.370 crores have been invested in Bihar alone which is proportionately more than the amount invested in many States.

In regard to education, substantial progress has been made in this State. The percentage of literacy in the State which was 12 in 1955-56 today stands at more than 18. Therefore, it is no use saying that no progress has been made in the State in the field of education.

Reference was made to certain circular of the Government by Shri Madhok. He said that circular encouraged communalism. But that circular was applicable only to Pakistani nationals. That is not meant for the Indian nationals. Therefore, any fear on that account is altogether baseless.

I agree that as far as possible more assistance should be given to Bihar and this will be constantly borne in mind.

Shri Kameshwar Singh (Khagarir) : The Hon. Deputy Minister has stated that special attention is paid towards the backward states in giving Central assistance to States. I want to know as to how much amount was given to Orissa, Gujarat and West Bengal for flood relief measures as well as the amount given to Bihar for this very purpose.

I also want to know whether the Government is going to restore 50 per cent subsidy on tube-wells or not.

The primary school teachers in Bihar have not been paid their salaries and they are starving. It has been said on behalf of the Government that the arrears of D.A. will be paid to the teachers in the form of national savings certificates. They are starving now and the Government says that they will get these arrears after 10 years. I want answers to all these questions.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I want to know whether the foreign Christian missionaries will be removed from the Jharkhand area.

There was a scheme to construct a high level canal from the Chandan dam in Bhagalpur district. I want to know why this is not being taken up.

In Bhagalpur there is a Badua dam having two canals—The Southern canal and the northern canal. The northern canal will irrigate about 75 percent of the land. But its

level is 20 feet high. Therefore, this should be brought at par with the level of the other canal.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : I want to know the number of persons belonging to Bihar who are working in various parts of India.

The population of Rajasthan is about 2 crores what percentage of this population is working in various parts of India ?

Government used to give 50 per cent subsidy on tube wells. Are they going to restore that subsidy and if so to what extent ?

At present Rs.1,250 are charged for providing an electric line. Is Government going to exempt it and if so, since when ?

Do Government propose to exempt the loans invested in Bihar from interest and if so, since when ?

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Do Government accept it in principle that the pay and allowances of the Central and State employees should be the same ?

Shri Jagannath Pahadia : In the form of Central assistance Bihar got Rs.18.5 crores in the year 1966-67 and Rs.41.74 crores in 1967-68 whereas in the case of Orissa these figures were Rs.10.60 and 3.50 crores respectively. It clearly shows that Bihar got more.

Shri Kameshwar Singh : We want figures for the current year.

Shri Jagannath Pahadia : Flood assessment has not yet been completed. A decision will be taken after the receipt of the report from the State Government.

It has been said that some portion of the D. A. was paid in cash and the rest was added to the Provident Fund. This was the decision of the SVD Government and I have therefore nothing to say in this matter.

So far as the figures of persons from Bihar working in other parts of India are concerned, the whole country is one and we should think of the country as a whole. (**Interruptions**).

So far as the question of subsidy and interest is concerned, it is a matter which the State Government will have to examine. (**Interruptions**).

Shri O. P. Tyagi : The questions that have been asked should be replied to.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री एकदम से उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के बजट (बिहार) सम्बन्धी अनुदानों की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिये रखी गईं :

The following demands for grants in respect of Bihar for the year 1968-69 were put.

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	कर	53,64,300
2.	भू-राजस्व	3,79,82,278
3.	राज्य उत्पाद-कर	49,96,500
4.	गाड़ियों पर कर	6,60,975
5.	मुद्रांकन (स्टाम्प)	10,04,925

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
6.	पंजीयन शुल्क	25,79,888
9.	राज्य विधान मंडल	43,23,075
10	सामान्य प्रशासन	3,93,63,075
11.	न्याय प्रशासन	1,24,30,706
12.	कारावास	1,47,48,030
13.	आरक्षी (पुलिस)	10,12,62,036
14.	विविध विभाग	1,02,825
15.	वैज्ञानिक विभाग	35,96,950
16.	शिक्षा	21,48,98,875
17.	चिकित्सा	7,55,87,970
18.	जन-स्वास्थ्य	5,34,18,211
19.	कृषि	13,45,60,678
20.	पशु-पालन	2,48,71,484
21.	सहकारिता . . .	1,42,99,369
22.	उद्योग . . .	1,85 57,600
23.	सामुदायिक विकास योजना राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य	6,24,04,417
24.	श्रम एवं नियोजन . . .	1,49,93,400
25.	विविध सामाजिक एवं विकास संगठन (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण) . . .	2,70,48,450
26.	विविध सामाजिक एवं विकास संगठन (सांख्यिकी) . . .	37,05,975
27.	विविध सामाजिक एवं विकास संगठन (विविध योजनायें)	7,68,300
28.	बहुधंधी नदी योजना सहित सिंचाई .	30,64,89,775
29.	विद्युत योजनायें . .	8,33,400
30.	लोक निर्माण . .	6,62,27,325
31.	लोक-निर्माण स्थापना . .	1,58,05,050
32.	अकाल साहाय्य . .	57,41,250
33.	पेंशन . .	78,92,925
34.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण . .	72,35,250
35.	वन . .	1,74,82,675
36.	विविध (ग्राम पंचायत) . .	1,27,30,781

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
37.	विविध	1,00,77,549
38.	विविध (जन-सम्पर्क विभाग)	29,52,426
39.	विविध (विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय)	27,37,997
40.	राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति, 1962 से सम्बंधित व्यय	5,66,550
41.	जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर जमींदारों को मुआवजा	1,68,45,000
42.	औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी-उद्व्यय	77,41,900
43.	अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजी-उद्व्यय	65,12,250
44.	सड़क तथा जल यातायात योजनाओं पर पूंजी उदव्यय	42,50,000
45.	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी-उद्व्यय	73,09,07,475
46.	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम	15,82,07,450

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

THE LOK SABHA DIVIDED

पक्ष में 89, **विपक्ष में** 60

Ayes 89 **Noes** 60

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

बिहार विनियोग विधेयक 1968

BIHAR APPROPRIATION BILL, 1968

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचिति निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

CLAUSES 1, 2, 3, THE SCHEDULE THE ENACTING FARMULA AND THE TITLE WERE ADDED TO THE BILL

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य), 1968-69

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1968-69

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये समझें जायेंगे। ये अनुपूरक माँगें तथा कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य) 1968-69 के संबंधी निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
8	1	श्री विश्वम्भरन	आध्यात्मिक शिक्षा के लिये सरकारी धन-राशि की अधिक व्यवस्था	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
45	2	,,	राजनैतिक पेंशनों को कम करने की आवश्यकता	100 रुपये
56	5	,,	औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जाँच समिति के कार्य को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता	,,
67	7	,,	पंचनिर्णय करने वाले बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता	,,
78	8	,,	यूरोपीय देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कार्य को उन देशों में अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता	,,
113	9	,,	भारत के उर्वरक निगम के कारखानों को लाभ पर चलाने की आवश्यकता	,,
8	11	श्री लोबो प्रभु	क्योंकि भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक आधार उपलब्ध करने वाली विद्याशाला में अन्य भारतीय धर्मों का प्रतिनिधित्व नहीं है	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
26	12	,,	विशेष भारतीय नोटों के वापस लिये जाने से अनावश्यक रूप में एक स्वाभाविक कड़ी समाप्त हो गई है और इस देश का ऋण बढ़ गया है।	,,
55	15	,,	1967-68 तथा 1968-69 के आयव्ययकों में आगरियों आदि को भुगतान करने के सम्बन्ध में धन का उपबन्ध किया जाना चाहिये था।	,,
56	18	,,	औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब।	100 रुपये

श्री लोबो प्रभु (उबीपी) : अनुदानों की अनुपूरक माँगों के संबंध में बोलते समय मैं वित्त मंत्रालय पर पाँच आरोप लगाता हूं। उनमें से सबसे पहला आरोप यह है कि वित्त मंत्रालय सरकार के खर्च पर निगरानी रखने में असफल रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि

बजट के पास होने के तीन महीनों के अन्दर ही वह लगभग 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव लेकर इस सभा के सामने आया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं वित्त मंत्रालय जिसका काम सरकार के खर्च को नियंत्रण में रखना है अब सबसे अधिक खर्चीला विभाग बन गया है।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

इसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वर्तमान वित्त मंत्री स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक समय तक इस मंत्रालय से सम्बद्ध रहे हैं। उन्होंने कर 800 करोड़ रुपये से बढ़ा कर इस समय 2500 करोड़ रुपये कर दिये हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि 1961 से केवल केन्द्रीय सचिवालय में ही प्रति वर्ष 1 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति होती रही है। इन परिस्थितियों में वित्त मंत्रालय सरकार तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाने में असफल रहा है।

मेरा दूसरा आरोप यह है कि बंगलौर की रामकृष्ण विद्याशाला को, जो एक नई सेवा है, अनुपूरक माँगों में शामिल करने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात लाइसेंसों के बारे में जाँच आयोग पर इतना अधिक खर्च क्यों किया जा रहा है——यह आयोग अभी तक 1 लाख रुपये खर्च कर चुका है और 3 लाख रुपये खर्च करने का विचार कर रहा है। ऐसी धारणा थी——कि वह अपना काम फरवरी तक पूरा कर लेगा लेकिन बाद में उसकी कार्यावधि जून तक बढ़ा दी गई और अब उसे अगले मार्च तक बढ़ाया जा रहा है। इस आयोग पर जिसका सचिव 2500-3000 रुपये वेतन क्रम में है जिसके छः निदेशक हैं और बहुत-से कर्मचारी हैं, और जो काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत खर्च आ रहा है जो व्यर्थ है। वित्त मंत्रालय ने औद्योगिक मंत्रालय को इस प्रकार सरकारी धन की बरबादी करने की अनुमति क्यों दी है?

इसी प्रकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 3000 फुट की एक फिल्म का ठेका दिया लेकिन सप्लाई 6000 फुट के फिल्म की गई जिसके लिये इस मंत्रालय को लगभग 2 लाख रुपये और अधिक देने पड़े क्योंकि इस काम की जानकारी न होने के कारण वे लम्बी फिल्म की अनुमति देते गये।

इंडियन इलैक्ट्रिकल वर्क्स को 1961 में सरकार द्वारा अपने हाथ में इसलिये लिया गया कि उसका प्रबन्ध बिगड़ गया था, लेकिन अब स्थिति और भी खराब है। उसे कोई लाभ नहीं हुआ है और सरकार को उसमें अधिकाधिक विनियोजन करना पड़ रहा है। ये बातें वित्त मंत्रालय की पूर्ण असफलता तथा फिजूल खर्ची को रोकने की असमर्थता के प्रमाण हैं।

दूसरी ओर यह मंत्रालय जहाँ आवश्यक है, वहाँ खर्च करने में उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाता है। इस संदर्भ में, मैं अपने राज्य का मामला सामने रखता हूं। हमने इस मंत्रालय से अनुरोध किया कि हम गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उतने पम्प-सैटस तथा नल-कूप लगाना चाहते हैं और आप हमें धन दीजिये। लेकिन मंत्रालय से उत्तर मिला कि यह मामला राज्य का है और इसके लिय योजना में और अधिक धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों पर से पूरा नियंत्रण खो चुका है। मुझे याद है कि खाद्य मंत्रालय को छोटी-छोटी चीजों तक के लिये योजना के सिद्धान्त के सम्बन्ध में स्वीकृति की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है, वह समाहार तथा क्षेत्रीय नियंत्रण की कोई योजना चालू कर सकता है। इन नियंत्रणों के कारण एक ओर बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में चावल के मूल्य कम हुए हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र तथा मद्रास में उसी अनुपात में मूल्य इस नियंत्रण पद्धति पर बढ़े हैं। वित्त मंत्रालय खाद्य मंत्रालय को खर्च कम करने तथा देश में सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का तरीका अपनाने के लिये बाध्य नहीं कर सका है।

डाक राजस्व में 25 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि के बावजूद, कोई वृद्धि नहीं हुई है। मंत्री महोदय को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसी प्रकार रेलवे मंत्रालय द्वारा भाड़े की दरों में की गई वृद्धि से सरकार की आय नहीं बढ़ी है बल्कि घटी है। वित्त मंत्रालय की नीतियों तथा अकुशलता के परिणामस्वरूप सरकार की फिजूल खर्ची बढ़ रही है। इसलिये ये माँगें अस्वीकृति की जानी चाहिए।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The Finance Ministry should try as far as possible not revise the budget estimates. In the General Budget, the rate of postage on the small newspapers had been enahanced resulting in an adverse effect on these papers despite this, there was no increase in income under this head, on the other hand, this increase in the postage has hit the small newspapers very hard and their circulation has been considerably reduced. So the Finance Ministry has done a great injustice to these papers joined nothing out of it. The Government should, therefore, consider this aspect whether the tax they proposed to impose, would result in substantial income to the State. Otherwise it is only to cause hardship to the people.

We have no quarrel with the Finance Minister for getting a Supplementary grant, but we should feel satisfied that the money collected from the public is properly utilised. It is necessary for the Government to ensure that the money given to the public undertakings is spent properly by them. Today we have thousands of crores of rupees invested in them but so far as the return from the public is concerned, it is very low steps should, therefore, be taken to improve their condition and make these undertakings work efficiently.

The Ministries of the Government of India are also responsible for unfruitful expenditure. For example, the Ministry of works, Housing and Supply is having a separate Section for the maintenance of the residences allotted to the Members of Parliament and have recruited a large number of executive Engineers, S. Dos, Overseers etc. for the purpose. The working of this section is most unsatisfactory even for an ordinary work of repair, they take very long time. Steps should be taken to tone up the departmental administration so that they could work efficiently.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : औद्योगिक लाइसेंसिंग जाँच समिति के लिये पर्याप्त धनराशि मंजूर की गई है। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के परिणामस्वरूप देश में औद्योगिक विकास में उन्नति के बजाय रुकावट पैदा हुई है। औद्योगिक विकास मंत्रालय को चाहिए कि वह देश के शीघ्र विकास के लिये आवश्यक कदम उठाये। लाइसेंस देने सम्बन्धी प्रक्रिया अब भी जटिल है। आवेदकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में दौड़-धूप करनी पड़ती है जिसमें लाइसेंस मंजूर कराने में एक दो वर्ष तक लग जाते हैं। इन प्रक्रियाओं को सरल बनाना जरूरी है विशषत: उन मामलों में जहाँ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती अथवा

बहुत थोड़ी-सी विदेशी मुद्रा की जरूरत हो। असल में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को ही समाप्त करने की आवश्यकता है और मंत्रालय को एक आर्थिक ब्यूरो स्थापित करना चाहिए। यदि माँग और पूर्ति की स्थिति के आधार पर उद्योगीकरण हो जाये और इस आर्थिक ब्यूरो की चेतावनी के बावजूद यदि कोई उद्योगपति किसी विशेष उद्योग की स्थापना करता है, तो यह उसका दोष होगा और वह नुकसान उठायेगा।

जहाँ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो, वहाँ अधिकारियों के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये औद्योगिक आवेदन पत्र का प्रॉसेस करना जरूरी होगा और इस प्रयोजन के लिये तीन महीने का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए।

सरकार को वर्ष 1969 को औद्योगिक विस्तार वर्ष मानकर उसके दौरान पर्याप्त संख्या में बड़े तथा लघु उद्योगों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए क्योंकि उद्योगों की स्थापना के लिये अब समय अनुकूल है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इस अनुपूरक माँग को "गड़बड़ घुटाला" कहा जा सकता है। यदि हम इसका विश्लेषण करें, तो हम देखते हैं कि एक चलचित्र के निकाले गये हिस्सों के सम्बन्ध में उसके निर्माता को 4,33,667 रुपये दिये गये। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में मध्यस्त निर्णायक व्यक्ति कौन है। उसने जान-बूझकर शरारत की है और सरकार से उक्त राशि ऐंठने के लिये उसने निर्माता के हक में फैसला दिया है। जब 3,500 फुट की फिल्म बनाने को दी गई थी तो फिर उसे 6,174 फुट लम्बी कैसे और क्यों बनाया गया और फिर काटे गये हिस्से के लिये अतिरिक्त राशि क्यों दी गई।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को पेट्रो-रसायन उत्पादों की प्राप्ति के लिये एक संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है, उन्हें इस ढंग से चलाया जाना चाहिए कि वे आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकें। लेकिन हुआ यह है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र फालतू पैद करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। यदि विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं करती, तो आगे विकास नहीं हो सकता क्योंकि विकास फालतू उत्पादन से होता है। इसलिये उत्पादन, उत्पादन-कार्य तथा उत्पादन-शीलता बढ़ाने के लिये औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों और कर्मचारियों को प्रेरित करने को प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करने के लिये औद्योगिक अनुसंधान किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ मंत्रालयों का सहयोग आवश्यक है।

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : It is very good that Ramakrishna Vidyalaya of Bangalore has been included in the Supplementary demands and the Government have allocated a sum of Rs.2 lakhs to this institute for imparting moral and spiritual education throughout the country. Some Hon. Members have opposed the Supplementary demand, but there are certain circumstances that compel the Government to come to the House with such a demand. Although we agree in principle that budget should be presented to Parliament once in a year, there are conditions and events which can not be foreseen and have to be dealt with whenever they take place. So far as the Government is concerned, every such happening means extra expenditure. For example, there had been a number of disturbances in the country during the year and the Government have to tackle them and for that and also for the maintenance of Law and order, they had to take various steps including use of extra police and this all involved extra expenditure. Similarly so many things happened

which could not be vigualised earlier. How could it be possible to make provision for all these things in the budget? In such circumstances, the Government have no alternative but to present supplementary demands.

It is good that the Central Government have given a lumpsum to Bihar state to help to face the famine conditions there. But Andhra Pradesh is also facing similar conditions. The Government should similarly be considerate towards this State and grant assistance to it to help the affected people there.

The Government should try to reduce their unfruitful expenditures also.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : वास्तव में यह एक उपहासजनक बात है कि इस अनुपूरक माँग में "शिक्षा" शीर्ष के अन्तर्गत नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिये व्यवस्था की गई है और इस प्रयोजन के लिये रामकृष्ण विद्यालय के लिये 2 लाख रुपये का निर्धारण किया गया है। मुझे इस बारे में कुछ शक है। कुछ भी हो, नैतिक शिक्षा देने का विषय एक बहुत बड़ा मामला है। यदि सरकार गम्भीर रूप से ऐसा महसूस करती है कि हमें अपनी शिक्षा संस्थाओं को नैतिक शिक्षा के प्रचार के लिये सहायता देनी चाहिए, तो भी ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। यदि इसी प्रकार की अन्य कोई संस्था सरकार से मदद देने का अनुरोध करे तो क्या वह ऐसा करने से इन्कार कर सकती है? यदि करती है तो निश्चित रूप से पक्षपात करने की दोषी बनेगी। यह और कुछ नहीं, केवल धन बर्बाद करना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्यप्रणाली के बारे में हमें बड़ी शिकायत है। कई वर्ष हुए, हमने इस मंत्रालय से अनुरोध किय था और निरन्तर करते आ रहे हैं कि मलयसिया, इन्डोनेशिया, बर्मा तथा अन्य भागों में बहुत से मलय भाषा-भाषी लोग रहते हैं, और इन देशों के लोगों के साथ मित्रता बढ़ाने के लिये मलय तथा सिंहाली भाषाओं में आकाशवाणी से कम से कम एक-एक प्रसारण की व्यवस्था की जानी चाहिए लेकिन इस मंत्रालय के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इस प्रस्ताव के साथ इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण बर्ताव नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऐसे प्रसारणों से हम वहाँ की जनता को अपनी ओर खींच सकते हैं।

जहाँ तक सरकार की श्रम नीति का सम्बन्ध है, वह हमेशा यही दावा करती है कि उसके श्रमिकों के प्रति सहानुभूति है और वह उनका सदैव कल्याण चाहती है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है और व्यावहारिक रूप से उसने उनकी भलाई के लिये कुछ भी नहीं किया है। कुछ समय पहले श्रम मंत्री ने कहा था सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्मिक संघों के आपस में वैमनस्यता तथा प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन को वहाँ क्षति पहुंची है। लेकिन मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कार्मिक संघों के बीच आपसी झगड़े प्रतिस्पर्धा चलती हैं पर तु वहाँ के प्रबन्धक इन कारणों से उत्पादन में बाधा नहीं पहुंचने देते। सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धक वर्ग बुरी तरह असफल हो गया है और इस क्षेत्र के कई उपक्रम संकट से गुजर रहे हैं और घाटा दिखा रहे हैं।

जहाँ तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनके लिये सरकार ने अब तक जो कुछ किया है वह सन्तोषजनक नहीं है। जब देश में मुद्रास्फीति बढ़ी और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने आन्दोलन किया, और जब उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई, तो उसका असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पड़ना स्वाभाविक था। इसलिये जब केन्द्रीय सरकार की राजकोषीय नीति के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति हुई, तो केन्द्रीय सरकार की

नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह राज्यों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करती ताकि वे अपने कर्मचारियों को आवश्यक महंगाई भत्ता दे सकते। राज्य सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त इस भावना को दूर करना जरूरी है कि वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के स्तर से नीचे हैं।

जहाँ तक रोजगार की समस्या का सम्बन्ध है, मद्रास तथा अन्य स्थानों में मिलों के बन्द होने के बारे में हमारी मद्रास विधान सभा में काफी विचार-विमर्श चल रहा था। इन मिलों के बन्द होने के कारण हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। श्रमिकों के हित में, जहाँ तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, उसने बिक्री-कर की वसूली स्थगित कर दी है, और उसने उसके लिये अ स्थगित-भुगतान आधार को मान लिया है और उसने इतना ही नहीं कई अन्य रियायतें दी हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने साँकेतिक रियायत तक नहीं दी। यदि वह इस संकट का निवारण करने के लिये 5 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दे देती, जैसा कि उसने वचन दिया था, तो श्रम सम्बन्धी कई समस्याएं हल हो सकती थीं।

श्रम के सम्बन्ध में, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। श्रम सम्बन्धी समस्याओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए—क्योंकि ये समस्याएं हमेशा ही शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या का रूप धारण कर लेते हैं। यदि सरकार के पास प्रबन्धकों को मध्यस्थ निर्णय मानने तथा सरकार की नीति के अनुसार चलाने के लिये बाध्य करने की शक्तियाँ प्राप्त न हों, तो राज्यों के लिये श्रम सम्बन्धी समस्याओं को हल करना बहुत कठिन होगा।

श्री बेदबत बरुआ (कलियाबोर) : देश में संघ राज्य-क्षेत्रों के विस्तार के पीछे समूचे देश में नौकरशाही का फैलाव हुआ है। जब संघ राज्य-क्षेत्र बनाये गये, तो ऐसी आशा थी कि यह एक अस्थायी पग है। लेकिन कुछ जन माँगों के नाम पर तथा अन्य कारणों से संघ राज्य-क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन राज्य-क्षेत्रों में खर्च बढ़ते जा रहे हैं।

अब मैं संघ राज्य-क्षेत्रों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। जहाँ तक संघ राज्य-क्षेत्रों का सम्बन्ध है हमें उनके सारे मामले की अच्छी तरह से जाँच करनी चाहिये। संघ राज्य-क्षेत्रों में नौकरशाही खूब पनप रही है। वहाँ का प्रशासनिक खर्च बहुत है। अतः हमें नई प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिये विचार करना चाहिये।

जहाँ तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है उनका तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक सरकार की आर्थिक नीति गैर-सरकारी उपक्रम प्रधान रहती है। सरकारी क्षेत्र के बारे में अनेक तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में क्या होता है। गैर-सरकरी उपक्रम एक रुपये किलो चीज खरीद कर उस पर अपना लेबल लगा देते हैं तथा उसे 6 रुपये किलो के हिसाब से बेच देते हैं। यदि गैर-सरकारी उपक्रम 600 प्रतिशत अधिक दाम पर भी चीज बेचे तो उसकी जाँच नहीं की जाती है। परन्तु सरकारी क्षेत्र पर कड़ी नजर रखी जाती है। सरकारी क्षेत्र लोगों के हित को ध्यान में रखता हुआ चीजों की कीमत निर्धारित करता है। इसलिये इससे अधिक मुनाफा कमाये जाने की आशा नहीं की जानी चाहिये। इसका यह मतलब नहीं कि सरकार को अपने कर्तव्य से च्युत हो जाना चाहिये। उसे अधिक उपयोगी और दक्ष बनाने का सरकार का कर्त्तव्य है। सरकारी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों की भली प्रकार से जाँच की जानी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में माँग के अनुसार क्षमता निर्धारित की जानी चाहिये। उदाहरण के तौर पर हम इस्पात उद्योग को लेते हैं। 1966 में रेलवे मंत्रालय ने इस्पात उद्योग की माँगों में 33 प्रतिशत कटौती कर दी थी। सारे देश को यह बताया जाता है कि हमारे देश में परिवहन की बहुत कठिनाइयाँ हैं तथा उनकी देखभाल रेलवे द्वारा की जाती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माँगों में 33 प्रतिशत कटौती करके देखभाल की जाती है।

इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी क्षेत्र पर अधिकाधिक संसदीय नियंत्रण होना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही साथ गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र पर भी संसदीय नियंत्रण होना चाहिये। उसके लागत ढोने की जाँच की जानी चाहिये।

हमारे यहाँ लेखा परीक्षा की व्यवस्था है। मेरा कहना यह है कि उनकी कड़ाई से लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए। जो कुछ प्रबन्धक कह दे केवल उसी को स्वीकार नहीं कर लिया जाना चाहिए। ऐसा नियंत्रण न केवल सरकारी क्षेत्रों पर बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्रों पर भी होना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्रों को भी विदेशी मुद्रा मिलती है। अतः इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि क्या वह उचित रूप से व्यय की जाती है।

ये अर्थ व्यवस्था की बुनियादी समस्यायें हैं। जब तक हम उन समस्याओं पर विचार नहीं करते हैं तब तक यह कहना गलत है कि हम सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं।

जन शक्ति का उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिये। यदि एक कारखाने में फालतू व्यक्ति हों तो उन्हें दूसरे कारखाने में उपयोग में लाया जाना चाहिये। तत्सम्बन्धी प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Sir, by looking at the supplementary Demands for grants it appears that there is extravagance on the part of the Government and there are many defects in the administration. It is so because the money is being asked for such things which are not necessary while it is not being asked for for very essential things. For example, twenty-seven lakh central Government employees in the country have been agitating for enhanced dearness allowance and need based wages. But we find that no mention has been made in regard to that here. The position today is that these twenty-seven lakh Central Government employees are going on strike which will be supported by forty lakh employees of State Government. But Government has not been able to find out any solution for that. Government is providing for money which is being spent on spiritual and moral education. May I ask the Government whether this education will be given to capitalists or to the labourers ? Today our country has been divided into two classes-capitalists and labourers. In this condition there are many problems which relate to socialism and spiritualism. In our country great religious teachers have tried to deceive the people from time to time by talking of rebirth, the other word and spiritualism. The need of the hour is that effort should be made to spread scientific knowledge.

We find that Government had given a contract to a private producer to prepare 3500 for long film. That producer prepared a lengthier film. A controversy arose over this matter and the same was referred to arbitration. The arbitrator gave a decision against the Government. There is a possibility that Government will have to pay four lakh rupees in this connection. So my submission is that Government can waste money like this but cannot meet the demands of the staff artists of All India Radio. I would like the Government to give us a clear cut answer as to, when the staff artists would be regularised and when their demands will be met ? Taking into account the importance of this department special attention should be paid over this issue.

My submission is that Government should not do such a work where unexpected expenditure is involved. Now we find that the term of Industrial Licensing Policy Committee is being extended. It should be made clear to us as to why that Committee could not finish its work in due time ?

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Sir, out of the demands made in the Supplementary Grant, I would like to say sometime about education. Just now the Hon. Lady Member had made a mention of Ramksrishna Vidyashala, Mysore where moral and spiritual education will be imparted. I understand that there is a great need to impart spiritual education to the people. I want that the study of religious books pertaining to various faiths, and sects should be encouraged. It is good that a sum of Rs. 2 lakhs is being provided for the payment of a grant-in-aid to this institution I am of the view that this amount should be enhanced. More money should be spent on moral and spiritual education. Our Broadcasting Minister is also sitting over here. He is a very spiritual minded man. So, I would appeal to him also that he should also do his duty in this connection. He should see to it that spiritual education is imported through A. I. R. also.

At the same time I would also like to say that unnecessary administrative expenditure should be put an end to. Economy should be effected in our expenditure on adminstration. Our Central Government employees want, taking into account the fact that the prices are so rising high, more dearness allowance—So it should be paid to them. Their demands should be considered sympathetically so that they could do their duty honestly. The Committee appointed to go into the question of salary and allowances for Members of Parliament has submitted its report. That report should be gone into and if it is felt that there is need for enhancement then they must do it and if it is not felt then I don't mind.

With there work I support the demands for supplementary grants.

श्री रमानी (कोयम्बटूर) : मैं श्रम मंत्रालय की माँगों के सम्बन्ध में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। हमारे देश में बड़े-बड़े समाचार-पत्र टाटा तथा बिड़ला आदि बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। जहाँ तक वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की कानूनी माँगों का सम्बन्ध है उनके पूरा करने की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय पर आते हैं। परन्तु वह इस सम्बन्ध में बिल्कुल असफल रहा है। समाचारपत्रों के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनके नेताओं तथा अन्य सदस्यों को जेल में फेंका जा रहा है। जबकि उनका केवल यही अपराध है कि वे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वित किये जाने की माँग करते हैं।

1965 में चीनी उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया गया था। दूसरा मजूरी बोर्ड कपड़ा कर्मचारियों के लिये स्थापित किया गया था। परन्तु अभी तक उनके द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्रम मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहा है। परन्तु अब वह मध्यस्थानीय बोर्ड पर धन व्यय करने के लिये अपनी माँग लेकर आ गया है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस मंत्रालय को अपनी मर्जी के अनुसार सरकारी धन व्यय करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मैं इस बात का विरोध करता हं कि उस मंत्रालय को और धन दिया जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, twenty-nine demands have been put forward for sanction. Out of these I would like to speak on five. First of all I will take demand No. 113. It is regarding Indian Drugs and Pharmacenticals Ltd. A sum of Rs.2.5 crores is being provided for giving loans to this company for meeting its working capital requirements. The company has come to this state of affairs because of inefficiency on the part of Government. Therefore I feel that not a single penny should be given to this company. The products of this company are not fit for human consumption. Hence no working capital could

be built up from the sale process of its products. The State Bank also does not give any loan to this company. I am therefore of the view that either an enquiry should be made into the affairs of this company or nothing should be sanctioned to it. I wanted to say more above it but as I have laid a statement in this connection on the floor of this House so I hope that the Hon. Member will go through that.

Now I will take demand No. 67 which is regarding Joint Consultative Machinery The statement of the Home Minister that the questions of need based minimum wages and the merger of dearness allowance in the basic pay was not arbitrable is contrary to the terms of the agreement providing for the machinery for joint consultation and arbitration. The Home Minister should apologise for making this sort of incorrect statement.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*;]

Now I will come to the Ministry of Tourism. There was a target of six lakh foreign tourists by the end of the Fourth Plan period but the arrivals from the European countries were likely to touch the figure of one lakh. My submission is that the information regarding the foreign Exchange earnings in respect of tourist arrival, from these countries should also be supplied to us. According to the information available with me at present there are unauthorised persons in the hotels where tourists stay who exchange foreign currency.

At the end I would say something about Industrial Licensing Policy Enquiry Committee. As the tenure of this Committee is being extended so more money is being asked for expenditure on this committee. We should b supplied information regarding the work of this Committee. It should also be made clear to us whether certain Ministers or officers. Who were friendly towards Birlas had stood in the way of the proper working of this Committee. All the facts regarding the progress of the working of the Committee should be brought before the House.

श्री चेंमलराया नायडू (चित्तूर) : हमने केवल तीन ही महीने पहले बजट पास किया था परन्तु अब सरकार फिर अनुपूरक माँग लेकर आ गई है। इससे पता चलता है कि बजट में कुछ त्रुटि है तथा योजना आयोग भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। उसमें सुधार किया जाना चाहिये ।

मैं तो यह समझता हूं कि हमारी सरकार कृषकों की सहायता करने के बजाय उनके मामले को खराब कर रही है। कुछ राज्यों में तो सरकार ने मूल्य कम कर दिये हैं जबकि अन्य राज्यों में बढ़ा दिये हैं। सरकार ने कुछ राज्यों में तो चावल के दाम 670 रुपये निर्धारित कर दिये हैं तथा कुछ राज्यों में 750 और 870 रुपये । इसके अलावा वह 1500 रुपये प्रति टन के हिसाब से आयात कर रही है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब सरकार आयात पर इतनी विदेशी मुद्रा व्यय कर रही है तो वह देश में कुछ दाम क्यों नहीं बढ़ा देती जिससे हमारे कृषकों को कुछ प्रोत्साहन मिल सके। हमारी सरकार 1971-72 तक अनाज के मामले में आत्म-निर्भर होना चाहती है परन्तु वह जिस नीति को अपना रही है उससे तो देश में अनाज के कम रहने की सम्भावना है यदि हम ऐसी नीति अपनाते रहेंगे तो किसानों को अधिक अनाज उगाने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ।

हम देख रहे हैं कि दक्षिण में सूखे की स्थिति है परन्तु हमारी सरकार किसानों की भली प्रकार सहायता नहीं कर रही है। हमारे उप-प्रधान मंत्री कहते हैं कि अपनी सहायता स्वयं करना सबसे अच्छी सहायता है परन्तु गरीब लोग अपनी सहायता आप कैसे कर सकते हैं जबकि

उनका सब कुछ करों के रूप में ले लिया जाता है । अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उपदेश देने के बजाय उसे कोई वास्तविक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये । सरकार को सूखाग्रस्त राज्यों को स्थायी रूप से सहायता देनी चाहिये। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा मद्रास के कुछ भागों में हमेशा सूखा पड़ता है। इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए ताकि वहाँ के किसानों की स्थायी तौर पर सहायता की जा सके।

श्री विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं पर्यटन मंत्रालय की माँगों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। ये माँगें यूरोपीय देशों के पर्यटकों को भारत में आकर्षित करने के लिये प्रचार करने निमित्त की गई है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि विदेश में प्रचार करने का क्या मतलब है ? यह बात तो बिल्कुल सच है कि भारत में विदेश पर्यटकों के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण में पर्यटक केन्द्रों की बहुत उपेक्षा की गई है। उदाहरण के तौर पर केरल में देश व विदेशों में प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र कोवालम के विकास के लिये सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। एक वर्ष पूर्व पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री, डा० कर्ण सिंह ने कवालम में होटल इंडिया का शिलान्यास रखा था परन्तु अभी तक उसका नमूना तक तैयार नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन कि उस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाये ।

सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों का उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता से बहुत कम हुआ है। बहुत से कारखानों में प्रतिष्ठापित क्षमता का 40 प्रतिशत उत्पादन हुआ है। हमारे देश में उर्वरकों की बहुत कमी है, इसीलिये हमें लाखों टन उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि उर्वरक कारखानों की कमियों की दूर किया जाये जिससे कारखानों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो।

सरकार डा० हजारी की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं कर रही है। इस सम्बन्ध में प्रो० ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी थी जिसकी कार्यावधि सरकार बढ़ाती जा रही है। मैं समझ नहीं सका कि इस समिति से क्या लाभ होगा। औद्योगिक लाइसेंस नीति के सम्बन्ध में योजना आयोग ने मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाये हैं और उन्हीं के अनुसार चौथी योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार की स्थायी समिति ने इन सिद्धान्तों की पुष्टि कर दी है। फिर बिरला, टाटा तथा अन्य बड़े-बड़े व्यापारियों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं। अतः इस समिति से कोई लाभ नहीं है।

फिर यह दावा भी झूठा है कि इस समिति का कार्य 31-1-1969 को पूरा हो जायेगा । इस समिति पर औसत खर्च एक लाख रुपये प्रति मास से कम नहीं है क्योंकि 30 जून 1968 तक 2.42 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी थी। अब 7 महीनों के लिये 9.42 लाख रुपये की । माँग की गई है। इसका अर्थ यह है कि समिति का काम 31 जनवरी 1969 को पूरा नहीं होगा । इससे सरकार द्वारा समिति का और समय बढ़ाने की सम्भावना है। अतः मेरे विचार में इस समिति से कोई लाभ नहीं है और इसे समाप्त कर देना चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। अतः मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनमें से जो सुझाव व्यवहार्य होंगे, निश्चय ही सरकार उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

जहाँ तक औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति समिति का सम्बन्ध है, सभी को यह पता है कि वर्ष 1965-66 में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के कार्य संचालन की छानबीन करने के लिये 22 जुलाई 1967 को समिति बनायी गयी थी। प्राथमिक व्यवस्था में विलम्ब के कारण तथा पिछले अध्यक्ष के त्याग पत्र के कारण समिति की कार्यवधि को 31 जनवरी 1969 तक बढ़ाया गया है। इसके कारण 9.42 लाख रुपये की और आवश्यकता है।

यह अवसर देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने का नहीं है। फिर भी मैं इतना बता देना चाहता हूं कि औद्योगिक उत्पादन में पहले से काफी सुधार हुआ है।

यह ठीक है कि सरकार ने मैसूर स्थित रामकृष्ण विद्यालय के लिये दो लाख रुपये का अनुदान दिया है। यह अनुदान एक संस्था की स्थापना के लिये दिया गया है। जिसमें भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा देने की व्यवस्था होगी।

जहाँ तक सरकारी उद्यमों के कार्य संचालन का सम्बन्ध है, उनके लाभ के बढ़ाने के लिये निरंतर ध्यान रखा जाता है और प्रबन्ध, कर्मचारियों, प्रयोजनाओं के प्रतिवेदनों की छानबीन आदि के लिये विशिष्ट व्यवस्था की गयी है। इसलिये सभा में प्रस्तुत माँगों की स्वीकृति दी जाय।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : माननीय सदस्य श्री मधुलिमये ने कहा था कि गृह कार्य मंत्री ने संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के बारे में गलतबयानी की थी। यह बात बिल्कुल गलत है। योजना के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का आवश्यकता पर आधारित-न्यूनतम मजूरी का प्रश्न किसी श्रेणी विशेष तक सीमित हो तो उस पर पंचनिर्णय हो सकता है अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : इस मंत्रालय के सम्बन्ध में दो अनुदानों की माँग है। एक तो पंचनिर्णय के लिये 4 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और दूसरा मलय भाषा में प्रसारण आरम्भ करने के लिये है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि पारेषण केन्द्र में भी वृद्धि होनी चाहिये और प्रसार काल भी बढ़ाते रहना चाहिये, परन्तु अनुदानों की माँग में कटौती होनी चाहिये। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? हमने हाल ही में मलय भाषा में प्रसारण करने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

जहाँ तक फिल्म के उत्पादन के सम्बन्ध में विवाद के बारे में पंच निर्णय का सम्बन्ध है, पंचनिर्णय सरकार के विरुद्ध था। पहला मध्यस्थ एक अधिकारी था और दूसरे पंजाब के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। दोनों ही पंच निर्णय सरकार के विरुद्ध थे। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि किसी मामले को पंचनिर्णय के लिये भेजने से निर्णय हमारे अनुकूल ही हो। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अब इस बात से सहमत होंगे कि इस खर्च की पहले से आशा नहीं की जा सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

THE CUT MOTIONS WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक माँग (सामान्य) मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृति हुई :

माँग संख्या	शीर्षक	माँग की राशि
		रुपये
8.	शिक्षा	2,00,000
26.	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	9 ',03,000
45.	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें	18,000
55.	नमक	4,97,000
56.	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	9,42,000
58.	प्रसारण	12,62,000
66.	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	25,00,000
67.	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
71.	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	26, 5,00
78.	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	50,000
113.	केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम	4,000

विनियोग (संख्या 3) विधेयक

APPROPRIATION (NO. 3) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये भारत की संचिति निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये भारत की संचिति निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं। अब मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 2, खण्ड 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

CLAUSE 2, CLAUSE 3 AND THE SCHEDULE WERE ADDED TO THE BILL

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

CLAUSE 1, THE ENACTING FORMULA AND THE TITLE WERE THEN ADDED TO THE BILL

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1965-66

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1968-69

वर्ष 1965-66 के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) प्रस्तुत की गयीं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
3.	उड्डयन	8,43,983
11.	रक्षा सेवाएं सक्रिय स्थल सेना	4 81,43,495
12.	रक्षा सेनाएं, सक्रिय-नौसेना	1,33,62,489
22.	आदिम जाति क्षेत्र	56,00,269
23.	विदेश मंत्रालय	10,25,075
26.	सीमा शुल्क	3,23,488
27.	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	14,34,746
29.	स्टाम्प	26,25,973
30.	लेखा-परीक्षा	96,871
35.	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	41,728
36.	अफीम	83,313
48.	स्वास्थ्य मंत्रालय	70,283
62.	लक्षद्वीप, मिनिकीय और अमीनदीवी द्वीप-समूह	1,77,076
69.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	35,318
70.	प्रसारण	43,37,829
72.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	3,829
82.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	17,487

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
83.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2),95,487
87.	भू-गर्भ सर्वेक्षण	34,43,028
91.	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	19,12,9:5
94.	परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,00,854
98.	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,15,844
103.	डाक और तार-कार्य चालन व्यय	1,40,20,083
115.	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,32,767
116.	सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,801
117.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	4,27,85,359
119.	विदेश मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	18,75,379

श्री एस० कन्डप्पन (मेटूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह धन राशि वर्ष 1965-66 में खर्च की गई थी और अब तीन वर्ष बाद सरकार संसद से अतिरिक्त खर्च को विनियमन करवाना चाहती है। ऐसी बात पहले यहाँ कभी नहीं हुई। यदि वित्त मंत्रालय हिसाब-किताब करने में गलती करता है तो क्या हम इस सरकार पर भरोसा कर सकते हैं और क्या हम उस बजट को पास कर दें जो ये हमारे पास लायें।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : रेलवे के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की चर्चा के दौरान भी यह प्रश्न उठाया गया था और उसमें अध्यक्ष के विनिणय का हवाला दिया गया था कि लोक लेखा समिति के हस्तक्षेप के बिना शीघ्र से शीघ्र ये माँग प्रस्तुत की जानी चाहिये। इस मामले में भी तीन वर्ष का विलम्ब हुआ है और अध्यक्ष के विनिणय की अवहेलना की गयी है। इतनी बड़ी अतिरिक्त धन राशि का खर्च होना हमारी समझ से बाहर है। सेना के सम्बन्ध में किये गये खर्च की छानबीन से पता चलता है कि वह खर्च अत्यावश्यक नहीं था। फिर ऐसी महत्व-पूर्ण चर्चा के समय वित्त मंत्री को स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : रेलवे के सम्बन्ध में अनुदानों की माँगों की चर्चा के दौरान भी अध्यक्ष के विनिणय का हवाला दिया गया था कि सरकार को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। फिर इस मामले में तो अतिरिक्त धनराशि-अत्यधिक है। यह एक गम्भीर मामला है। इसलिये मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मंत्री महोदय को आगे के लिए सावधान कर दें कि जैसे ही उन्हें अतिरिक्त का खर्च का पता चले, वह सभा में अतिरिक्त अनुदानों की माँगों को प्रस्तुत कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर चर्चा के दौरान श्री श्रीनिवास मिश्र तथा अन्य माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उन्होंने अध्यक्ष के विनिर्णय का हवाला दिया था और मैंने उस आपत्ति को सिद्धान्त रूप में उचित बताया था परन्तु मैंने माँगों पर मतदान की अनुमति दे दी थी। उसके बाद इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति शाखा से विचार-विमर्श किया गया था। उनके अनुसार रेलवे की अतिरिक्त अनुदानों की माँगें समय पर प्रस्तुत की गयी थीं। परन्तु सामान्य अतिरिक्त अनुदानों की माँगों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : जहाँ तक अतिरिक्त अनुदानों की माँगें प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है हम लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। वर्ष 1965-66 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की माँग इसी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की गयी हैं।

दूसरी बात यह है कि लोक लेखा समिति ने यह सिफारिश की है कि सभा को इन माँगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। लोक लेखा समिति ने अपनी बारहवें, तेरहवें तथा उन्नीसवें प्रतिवेदन में (चौथी लोक सभा) जो क्रमश: 12 दिसम्बर 1967, 14 फरवरी 1968 तथा 4 मार्च 1968 को प्रस्तुत की गयी थी सिफारिश की थी कि स्वीकृत अनुदानों से अधिक खर्च की गयी धनराशि को नियमानुकूल बनाने के लिये सभा उसकी स्वीकृति दे दे। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

सामान्य रूप से ये अतिरिक्त माँगें बजट सत्र में प्रस्तुत की जाती हैं परन्तु इस वर्ष केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजट से सम्बन्धित अधिक काम होने के कारण यह देरी हुई है। फिर हमें महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक से परामर्श करना था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि काम अधिक होने के कारण यह माँगें पिछले सत्र में प्रस्तुत नहीं की जा सकी अन्यथा उन्हें पिछले सत्र में ही प्रस्तुत किया जाना था। अब अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर चर्चा होगी। वर्ष 1968-69 के लिये अनुपूरक माँगों (सामान्य) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
3	1	श्री लोबो प्रभु	सरकार के अन्य विभागों को देय व्यय के सम्बन्ध में दो समीक्षाओं में किये गये गलत पूर्वानुमान की निन्दा करने के लिये।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
11	2	,,	अनुदान की समीक्षा न किये जाने के कारण लगभग 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की निन्दा करने के लिये।	,,
12	3	,,	दो अनुपूरक आय व्ययकों में, विशेषकर सीमा शुल्क के सम्बन्ध में, जिसकी वसूली में देरी होने के कारण से आय-व्ययक में आय के सम्बन्ध में गड़बड़ी होती है, गलत पूर्वानुमान के लगाये जाने की निन्दा करने के लिये।	,,
23	4	,,	भूटान तथा सिक्किम को भेजे गये असंतोष-जनक सामान की निन्दा करने के लिये।	,,

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
70	5	श्री लोबो प्रभु	43 लाख रुपये के भारी अतिरिक्त व्यय, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, निन्दा करने के लिये।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये
91	6	,,	1964-65 में आरम्भ किये गये निर्माण-कार्यों के लेखों में समायोजन में ऐसे बिलम्ब, जिसका कारण न बताया जा सके निन्दा करने के लिये।	,,
103	7	,,	आकस्मिकताओं पर 66.24 लाख रुपये के व्यय की, जो कि कुछ समय के लिये टाला जा सकता था, विशेष रूप से निन्दा करने के लिये।	,,

Shri Chand Goyal : In these excess grants, there are certain amounts which relate to the payment of dearness allowance to Central Governments employees in 1965. I feel that this is a reasonable expenditure because their demands for dearness allowance was long over due. I would like the Government to learn a lesson so that such a situation does not arise.

Is so far as the question of excess expenditure incurred on aviation is concerned. I think Government could easily anticipate this expenditure for which provisions could be made easier is the relevant budget. After all this expenditure relates to water, electricity and conservancy charges. Government must have some control in such cases otherwise there would be great difficulty.

Similarly excess expenditure incurred on manufacturing and research could be anticipated. A sum of Rs.43 lakhs has been incurred for this purpose. Had this expenditure been incurred to face any situation arising out of aggression, I would have no objection. So far the defence of the country is concerned, sufficient attention is not being paid to it. We should manufacture new weapons keeping in view the recent decision of Russia regarding supply of arms to Pakistan. We should also manufacture atom bomb. The question of emergency Commissioned officers is still outstanding. Government should pay sufficient attention towards their problems.

There is a Grant No. 22, in which excess expenditure has been incurred for tribal areas. I would like the Government to pay attention to the necessities of life of tribal people living in Lahaul and Spiti.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय समय बचाने के लिये मैं कुछ सामान्य आपत्तियाँ इस सम्बन्ध में उठाता हूं। सबसे पहले मैं जानता चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे कि उन अधिकारियों को दण्ड दिया जा सके जो वर्ष के

अन्तर्गत बजट के अनुसार समायोजन करने में असफल रहते हैं ? यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो यह कहना पड़ेगा कि बजट एक पृथक चीज है और उसको क्रियान्वित करना एक अलग बात है। बजट में की गई व्यवस्था से अधिक धन व्यय करना सरकार को शोभा नहीं देता।

उड्डयन विभाग के बारे में जो 8 लाख रुपये की माँग की गई है वे अत्यावश्यक नहीं है। बिजली, पानी तथा केन्द्रीय लोक सेवा विभाग द्वारा किये गये मरम्मत के कामों के बारे में पहले से अनुमान लगाया जाना चाहिए था। इसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय से स्पष्टीकरण माँगा जाना चाहिए। जिस व्यय को रोका जा सकता है अथवा जिसका वर्ष के अन्तर्गत समायोजन किया जा सकता है उसके बारे में वित्त मत्रालय को नम्र नीति नहीं अपनानी चाहिए।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये 4.81 करोड़ रुपये के अनुदान इस लिए पास नहीं किये जाते हैं कि हमें किसी युद्ध का खतरा है अथवा उसकी तैयारी की जा रही है। वास्तव में 4 करोड़ रुपये आयुद्ध कारखानों के लिए हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको आवश्यकता से अधिक वस्तुयें सप्लाई की जा रही हैं। 1 लाख रुपये सैनिक फार्मों के लिए हैं। इससे यह पता लगता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने व्यय करने में बहुत सावधानी से काम नहीं लिया है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की माँगों की भी निन्दा की जानी चाहिए। ये माँगें भूटान तथा सिक्किम के बारे में गत चार से पाँच वर्षों में किये गये व्यय के बारे में है।

जहाँ तक सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का सम्बन्ध है उसमें ऐसे भेद हैं जो अत्यावश्यक नहीं है। महंगाई भत्ता तथा भण्डार के ऐसे मामले हैं जिनका मंत्रालय को विनियोजन सम्बन्धी वक्तव्य देते समय पता था। आयात का कोई प्रश्न नहीं है।

जहाँ तक संचार मंत्रालय का सम्बन्ध है वर्ष के अन्त तक राष्ट्रीय राजपथों के रख-रखाव के लिए 24 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। उसके लिए कहा यह गया है कि बाढ़ के कारण दिल्ली, बिहार और मैसूर में ऐसा हुआ है मंत्रालय के पास वर्ष के समाप्त होने से पूर्व माँगों की मंजूरी लेने के लिए पर्याप्त समय था। इस पद का अर्थ है कि परिवहन मंत्रालय वित्त मंत्रालय के बजट का परवाह नहीं करता।

डाक तथा तार विभाग के लिए 1.4 करोड़ की माँग की गई है यह एक बड़ी राशि है। आकस्मिक व्यय में 66.24 लाख रुपये अ तर्ग्रस्त हैं। यह ऐसा व्यय है जो सदा सन्देहप्रद होता है ! अत: वित्त मंत्रालय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। छपाई, लेखन-सामग्री छोटे तथा अन्य कार्य ऐसे मद हैं जिन पर अतिरिक्त खर्च नहीं किया जाना चाहिए और इनका समायोजन वर्ष में ही हो जाना चाहिए।

इसलिए मैं कहता हूं कि वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ उदारता से व्यवहार करता रहा है। यह उनके सम्बन्धों के लिये तो अच्छा हो सकता है परन्तु देश के हित में अच्छा नहीं है आशा है कि भविष्य में वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों पर अधिक नियंत्रण रखेगा।

श्री रमानी (कोयम्बतूर) मैं वाणिज्य मंत्रालय की अतिरिक्त माँगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह मंत्रालय बहुत असंतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

हाल ही में घाटे में जाने वाली कपड़ा मिलों को हाथ में लेने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक विशेष कानून पेश किया गया तथा पास कराया गया है। परन्तु ऐसी किसी भी मिल

को हाथ में नहीं लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि वह यह नहीं देख रहे हैं कि कपड़ा मिलों में क्या हो रहा है।

कुछ दिन पूर्व मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में ऐसी 52 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं। यह आँकड़े गलत हैं क्योंकि मेरे अपने जिले कोयम्बटूर में 29 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं और अधिक मिलें बन्द होने वाली हैं क्योंकि मालिकों ने इसको बन्द करने की नोटिश दे दिये हैं। सरकार ने मद्रास सरकार को विश्वास भी दिलाया था कि वह सूत खरीदने तथा बफर स्टाक बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगी जिससे कि मजदूरों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर चर्चा का विस्तार बहुत सीमित है। माननीय सदस्यों को सम्बन्धित मामले ही उठाने चाहिए और केवल अतिरिक्त अनुदानों की माँगों का ही उल्लेख करना चाहिए।

श्री रमानी : ऐसे वचनों को पूरा नहीं किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के काम करने का ढंग स्वीकार्य नहीं है और यदि इस मंत्रालय को व्यय करने के लिए अधिक धन दे दिया गया है तो इससे कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः मैं इन माँगों का विरोध करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : According to an agreement between India and Nepal goods manufactured from indigeneous raw material in Nepal are allowed in India and no custom duty is imposed on them. It means that goods manufactured in Nepal from foreign raw materials are not exempted from custom duty. But the Finance Ministry in collusion with the Commerce Ministry has issued on notification made while goods manufactured Viratnagar from Japanese and Germany raw materials are not taxed. The Government of India is suffering Rs.8 lakhs as a result thereof. It appears that this notification has been got issued by some capitalists in collusion with the officials of the Commerce Ministry. I also wrote a letter to the Prime Minister in this regard. The Hon. Minister should clarify the position.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : वर्ष 1965-66 के कुल 154 अनुदानों में से केवल 31 मामलों में अतिरिक्त व्यय हुआ है। अतिरिक्त व्यय 16.55 करोड़ रुपये के हैं। इस प्रकार अतिरिक्त व्यय केवल 0.14 प्रतिशत है।

लेखे में समायोजन विलम्ब से होने के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ है तथा सुरक्षा संचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं अथवा बाढ़, सूखे इत्यादि के मामले में अविलम्बीय व्यय के कारण भी अतिरिक्त व्यय हुआ है। आवश्यकताओं का अनुमान कम लगाये जाने का भी एक कारण है। पेंशन आदि के मामलों में ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

सरकार द्वारा बजट व्यवस्था तथा वित्तीय नियंत्रण के समूचे प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया गया है और इस प्रश्न को विभिन्न अवसरों पर सभा के सामने भी लाया गया है। कुछ पूर्व सरकार ने नियंत्रक तथा महालेख परीक्षक से परामर्श किया था और प्रशासनिक मंत्रालयों तथा अधीनस्थ संगठनों को वित्तीय शक्तियाँ देने का निर्णय किया था जिससे कि विकास के कार्यों को तेजी से क्रियान्वित किया जा सके। इनका पुनर्विलोकन किया गया है और प्राप्त अनुभव के आधार पर नये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। वित्त मंत्रालय समय समय पर अन्य

मंत्रालयों पर अतिरिक्त व्यय न करने के लिए जोर देता रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि अतिरिक्त व्यय कम से कम हो प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। परन्तु मैं कहूंगा कि अतिरिक्त व्यय को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे यहाँ किताबों में विलम्ब से समायोजन करने की प्रणाली है।

श्री लोबो प्रभु द्वारा आकस्मिक मद का उल्लेख किया गया है। इस मद में अनेक मद शामिल होते हैं और ये मद स्थायी स्वरूप के होते हैं और इनका नियंत्रण सन्देहप्रद नहीं होता। भुगतान भी इन मदों का अगले वर्ष तक रोका नहीं जा सकता। क्योंकि सरकार द्वारा सामान्य तौर पर भुगतान की जाने वाली मद को रोका नहीं जाता और कि इसका लेखा अगले वर्ष में नहीं दिखाया जा सकता।

जहाँ तक प्रतिरक्षा सेवाओं का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि इसी वर्ष पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और विभिन्न कदम उठाना आवश्यक हो गया था। अतिरिक्त व्यय केवल 4.81 करोड़ रुपये हैं जो कि स्वीकृत अनुदान का कुल 0 8 प्रतिशत है। अपेक्षा से अधिक सप्लाई के कारण ही यह अतिरिक्त व्यय हुआ है।

प्रतिरक्षा के सीमा शुल्क में केवल 51 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है। शेष अन्य प्रयोजनों के लिए है। यह अतिरिक्त व्यय का एक मामूली भाग है नियंत्रक तथा महानिदेशक ने और वित्त मंत्रालय ने विभिन्न महालेखापालों तथा सीमाशुल्कों के समाहर्ताओं को इन शुल्कों के बारे में उचित निर्धारण करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रसारण विभाग में वर्ष के अन्त में अनेक अप्रत्याशित मदों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था। इन मदों में महंगाई भत्ता तथा पाकिस्तानी आक्रमण के कारण प्रसारण अवधि में वृद्धि सम्बन्धी व्यय को शामिल किया गया है। पारेषण घंटों में वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत सप्लाई पर भी अधिक व्यय करना पड़ा है। पाकिस्तान के युद्ध के फलस्वरूप सुरक्षा उपायों के कार्यों पर भी अतिरिक्त यय करना पड़ा।

श्री गोयल ने भारत में हथियारों के निर्माण की आवश्यकता का उल्लेख किया है। इस बारे में जहाँ तक सम्भव हो हमें आत्म-निर्भर होना है तथा अपने पाँव पर खड़ा होना है। यदि माननीय सदस्य गत कुछ वर्षों में इस सम्बन्ध में हुई प्रगति को देखें तो उन्हें संतोष होगा। देश में टैंक, अनेक हथियार, कुछ प्रकार के विमान तथा शीघ्र ही हम 'मिग' जैसे नवीनतम विमानों का भी निर्माण आरम्भ कर देंगे। हथियारों के मामले में देश 1962 की अपेक्षा अब बहुत आगे है।

जहाँ तक लाहौल और स्पीति में रहने वाले आदिवासियों का सम्बन्ध है सरकार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक है और सरकार उनको हर प्रकार से राष्ट्रीय जीवन में सम्मिलित करना चाहती है।

इस बात के बावजूद कि यह चर्चा केवल अतिरिक्त अनुदानों सम्बन्धी माँगों तक सीमित है श्री मधुलिमये ने नेपाल में निर्मित वस्तुओं के भारत में निःशुल्क प्रवेश का प्रश्न उठाया है। यह एक नाजुक मामला है और इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी है। नेपाल एक अल्प-विकसित देश है और यदि नेपाल आयातित कच्चेमाल से कुछ वस्तुओं का निर्माण करता है

तो हमें उसके मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हम भी अनेक क्षेत्रों में आयातित कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मामले के कुछ पहलुओं पर नेपाल सरकार से विचार-विमर्श किया जायेगा।

श्री लोबो प्रभु : समय पर समायोजन न करने के लिए दोषी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ? क्या समय पर कार्यवाही न करने के लिये किसी अधिकारी को दण्ड दिया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : माननीय सदस्य एक अनुभवी प्रशासक हैं और वह जानते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों की माँगे (सामान्य) 1965-66 मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

THE FOLLOWING DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1965-66 WERE PUT AND ADOPTED

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
3	उड्डयन	8,43,983
11	रक्षा सेवाएं सक्रिय स्थल सेना	4,81,43,495
12	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-नौसेन	1,33,62,489
22	आदिम जाति क्षेत्र	56,09,269
23	विदेश मंत्रालय	10,25,075
26	सीमा शुल्क	3,23,488
27	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	14,34,746
29	स्टाम्प	26,25,973
30	लेखा-परीक्षा	96,871
35	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	41,728
36	अफ़ीम	83,313
48	स्वास्थ्य मंत्रालय	70,283
62	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप-समूह	1,77,076
69	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	35,318
70	प्रसारण	43,37,829
72	सिचाई और बिजली मंत्रालय	3,829
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	17,487

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
83	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	20,95,437
87	भू-गर्भ सर्वेक्षण	34,43,0 8
91	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	19,12,9 .5
94	परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,00,8 4
98	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,1 ,844
103	डाक और तार-कार्य चालन व्यय	1,40,20,088
115	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,32,767
116	सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,801
117	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	4,27,85,3 9
119	विदेश मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	18,75,379

विनियोग (संख्या 4) विधेयक
APPROPRIATION (NO. 4) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय;"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च 1966 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि 31 मार्च, 196 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSES, 1, 2, 3, THE SCHEDULE, THE ENACTING FORMULA AND THE TITLE WERE ADDED TO THE BILL

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक माँगे (उत्तर प्रदेश) 1968-69

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (UTTAR PRADESH) 1968-69

वर्ष 1968-69 के **लिये उत्तर प्रदेश** के लिये अनुदानों की निम्नलिखित **अनुपूरक माँगें** प्रस्तुत की गई :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि रु०
9	निर्वाचन	56,11,000
10	सामान्य प्रशासन	9,900
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	22,87,400
14	कारागार	74,600
15	पुलिस	26,55,900

माँग संख्या	शीर्षक	राशि रु०
17	वैज्ञानिक शोध और साँस्कृतिक कार्य	1,37,400
18	शिक्षा	1,800
19	चिकित्सा	15,22,300
21	कृषि संबंधी विकास	500
23	पशुपालन और मत्स्य पालन	400
24	सहकारिता	12,00,000
25	उद्योग	8,90,000
26	नियोजन और समन्वय	100
28	सूचना निदेशालय	3,000
29	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों	300
31	राजस्व से किये जाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य	6,02,300
32	सिंचाई अधिष्ठान	26,00,000
33	सार्वजनिक निर्माण-कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं	2,45,59,300
36	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान	14,000
44	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	1,15,700

उपाध्यक्ष महोदय : अब उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में वर्ष 1968-69 के बजट के बारे में अनुदानों की अनुपूरक माँग पर चर्चा की जायेगी। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे वह उन्हें प्रस्तुत करें :

वर्ष 1968-69 की उत्तर प्रदेश के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपये
15	1	श्री सत्यनारायण सिंह	राज्य में पुलिस बल पर बढ़ता हुआ व्यय	100
15	2	,,	अपराधी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्य-वाही करने में असफलता।	100
15	3	,,	वाराणसी में जबकि वहाँ भारत के साम्य-वादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा 7 जुलाई 1968 को प्रदर्शन आयोजित किया गया था, उस समय पुलिस कर्मचारियों की समाज विरोधी तत्वों के साथ साँठ-गाँठ	100

1	2	3	4	5
15	4	श्री सत्यनारायण सिंह	सम्पूर्ण राज्य में पुलिस द्वारा बढ़ता हुआ दमन	100
15	5	,,	पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, भाई भतीज - वाद, नौकरशाही तथा अपराध करने की प्रवृत्ति।	100
15	6	,,	औद्योगिक विवादों में नियोजकों के पक्ष में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप	100
15	7	,,	राज्य में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी।	100
15	8	,,	राज्य में साम्प्रदायिक तत्वों को पुलिस कर्मचारियों द्वारा दिया गया प्रोत्साहन।	100
15	9	,,	हरिद्वार में महेश योगी की गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखने में असफलता।	100
15	10	,,	मोदी नगर में कर्मचारियों तथा कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामले वापस लेने में असफलता।	100
15	11	,,	बहराइच में कृषकों तथा कृषि मजदूरों का पुलिस द्वारा दमन	100
18	12	,,	सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को वही वेतनमान दिये जाने की आवश्यकता जो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दिये जाते हैं।	100
19	13	,,	सरकारी अस्पतालों में दाखिल किये गये मरीजों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार।	100
19	14	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने में असफलता।	100
19	15	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें देने में असफलता।	100
19	16	,,	सम्पूर्ण राज्य में अस्पतालों में दवाइयों का प्रबन्ध न किया जाना।	100
19	17	,,	सरकारी अस्पतालों में अस्पताल के अधिकारियों द्वारा दवाइयां बेचा जाना।	100

1	2	3	4	5
19	18	श्री सत्यनारायण सिंह	सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा रोगियों को बाजार से दवाइयाँ खरीदने को कहा जाना।	100
19	19	,,	सरकारी अस्पतालों में दाखिल किये गये मरीजों को दिया जाने वाला भोजन अस्वाद्य तथा अपर्याप्त होना।	100
19	20	,,	सरकारी अस्पतालों में अस्पतालों के अधिकारियों द्वारा किया जाने वाल पक्षपात।	100
21	21	,,	गरीब किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों में भूमि वितरित करने में असफलता।	100
21	22	,,	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में नलकूप के निर्माण के लिए अपर्याप्त सुविधायें।	100
21	23	,,	गरीब किसानों को ऋण सुविधाओं की कमी	100
21	24	,,	कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन	100
21	25	,,	किसानों को सस्ते मूल्यों पर उर्वरको देने में असफलता।	100
21	26	,,	गन्ने के उत्पादन में सुधार करने हेतु उपाय करने में असफलता।	100
21	27	,,	जनता को बार-बार दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी भू-राजस्व समाप्त करने में असफलता।	100
25	28	,,	पूर्वी उत्तर प्रदेश में नये उद्योग स्थापित करने में असफलता	100
25	29	,,	सरकार द्वारा किसी प्रोत्साहन का अभाव।	100
25	30	,,	नियंत्रित दरों पर धागा न मिलने और ऋण सुविधाओं के अभाव में भारी संख्या में हथकरघों का बन्द होना	100
25	31	,,	राज्य में कृषि पर आधारित कोई उद्योग न होना	100
25	32	,,	छोटे पैमाने के उद्योगों की वित्त संबंधी कठिनाइयाँ	100

1	2	3	4	5
				रुपये
49	33	श्री सत्यनारायण सिंह	जिला वाराणसी में बाबतपुर चौमुहानी से अगई तक सड़क बनाने में असफलता।	100
49	34	,,	जिला वाराणसी में कचेहरी से सिंघोड़ा तक सड़क बनाने में असफलता।	100
49	35	,,	जिला वाराणसी में फूलपुर से चोलापुर तक सड़क बनाने में असफलता।	100
49	36	,,	जिला वाराणसी में पंचकोसी सड़क बनाने में असफलता।	100
49	37	,,	जिला वाराणसी में बामानी से काठीखाँ तक सड़क बनाने में असफलता।	100
49	38	,,	जिला वाराणसी में कुबार से रामपुर तक सड़क बनाने में असफलता	100
49	39	,,	जिला वाराणसी में बाबतपुर से रामेश्वर तक सड़क बनाने में असफलता।	100
15	42	श्री सरजू पाण्डेय	राज्य में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में सरकार की असफलता	100
15	43	,,	राज्य के नौकरशाही प्रशासन द्वारा गोली चलाया जाना	100
15	44	,,	विधि व्यवस्था की स्थिति में गिरावट	100
18	45	,,	माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन करने की आवश्यकता।	100
19	46	,,	उत्तर प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों का कार्य	100
25	47	,,	पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	100
29	48	,,	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों की समस्याएं	100
32	49	,,	उत्तर प्रदेश में समुचित लघु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता	100
32	50	,,	सिंचाई के कार्यों के लिए बिजली की दरों को कम करने की आवश्यकता	100

1	2	3	4	5
				रुपये
15	51	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अप्रैल 1968 में नई दिल्ली में मनाये गये राष्ट्रीय अपराध निवारण सप्ताह द्वारा स्वीकृति योजनाओं को क्रियान्वित करने में असफलता	100
15	52	,,	राज्य में आग बुझाने की सेवाओं का विस्तार करने में असफलता।	100
15	53	,,	अपराधी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता।	100
15	54	,,	राज्य में पुलिस पर बढ़ते हुए व्यय को रोकने में असफलता	100
15	55	,,	पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता	100
15	56	,,	राज्य में समाज विरोधी और साम्प्रदायिक तत्वों का दमन करने में असफलता।	100
15	57	,,	राज्य में उच्चपुलिस अधिकारियों की संख्या को कम करने में असफलता	100
15	58	,,	राज्य में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में असफलता।	100
15	56	,,	राज्य में उठाईगिरी और डाकेजनी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता	100
15	60	,,	राज्य में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता।	100
15	61	,,	कार्यकुशल और कठोर परिश्रम करने वाले पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने में असफलता।	100
15	62	,,	राज्य में, विशेषकर मेरठ, इलाहाबाद और गोरखपुर में, विधि तथा व्यवस्था का असफलता।	100
15	63	,,	राज्य में अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता	100
15	64	,,	पुलिस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता	100

1	2	3	4	5
				रुपये
15	65	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	राज्य में निरीह जनता पर पुलिस द्वारा गोलाबारी।	100
15	66	,,	राज्य में, विशेषकर देवरिया और गोरखपुर क्षेत्रों में, डाकुओं ने गिरोहों को समाप्त करने में असफलता।	100
15	67	,,	हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेले के लिए उचित व्यवस्था करने में असफलता	100
15	68	,,	अवैध गोलाबारूद और अन्य हथियारों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाये गये विशेष आन्दोलन का असफलता।	100
15	69	,,	पुलिस फोर्स और थानों में नवीनतम उपकरणों, जैसे कि टेलीफोन, मोटरगाड़ियाँ, एफ० जी० बी० आदि की व्यवस्था करने में असफलता	100
15	70	,,	राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 19 जुलाई 1968 को बुलाये गये सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता।	100
15	71	,,	गोरखपुर में चीफ फायर आफिसर के पद का निर्माण करने में असफलता।	100
18	72	,,	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को पिछले छः महीने से वेतन न देना	100
18	73	,,	विश्वविद्यालय अध्यापकों को महंगाई भत्ता न देना	100
18	74	,,	विश्वविद्यालयों के गैर अध्यापक कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते की दरों में 1947 से संशोधन करना	100
18	75	,,	वाराणस्य संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के शिक्षकों के वेतन भत्ते में 1947 से संशोधन न करना	100

1	2	3	4	5
				रुपये
18	76	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों के वेतन आदि का 1952 से संशोधन न करना	100
18	77	,,	एल० टी० और सी० टी० इन० सर्विस कन्डेन्मड् ट्रेनिंग कोर्सों की व्यवस्था करने में असफलता।	100
18	78	,,	विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तक देने के संबंध में कोई व्यवस्था करने में असफलता	100
18	79	,,	कालेजों में दाखिले में, विशेषकर विज्ञान पाठ्यक्रम में, पक्षपात का बरता जाना	100
18	80	,,	गोरखपुर में कृषक शिक्षा अग्रिम परियोजनायें चलाने में असफलता	100
18	81	,,	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में शिक्षा को पूरी तरह लोकप्रिय बनाने में असफलता।	100
18	82	,,	आगे अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों की माँगों को पूरा करने के लिये राज्य में और स्कूलों तथा कालेजों का न खोलना।	100
18	83	,,	राज्य में और चिकित्सा, कृषि और इंजीनियरी कालेज खोलने की आवश्यकता।	100
18	84	,,	राज्य में स्कूलों और कालेजों में खेलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।	100
18	85	,,	स्कूलों और कालेजों में एन० सी० सी० को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता।	100
33	86	,,	राज्य में रेलवे फाटकों पर ऊपर के नीचे के पुलों तक पहुंचने वाला सड़कों के निर्माण में असफलता	100
33	87	,,	राज्य में चौकीदार वाले फाटकों को उच्च स्तर के बनाने में असफलता।	100
33	88	,,	उत्तर प्रदेश में संचार व्यवस्था को बनाये रखने के लिए वार्षिक औसत आवंटन की दर को संशोधित करने में असफलता	100

1	2	3	4	5
				रुपये
33	89	महन्त दिग्विजय नाथ	गोरखपुर से आजमगढ़, इलाहाबाद तक बस की सड़क की उचित मरम्मत न कराते रहना चूंकि वह वर्षा में पानी में डूब गई।	100
33	90	,,	टोंस नदी पर उपरी-पुल का निर्माण न करना	100
33	91	,,	गोरखपुर में फलों के परीक्षण और डिब्बों में बन्द कराने की संस्था का विस्तार करने की आवश्यकता।	100
33	92	,,	गोरखपुर में और उर्वरक गोदाम बनाने की आवश्यकता।	100
33	93	,,	गोरखपुर को देश के पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों से मिलाने की आवश्यकता।	100
33	94	,,	राष्ट्रीय राजपथों द्वारा गोरखपुर को देश के सभी महत्वपूर्ण नगरों से मिलाने की आवश्यकता।	100
33	95	,,	गोरखपुर नगर में सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता	100
33	96	,,	गोरखपुर में और बाल-उद्यान बनाने की आवश्यकता।	100
19	119	,,	राज्य में विशेष कर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और अधिक अस्पताल खोलने की आवश्यकता।	100
19	120	,,	राज्य के वर्तमान अस्पतालों में शय्याओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	100
19	121	,,	राज्य के सभी अस्पतालों में सभी प्रकार के नवीनतम उपकरणों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100
19	122	,,	मलेरिया के उन्मूलन के लिए पूरी तरह कार्यवाही न करने में सरकार की असफलता	100
19	123	,,	राज्य में सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में रोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार	100
19	124	,,	राज्य में और विशेषकर गोरखपुर में और अधिक मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता	100

1	2	3	4	5
				रुपये
19	125	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के गाँवों में जन-स्वास्थ्य सुधारने के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।	100
19	126	,,	राज्य के गाँवों में महिला रोगियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव ।	100
19	127	,,	अस्पतालों में औषधियों की सप्लाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करना	100
19	128	,,	अस्पतालों से दवाओं की बिक्री तथा चोरी को रोकने के लिए विशेष दस्ते नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100
19	129	,,	सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों का रोगियों के प्रति अभद्र व्यवहार ।	100
19	130	,,	अन्य राज्यों के चिकित्सकों को उत्तर प्रदेश में आने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100
21	131	,,	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और विशेषकर गोरखपुर में सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने में सरकार की असफलता ।	100
21	132	,,	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और विशेषकर गोरखपुर में नल-कूपों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने में सरकार की असफलता ।	100
21	133	,,	किसानों के लिए मिश्री बिनौलों की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता ।	100
21	134	,,	किसानों को उत्तम बीज देने की आवश्यकता	100
21	135	,,	किसानों को गन्ना उगाने के लिए गन्ने की उत्तम बीज देने कीआवश्यकता	100
21	136	,,	बेकार भूमि को भूमिहीन और गरीब किसानों को बाँटने की आवश्यकता ।	100
21	137	,,	किसानों को ऋण सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100

2	3		4	5
				रुपये
21	138	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	किसानों को पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ती दरों पर उर्वरक सप्लाई करने में सरकार की असफलता ।	100
21	139	,,	किसानों को साहूकारों के ऋण से बचाने की आवश्यकता ।	100
21	140	,,	उत्तर प्रदेश में विशेषकर राज्य के पूर्वी जिलों में कृषि-भूमि को भूमि के कटाव से बचाने की आवश्यकता	100
21	141	,,	सरकार द्वारा किसानों की उपज को उचित दरों पर खरीदने की आवश्यकता ।	100
21	142	,,	किसानों के लिए स्वस्थ बैलों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
15	97	श्री ओमप्रकाश त्यागी	राज्य में पुलिस की ज्यादतियाँ तथा अत्याचार ।	100
15	98	,,	राज्य में कानून और व्यवस्था कायम रखने में असफलता ।	100
15	99	,,	पुलिस की भर्ती में हरिजनों की उपेक्षा।	100
18	100	,,	शिक्षकों को पर्याप्त वेतन देने में असफलता	100
18	101	,,	छात्रों पर पुनः अंग्रेजी थोपना	100
18	102	,,	हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का अभाव	100
18	103	,,	शिक्षा में भारतीय संस्कृति का अभाव।	100
18	104	,,	शिक्षा में भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास के प्रति बरती गई लापरवाही	100
19	105	,,	अस्पतालों में डाक्टरों की अपर्याप्त संख्या	100
23	106	,,	गोवंश की नस्ल सुधारने की ओर ध्यान न देना ।	100
23	107	,,	गोरक्षा में असफलता ।	100
29	108	,,	हरिजनों और अन्य पिछड़ी हुई जातियों की दशा सुधारने में असफलता ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
15	144	श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	राजनैतिक दलों के दबाव में आकर सरकारी अधिकारियों के तबादले ।	100
15	145	,,	संविद सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को राजनीतिक प्रयोजनों से उलटना	100
15	146	,,	दल विशेष को राज्य के आगामी निर्वाचनों में लाभ पहुंचाने के लिए किये गये सरकारी अधिकारियों के तबादले ।	100
18	147	,,	संस्कृत के प्रधान निरीक्षक का स्वतन्त्र दर्जा बनाये रखने की आवश्यकता ।	100
18	148	,,	शिक्षकों के वेतन सम्बन्धी माँगों पर ध्यान देने की आवश्यकता ।	100
18	149	,,	इण्टरमीडिएट में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाना ।	100
21	150	,,	बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करने में असफलता ।	100
21	151	,,	बाढ़ से फसलों को बचाने में असफलता ।	100
21	152	,,	पूर्वी यमुना नहर में पानी की कमी को दूर करने में असफलता ।	100
21	153	,,	चकबन्दी के बाद तबदील हुए चकों की स्थिति के कारण किसानों को सही ढंग से पानी न मिलना	100
21	154	,,	किसानों के नलकूपों पर बिजली शुल्क के अतिरिक्त स्थायी टैरिफ का बोझ डालना ।	100
21	155	,,	किसानों को नलकूपों के लिए स्वीकृति देने के वर्षों पश्चात भी बिजली कनेक्शन न देना	100
21	156	,,	बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में असफलता ।	100

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : After the independence Uttar Pradesh has been neglected, Government has not fulfilled its duty towards that state.

It is unfortunate that the ruling Party in the State concentrated its efforts in the cities only and neglected the villages. Schools, Colleges, Medical Colleges and Factories have been opened and are being opened in the cities only. Villages have been neglected in all these respects. Vide disparity has arisen between cities and villages. Young literate persons of the villages are coming to cities.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

The Government of Uttar Pradesh has committed basic mistakes in her plans and therefore is not entitled for these grants.

Economic condition of the State has deteriorated in all these years. Whereas the her capita income in all the States has increased by 38 percent between 1950-51 to 1966-67 the percapita income in Uttar Pradesh has declined by 10 percent. 1960-61 per capita income in Uttar Pradesh has increased only by 3 percent whereas in other States it has increased by 14 percent. It is due to the fact that the Central Government has neglected the Uttar Pradesh. On the other hand the party also rules the State for the past twenty years had not demanded their share of central assistance from the Central Government. So both the State as well as Central Governmentt are responsible for the present day backwardness of the Uttar Pradesh.

Law and Order situation has worsened in Uttar Pradesh inspite of the fact that the number of policemen has been increased. Crimes as well as police atrocities are on the increase. In fact there is a police rule in whole of the Uttar Pradesh. Police also fail to control the communal riots in the State.

So far as the question of Hospitals is concerned I would like to mention that there is no doctor in the Hospital located in Bijohi, district Moradabad. Hospitals are in a pitiable condition in Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh has also been neglected in so far as irrigation facilities are concerned. About two to three thousand pumping sets were installed during the United Front Government but they are not working as Electric connections have not been given to them.

Favouratism is going on in regard to education in Uttar Pradesh. Some members refused to take oath in Hindi in Varanasi corporation. The rules were then changed and the oath was administred by the District Magistrate.

I oppose the demands as the Government has failed to do its duty.

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे संक्षेप में अपनी बात करें।

Shri Satya Narain Sinha (Darbangha) : Even after twenty years of independence, Uttar Prdesh is as backward as before. It is because the people of Uttar Pradesh have not been taken the narrow view of the problems.

Attention has not been paid towards the small scale industries in Uttar Pradesh. Although Uttar Pradesh is an agricultural State, yet nothing has been done for the improve ment of agriculture in the State. For the development of agriculture tube-wells, power, water and fertilizers should be provided to former at cheap rates. But no arrangements have been for them.

After the imposition of Governor's Rule in Uttar Pradesh, the police excesses have gone up. Formerly, we had the right to speak against the excesses of the police. But now the police using force to stop demonstrations. The Police officers had been found indulged in the riots at different places in Uttar Pradesh.

Although there has been drought yet water has not been provided from canals and tube-wells have not been opened. There is a great dissatisfaction among the people. It appears as if the democratic feelings in Uttar Pradesh are being over. This feeling is very harmful for the democracy. Today, roads and hospitals are in very bad conditions. In villages there are no hospitals for women. The Government spent crores of rupees on hospitals, but the patients could not get the medicine.

Banarsi Sari is a great source of earning foreign exchange. But this industry is being closed. Attention has not been paid towards this industry. As a result of it lakhs of people have become unemployed. The Government should take special care for the protection of this industry. Special attention should be paid for the development of agriculture in the State.

Shrimati Sushila Rohatgi (Bilhaur) : During the last three plans the per capita income of the people throughout the country has increased. But it has decreased by 10 per cent in Uttar Pradesh. Its a border State and its boundary touched the border of Tibet and Nepal while considering the problems of Uttar Pradesh these facts should be taken into consideration. Steps should be taken to remove the dissatisfaction prevailing in the State. During the Fourth Plan we should start such projects and automatic plants which may be useful for the state.

Because of some new plans rural people are going Urban areas. Beside this, the agriculturists have not been paid adequate compensation for acquring their land.

Free education facilities to the children of the formers should be given and they should be paid adequate compensation for acquiring their land. They should be given priority in the matter of employment cultivatable land should be given to the landless agriculturists. It will result not only in giving them employment but the agricultural production will also increase.

Transport facilities should be developed in the villages.

Adequate irrigation facilities should be provided to farmers in the villages. Roads should be built connecting villages and cities.

There had been community listening scheme in the State which had been finished now. A few people had been trained under that scheme and they had done good work in the field of family planning, agriculture and irrigation. The Government should reconsider the Scheme and if possible, it should be revived.

There was a proposal to establish a tractor factory at Varanasi with the help of Czechoslovakia. Taking into view the international background, the establishment of the factory should not be shelved.

Due to closure of textile mills, people have become unemployed. This matter should also be taken into consideration. There have been an increase in the crimes in Uttar Pradesh. It is a matter of great concern and it should be looked into.

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : Although Uttar Pradesh is the biggest State . Yet it is very backward from economic point of view. During all the three plans, this State had been neglected. Although there has been an increase in the nation income yet there has been a fall in the per capita income of the State. The per capita income of the State in 1950'51 was Rs.259.62 whereas it has now come to Rs.227.

The backward areas of U. P. have been ignored.

The Central Government has spent Rs.373 crores on power generation during the last 17 years, but no scheme has been made for U. P.

Special attention should be paid to the backward area of U.P. Plan Advisory council of U. P. has agreed that Special attention should be paid for the development of backward areas in U. P.This principle has been admitted, but unless arrangements have been made for providing more finances for U. P. nothing can be done.

The Government had started certain Schemes recommended by the Patel Commission. But after the Indo-Pak conflict no progress has been made in respect of those Schemes. The State Government is not in a position to pursue those schemes. Therefore, the Central Government should immediately start work on those Schemes. Work on Gandak project should be started. The Central Government should provide assistance for this scheme. This scheme will not only be benefitted for U. P. but for Bihar also, Special attention should be paid in respect of these matters.

Sugar industry in U. P. is a very important industry. The machines of the sugar mills have become old. It is therefore, necessary that the Central Government shoud provide loan for modernisation of machinery of the Sugar Mills, so that recovery could be increased and the prices of the sugarcane may be fixed higher.

The levy, recently imposed on electricity should be removed. So that the irrigation work may not suffer. In order to remove backwardness in the State , atomic energy plant should be establised in U. P. It will make the electricity available at Cheaper rates.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The Law and order situation in U. P. is very bad. According to the statement given by Shri Joshi, a D.I.G., one crime is committed every ten minutes. Out of an average 8 lakh crimes committed in the entire country, 1½ lakhs crimes are committed in U.P. alone. The police have resorted to firing in Allahabad, Ghazipur, Ballia and Gorakhpur. The situation could be dealt with without firing . But it was not done.

In U. P. land are lying vacant. The demand has been made to cultivate those land. But nothing has been done for that. In case those land are given for cultivation, the agriculture output will increase.

At the meeting of the consultation Committee held at Naini Tal on 12th and 13th June. There was a unanimous demand for the restoration of the concession of providing transmission line free of cost upto 4 furlongs to the farmers. But the Government has not restored the concession inspite its assurance to do so. Instead of doing so Government has imposed new surcharge.

Assurance was given to reinstate the dismissed employees. But nothing has been done so far in this respect.

Even after twenty years of independence, no big industry has been set up in U. P. This State has been ignored by the Central Government and therefore at is backward. Economic condition of the State has been deteriorating. Even the small industries are on their lastl egs.

In Sambhal, a training Centre established for preparing combs from horms, has been closed. The condition of this industry is critical.

The manufacturers of utensils have to pay very high taxes in Moradabad. As a result of it, this industry is being shattered.

A building for hospital was constructed in a place named Dhidhora at a cost of Rs.5 lakhs. The people wanted to run the hospital there in case the building was handed over to them. But nothing has been done in this respect. The position should be clarified by the Government in the matter.

Patel Commission had made certain recommendations for the development of eastern districts of U. P. But nothing has been done to implement these recommendations.

There has been constant demand for the construction of a bridge over Ganga at Ghazipur. But this bridge has not been constructed.

There is a proposal under consideration to start a Sugar factory in the co-operative Sector at Rasra. The decision in this matter should be taken without any further delay.

U. P. is very backward in respect of irrigation. There is no adequate arrangement for irrigation. If water is provided to the farmers at cheap rates, it will result in ncreasing agricultural production considerably.

Our's is a backward State, it is therefore, necessary enough funds should be provided for this development of this State during the Fourth Five Year Plan.

The excesses of the police should be checked upon. Independent investigation should be made in the cases in which excesses have been made by the police.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : People do not like President's Rule. however good it may be.....

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 27 अगस्त, 1968/5 भाद्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN OF THE CLOCK ON TUESDAY, AUGUST 27, 1968/BHADRA 5, 1890 (SAKA).